चतुर्दश माला, खंड 6, अंक 17

गुरूवार, 23 दिसम्बर, 2004
2 पौष, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खण्ड 6 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 17, गुरूवार, 23 दिसम्बर, 2004/2 पौष, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 323 से 326	8-28
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	28-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 327 से 342	38-65
अतारांकित प्रश्न संख्या 3654 से 3883	65-288
सभा पटल पर रखे गए पत्र	289-319
राज्य सभा से संदेश	319
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	320
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	320
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
(एक) दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	320-321
(दो) अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	321
कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	321-322
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	322
याचिका का प्रस्तुतीकरण	322
सुरंग के निर्माण के बारे में दिनांक 2.12.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर में शुद्धि करने तथा इसमें हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण	
श्री प्रणव मुखर्जी	322-325

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	325-328, 362-363
(एक) संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 340क का अंतःस्थापन)	325
(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक, 2004	325-326
(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004	327-328
(चार) सूचना का अधिकार विधेयक, 2004	262-363
सदस्यों द्वारा निवेदन	
राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में	330-362
नियम 377 के अधीन मामले	364-372
(एक) लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क लगाए जाने से छूट देने के आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. साईं प्रताप	364-365
(दो) मेवात क्षेत्र के विकास हेतु अलीगढ़—पलवल—अलवर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री अवतार सिंह भड़ाना	365
(तीन) पाकिस्तान की हिरासत से भारतीय मछुआरों को मुक्त कराए जाने के मामले को उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल	365-366
(चार) देश में बुनकर समुदाय के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री फुरकान अंसारी	366
(पांच) हिमाचल प्रदेश में नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	366-367
(छह) पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान के समझौते के अनुसार उसे जल का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	367-368
(सात) महाराष्ट्र के यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित वनों के वन्य प्राणियों के लिए सूखे के कारण पानी की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाऊ राठौड़	368

विषय कॉलम

(आठ) मध्य प्रदेश के सतना एवं कटनी जिलों तथा देश के अन्य भागों में उपयुक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 368

(नौ) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टायर, ट्यूब एवं ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के निर्माण हेतु रबड़ आधारित उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. वी. बेल्लारमिन 369

(दस) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इलाहाबाद बैंक एवं अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 369

(ग्यारह) बिहार के गया जिले में बंद पड़ी एन टी सी मिल एवं चीनी मिल को पुनः चालू करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी 369-370

(बारह) तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. द्वारा उपयोग में लाए जा रहे राजमार्गों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित किए जाने हेतु वहां के स्थानीय प्रशासन को रॉयल्टी का एक भाग देने हेतु ओ.एन.जी.सी. को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. के. एस. विजयन 370-371

(तेरह) दिनांक 19 मार्च, 1983 की अधिसूचना, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन सेवा विनियमों से संबंधित है, जिनके अनुसार राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारी 54 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पदोन्नति के अयोग्य हो जाते हैं, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 371

(चौदह) उड़ीसा की सीमा एवं जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बोहरागोडा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की उचित मरम्मत एवं रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनिल कुमार महतो 371-372

(पन्द्रह) आंध्र प्रदेश के नौपाडा–गुन्टूपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 372

प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री हंस राज भारद्वाज 372-373

खंड 2 और 1. 373

विषय	कॉलम
पारित करने के लिए प्रस्ताव	373-374
नियम 193 के अधीन चर्चा	374-375
किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	374-375
डा. एम. जगन्नाथ	375
पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव के निधन के बारे में उल्लेख	376-378
राष्ट्रीय गीत	378
अनुबंध-I	379-386
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	379-380
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	380-386
अनुबंध-II	387-388
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	387
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	387-388

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरूवार, 23 दिसम्बर, 2004/2 पौष, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व सहयोगी, श्री के. एम. कौशिक के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री के. एम. कौशिक 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन चंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल सांसद, श्री कौशिक 1967–68 से 1969–70 तक गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति और 1970 से 1971 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य थे।

पेशे से अधिवक्ता, श्री कौशिक ने महाराष्ट्र में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर के रूप में भी कार्य किया।

उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों, जैसे संगीत और नृत्य में गहरी रुचि थी तथा वे शास्त्रीय संगीत के प्रसार में संलग्न कई संस्थानों के पदाधिकारी थे।

श्री कौशिक, समाज के शोषित तथा जनजातीय वर्गों के कल्याण के प्रति पूर्णत: समर्पित थे। उन्होंने महाराष्ट्र में चंदा के आदिवासियों पर एक अध्ययन भी किया था।

श्री के. एम. कौशिक का निधन 27 नवम्बर, 2004 को 98 वर्ष की आयु में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवदेनाएं प्रेषित करता हूं।

सभा अब दिवंगत नेता के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न काल।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज अखबार में आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे एक मिनट बोलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बंसल साहब, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, यह सही नहीं है। मैं समझता हूं कि आप सभी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, कृपया आप अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, ऐसा नहीं करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भारत की संसद है। माननीय सदस्यो, कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तथ्य से बिल्कुल अवगत हूं कि कई माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। मैं उनकी महत्ता को कम नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसकी एक प्रणाली है। प्रश्न काल के बाद, मैं उन्हें उन मुद्दों को उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया प्रश्न काल शुरू करने दें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने प्रश्न काल निलंबित करने की सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हम पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देने की बात कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके नेता बैठ गए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : तुम लोग जाहिरा को पैसा देते हो।...*(व्यवधान)* अदालत में धमकाते हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, अब कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : हम लोगों का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैंने कहा कि मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं। लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे माननीय सदस्यगण उठाना चाहते हैं। मैं उन मुद्दों को उठाने के उनके अधिकार से इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप उन्हें उचित समय पर उठाएं। माननीय सदस्य, प्रो. मल्होत्रा आपने प्रश्न काल के बाद इसे उठाने की सूचना दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल के निलंबन के लिए नहीं है। यह शून्य काल की सूचना है। आपने यही दिया है। कृपया इसे देखें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : यह सब छोड़कर उत्तर प्रदेश को पैकेज देने की बात करें।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : उत्तर प्रदेश को पैकेज देने का मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। तभी मैं आपको इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बहुत असहिष्णु हैं। इतने असहिष्णु न बनें। स्वाभाविक है, मैं दोनों पक्षों को उत्तेजित देख रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विचित्र बात है। मैंने कहा है कि मैं इससे पहले से ही सहमत हूं। प्रश्न काल समाप्त होने दें। मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा—केवल दोनों पक्षों को ही नहीं बल्कि किसी भी माननीय सदस्य को अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : आप बोथ साइड कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी पक्ष के सदस्यों को अनुमति दी जाएगी। मुझे सही करने के लिए धन्यवाद। मैं सभी पक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा—दक्षिण, वाम, मध्य, आड़े—तीरछे और सबकुछ।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह प्रश्न काल के निलंबन के लिए है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप बारी—बारी से अपने मुद्दों को पुरजोर उठा सकते हैं। मैं आपको बोलने को कहूंगा। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्रश्न काल को समाप्त होने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह प्रश्न काल के निलंबन के लिए है। मैंने इसके लिए पूछा है। यह नियमों के भीतर है। मैंने इसके लिए सूचना दी थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रश्न काल के निलंबन हेतु कोई सूचना नहीं मिली है। अतः इसका प्रश्न नहीं उठता है। प्रो. मल्होत्रा, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है। मुझे यह बताया गया है कि प्रश्न काल के निलंबन हेतु कोई सूचना नहीं है। मैं आपको पहले ही यह आश्वासन दे चुका हूं कि मैं आपको प्रश्न काल के बाद बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी सभा है। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सभा न चले तो आप बोलना जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बोलने देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप लोग बैठिए। हम यही अपील कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं सभा के सभी पक्षों के सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। श्री मोहन सिंह, आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए, मैं आपकी भावनाओं के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। मैं उनका आदर करता हूं। किंतु मुझे सभा की कार्यवाही चलानी है।

मल्होत्रा जी, आपने सोचा होगा कि प्रश्न काल के निलंबन हेतु सूचना दी हुई है। किंतु मैं उस तकनीकी आधार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि आपने सभी तरीके से मुद्दों को पर्याप्त रूप से उठाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मॉरल ग्राउंड्ज पर नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, अब आप यहां आइए और बैठिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध करूंगा कि मैंने प्रश्न काल के निलम्बन हेतु सूचना क्यों दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक—दूसरे की बात सुनिए। उनकी बात सुनें। हमारे पास उत्तर देने के लिए दोनों तरफ विद्वान लोग हैं। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमारा नोटिस तो आप ले ही नहीं रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास क्वैश्चन आवर सस्पैन्शन का कोई नोटिस नहीं है, तब भी हम सुनने के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री कार्यालय से संयुक्त सचिव ने कार्मिक मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि सीबीआई को कुछ कहा जाए और आडवाणी जी के खिलाफ जो रिवीजन पैटीशन चल रही है, उसको एक्सपीडाइट किया जा सकता है या नहीं और उनके खिलाफ क्या दोबारा यह केस चलाया जा सकता है या नहीं? यह सीबीआई का दुरुपयोग है, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है और नैतिक रूप से भी गलत है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पैकेज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और संसद शुरू होने के पहले दिन से ही हम नोटिस दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 18200 करोड़ रुपये का पैकेज देने की हमारी बात को सुना जाए।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : उनको तो बोलने का मौका दे दिया, हम कब अपनी बात कहेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका देंगे।

श्री रघुनाथ झा : उनको अपनी बात कहने का अवसर दे दिया, हमें नहीं दिया। 18 लाख रुपये बयान बदलने के लिए दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आप बाद में यह मामला उठाइए।

श्री रघुनाथ झा : मोदी को गिरफ्तार करें और डिसमिस करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : लाखों रुपये बयान बदलने के लिए दिए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। रघुनाथ जी, हम आपको बोलने के लिए मौका देंगे। अभी बैठ जाइए। क्वैश्चन आवर के बाद सुनेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? इतने इम्पेशेन्ट क्यों हो रहे हैं? कल से तो छुट्टी है। आज थोड़ा काम कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, मैं आपको रोज बोलने के लिए बुलाता हूं, आज नहीं बुलाऊंगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : नहीं बुलाएंगे तो हम फिर खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश को 18 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाना है, उस संबंध में हमें अपनी बात कहनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्र. सं.–323. श्री इकबाल अहमद सरडगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल शुरू हो गया है। मैं आपको प्रश्न काल समाप्त होने के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके पास यह मामला उठाने के लिए काफी समय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप गैरजिम्मेदार व्यक्तियों की तरह बर्ताव करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह देखने की अपील करता हूं कि हम और अच्छा काम कर सकते हैं। यदि शांति हो तो आप अपने मुद्दों को और बेहतर तरीके से उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग

+

***323. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र में भारत–चीन सहयोग का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने भी तेल क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि दर्शायी है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों ने तेल सहयोग के करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और देश की मांग की तुलना में परिशोधन क्षमता का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) वर्तमान में भारतीय और चीनी सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियां निम्न उत्पादक/अन्वेषण परियोजनाओं में भागीदार हैं :

(एक) ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओवीएल) सूडान में ग्रेटर नील तेल परियोजना में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी (सीएनपीसी) के साथ एक संयुक्त भागीदार है; और

(दो) ओवीएल और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) एक अन्य चीनी राष्ट्रीय तेल कंपनी—साइनोपैक के साथ आइवरी कोस्ट में एक अन्वेषण ब्लाक में सहबद्ध हैं।

तीसरे देशों में रकबे प्राप्त करने में चीनी तेल कंपनियों के साथ गठबंधन करने और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए भारत और चीन की राष्ट्रीय तेल कंपनियां मामला—दर—मामला आधार पर सहयोगात्मक उद्यमों पर कार्य करती रहती हैं। तथापि, भारत और चीन के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

1.4.2004 की स्थिति के अनुसार भारत में शोधन क्षमता 127.37 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी और वर्ष 2003—04 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 107.75 मिलियन मीट्रिक टन थी।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुख्य प्रश्न के भाग (क) और (ख) के अपने उत्तर में यह कहा है कि भारत और चीन की सरकारी क्षेत्र की कंपनियां ओएनजीसी, विदेश लिमिटेड जैसी अनेक अन्वेषण परियोजनाओं में भागीदार हैं यद्यपि दोनों देशों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन संयुक्त उद्यमों और भागीदारी के कारण इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने में कितनी सहायता मिलेगी?

महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत ही प्रगतिशील मंत्री हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि वे आयातित कच्चे तेल पर से निर्भरता कम करने के लिए देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में सुधार करने हेतु किस रणनीति और योजना पर विचार कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : केवल पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाए। उसका प्रश्न से कुछ संबंध होना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, स्पष्ट तथा दोनों देशों के बीच तीसरे देश में सहयोग से प्रत्यक्ष रूप से दोनों देशों की आयात निर्भरता कम नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया यहां बातें न करें।

श्री मणि शंकर अय्यर : किंतु इससे आपूर्ति बढ़ना सुनिश्चित हो जाएगा क्योंकि जब भारत को विदेश में तेल मिलता है तो जो तेल विदेश में मिलता है वह भारतीय तेल बन जाता है और इसी तरह जब चीन को विदेश में तेल मिलता है तो जो तेल विदेश में मिलता है वह चीन का तेल बन जाता है। जब भारत और चीन दोनों को विदेश में तेल मिलता है, जैसा कि उनको ग्रेटर नील ऑयल प्रोजेक्ट में मिला है तो उस परियोजना में जो तेल मिला है उसमें चीन और भारत दोनों का हिस्सा होगा।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने वियना में हुई ओपेक बैठक में एशियन प्रीमियम का मुद्दा उठाया था और इस बात पर बल दिया था कि एशियाई उपभोक्ता अमेरिकी खरीददारों से प्रति बैरल आधा डालर और यूरोपीय उपभोक्ताओं से प्रति बैरल दो डॉलर अधिक पैसा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चाइना से कहां चला गया?

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी : मैं जानना चाहूंगा कि भारत के प्रस्ताव पर किस हद तक विचार किया गया था तथा क्या इस प्रस्ताव का चीन, जापान तथा कोरिया द्वारा भी समर्थन किया गया था तथा ओपीईसी (ओपेक) द्वारा किस हद तक हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे?

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे माननीय सदस्य तथा सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में होने वाली एशियन ऑयल मिनिस्टर्स बैठक के लिए आमंत्रित सभी देशों ने अपने आने की सहमति दी है। प्रमुख खरीददारों में जापान, कोरिया, चीन तथा भारत शामिल

हैं, प्रमुख पश्चिम एशियाई सप्लायर तथा दक्षिण–पूर्व एशियाई सप्लायर, पश्चिम एशियाई सप्लायरों का प्रतिनिधित्व ईरान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत द्वारा किया जा रहा है, जो कि अन्य देशों के साथ मिलकर बैठक की सह–मेजबानी कर रहे हैं। दक्षिण–पूर्व एशिया से हमारे पास मलेशिया से स्वीकृति आ गई है जबकि इंडोनेशिया से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस अवसर पर हमारे पास एशियाई तेल उत्पाद बाजार की आवश्यकता पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा जो कि वास्तव में अच्छी तरह तैयार है। इस समय पश्चिम एशियाई कच्चा तेल वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट की तुलना में संयुक्त राज्य अमरीका को छूट देकर तथा डेटिड ब्रेंट की तुलना में यूरोप को छूट देकर बेचा जाता है। परन्तु यह स्थिति पुरानी हो चुकी है क्योंकि गत 20 वर्षों में डब्ल्यूटीआई, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट उत्पादन लगभग 75 प्रतिशत तक कम हो गया है। उत्तरी महासागर के तेल में पिछले 10 वर्षों में 55 प्रतिशत की कमी आई है। फिर भी–इन पुरानी सूचियों की मौजूदगी के कारण–जब बिक्री होती है तो यह छूट प्राप्त दामों पर की जाती है। यदि हमारे पास एशियाई तेल उत्पादों का बाजार उचित रूप से तैयार किया जाए तो शायद हमारे क्षेत्र में इस प्रणाली को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है। मेरे विचार से ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण तेल अर्थ व्यवस्था में इतना बदलाव आ गया है कि आज पश्चिमी एशियाई उत्पादन का दो–तिहाई हिस्सा एशियाई खरीददारों द्वारा खरीद लिया जाता है। इसलिए, हम एशियाई तेल समुदाय बनाने के दूरगामी लक्ष्य से एशियाई पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु यह प्रमुख एशियाई क्रेताओं तथा प्रमुख एशियाई विक्रेताओं को एक साथ लाने के लिए एक ऐतिहासिक पहला कदम है और यह वियाना में सितम्बर में हुए ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार में मेरे द्वारा की गई पहल का प्रत्यक्ष परिणाम है।

श्री रायापति सांबासिवा राव : मैं भारत की तेल की कुल मांग के मद्देनजर माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भारत और चीन दोनों के इन समझौतों से भारत को लक्ष्य प्राप्त करने तथा भारत में कच्चे तेल की कमी को पूरा करने में मदद मिल पाएगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : इस समय भारत और चीन के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। वास्तव में भारत और लोक गणराज्य चीन के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग अन्य तरह के सहयोगों से पीछे है। परन्तु इस विषय पर अब ध्यान दिया जा रहा है तथा नई दिल्ली में आगामी एशियन ऑयल इकानॉमी मीट में मुझे आशा है कि चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक में हम इस क्षेत्र में अपने संबंधों को शायद औपचारिक रूप से बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर सकेंगे। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सूडान तथा आइवरी कोस्ट दोनों के साथ हम पहले ही सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में, सूडान में अन्वेषण तथा उत्पादन से भी अधिक सहयोग किया जा रहा है। हम उस पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं जो कि खारतूम में चीनियों द्वारा बनाई जा रही रिफाइनरी से तेल उत्पादों का निष्क्रमण करेगी। अतः अनेक संभावनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि हालांकि भारतीय कंपनियों और चीनी कंपनियों के बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो सकती है, परंतु हमें सहयोग की क्षमता का विचार करके इनका पूर्ण रूप से दोहन करना चाहिए।

श्री तथागत सत्पथी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार को बंगाल की खाड़ी में चीन द्वारा तेल निष्कर्षण कार्यकलापों की जानकारी है तथा क्या वे बंगाल की खाड़ी में तेल का पता लगाने में सफल हो पाए हैं। यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वे ड्रिलिंग कहां कर रहे हैं और इस ड्रिलिंग से कितना कच्चा तेल मिलने की आशा है और इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है?

महोदय, अब चीन की तेल की आवश्यकता अंतहीन होती जा रही है। अमरीका के बाद वह दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बन गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का कम से कम बंगाल की खाड़ी में अपने हितों की रक्षा करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि बंगाल की खाड़ी का भूगोल बंगाल की खाड़ी के राजनैतिक भूगोल से भिन्न है। बंगाल की खाड़ी में कई समुद्र तटीय देश हैं। इनमें भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार भी शामिल हैं। विस्तृत रूप से आप दक्षिण से आगे जा सकते हैं और कह सकते हैं कि थाईलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर तथा शायद इंडोनेशिया और श्रीलंका भी एक तरह से बंगाल की खाड़ी के समुद तटीय देश हैं। इसलिए जहां तक भारत की समुद्र तटीय सीमा का संबंध है, मैं यहां यह नहीं कह रहा कि हम चीन को आने नहीं देना चाहते, मैं यह कह रहा हूं कि नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति अथवा इससे पहले की नीतियों के अंतर्गत जिन खंडों को रखा गया है, चीन की कोई उपस्थिति नहीं है। म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी समुद्र तटीय देशों के एक या दो खंडों में चीन की उपस्थिति है। हम स्वयं ए1 और ए3 में मौजूद हैं। हम म्यांमार में खंड ए4 के लिए प्रयत्न कर सकते थे परंतु हमने फैसला किया है कि इसमें अधिक क्षमता नहीं है। हमें विश्वास है कि चीन की तुलना में म्यांमार में हमारी बेहतर मौजूदगी है परन्तु ऐसी तुलना करना बेकार होगा क्योंकि आपके पास ब्लॉक बेहतर है और हमारे सबसे खराब है। मेरे विचार से हमें यह देखना चाहिए कि क्या म्यांमार में भारत और चीन सहयोग की वैसी ही संभावनाएं हैं जैसा सहयोग हम अन्य देशों के साथ कर रहे हैं। मेरे विचार से भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं काफी हद तक हमारी अपने सनुद्री सीमा क्षेत्र से पूरी हो सकती हैं। परन्तु जब आयात

निर्भरता की बात आती है, जिसे अब चीन और हम दोनों शेयर करते हैं—जिसे चीन ने केवल 1995 से ही हमारे साथ शेयर करना शुरू किया है—मेरे विचार से हमारे बीच प्रतिस्पर्धा होने की संभावना हैं परन्तु इस संबंध में थोड़े सहयोगात्मक प्रयास की भी संभावना है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, तेल की खोज के कार्य में सबसे बड़ी चुनौती अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या भारत और चीन के बीच सहयोग समझौते में दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी का आदान–प्रदान और उपलब्ध प्रौद्योगिकी में वृद्धि करने की बात भी शामिल है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस समझौते में दोनों देशों में से किसी एक देश को तीसरे देश से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना भी शामिल है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, भारत और चीन के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव बहुत उपयोगी हैं और मैं उस समय उन पर निश्चित रूप से विचार करूंगा जब मैं 6 जनवरी, 2005 के आस–पास चीन के मंत्री से बात करूंगा।

श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्तीरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रणाम। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामनाथपुरम में, प्राकृतिक गैस से टी.एन.ई.बी. प्रतिष्ठान के अंतर्गत एक विद्युत परियोजना 100 मेगावाट विद्युत का प्रतिदिन उत्पादन कर रही है। ओ.एन.जी.सी. को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त गैस मिल जाती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि हम लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिदिन 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने के लिए विदेशी सहयोग से एक बड़ी परियोजना आरंभ क्यों नहीं करते?

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि गैस चीन से आए। बहुत अच्छा। आप सहायता करना चाहती हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे डर है, मुझे माननीय सदस्य को यह बताना होगा कि रामनाथपुरम में गैस की वास्तविक उपलब्धता पहले लगाए गए अधिक अनुमान की तुलना में काफी घट गई है। फिर भी, हमारे प्रयास जारी हैं। मैंने श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति से इस बारे में बात की थी कि क्या उन्होंने पाल्क स्ट्रेट्स में अपनी ओर कोई तेल क्षेत्रों की खोज की है अथवा कोई संभावित गैस क्षेत्र मिला है, और ऐसा लगता है कि उन्हें इनकी उपलब्धता के प्रारंभिक संकेत मिल गए हैं। इसलिए हम इस क्षेत्र में अपने प्रयास तेज कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इस क्षेत्र में तेल उपलब्ध नहीं करा पाए तो हम प्रचुर मात्रा में गैस उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन, मुझे भय है, वर्तमान परिदृश्य यह है कि रामनाथपुरम जिले में खोजे गए तेल के कुओं में पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में वास्तविक उपलब्धता बहुत कम है। लेकिन यदि हमें अत्यधिक गैस मिलती है तो हम निश्चित रूप से इसके दोहन के मार्ग ढूंढेंगे और यदि इसमें विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी, तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप हतोत्साहित न हों।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : मैं महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने विदेशों से इक्विटी तेल प्राप्त करने में शामिल राजनैतिक और वाणिज्यिक जोखिमों संबंधी कोई अध्ययन कराया है। विदेशों से ऐसी तेल इक्विटी को प्राप्त करने में ओ.वी.एल. की अभी तक उपलब्धियां क्या रही हैं और इसके क्या लाभ हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। यदि आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे आपको और सभा को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत की मौजूदगी प्रशांत महासागर तट पर उत्तर–पूर्व रूस में सखालीन द्वीप से लेकर दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर पर कोलंबिया तथा अधिकांश भूमि पर है। हमें वास्तव में ठेके मिले हैं और हम विश्व के कम–से–कम 10 देशों में कार्यरत हैं। हाल ही में हमने आइवरी तट में ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं और यह चीनी सहयोग से संपन्न होगा। लेकिन हमारे प्रयास जारी हैं। इनमें इक्विटी तेल और विदेशों में संपत्ति अर्जित करना शामिल है। मैं भेद कर रहा हूं क्योंकि कई देश अब हमें इक्विटी तेल प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अन्य प्रकार से यह सहयोग हो रहा है। हम वास्तव में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना जारी रखेंगे। यह पश्चिम में प्रशांत महासागर तट से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक सारे विश्व में है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेवती रमन सिंह, आप मुख्य प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंडिया का ऑयल में कितना डेफीसिट है और क्या आप इस डेफीसिट को पूरा करने के लिए, जैसा आपने बताया कि विदेश में आप कोआपरेशन कर रहे हैं, क्या इंडिया में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रेवती रमन सिंह, इसका इस प्रश्न से कोई लेना–देना नहीं है।

[हिन्दी]

रेल कर्मचारियों का कार्य निष्पादन

+

*324. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री इलियास आजमी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों की कुशलता और कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या इन कदमों से सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना क्रियान्वित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में ग्राहकों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी और कार्य प्रणालियों में चौतरफा त्वरित बदलावों को अपनाने हेतु नियमित अंतरालों पर प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से रेल कर्मचारियों के ज्ञान और कुशलताओं को सतत रूप से अद्यतन करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयास जारी हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि इसे पूरी तरह आंका नहीं जा सकता तथापि महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बीर सिंह महतो : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न करने का कारण रेलवे कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना है एवं उसके निष्पादन कार्य को उत्कृष्ट बनाना है, लेकिन देखा यह गया है कि रेलवे के कार्य बहुत देरी से होते हैं, निर्णय देरी से होते हैं और कार्य बार-बार बन्द हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कर्मचारियों की योग्यता का फायदा लेने एवं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं और इन कदमों से सरकार को क्या सफलता मिली है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : महोदय, रेलवे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक आदर्श नियोक्ता है। रेलवे अपने कर्मचारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाना चाहता है और अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता और कार्यनिष्पादन को सुधारना चाहता है ताकि हम इस सबसे बड़े संगठन को दक्षतापूर्वक चला सकें, जिसमें, लगभग 15 लाख कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है। हमारे पास देश में लगभग 300 प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। उनकी 2.5 लाख श्रमिकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित करने की क्षमता है। जो विशेष प्रश्न पूछा गया, वह यह था कि हम दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारी वर्ग के लिए हमारे पास अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं ताकि उनके कार्यनिष्पादन की क्षमता में वृद्धि हो सके। इसे नापा नहीं जा सकता। फिर भी यात्री यातायात में पांच प्रतिशत की वृद्धि और माल यातायात में आठ प्रतिशत की वृद्धि और दुर्घटना स्तर में आई कमी जो केवल 0.39 प्रति मिलियन ट्रेन किलोमीटर है जिसकी तुलना विश्व रेल मानक 0.3 से 1.1 से की जा सकती है, इन सभी से कार्यनिष्पादन की दक्षता प्रकट होती है। इससे दक्षता स्तर का पता चलता है जो लगातार बढ़ रहा है। माल और यातायात में वृद्धि के मामले में कार्यकुशलता प्रकट होती है और इस बात की पुष्टि दुर्घटनाओं के स्तर में आई कमी से भी होती है।

[हिन्दी]

श्री बीर सिंह महतो : माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे ने 23 जुलाई, 2004 से नौकरियां देने का विशेष अभियान चल रहा है, जिसके अगले साल 30 जून तक समाप्त हो जाने की संभावना है। मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा रेलवे में नवयुवकों को रोजगार देने हेतु क्या लक्ष्य रखे गए हैं एवं उनकी प्राप्ति और प्रगति अब तक क्या रही है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : महोदय, हमारा कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। दूसरी ओर, हमारे पास विभिन्न श्रेणियों के 80,000 पद रिक्त हैं। उन्हें हमारे रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भरा जा रहा है। और रेलवे सुरक्षा बल में 10,000 रिक्तियां सृजित हुई हैं, जिनको भरने की प्रक्रिया जारी है। हम इन सभी रिक्तियों को अगले वर्ष के अन्त तक भर लेंगे। हम केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि रिक्तियों का आवधिक मूल्यांकन कर रहे हैं तथा सभी पद भरे जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, रेलवे में लाखों अस्थाई कर्मचारी हैं। जब उनके भविष्य पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है, तो उन

कर्मचारियों का प्रेरणा स्तर क्या होगा? उन्हें स्थाई करने तथा तत्पश्चात् बेहतर सेवा के लिए उनकी क्षमताओं का अद्यतनीकरण करने के बारे में माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री आर. वेलु : महोदय, माननीय सदस्य ने अस्थाई कर्मचारियों के बारे में पूछा है। वस्तुतः रेलवे में अस्थाई (अर्थात् अनियत) कर्मचारी हैं ही नहीं।

जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि रेलवे में केवल 15 लाख कर्मचारी ही हैं। पूर्व में, जब भाप के इंजन चलते थे तब कुछ ठेका श्रमिक हुआ करते थे। डीजल तथा इलेक्ट्रिकल इंजनों के आने के बाद उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। यदि फिर भी अस्थाई कर्मचारी हैं तो उन्हें ठेकेदारों द्वारा लगाया जा रहा है ऐसे कर्मचारियों की जवाबदारी उन ठेकेदारों की है। रेलवे में अस्थाई कर्मचारी नहीं हैं।

दूसरा प्रश्न था कि हम हमारे कर्मचारियों के ज्ञान तथा क्षमताओं का अद्यतनीकरण किस प्रकार कर रहे हैं जिसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। गैर–तकनीकी कर्मचारियों को हम निरन्तर रूप से प्रति पांच वर्ष में एक बार तथा तकनीकी कर्मचारियों को प्रति तीन वर्ष में एक बार प्रशिक्षण देते हैं तथा ग्राहक सम्बन्धों में सुधार के लिए भी ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए हैं। रेलवे में दो केन्द्र हैं ताकि कार्यनिष्पादन का स्तर ऊंचा उठ सके। कर्मचारियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाए, उन्हें अतिरिक्त कार्यभार से कैसे मुक्त कराया जाए तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में किस प्रकार सचेत रखा जाए, के बारे में अब आरडीएसओ अनुसंधान कर रहा है। अब वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर हैं। उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उदाहरण के तौर पर जिनकी जमीनें, प्रॉपर्टी ली गई हैं... *(व्यवधान)* मैं मंत्री जी के जवाब के पार्ट डी में से पढ़ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'ना' कहा है। इसके बाद, इसके बारे में आप क्या पूछ सकते हैं? यह बहुत ही कीमती समय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : अगर आप सुनेंगे तभी रेलीवैंट बनेगा, नहीं सुनेंगे तो कैसे रेलीवैंट बनेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

[अनुवाद]

अध्यक्षपीठ के साथ बहस न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : जिन लोगों की जमीनें, जायदाद आदि रेलवे की जमीन के अंतर्गत आ गई है, उनको इम्प्लॉयमेंट देने की स्कीम है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने जिन लोगों की जमीनें लेकर उन पर रेल की पटरी बिछाई है, क्या उनका हक नहीं बनता? उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

मंत्री जी, क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं।

श्री आर. वेलु : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको नया नोटिस चाहिए।

श्री लाल सिंह, आपको एक नया नोटिस देना होगा।

प्रो. एम. रामदास : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या समूह 'ग' तथा समूह 'घ' जो कुल कर्मचारियों के लगभग 96 प्रतिशत हैं, को रेलवे प्रचालन, रेलवे सुरक्षा, ग्राहक संतुष्टि आदि क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण तथा ज्ञान का अद्यतनीकरण कराया जाता है। यदि हां, तो मैं तत्संबंधी ब्यौरा जानना चाहता हूं तथा क्या विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन की कोई समीक्षा की है?

श्री आर. वेलु : जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। मैंने यह भी उल्लेख किया है कि इन समूह 'ग' तथा समूह 'घ' कर्मचारियों के ज्ञान के अद्यतनीकरण तथा कार्यनिष्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए प्रति पांच वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिया जाता है। हम इनका मूल्यांकन भी करते हैं। प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही हम तय करते हैं कि उन्हें 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। उनकी पदोन्नति इससे जुड़ी हुई है। हम बीच–बीच में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। हम बीच–बीच में पदोन्नति पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। उनके ज्ञान के अद्यतनीकरण के लिए हम विशेष पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को तीन प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार, हम एक उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि हम बहुत हद तक कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन पर ही निर्भर हैं। ट्रेड यूनियन भी यह जानकर बहुत सहयोगी हैं कि प्रशिक्षण प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी अपने ज्ञान को अद्यतन करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि रेलवे इम्प्लाइज में टिकट काउंटर पर बैठे हुए लोगों से लेकर टिकट चैकर और खान–पान व्यवस्था देखने वाले जो लोग होते हैं, क्या उन सबके लिए ऐसी किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है जो उन्हें यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखा सके? मैं एमपीज की सुविधा की बात नहीं कर रही हूं, आम आदमी के साथ उनके व्यवहवार की बात कर रही हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत लोकप्रिय प्रश्न है।

श्री आर. वेलु : महोदय, मैं भी माननीय सदस्या द्वारा इस प्रश्न में व्यक्त की गई चिंता के साथ हूं। समस्या को समझने के बाद, आज अन्तर वैयक्तिक सम्बन्ध तथा ग्राहक सम्बन्धों के बारे में, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हमने प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् ग्राहक सेवा संस्थान स्थापित किए हैं जिनमें हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे कार्य करना चाहिए। कैसे उत्तर देना चाहिए तथा कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि। हम उन्हें व्यावहारिक पहलुओं को सिखाते हैं। हम ऐसे लोगों को व्यावहारिक विज्ञान के बारे में सिखा रहे हैं कि कैसे व्यवहार करें तथा अपने आपको कैसे पेश करें। मैं माननीय सदस्या को आश्वासन दे रहा हूं कि भविष्य में इस दिशा में और अधिक प्रगति होगी।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, सभी की ओर से शुभकामनाएं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ग्राहक की अपेक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। आपने एक तरफ प्रशिक्षण की बात की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप निजी ठेकेदारों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को रखते हैं, जो चतुर्थ वर्ग के काम जैसे सफाई या ट्रेन में खान–पान की व्यवस्था आदि करते हैं। क्या आप यह मान चुके हैं कि आपका प्रशिक्षण कामयाब नहीं है? क्या आप इस कारण निजी ठेकेदारों के हाथों में काम सौंप रहे हैं या कर्मचारियों की कमी के कारण उनको यह काम सौंप रहे हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके ठेकेदारों के माध्यम से जिन लोगों को लगाने की प्रथा चला रहे हैं, क्या आप उसे समाप्त करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : महोदय, जब यह प्रश्न खान–पान सेवा के संबंध में पूछा गया था। मैं तभी इसका उत्तर दे चुका था। खान–पान सेवा जो रेलवे का एक भाग थी अब खान–पान निगम को सौंप दी जाएगी। यह रेल मंत्रालय का परिवर्धित अनुभाग है। यह प्रश्न पूछा गया था कि इस अनुभाग में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जाता है। हां, हम उन लोगों को निश्चित तौर पर प्रशिक्षित करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, हम खान–पान सेवा में पेशेवर प्रबंधकों को ले रहे हैं। वे पहले से ही प्रशिक्षित होते हैं। तथापि, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आवश्यक होने पर, तथा उनके कार्यनिष्पादन में कमी पाए जाने पर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हमने प्रश्न कुछ और पूछा है और मंत्री जी कुछ और जवाब दे रहे हैं। हमने यह प्रश्न पूछा था कि निजी ठेकेदारों के माध्यम से जिन सफाई या खान–पान के कर्मचारियों को लगाया है, क्या आप उस प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं? मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि खान–पान के लिए हम प्रशिक्षण देंगे। वे हमारे प्रश्न का उत्तर तो दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह सफाई कर्मचारियों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री आर वेलु : उन्होंने निजी ठेकेदारों के बारे में कहा है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने कहा था कि कोई निजी ठेकेदार नहीं होगा। यदि आवश्यकता हुई तो खान–पान निगम में मात्र उप–ठेके होंगे।...*(व्यवधान)* प्रश्न यह है कि क्या निजी ठेकेदारों के उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह ठेकेदार और निगम के बीच का संबंध है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस बात का भी उल्लेख किया है।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह बात जानकर काफी प्रसन्न हूं कि अगले वर्ष तक कुछेक हजार रिक्तियों को भरे जाने की संभावना है। रेलवे में पुरुष व महिला खिलाड़ियों की भर्ती करने तथा स्तर और कार्यक्षमता बढ़ाए जाने की परंपरा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि उनका कार्यनिष्पादन बेहतर होगा।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव पर गौर करेंगे कि खिलाड़ियों विशेषकर महाराष्ट्र के शिव छत्रपति पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, को रेलवे में लोगों की भर्ती करते समय कतिपय प्राथमिकता दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्रवाई हेतु एक सुझाव है।

माल भाड़े में वृद्धि का प्रस्ताव

+

*325. **श्री मधुसूदन रेड्डी :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में माल भाड़े की दरों में वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस वृद्धि से प्रभावित हुई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या माल भाड़े की दरों में वृद्धि के बाद मूल्यों में बढ़ोतरी होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त वृद्धि पर पुनर्विचार करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। डीजल और इस्पात की कीमतों में वृद्धि के कारण भारतीय रेलों के संचालन व्यय में वृद्धि को अंशतः संतुलित करने हेतु कतिपय पण्यों जैसे कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, जिप्सम, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, सीमेंट और खंगर की माल भाड़ा दरों में हाल ही में बढ़ोत्तरी की गई है।

(घ) मालभाड़ा दरों में वृद्धि से मूल्यों में मामूली बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन पण्यों की मालभाड़ा दरों में वृद्धि के कारण लगभग 400 करोड़ रु. के अतिरिक्त राजस्व के सृजन की संभावना है।

(च) से (ज) जी, नहीं। भारतीय रेलों के संचलन व्यय में वृद्धि को देखते हुए मालभाड़ा दरों को कम करना व्यवहार्य नहीं है।

श्री मधुसूदन रेड्डी : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि माल भाड़ा बढ़ाए जाने का कारण डीजल की कीमत में हुई बढ़ोत्तरी बताया गया और 27 नवम्बर, 2004 से माल भाड़े में 3.77 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। अब इससे आम जनता प्रभावित हो रही है और इसके लिए जिम्मेवार मात्र डीजल की कीमत में हुई वृद्धि को ठहराया जा रहा है। अब भारत सरकार ने डीजल की कीमत घटा दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके मद्देनजर माल भाड़ा को घटाए जाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री आर. वेलु : महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि माल भाड़े में वृद्धि से आम आदमी प्रभावित होने नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों है? अब हम आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई अपनी प्रचालन लागत से भी कम भाड़े पर कर रहे हैं।

दूसरी बात, हमने यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया है। इस प्रकार, इन दो बातों के आधार पर आम आदमी प्रभावित होने नहीं जा रहा है। हमारे द्वारा बढ़ाए गए माल भाड़े के कारण मात्र इस्पात की कीमत में 0.5 प्रतिशत अर्थात् 120 रुपये प्रति टन की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। विद्युत क्षेत्र में, प्रति किलोवाट घं. विद्युत पर मात्र तीन पैसे की बढ़ोत्तरी होगी। इस स्थिति में, मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से आम आदमी प्रभावित होने जा रहा है।

हमने पिछले तीन वर्षों से माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की है। यह बात इस सभा के सूचनार्थ है। डीजल की कीमतों में तीन बार बढ़ोत्तरी हुई है जिससे रेलवे पर 550 करोड रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है तथा साथ ही इस्पात की कीमत में भी वृद्धि होने से 400 करोड़ का भार पड़ा है। इस स्थिति में इसकी क्षतिपूर्ति करने हेतु माल भाड़े में वृद्धि की गई है। इससे हमें मात्र 400 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति होगी। इस परिस्थिति में, माननीय सदस्यों को भी यह समझना चाहिए कि माल भाड़े में मामूली वृद्धि किए बगैर प्रशासन कैसे चलाया जा सकता है।

श्री मधुसूदन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मालगाड़ियों की गति करीब 70 से 75 कि.मी. प्रति घंटा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय माल की त्वरित ढुलाई हेतु मालगाड़ियों की गति सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है ताकि मालभाड़े पर पुनर्विचार किया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रयोजनार्थ फास्ट ट्रैक्स बनाए जाएंगे?

श्री आर. वेलु : हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं तथा उन मार्गों का पता लगा रहे हैं जहां इनकी गति कम से कम 100 कि.मी. प्रति घं. रखी जा सके।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : अध्यक्ष महोदय, यह एक तकनीकी प्रश्न है। हमने वर्ष 2004–05 का बजट अभी–अभी जुलाई, 2004 में पारित किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने बजट पारित होने के मात्र तीन महीने के अंदर ही कीमतों को बढ़ाने का निर्णय कैसे ले लिया।

श्री आर. वेलु : इसी वजह से मैंने उत्तर दिया था कि डीजल की तीन बार बढ़ी कीमतों और इस्पात के मूल्यों में हुई वृद्धि के बावजूद यह बढ़ोत्तरी मात्र आंशिक क्षतिपूर्ति करने हेतु की गई है। डीजल और इस्पात की कीमतों में हुई वृद्धि ने रेलवे को माल भाड़े में मामूली वृद्धि करने हेतु मजबूर कर दिया है। जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, इससे आम आदमी भी प्रभावित होने नहीं जा रहा है। सदस्यों को यह समझना चाहिए कि हमने इस परिस्थिति में यह वृद्धि की है।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी : अध्यक्ष महोदय, मालभाड़े में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण रेलवे के खर्चों में वृद्धि हुई है। इस्पात के मूल्य में वृद्धि के कारण मूल्यों में यह वृद्धि की गई है। क्या माननीय मंत्री जी रेलवे के गैर–खर्चों में कटौती करेंगे कि मालभाड़े में वृद्धि न की जाए और गैर–खर्चों में कटौती करके क्या एक्सपेंडिचर को कम करने का प्रयास करेंगे?

श्री आर. वेलु : नहीं, हम अनावश्यक खर्च कम करने हेतु सभी उपाय कर रहे हैं। इस प्रकार से हम प्रशासन चलाने में आने वाली लागत को कम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इस बात को गंभीरतापूर्वक लिया गया है ताकि हम अपने कार्यनिष्पादन स्तर को सुधार सकें।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था।

श्री के. एस. राव : महोदय, आंध्र प्रदेश के आम उत्पादक प्राकृतिक अनिश्चितता की वजह से पहले ही संकट में हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली चीजों हेतु माल भाड़े में की गई यह वृद्धि उन्हें और अधिक पंगु बना रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस पर विचार करेंगे कि मालभाड़े में की गई यह वृद्धि, आंध्र प्रदेश में उत्पादित की जा रही नष्ट होने वाले फलों और सब्जियों पर लागू नहीं है।

श्री आर. वेलु : महोदय, इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की है। आम का व्यवसाय दो माह का है और इसे विभिन्न दिशाओं में भेजा जा रहा है। यह नष्ट होने वाली वस्तु है। हम इस पर निश्चित रूप से गौर करेंगे और जो भी बेहतर किया जा सकता है, हम करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, डीजल और इस्पात की कीमतों में वृद्धि के कारण मालभाडा बढ़ाया गया है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री जी यहां मौजूद हैं। डीजल के रेट कम होते हैं। क्या आप इस्पात के रेट कम करने वाले हैं? मेरा दूसरा सवाल है कि रेलवे में जो लॉरीज मुम्बई से गोआ तक जाती हैं और यदि कोलकाता से मुम्बई माल को लाना है तो क्या ट्रकों पर लोड करके ला सकते हैं, क्या इस स्कीम को आप चालू करने वाले हैं? यह आपके लिए भी फायदेमंद होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या रेलवे से संबंधित कोई मामला पूछा जा सकता है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, यह निर्णय करने के लिए श्री आठवले जी विशेषज्ञता प्राप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप जवाब देने की स्थिति में हैं?

श्री आर. वेलु : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या हम डीजल के मूल्य में गिरावट आने पर मालभाड़े में कमी करेंगे। जब इसमें गिरावट आएगी, तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया है कि यदि डीजल के मूल्य में गिरावट होती है, तो वह मालभाड़े के बारे में विचार करेंगे। आपको जवाब मिल चुका है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया है कि मालभाड़े में वृद्धि से आम आदमी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। केरल जैसे राज्य में, जो कि हर जगह से काफी दूर है, और यदि सीमेंट, इस्पात इत्यादि के मूल्य में वृद्धि होती है, तो इसका सभी चीजों पर घातक प्रभाव पड़ेगा। विनिर्माण उद्योग में काम कर रहे लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं। क्या आप इस तथ्य के मद्देनजर सीमेंट, खंगर, लौह अयस्क इत्यादि के मालभाड़े में कमी लाने के पहलू पर विचार करेंगे?

श्री आर. वेलु : महोदय, मानवीय सदस्यगण इससे बहुत अच्छी तरह अवगत हैं कि सीमेंट में प्रस्तावित प्रतिशतता वृद्धि 3.7 प्रतिशत है और खंगर के मामले में 7.7 प्रतिशत है। मैंने यह भी उल्लेख किया है कि यह वृद्धि तीन वर्षों के इंतजार के बाद और यात्री किराए के लिए कॉस सब्सिडी पर विचार करने के बाद की गई है। डीजल लागत इत्यादि में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऐसा किया गया था। मेरे विचार से यह एक सीमांत वृद्धि है और इसकी पुनर्समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी बार–बार प्रश्न के जवाब में कह रहे हैं कि मालभाड़े में वृद्धि से आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा जबकि अपने जवाब में उन्होंने स्वीकार

किया हे कि मूल्यवृद्धि में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब कोयला, लौह, चूना–पत्थर और सीमेंट इन चीजों में मालभाड़े में वृद्धि हुई है तो आम आदमी इससे कैसे अछूता रहेगा और उस पर इससे असर नहीं पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव है कि आम आदमी पर इस मूल्यवृद्धि से कोई असर नहीं पड़ेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नकारात्मक प्रभाव को साबित कर सकते हैं?

श्री आर. वेलु : जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, यह वृद्धि केवल 0.5 प्रतिशत है, जो कि 120 रुपये प्रति टन है। दूसरे, मैंने इसका भी उल्लेख किया है कि सीमेंट के मालभाड़े में वृद्धि मात्र 3.7 प्रतिशत है, जो कि अंतिम मूल्य के अनुसार नगण्य ही है। इस प्रकार, इससे आम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेलवे में मालभाड़े में अभी कुछ दिन पहले उस रेल भाड़े के अनुसार रेलवे को नुकसान हुआ है। कुछ उद्यमी एक्सट्रा माल लाद रहे थे, उससे रेलवे को नुकसान हुआ है। क्या उस नुकसान को रोकने के लिए आप कोई कारगर कदम उठाएंगे या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय क्या आप दोहरा सकते हैं, जो आपने पहले कहा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में रेलवे के मालभाड़े में तमाम अनियमितताएं बरती गई हैं। रेल मंत्री जी ने खुद उनको पकड़ा है। क्या उन अनियमितताओं को रोकने के लिए मंत्री जी कोई कारगर कदम उठाएंगे जिससे रेलवे को मुनाफा हो सके?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : जी नहीं महोदय, माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं। अब हमने रेलगाड़ियों में क्षमता से ज्यादा लदाई किए जाने को रोकने की एक योजना आरंभ की है, जिससे काफी बचत हो रही है और घाटे में भी कमी हो रही है।

श्री लक्ष्मण सेठ : माननीय मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया है कि मालभाड़े में वृद्धि से आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, लाखों पान उत्पादक हैं। हाल में, पान के पत्तों की तुलाई की दर में वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, पहले सीधे बुकिंग की व्यवस्था थी। हाल में पान के पत्तों की ढुलाई के लिए पुनर्बुकिंग आरंभ की गई है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वह पान के पत्तों की ढुलाई हेतु मालभाड़े में कमी करेंगे और क्या सीधे बुकिंग को पुनः आरंभ किया जाएगा?

श्री आर. वेलु : जैसा कि मैंने उल्लेख किया है हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। चूंकि पान के पत्ते नष्ट होने वाली वस्तु है, हमें इस पर फिर से गौर करना होगा। जहां तक मालभाड़े का संबंध है, जिसका कि उन्होंने उल्लेख किया है, इस मामले की जांच की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी मेरे विचार से, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है।

मूल्य निर्धारण नीति

***326. श्री जसुभाई दानाभाई धारड़** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ईंधन के निकटतम पत्तन से विक्रय केन्द्र तक ढुलाई की लागत विभेदक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तटीय और गैर–तटीय क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूल्य निर्धारण नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संशोधित मूल्य निर्धारण नीति को लागू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां घरेलू रिफाइनरियों को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का, उनके अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर भुगतान करती है। इसके सभी आयामों में आयात समता मूल्यनिर्धारण की संकल्पना के अनुसार उत्पाद के मूल्य, स्थान के आधार पर भिन्न–भिन्न होंगे और जमीनी स्थानों पर मूल्य जमीनी परिवहन प्रभारों के कारण तटीय स्थानों से अधिक होंगे। तथापि तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाई गई वर्तमान मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत जमीनी स्थानों में पेट्रोल और डीजल के उपभोक्ता बिक्री मूल्यों में परिवहन

प्रभारों के प्रभाव को सीमित करने के लिए वे देश में सभी भण्डारण–स्थलों पर इन उत्पादों के मूल्यों को समान रखती है।

वर्तमान में उपर्युक्त मूल्यनिर्धारण व्यवस्था को संशोधित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : अध्यक्ष महोदय, भंडार गृहों से उपभोक्ता बिक्री स्थल तक की काफी दूरी है। इस वजह से टैंकर्स से जो माल वहां जाता है, उसमें काफी समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है इसलिए जल्दी प्रश्न पूछें।

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : मैं जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता स्थल के पास ही अधिक डिपो खोलने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर लगातार नजर रख रहे हैं, तथा हम आपूर्ति में कमियों को दूर करने का निश्चित प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न का दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : मैंने इस सिलसिले में पूछा था कि भंडारों की संख्या बढ़ाने पर सरकार कोई विचार करेगी, जहां से उपभोक्ता स्थल के लिए टैंकर्स द्वारा माल जाता है?

श्री मणि शंकर अय्यर : हमने कहा है कि यदि कहीं कोई कमी हो तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी जो जानकारी है, उसके मुताबिक हमने जो उपलब्ध कराए हैं, वे काफी हैं। यदि किसी एक स्थान पर काफी न हो तो मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह हमें बताएं। हम अवश्य उस बारे में कदम उठाएंगे।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : प्राइस मैकेनिज्म के बारे में सेल्स टैक्स कम करने के सिलसिले में एप्रोच लेने के लिए मंत्री जी ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, क्या किसी राज्य सरकार की तरफ से उसका सकारात्मक उत्तर आया है?

श्री मणि शंकर अय्यर : बहुत से मुख्य मंत्रियों ने जवाब भेजा है कि हमें आपका पत्र मिल गया है। लेकिन सेल्स टैक्स को कम करने के बारे में जो कदम उठाना है, उसके बारे में कुछ नहीं है। सिवाय उड़ीसा सरकार ने इस बारे में प्रयास किया है और किसी ने कोई कदम इस सम्बन्ध में नहीं उठाया है। उड़ीसा सरकार से भी यह जवाब नहीं मिला है कि मेरी चिट्ठी आने के बाद उसने कटौती की है या उससे पहले ही सोच लिया था और चिट्ठी वहां इत्तफाकन पहुंची। लेकिन जरूरी है कि राज्य सरकारें हमें सहयोग दें और सेल्स टैक्स को कम करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला तो विचाराधीन भी नहीं है।

डा. आर. सेनथिल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय का खुदरे विक्रेताओं के काम को दुगना–तिगुना करने का प्रस्ताव है। यदि हां, तो क्या यह उपभोक्ताओं से लिया जाएगा या सरकार खुदरे विक्रेताओं को देने के लिए अपना लाभ कम करेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, विक्रेताओं का कमीशन विपणन कंपनियों और उनके विक्रेताओं के बीच संविदा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। दरों को समय–समय पर तय किया जाता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दरों का तय किया जाना सुनिश्चित करता है। तथापि, हम संविदा की अवधि के दौरान जिसमें कमीशन निर्धारित किया गया है इन संविदाओं को भंग करने को प्रोत्साहित नहीं करते। मैं समझता हूं कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन इस संबंध में हमारे ध्यान में कोई बात लाई जाती है तो हम उसकी जांच करेंगे और ऐसे मामलों की जांच की जा रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

पंजाब में रेल दुर्घटना

+

*2. **श्री अधीर चौधरी** :
श्री सुरेश अंगड़ि :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 दिसंबर, 2004 को पंजाब में दो रेलगाड़ियों की आमने–सामने की टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा और गए/घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है और मारे गए लोगों के निकट सगे–संबंधियों और घायलों को कितना मुआवजा/राहत प्रदान की गई है;

(ग) क्या उक्त रेल दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रारंभिक जांच के दौरान किन तथ्यों का खुलासा हुआ है और दुर्घटना के क्या कारण थे तथा प्रारम्भिक जांच के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने उस 'न्यायमूर्ति खन्ना समिति की रिपोर्ट' के संबंध में कोई कार्यवाही की है जिसने रेल सुरक्षा के बारे में व्यापक सिफारिशें की थीं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में रेल यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है/किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 14.12.2004 को जालंधर–पठानकोट खंड पर भंगाला और मीरथल स्टेशनों के बीच 9112 डाउन जम्मूतवी–अहमदाबाद एक्सप्रेस और 1 जेएमपी/डीएमयू जालंधर सिटी–पठानकोट सवारी गाडियों के बीच आमने–सामने टक्कर हो गई जिसके परिणामस्वरूप 38 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 53 व्यक्ति घायल हुए।

दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान तभी किया जाता है जब वे स्वयं या उनकी ओर से रेल दावा अधिकरण में दावा संबंधी अर्जी पेश करने के बाद डिक्री दे दी जाती है। अभी तक इस दुर्घटना के मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। बहरहाल, 34 मृतकों के संबंधियों तथा 38 घायलों को 44.00 लाख रु. की राहत संबंधी अनुग्रह राशि का वितरण कर दिया गया है। दुर्घटना के शिकार शेष व्यक्तियों को अनुग्रह सशि का वितरण प्रक्रियाधीन हे।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रथम दृष्टि में इस दुर्घटना का कारण मानवीय विफलतां प्रतीत होती है अर्थात् ब्लॉक उपकरणों के जरिए संचार की विफलता के दौरान दो स्टेशनों के बीच पेपर लाइन क्लीअर पर गाड़ी परिचालन के लिए नियमों का अनुपालन न करना।

प्रथम दृष्टि में इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सिगनल और अंतर्पाशन प्रणाली की विफलता के दौरान निर्धारित सावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उपस्करों के अनुरक्षण को दुरुस्त करने के लिए एक देशव्यापी सरक्षा अभियान भी शुरू किया गया है ताकि विफलता की दुर्घटनाएं कम से कम हों।

(ङ) और (च) जी, हां। न्यायमूर्ति खन्ना समिति ने 278 सिफारिशें की थीं जिनमें से 240 सिफारिशों को पहले से ही स्वीकार/अंशतः स्वीकार कर लिया गया है। इनमें से 114 को कार्यान्वित कर दिया गया है और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(छ) संरक्षा भारतीय रेल की चिंता का मुख्य विषय है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इन उपायों में अंतर्पाशन और सिगनल प्रणाली के लिए उपयुक्त एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना, रेलपथ और चल स्टॉक के मानकों का उन्नयन, अनुरक्षण पद्धतियों का आधुनिकीकरण, गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, सिमुलेटरों जैसे प्रशिक्षण साधनों का उन्नयन, संरक्षा संबंधी सावधानियों के अनुपालन पर गिनरानी रखना और टक्कररोधी उपकरण की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं। एक समवेत संरक्षा योजना (2003–2013) भी तैयार की गई है और उसका अनुपालन किया जा रहा है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, 14 दिसंबर, 2004 को जम्मूतवी–अहमदाबाद एक्सप्रेस और जालंधर सिटी–पठानकोट पैसेंजर ट्रेन के बीच आमने–सामने की टक्कर हुई, मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना का मामला था जो कि मानवीय गलती से हुआ प्रतीत होता है। 65 प्रतिशत रेल दुर्घटनाओं का कारण मानवीय गलती होती है। रेलवे स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की अति आवश्यकता है क्योंकि रेलवे श्रम–प्रधान संगठन है। वर्ष 2001 में अत्यधिक पुरानी सम्पत्तियों और अन्य चीजों को बदलने के लिए 17,000 करोड़ रुपये का अव्यपगत होने वाला रेलवे सुरक्षा कोष सृजित किया गया था।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि कितने किलोमीटर नई पटरी बिछाई गई है और इस रेलवे सुरक्षा कोष से कितनी धनराशि व्यय की गई? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब से रेलवे सुरक्षा कोष बनाया गया है तब से रेल दुर्घटनाओं में कितनी कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं।

श्री आर. वेलु : मैं सीधे प्रश्न का उत्तर दूंगा कि रेलवे सुरक्षा कोष से कितनी धनराशि व्यय की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त होगा।

श्री आर. वेलु : 17,000 करोड़ रुपये के एक कोष का गठन किया गया है जिसमें से 12,000 करोड़ का योगदान सरकार ने दिया और शेष 5000 करोड़ को आन्तरिक संसाधनों से जुटाया

गया है। हमने 31.3.04 तक 6504 करोड़ रुपये का व्यय किया है और चालू वर्ष के दौरान 3833 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है।

अगला प्रश्न पटरियों के नवीकरण के बारे में था। हमने 16000 किलोमीटर पटरी के नवीकरण की योजना बनाई है जिसमें से अब तक लगभग 12000 किलोमीटर पटरी नवीकरण का कार्य आशानुरूप आगे बढ़ रहा है। हम इस 17000 करोड़ की धनराशि का छह वर्षों में उपयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए। मंत्री जी विशेष ढंग से अपना उत्तर देते हैं और आपको सभी उत्तर मिल जाते हैं।

श्री अधीर चौधरी : यह बताया गया है कि दुर्भाग्यवश दोनों ही रेलगाड़ियों को हरी झंडी दी गई थी। मैं जानता हूं कि टक्कररोधी उपकरणों पर काफी शोरगुल किया गया था। जहां तक टक्कर रोधी उपकरणों (विधेयों) की व्यवस्था का प्रावधान है उसके अंतर्गत कितने किलोमीटर का रूट सम्मिलित किया गया है? अपने उत्तर में, मंत्री ने उस 'कारपोरेट सेफ्टी प्लान' के बारे में उल्लेख किया था जिसे इस दुर्घटना के बाद शुरू किया जाना था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस योजना के बारे में आपको ब्यौरा नहीं दे सकते लेकिन वह आपको यह सूचना दे सकते हैं कि पूरे भारत में क्या किया जा रहा है।

श्री आर. वेलु : सीधे प्रश्न पर आते हुए, हमने पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में लगभग 1600 किलोमीटर सम्मिलित कर लिया है। हम दक्षिण रेलवे, दक्षिण–पश्चिम रेलवे, दक्षिण–मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में 17.50 किलोमीटर शामिल करने की योजना बना रहे हैं। हम सुविचारित तरीके से जो कि सुरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों पर आधारित है, से आगे बढ़ेंगे।

श्री सुरेश अंगड़ि : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बार–बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण कई पुराने रेल पुलों, दशकों पुरानी पटरियों और सेवा से अलग किए जाने वाले यात्री तथा माल डिब्बों का पुनरुद्धार करने की नितान्त आवश्यकता है। क्या यह सच है कि देश में सभी प्रमुख रेलवे खंडों में रेलवे शत–प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम नहीं लगा पाया है? यदि हां, तो इलेक्ट्रानिक ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम के अंतर्गत सभी खंडों को किस सीमा तक सम्मिलित किया गया है और शेष को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रश्न नहीं बल्कि तीन हैं।

श्री आर. वेलु : हमने 2700 ऐसे पुलों की पहचान की है जो कि पुराने और जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है जिनमें से हमने 1300 पुलों पर कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। हम इस पर और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पटरी नवीकरण के बाद पुल हमारी सुरक्षा योजना में उच्च प्राथमिकता पर हैं। हमने 1300 पुलों पर कार्य कर लिया है और शेष पर हम आने वाले समय में काम पूरा कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि खन्ना समिति ने 278 सिफारिशें की थीं जिनमें से 240 सिफारिशों को सरकार ने अंशतः स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने खन्ना समिति की सिफारिशें लागू न करके दुर्घटनाओं को बढ़ावा देकर जनता को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया है? उनके नाम बताए जाएं और उन्हें दंडित किया जाए।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस दुर्घटना में घायलों की संख्या 53 बताई गई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यह एक फैशन बनता जा रहा है। किसी नाम का उल्लेख न करें। आप अधिकारी का नाम जानना चाहते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार उन अधिकारियों को दंडित करने का काम कब करेगी जिन्होंने खन्ना समिति की सिफारिशों को समय पर लागू नहीं किया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। यहां पर उनके नाम नहीं पूछे जाने चाहिए?

श्री आर. वेलु : खन्ना समिति ने 278 सिफारिशें की हैं इनमें से 38 सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए 240 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना है। इसमें से 170 सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है जबकि 70 सिफारिशों को आंशिक रूप से मंजूर किया गया है। हम इन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं इसके चाहे कोई भी कारण क्यों न हों। और तो और हम आपराधिक लापरवाही के संबंध में भी कार्यवाही कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ऐसे अधिकारियों इत्यादि का ब्यौरा चाहते हैं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम उनके नाम नहीं बता सकते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बस, अब और नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हमें ऐसी प्रणाली को रोकना होगा।

*(व्यवधान)**

श्री विनोद खन्ना : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल मंत्री के दौरे के दो घंटे बाद पहुंच जाना चाहिए था। जब मैंने वहां चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों को देखा तो मुझे वास्तव में गहरा धक्का लगा। अस्पताल में रेलवे का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। शवों को अस्पताल के फर्श पर रखा गया था। उस स्थान पर रेलवे का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। घायलों के मित्रों और परिजनों को सूचना देने के लिए सूचना पटल की व्यवस्था नहीं की गई थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से इनके निर्वाचन क्षेत्र में मौतें हुई हैं। इसलिए इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए वह दो घंटे देर से पहुंचे।

श्री विनोद खन्ना : मैंने माननीय मंत्री से भी अनुरोध किया था कि वह मुझे भी अपने साथ विमान में ले चलें। लेकिन मुझे मना कर दिया गया और इसका कारण तो ये जानते होंगे।

मैं किसी तरह वहां पहुंच पाया जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं माननीय मंत्री के दौरे के दो घंटे बाद वहां पहुंचा और जो मैंने देखा वह मैं बता चुका हूं। दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त वहां रेलवे का कोई अधिकारी भी मौजूद नहीं था। यही कारण है कि मुझे यह प्रश्न पूछना पड़ा।

क्या सरकार की योजना बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर कोई आपातकालीन आपदा प्रबंधन एजेंसी स्थापित करने की है? विश्व के अधिकतर देशों में ऐसी एजेंसियां मौजूद हैं। जहां पर राहत, बचाव कार्यों और आपातकालीन प्रबंधन के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार से ऐसी एजेंसी को स्थापित करने के लिए कहें और इसके लिए बजट में से धनराशि भी आवंटित करें। हम केवल रेल आपदा की ही बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री खन्ना मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य आपसे सहमत है।

श्री विनोद खन्ना : हम राष्ट्रीय आपदा की बात कर रहे हैं। जब गुजरात में भूकम्प आया था तब मैं वहां पर था। वहां पर भी स्थिति खराब ही थी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री आर. वेलु : मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं और रेल मंत्री हम दोनों घटनास्थल पर केवल यह देखने के लिए गए थे कि क्या राहत कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं और क्या सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है।...*(व्यवधान)* मुझे पूरा करने दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्हें अवसर मिलना चाहिए। यह इनका पहला प्रयास है। माननीय मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने का अवसर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री आर. वेलु : हम पूरे गांव के लोगों से भी मिले थे और हमने उनके द्वारा किए गए तत्काल राहत कार्यों के लिए उनका धन्यवाद भी किया था। मैं माननीय मंत्री को चूंकि वह आपदा प्रबंधन समूह की बात कर रहे थे तो मैं उन्हें बता दूं कि न तो रेलवे की और न ही सरकार की तत्काल कोई भूमिका होती। लेकिन स्थानीय लोग, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों...*(व्यवधान)* कृपया इन्हें सुनें। मैं आपकी बात का उत्तर देने जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री विनोद खन्ना : मैं आपका आभारी हूं।...*(व्यवधान)* आपको चाहिए कि आप उन्हें इनाम और सम्मान दें। आप उन्हें पूरी तरह भूल चुके हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खन्ना, मैंने आपको पूरा अवसर दिया है।

(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार : ये सभा को गुमराह कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे सही करने की कई पद्धतियां हैं। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कृपया शांत रहें। हमने एक अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति दी है और माननीय सदस्यों को उसे सुनने का सब्र नहीं है।

श्री आर. वेलु : दूसरी बात यह है कि उत्तर रेलवे और फिरोजपुर मंडल के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) एवं अन्य अधिकारी वहां उपस्थित थे। जब हम वहां गए तो वे सभी उपस्थित थे। तत्पश्चात्, हमने अस्पताल का दौरा किया। हमने सभी डाक्टरों को बुलाकर उनसे अनुरोध किया और उनको यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुहैया कराई जाएं। हमने उनसे चिकित्सीय इलाज के लिए कोई फीस न लेने के लिए कहा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अधिकारियों को सूचना देनी होती है। इसमें क्या गलत है, विनोद जी? यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो अन्य तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। मैं कभी मना नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री आर. वेलु : दुर्घटना दोपहर 12.00 बजे हुई तथा चिकित्सा सहायता वाहन वहां अपराह्न 1.00 बजे पहुंचा। हमने यह बात भी सुनिश्चित की कि मृत व्यक्तियों के शव उनके पैतृक स्थानों को भेजे जाएं। हमने इसके लिए पूरी व्यवस्था की।

आपदा प्रबंधन संबंधी अन्य बात...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दुर्घटना होने पर भारी मानवीय त्रासदी होती है। इसलिए पूरा देश चिन्तित है। हम सभी चिन्तित हैं। हम यहां बीच में टोका–टोकी नहीं कर सकते। हम सभी को पता है इसमें अनेक खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं, हमें उस क्षेत्र की आम जनता के प्रति आवश्यक रूप से अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। जहां कहीं भी दुर्घटनाएं होती हैं वे सहायता के लिए आगे आते हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

श्री आर. वेलु : हमने बंगलोर में एक आपदा प्रबंधन संस्थान खोला है जहां लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे ऐसी आपदाओं की स्थिति से कैसे निपटें। आपके सुझाव पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मो. सलीम, कृपया संक्षिप्त में और विषय–वस्तु पर ही बोलें। कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

मो. सलीम : महोदय, चूंकि हमारा क्षेत्र दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, अतएव मैं आपदा प्रबंधन प्रणाली का स्वागत करता हूं। परन्तु रोकथाम हमेशा ही बेहतर होती है। आप प्राकृतिक आपदा की बात को भूल सकते हैं क्योंकि इसकी रोकथाम संभव नहीं है। जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और शीर्ष अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना होता है तो यह हमेशा ही कहा जाता है कि दुर्घटना प्रणाली विफलता की वजह से हुई है। परन्तु जब किसी निचले स्तर के कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है तो यह कहा जाता है कि यह एक मानवीय त्रुटि का परिणाम थी। जब कभी दुर्घटनाएं होती हैं हमें ऐसे तर्क सुनने को मिलते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले एकाधिक दशक से, हम आमान परिवर्तन करने, नई परियोजनाओं का उद्घाटन करने व नई रेलगाड़ियों की घोषणा करने में व्यस्त रहे हैं तथा रेल पटरी का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और सिग्नलों का अनुरक्षण करना भूल गए हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति में वृद्धि हुई है। यद्यपि मंत्री महोदय इसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इन बकाया कार्यों को कब पूरा करने जा रही है। रेल पटरियों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और सिग्नलों का अनुरक्षण करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई हैं।

श्री आर. वेलु : जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, छह वर्षों की अवधि पर विचार किया गया है। हमने पहले ही बताया है कि 31.3.2004 तक इस पर करीब 6504 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, चालू वर्ष के दौरान 3833 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है तथा करीब 7,000 करोड़ रुपये का शेष है। हमने आपके द्वारा उल्लिखित आधुनिकीकरण की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखने हेतु वर्ष 2003–2013 की दस वर्ष की अवधि के लिए एक समेकित योजना पर विचार किया है।

आपके द्वारा बताया गया दूसरा मुद्दा सिगनलों की विफलता और मानवीय चूक के बारे में है। अब हम इसे सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल, मैं यह जानने के लिए कि प्रणाली किस प्रकार से विफल हो सकती है और मानवीय चूक कैसे होती है, दिल्ली छावनी स्टेशन गया था। इस मामले में प्रणाली विफल हो गई थी और मानवीय चूक भी इस दुर्घटना के घटने में सहायक रही। वैकल्पिक प्रणाली, पेपर लाइन क्लियरिंग सिस्टम का समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। हम आपके सुझाव को ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभी कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से यह दुर्घटना हुई है कि एक ही पटरी पर आमने–सामने दो ट्रेनें आ गईं, इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए कोंकण रेलवे द्वारा एंटी कोलिजन डिवाइस का निर्माण किया गया था और उसका सफल निरीक्षण पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के समय में हुआ था। वह निरीक्षण उसी जोन में हुआ जहां दुर्भाग्य से यह दुर्घटना हुई। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सफल उपकरण एंटी कोलिजन डिवाइस बताया गया है, उसका इस्तेमाल अब तक कितने जोन्स में किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो क्या करना चाहते हैं? इस यंत्र को सारे देश के सभी जोन्स में लगाने की क्या सरकार की मंशा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री आर. वेलु : मैं अपने लिखित उत्तर में इसका पहले ही

उल्लेख कर चुका हूं। उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण–पश्चिम रेलवे और दक्षिण–मध्य रेलवे के 1750 कि.मी. क्षेत्र में ये उपकरण लगाए जाएंगे। जैसा कि आपने सही कहा है, यह काफी सफल योजना है। हम आगामी समय में पूरे देश में इन उपकरणों को लगाने का प्रयास कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो गीते जी ने अभी पूछ लिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं घटना के क्रम में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह अहमदबाद–जम्मू तवी से जुड़ी हुई घटना थी। गीते जी ने जो बात रखी है, उसके संबंध में मैं और जानकारी सरकार से चाहूंगा। जब घटना घटती है तब कुछ यात्री तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ देते हैं और कुछ यात्रियों को बचा लिया जाता है। सरकार के पास अत्यंत आधुनिक उपकरण न होने के कारण और अत्यंत आधुनिक संचार व्यवस्था न होने के कारण काफी लोगों को जान–माल की हानि उठानी पड़ती है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो पूरे देश में सिर्फ कोंकण रेलवे के लिए ही ऐसी व्यवस्था की गई है, यह ठीक नहीं है। पूरे देश में हर डिवीजन का जो जंक्शन स्टेशन है, उसके पास अत्यंत आधुनिक संचार व्यवस्था एवं अत्यंत आधुनिक उपकरण होने चाहिए जो तुरंत वहां पहुंच जाएं। मंत्री हवाई जहाज से वहां पहुंच जाते हैं, मगर मंत्री और अधिकारियों के बदले अगर डाक्टर वहां पहुंचें, अत्यंत आधुनिक उपकरण हवाई जहाज के माध्यम से वहां पहुंचाए जाएं तो हम काफी लोगों की जानें बचा सकते हैं। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है? अगर है तो वह उस योजना को कब तक लागू करेगी?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : इस मामले में, रेलवे अस्पताल के डाक्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सिविल अस्पताल के डाक्टरों की भी सहायता ली। पूछा गया प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास लोगों को बचाने हेतु ऐसे उपकरणों को विमान द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचाने की सुविधा होनी चाहिए थी। माननीय सदस्य को यह बखूबी मालूम है कि ऐसी स्थिति में दुर्घटना के एक घंटे के अंदर सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। आपका सुझाव स्वीकार किया गया है। हम इस बात की जांच करेंगे कि ऐसी आपात स्थिति में लोगों का जीवन बचाने हेतु विमान अथवा अन्य साधनों द्वारा ऐसे उपकरण दुर्घटना स्थल तक कैसे पहुंचाए जाएं।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फिल्मों और संगीत की चोरी

*327. **श्री सुरेश अंगड़ि :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार चोरी (पाइरेसी) के बढ़ते खतरे के विरुद्ध एक विशेष निवारक के रूप में कठोर दंडात्मक प्रावधानों से युक्त कोई व्यापक कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिल्मों की चोरी (पाइरेसी) से फिल्म उद्योग और संगीत उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आवश्यक प्रावधान करते समय इन उद्योगों के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में, अन्य के साथ–साथ, चलचित्र फिल्मों एवं संगीत के प्रतिलिप्याधिकार से संबंधित विधिक उपबंध अंतर्विष्ट हैं। प्रतिलिप्याधिकिर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस प्राधिकारियों पर है। ऐसे अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार कानून के अनुरूप बनाए रखने के लिए इसमें समय–समय पर संशोधन किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, प्रतिलिप्याधिकार अधिकार अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर विचार करने के उद्देश्य से, प्रतिलिप्याधिकार समितियों, विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्योग प्रतिनिधियों वाले एक कोर समूह का गठन किया गया है।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग प्रकोष्ठ परिसंघ (फिक्की) के अनुसार, चोरी के कारण प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए की हानि होती है।

[अनुवाद]

नि:शक्त बच्चों को शिक्षा

*328. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नि:शक्त बच्चों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) इनमें से शिक्षित नि:शक्त बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रभावी रूप से क्रियान्वित न होने से यह अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया है; और

(घ) यदि हां, तो नि:शक्त बच्चों को लाभ पहुंचाने हेतु इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) जुलाई से दिसम्बर 2002 के दौरान किए गए 58वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट सं. 485 जिसका शीर्षक "भारत में विकलांग व्यक्ति" है के अनुसार 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग बच्चों की अनुमानित संख्या 44.5 लाख है।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार साक्षर, प्राइमरी, मिडिल, सेकेन्डरी, हायर सेकेन्डरी और डिप्लोमा तक के बच्चों की अनुमानित संख्या 25.50 लाख है।

(ग) और (घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 उपयुक्त सरकारी और स्थानीय प्राधिकरणों को बाध्य करती है कि विकलांग बच्चों को समेकित नि:शुल्क शैक्षिक सेवाएं प्रदान की जाएं।

विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :

(क) 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए संविधान में दिसम्बर 2002 में संशोधन किया गया। तदनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी के लिए शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के, विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा देना है। इस स्कीम के अंतर्गत, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा विकल्पों का चुनाव, शिक्षण सहायक साधन, जुटाव सहायता, समर्थन सेवाएं इत्यादि उपलब्ध हैं। इसी प्रकार इस योजना के अंतर्गत अध्यापन कौशलों और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना भी शामिल है।

(ख) शिक्षा विभाग राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी) का भी संचालन करता है। आई ई डी सी स्कीम के अंतर्गत, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए परिवहन सुविधा, किताब और स्टेशनरी, वर्दी, शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण, रीडर सुविधा के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलन संबंधी विकलांग बच्चों के लिए परिचारक सुविधा, विशेष शिक्षक सुविधाएं, स्कूल कैम्पस में विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास सुविधा दी जाती है और स्कूलों में वास्तुशिल्पीय बाधाओं को दूर किया जाता है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि चलाने के लिए 657 संस्थाओं की सहायता करता है।

(घ) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास गंभीर और अत्यधिक विकलांगता ग्रस्त बच्चों को गृह–आधारित जीवन कौशल प्रशिक्षण देने के लिए देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ङ) भारतीय पुनर्वास परिषद ने सर्व शिक्षा अभियान के हिस्से के रूप में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के लिए मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता दी है। परिषद ने विशेष स्कूलों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के वास्ते शिक्षा स्नातक (विशेष शिक्षा) को भी मान्यता प्रदान की है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्थानों, प्राइवेट एवं दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

(च) राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मानसिक मंदता और प्रमस्तिष्क अंगघात ग्रस्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

(छ) एस एस ए के अंतर्गत शामिल विकलांगता ग्रस्त बच्चों को सहायक यंत्र और उपकरण लगाने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

(ज) एन सी ई आर टी द्वारा निर्धारित की गई सभी पाठ्य पुस्तकों को दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बेल में मुद्रित कर लिया गया है।

(झ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना तैयार करने हेतु 4.11.2004 को दिशा–निर्देश भी अधिसूचित किए हैं जिससे कि केन्द्रीय मंत्रालय, और उनके अधीन संगठन और स्वायत्त निकाय उसका क्रियान्वयन कर सकें। ये दिशा–निर्देश राज्य सरकारों को भी इस आशय के साथ परिचालित किए गए हैं कि वे अपने स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए इन्हें उपयुक्त रूप से स्वीकार करें।

कम्युनिटी रेडियो

*329. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अगस्त, 2004 में जारी किए गए 'कम्युनिटी रेडियो' संबंधी परामर्श पत्र में यह बताया है कि कम्युनिटी रेडियो नीति घोषित किए जाने के 20 महीने बाद भी देश में मात्र एक लाइसेंस धारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम से कम छह मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी जटिल लाइसेंस प्रक्रिया अनेक सक्षम सेवा प्रदाताओं के लिए एक बाधा है;

(ग) क्या इस नीति को दिसम्बर, 2002 में घोषित किया गया था तथा 55 आवेदन प्राप्त हुए थे और आज तक मात्र 12 को ही आशय पत्र जारी किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा परिचालित कम्युनिटी रेडियो संबंधी परामर्श पत्र में उल्लिखित अन्य विषय क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि इस योजना को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा सके?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नीति एवं क्रियाविधि का अनुमोदन केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 दिसम्बर, 2002 को किया गया तथा आवेदन आमंत्रित करने की सूचना फरवरी, 2003 के प्रथम सप्ताह में देश के प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई। अभी तक, 60 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 28 आशयपत्र जारी कर दिए गए हैं और संचार मंत्रालय द्वारा आवृत्ति–आवंटन किए जाने के पश्चात 15 संस्थाओं ने हमारे साथ लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अगस्त, 2004 में प्रस्तुत अपने परामर्श–दस्तावेज में विभिन्न मुद्दे उठाए थे। प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है।

विदेश और रक्षा मंत्रालयों की अनुमति प्राप्त कर ली गई है और अब तीन मंत्रालयों नामतः गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। संचार मंत्रालय द्वारा एसएसीएफए अनुमति प्रदान करने तथा बेतार संचालन लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ लाइसेंस करारों पर हस्ताक्षर करने वाली संस्थाएं अपनी सेवाएं यथाशीघ्र प्रारंभ कर सकें।

[अनुवाद]

फीडर विमान सेवा

*330. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में शहरों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए फीडर विमान सेवाएं आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली–अहमदाबाद, दिल्ली–वड़ोदरा–दिल्ली के बीच विमान सेवा अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में और अधिक उड़ानें आरम्भ कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार दिल्ली और भुज के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क), (ख), (ङ) और (च) सरकार ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सहित, देश के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विमान परिवहन सेवाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर नियमन किए जाने की दृष्टि से मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया है। तथापि, यातायात की मांग और वाणिज्यिक लाभकारिता को देखते हुए विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवायें प्रदान किया जाना एयरलाइनों पर निर्भर करता है। अतः, एयरलाइनें मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन की शर्त पर देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) नियमित घरेलू प्रचालक, दिल्ली–अहमदाबाद सेक्टर में प्रति सप्ताह 37 उड़ानें तथा दिल्ली–वड़ोदरा सेक्टर में प्रति सप्ताह 14 उड़ानें प्रचालित कर रहे हैं।

आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त रेलगाड़ियां

*331. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आई. एस. ओ. प्रमाण–पत्र प्राप्त रेलगाड़ियों का जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत और अन्य देशों में अनुपालित रेलगाड़ियों में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की रेटिंग में क्या भिन्नता है;

(ग) क्या आई. एस. ओ. प्रमाण–पत्र रेलगाड़ियों के वातानुकूलित कम्पार्टमेंट में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से बहुत निम्न स्तर की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा उनमें सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) प्रमाण–पत्र प्राप्त गाड़ियों की जोन–वार सूची नीचे दी गई है :

क्र.स.	रेलवे	आई एस ओ प्रमाण–पत्र प्राप्त गाड़ियों के नाम
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	2123/24 दक्कन क्वीन एक्सप्रेस
		2051/52 जनशताब्दी एक्सप्रेस
		2137/38 पंजाब मेल
2.	उत्तर रेलवे	2003/04 नई दिल्ली–लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस
		2403/04 दिल्ली–जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस
		2055/56 देहरादून–नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस
		2057/58 चंडीगढ़–नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस
		4229/30 लखनऊ–नई दिल्ली–लखनऊ मेल
3.	उत्तर–मध्य रेलवे	2417/18 प्रयागराज एक्सप्रेस/इलाहाबाद (ए एल डी)
		2179/80 ताज एक्सप्रेस/झांसी (जे एच एस)
		1523/24 झांसी (जे एच एस)–बांदा पैसेंजर/ झांसी (जे एच एस)
4.	पश्चिम–मध्य रेलवे	2155/56 भोपाल–निजामुद्दीन एक्सप्रेस
		1265/66 रीवांचल एक्सप्रेस

(ख) रेलवे, विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार गाड़ियों में सेवाएं मुहैया करा रही हैं। रेलवे द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

'बायो-डीजल' और 'एथानॉल' का उत्पादन

*332. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तेल आयात बिल को कम करने के लिए 'बायो–डीजल' और 'एथानॉल' का उत्पाद बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान 'बायो–डीजल' और 'एथानॉल' की कितनी मात्रा उत्पादित की गई है;

(घ) 'बायो–डीजल' और 'एथानॉल' के उत्पादन के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया जाता है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार एक निश्चित समयावधि हेतु केवल 'बायो–डीजल' के विनिर्माण के लिए खाद्य तेल शुल्क–मुक्त

आयात करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है ताकि अधिक उद्योगों द्वारा कृषि उत्पाद 'झटरोपा' के माध्यम से 'बायो–डीजल' का उत्पादन शुरु किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार यथा व्यवहार्य सीमा तक एथानॉल और जैव–डीजल जैसे जैव–ईंधनों द्वारा मोटर स्पिरिट और डीजल जैसे जीवाश्म आंशिक रूप से प्रतिस्थापन करने के लिए उपाय कर रही है।

भारत सरकार ने वर्ष 2001 के दौरान 5 प्रतिशत एथानॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रचालनात्मक, वित्तीय पर्यावरणीय और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थापना की थी। प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता के आधार पर भारत सरकार ने 1.1.2003 से चुनींदा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केवल 5 प्रतिशत एनॉथाल–मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने के लिए 12.9.2002 को एक निर्णय आधिसूचित किया था। तथापि, राज्य सरकारों की जटिल कर संरचना और एथॉनाल की अनियमित उपलब्धता के कारण कार्यक्रम एक चरणबद्ध तरीके में ही लागू किया जा सका। 2003 के अंत में और 2004 में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में एथानॉल की उपलब्धता कम और दोषपूर्ण रही है। सभी स्थानों में एथानॉल के मूल्य में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। राज्य सरकारों के साथ चर्चाओं के बाद सरकार ने दिनांक 27.10.2004 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 705 (ङ) के अंतर्गत यह अधिसूचित किया कि भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार 5 प्रतिशत एथानॉल मिश्रित पेट्रोल उस स्थिति में बेचा जाएगा, यदि एथानॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए स्वदेशी एथानॉल के स्रोतीकरण का मूल्य वैकल्पिक उपयोगों के लिए स्वेदशी एथानॉल के मूल्य के बराबर हो और यदि स्थान पर एथानॉल का सुपुर्दगी मूल्य उस स्थान पर पेट्रोल के आयात समता मूल्य के बराबर हो और स्वदेशी एथानॉल उद्योग अधिसूचित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे मूल्यों पर एथानॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए इसकी उपलब्धता बनाए रखने में समर्थ हो। जो क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, वे हैं–गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश (चित्तूर और बेल्लोर के अलावा सभी जिले), तमिलनाडु (केवलन कोयम्बतूर, डिंडीगल, इरोड, कन्याकुमारी, नीलगिरी, रामनाथपुरम, तिरूनेलवेली, तूतूकोरीन और विरूधुनगर जिले) राज्य और चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र।

तेल विपणन कंपनियों ने दिनांक 27.10.2004 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत एथानॉल की प्राप्ति के लिए निविदाएं जारी करने का निर्णय लिया है।

जटरोफा करकस, पोंगामिया आदि जैसे अखाद्य तेलों से जैव–डीजल के उत्पादन की सम्भावना का पता लगाने के लिए अध्ययन आरम्भ किए गए हैं। योजना आयोग ने डा. डी. एन. तिवारी, पूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में जैव–ईंधन की विकास संबंधी समिति का गठन किया था जिसने जटरोफा करकस के रोपण पर विशेष बल सहित जैव–ईंधन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की सिफारिश की। ग्रामीण विकास मंत्रालय को जैव–डीजल संबंधी राष्ट्रीय मिशन को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है और उस मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को यह सूचित किया है कि जैव–ईंधन संबंधी मिशन कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) इस उद्देश्य हेतु एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा हाल ही में तैयार की गई है।

वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्देश के अंतर्गत, हरियाणा रोडवेज और बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) मुंबई के सहयोग से बसों में जैव–ईंधन और डीजल मिश्रण का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय परीक्षण प्रगति पर हैं। लोकोमोटिवों पर भी क्षेत्रीय परीक्षण और इंजन परीक्षण प्रगति पर हैं। इस उद्देश्य के लिए जैव–डीजल विश्वव्यापी निविदा के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

(ग) जैव–डीजल मुख्य रूप से प्रायोगिक पैमाने पर उत्पादित किया जा रहा है और एथानॉल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त गन्ने का एक व्युत्पन्न पदार्थ अर्थात सीरा एक नियंत्रणमुक्त मद है। एथानॉल या जैव डीजल के उत्पादन के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) जैव–डीजल के उत्पादन के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। तथापि, एथानॉल के लिए सरकार ने 2002–2003 में एथानॉल में मिश्रण के लिए निर्धारित पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कमी करने के द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया। तदनुसार, पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर का उद्ग्रहण योग्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सरकार ने, एथानॉल मिश्रित पेट्रोल में उपयोग के लिए निर्धारित पेट्रोल के मामले में 30 पैसे प्रति लीटर तक कम कर दिया। यह छूट 30.6.2004 तक वैध थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को यह सूचित किया है कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और समय समय पर संशोधित चीनी विकास निधि (एस डी एफ) नियमावली, 1983 में व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए निर्जलीय अल्कोहल (एथानॉल) के उत्पादन के लिए किसी चीनी कारखाने या उसकी किसी इकाई को ऋण देने का प्रावधान है।

(ङ) वर्तमान में विशेष रूप से जैव–डीजल के उत्पादन के

लिए खाद्य तेल के आयात के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) ऊपर (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का आयात

*333. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कच्चे तेल के आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004–05 के दौरान तेल निर्यात करने वाले देशों के संघ (ओपेक) देशों के कच्चे तेल का कितनी मात्रा में आयात किया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने तेल शोधन क्षमता के निर्यात एवं ऊर्जा संरक्षण तंत्र के उपयोग से कच्चे तेल के आयात में आयी कमी को पूरा करने हेतु कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(च) क्या भारत विश्व ऊर्जा मानचित्र पर उभर कर सामने आया है जैसा कि हाल में वियना में "ओपेक" देशों की बैठक में इंगित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो वियना में भारतीय शिष्टमंडल के साथ की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित कच्चे तेल की प्रमात्रा निम्नवत् है :

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04
प्रमात्रा मिलियन मीटरी टन में (मि.मी. टन)	78.7	82.0	90.4

(ग) अप्रैल–सितम्बर, 2004 के दौरान, 50.0 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल का आयात किया गया था। इसमें से 40.9 मि. मी. टन का आयात तेल निर्यात करने वाले देशों के संघ (ओपेक) से किया गया था।

(घ) और (ङ) देश में वर्तमान शोधन क्षमता समग्र आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग से अधिक है और, परिणामतः, हम पेट्रोलियम उत्पादों के शुद्ध निर्यातक हैं। गत तीन वर्षों के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की प्रमात्रा निम्नवत् हैं :

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04
प्रमात्रा मिलियन मीटरी टन में (मि.मी. टन)	10.1	10.3	14.6

जहां तक ऊर्जा संरक्षण उपायों का संबंध है, तेल कंपनियों के अपने द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों के अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ऊर्जा अध्ययन, अनुसंधान और विकास, जागरूकता पैदा करने तथा संरक्षण की महत्ता, विधियों और लाभों पर जनसाधरण को शिक्षित करने के साथ–साथ पेट्रोलियम संरक्षण के विकास और उसके उन्नयन के बीच समन्वय का काम करता है।

(च) और (छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्री को 16 और 17 सितम्बर, 2004 को वियना में हुए "अन्तः–निर्भर विश्व में पेट्रोलियम" पर तेल निर्यात करने वाले देशों के संघ ओपेक द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य संबोधन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने अभिभाषण में उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ भारत सहित एशिया के देशों में तेल की बढ़ती हुई मांग, सतत विकास के मुद्दों, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे तेल की ब्रिकी के लिए विभिन्न मूल्य निर्धारण सूत्रों वाले पश्चिमी एशिया के कुछ देशों के राष्ट्रीय तेल कंपनियों की प्रक्रियाओं आदि पर भी चर्चा की। इस सम्मेलन से हटकर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्री ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिए 14 देशों के अपने सहयोगियों के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। उनके वक्तव्य की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मैं अपने आपको सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मेरे देश ने वहनीय विकास के लिए जो अंशदान किया है उसको मान्यता देते हुए आपने मुझे इस मुख्य संबोधन के लिए आमंत्रित करने की कृपा की है।

इन्दिरा गांधी पहली ऐसी प्रधान मंत्री थीं जो 1972 में स्वीडन में आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में एक मेहमान देश की ओर से उपस्थित हुई थीं। प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने ब्रण्टलैंड आयोग रिपोर्ट का स्वागत करने के लिए विशेष रूप से न्यूयार्क की यात्रा की और भारत ने प्रधान मंत्री नरसिंह राव की अध्यक्षता में रियो डी जनरियो में भूमंडल सम्मेलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। कदाचित विकासशील देशों में हमारा राष्ट्र पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने बहुत पहले 1982 में एक सम्पूर्ण पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना कर दी थी। भारत सरकार में यह मंत्रालय रहा है जिससे अधिकांश डरते हैं।

भारत में, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास

और उत्पादन के लिए तटीय और अपतटीय ब्लाकों की लाइसेंसिंग के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पहली पूर्व अपेक्षा होती है। हमारे अपस्ट्रीम उपक्रम गैस को भूमिगत रिजर्वायरों में पुनः अन्तःक्षेपित करते हुए गैस दहन को कम कर रहे हैं; अपशिष्ट उष्म निकासी प्रणाली स्थापित कर रहे हैं, कम दबाव वाली सम्बद्ध गैस के साथ द्वि–ईंधन ईंजनों का प्रयोग करते हुए डीजल का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, सर्विस और विद्युत कैथोडिक संरक्षण प्रणाली पर जोर दे रहे हैं और रिग उपकरण माउंटिग के लिए स्व–लदान स्किड का प्रयोग कर रहे हैं। डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में, हमारे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय बैंचमार्क उत्सर्जन और अपशिष्ट मानकों पर, भारत अपनी रिफाइनरियों की श्रेणी उन्नयन के लिए 7 बिलियन डालर का निवेश कर रहा है ताकि इस सदी के अंत तक यूरो–4 मानकों के भातीय समतुल्य की अपेक्षाओं को प्राप्त किया जा सके। रुपए के रूप में, इस शताब्दी के प्रथम दशक में रिफाइनरियों की श्रेणी उन्नयन के लिए किया गया निवेश नब्बे के दशक में तेल क्षेत्र के करीब सम्पूर्ण लाभ के बराबर है। एथेनोल का डीजल के साथ सम्मिश्रण तथा जैव–ईंधन के लिए फसल को उगाना केन्द्रण का एक अन्य क्षेत्र है। हम घरेलू रसोई के लिए भारी राजसहायता प्राप्त द्रवित पेट्रोलियम गैस की खपत को फैलाने पर तेजी से लगे हुए हैं, विशेष रूप से ईंधन की लकड़ी को बचाने के लिए दूर–दराज के जंगल क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां 100,000 सामुदायिक रसोई घरों की स्थापना में लगी हुई हैं ताकि गरीब व्यक्तियों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रसोई सुविधाएं मिल सकें। हमारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ एक उत्कृष्टता का सर्वोच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र है।

मैं यह सब बढ़–चढ़कर बात करने की प्रवृत्ति में नहीं कह रहा हूं किन्तु यह केवल वहनीय विकास में भारत की पथ प्रदर्शक भूमिका को रेखांकित करने और उसके प्रति प्रतिबद्धता के पालन को रेखांकित करने के लिए कह रहा हूं। हमने अपने प्रयासों से यह सीखा है कि ऐसा विकास जो वहनीय नहीं है अन्ततः स्वयं विकास को ही हानि पहुंचा देता है। इसके बारे में प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने 1989 में 11वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कहा था :

> "हमारा माना है कि वहनीय विकास घर से प्रारंभ होता है, विकास की लागत में संरक्षण की लागत भी मूलभूत रूप से शामिल होनी चाहिए, जिसे, यदि अभी नहीं अदा किया गया, तो उसे बाद की विकास प्रक्रिया या अन्यत्र से निकाल लिया जाएगा।"

अतः रियो में होने वाले भूमंडल सम्मेलन के कई वर्ष पूर्व, हमने रियो सिद्धांत को स्वीकार कर उस पर अमल करना शुरू कर दिया था जिसके अनुसार :

> "वहनीय विकास प्राप्त करने के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण, विकास प्रक्रिया का एक आधारभूत हिस्सा बना रहेगा और इसे उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता।"

महोदय, हमारे मंच में वहनीय विकास की चुनौती में यह देखना है कि जीवाष्म ईंधनों तक पहुंच को कितनी प्राथमिकता दी जाती है ताकि वहनीय विकास को बल मिले और पर्यावरण को क्षति, बेकार खपत से बचा जा सके। यह दुख की बात है कि वर्तमान तेल मूल्य निर्धारण प्रणाली अमितव्ययी खपत को बल देती है और वहनीय विकास को हतोत्साहित करती है।

मुझे इस गम्भीर अभिकथन का औचित्य समझाने का प्रयास करने दें।

हमारी गणना दर्शाती है–और यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दें–सभी पश्चिम एशिया के तेल निर्यात करने वाले देशों के संघ का करीब दो–तिहाई उत्पादन मित्र एशियाई देशों को निर्यात किया जाता है। इनमें से केवल एक–जापान–विकसित देश है। शेष विकासशील देश हैं। निस्संदेह एशिया में विश्व के तेजी से विकास कर रहे देश शामिल हैं। इनमें से दो, चीन का लोक गणराज्य और भारत का गणराज्य, जो विश्व में कच्चे तेल के सबसे बड़े और अत्यंत तेजी से बढ़ते हुए आयातक हैं। तथापि, पूरा, एशिया, विकसित और विकासशील एशिया सहित अधिक दूरस्थ उपभोक्ताओं के बनिस्बत मित्र–एशियाई उत्पादकों को अधिक एफओबी मूल्य अदा करता है। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि एशियाई देशों के भौगोलिक लाभ को समाप्त करने वाली तथा दूरस्थ गंतव्यों के लिए तेल ट्रैफिक को राजसहायता प्रदान करते हुए तेल संसाधनों की तेजी से समाप्ति को बल देने वाली कोई भी नीति वहनीय विकास के हितों में न है, न हो सकती है।

2003 के दौरान एशियाई उपभोक्ताओं ने अमरीकी खरीदारों से लगभग आधा डालर प्रति बैरल अधिक भुगतान किया और यूरोपीय उपभोक्ताओं से लगभग दो डालर प्रति बैरल अधिक का भुगतान किया। अप्रैल–जुलाई, 2004 की तिमाही में एशियाई देशों ने अमरीका की तुलना 36 सेंट प्रति बैरल अधिक का और यूरोपीय ग्राहकों की तुलना में लगभग तीन डालर प्रति बैरल से अधिक का भुगतान किया। भारत में हम एशियाई प्रीमियम के अतिरिक्त भार का...प्रति वर्ष में अनुमान करते हैं। एशिया में कुल मिलाकर जापान में द इंस्टीट्यूट आफ एनर्जी इकानिमक्स के प्रो. योशिकी ओगावा ने लगभग सभी एशियाई देशों में बिगड़ते हुए रिफाइनरी लाभों के आधार पर एशियाई प्रीमियम के रूप में एशियाई तेल उपभोक्ताओं से एशियाई तेल उत्पादकों के वार्षिक औसत अंतरण की गणना प्रति वर्ष 5 बिलियन से 10 बिलियन डालर के बीच की है। यह 2004 में उच्च अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में शीर्ष पर है, जिसके आने वाले महीनों में अन्यथा बहुत कम न होने पर भारत के वार्षिक तेल आयात बिल के दुगने तक पहुंचने की संभावना है।

बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अत्यधिक भार और हम

एशियाइयों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के होते हुए भी हमारी मांग बढ़ती रहती है क्योंकि तेल, विकास के लिए अपरिहार्य है। समृद्ध पश्चिम में तेल खपत के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार अगले दो दशकों में तेल के लिए भारत की मांग उस विश्व मांग की तुलना में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर बढने की सम्भावना है जिसके 2 प्रतिशत से कम बढ़ने का अनुमान है। यही कष्ट का कारण है। तेल की हमारी प्रति व्यक्ति खपत केवल 0.7 बैरल प्रतिदिन है। अमरीका में यह 24.6 बैरल प्रतिदिन है। जैसा कि हमने सतत विकास के बारे में जोहानसवर्ग शिखर बैठक में उल्लेख किया निर्धन वास्तव में विश्व के समाप्त संसाधनों के सबसे बड़े उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि धनी व्यक्ति सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। अमरीका और रूस सहित यूरोप तेल की विश्व की आधी खपत करते हैं, पर एशिया, जो इनमें सबसे बड़ा सबसे आबादी वाला महाद्वीप है, उस स्तर का केवल आधी खपत करता है। इसके साथ साथ भारत में लगभग 1.1 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन के मुकाबले अमरीका में उत्सर्जन 20.6 मीट्रिक टन हैं। ये पर्यावरणीय वहनीयता सुनिश्चित करने से संबंधित सहस्राब्दी लक्ष्यों में उल्लिखित निश्चित संकेतक हैं। विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच खपत और उत्सर्जनों में इस विषमता का परिणाम तीन वर्ष पहले इस सम्मेलन में मेरीलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरमन डेली द्वारा प्रस्तुत "सतत विकास और ओपेक" संबंधी दस्तावेज में वर्णित किया गया है, जहां उन्होंने कहा—

> "कम उत्क्रम माप संसाधन पर्यावरण से लिए जाते हैं और अंततः उच्च उत्क्रम माप अपशिष्टों के रूप में पर्यावरण को वापस कर दिए जाते हैं।"

उन्होंने अपने द्वारा नाम दिए गए "अलाभकर विकास" पर एक ओपेक अधिभार का सुझाव दिया अर्थात पर्यावरण के सापेक्ष इष्टतम स्तर से परे विकास। पर भारत क्योटो प्रोटोकाल का हस्ताक्षरकर्ता है जबकि पश्चिम एशियाई तेल मूल्यों में विभेदक का सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। मैं सबसे बड़े उपभोक्ताओं की अर्थव्यवस्थाओं—एशियाई आयातकों पर एशियाई प्रीमियम के संबंध में सतत विकास के बारे में पश्चिम एशियाई ओपेक अधिकार की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

प्रभुत्व—सम्पन्न राष्ट्रों के रूप में यह सुनिश्चित करना कि विकास सतत हो, हमारे हाथ में है—पर विकास सुनिश्चित करने का अर्थ है उचित मूल्य वाले तेल की उपलब्धता। तथापि हम वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की ओर अधिक देखते हैं—और हम बैटरी से चलने वाले वाहनों और हाइड्रोजन और ईंधन तेल या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर देख रहे हैं—चाहे यह कोयला है जो हमारे यहां प्रचुर मात्रा में है या कोल बेड मिथेन है जिसका हमने अभी दोहन आरम्भ किया है या हाइड्रो—इलेक्ट्रिसिटी और नाभिकीय ऊर्जा या गैर—परम्परागत ऊर्जा स्रोत हैं—तथ्य यह है कि कई उपयोगों में तेल के लिए प्राकृतिक गैस के प्रतिस्थापन के होते हुए भी अगले बीस वर्षों में हमारा आत्मनिर्भरता अनुपात लगभग 30 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से केवल 15 के स्तर तक सहसा कम होना निर्धारित है। हम जिस अकेले तरीके से इसी कमी को नियंत्रित कर सकते हैं—वह है जी डी पी की वृद्धि को नियंत्रित करना और वृद्धि को नियंत्रित करने से परे यह हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि वार्षिक जी डी पी वृद्धि 7—8 प्रतिशत पर रखा जाए जिससे गरीबी की कमर को तोड़ा जा सके। हम जोहानसबर्ग शिखर बैठक में ओपेक के महासचिव के वक्तव्य का सार लेते हैं जहां उन्होंने बिल्कुल ठीक रूप से यह कहा—

> "जबकि नवीकरणीय स्रोत भविष्य में ऊर्जा मिश्रण के एक बढ़ते हुए भाग होंगे, वहीं जीवाश्म ईंधनों का निरन्तर विकास अधिकांश मामलों में महंगे विकल्पों की तुलना में ज्यादा व्यवहार्य होगा। स्वच्छ जीवाश्म ईंधन विश्व के सबसे गरीब देशों को विकास के मार्ग पर चलने के लिए एक साफ और आसान रास्ता प्रदान करेंगे।"

ओपेक के सामने चुनौती तेल मूल्य—निर्धारण की अपनी वर्तमान प्रणाली का "साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व" के सिद्धांत के साथ मिलान करना है जिसका ओपेक के प्रतिनिधियों द्वारा 2002 की जोहानसबर्ग शिखर बैठक और इसके तुरन्त बाद होने वाली जलवायु परिवर्तन संबंधी नई दिल्ली क सम्मेलन में उल्लेख किया गया था। दोनों मंचों में ओपेक के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि—

> "औद्योगीकृत देशों, जिनके कार्य कई दशकों और यहां तक की शताब्दियों तक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों के बड़े भाग के लिए उत्तरदायी रहे हैं, को प्रतिक्रया उपायों का बड़ा भाग प्रदान करने के लिए अपनी बाध्यता को मान्यता देनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए।"

हम पूरी तरह से सहमत हैं। पर विकसित पश्चिम को छूट देते हुए विकासशील एशिया से प्रीमियम लेना एक ऐसी पहेली है, जिसके लिए जीवाश्म ईंधनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता अनुभव होती है।

एशियाई, प्रीमियम, विश्व मार्कर मूल्यों से प्राप्त होता है। लेकिन परम्परागत मार्करों के बारे में एक कतिपय पुराना दृष्टिकोण है। पश्चिमी टैक्सास सूचकांक उस स्तर से संबंधित है जब यूएस आउटपुट उच्च और, उभरता हुआ था और यूएस उत्पादन के पर्याप्त भाग का अंतरराष्ट्रीय रूप से व्यापार किया जाता था। अब यूएस आउटपुट में 1985 के 1.36 मिलियन से वर्ष 2003 में मात्र 0.35 मिलियन तक एक मिलियन बैरल प्रतिदिन की भारी गिरावट आई है जो आउटपुट में 74 प्रतिशत की गिरावट है। जबकि यह आउटपुट पूर्णतया घरेलू रूप से उपभोग होती है। ब्रेन्ट एक मुख्य सूचकांक था जब उत्तरी महासागर तेल तीव्रता से उभरता हुआ प्रक्षेप—पथ था। अब प्रक्षेप—पथ नीचे को गिर रहा है और आउटपुट

वर्ष 1993 में 0.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से आधा होकर वर्ष 2003 में 0.33 मिलियन से कम रह गया है अर्थात् एक दशक में 59 प्रतिशत की कमी। दुबई, ओमान का भी उस युग से संबंध है जब इन स्रोतों से एक दिन में अनेक मिलियन बैरल निकलता था। अब यहां बम्बई हाई से भी कम आउटपुट है।

हमें एकसमान सरकारी विक्रय मूल्य और तरलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यापार स्थल की आवश्यकता है और तेजी से बढ़ते हुए एशियाई बाजार के लिए वास्तविक और प्रतिनिधक मार्कर कच्चे तेल को स्थापित करना है। इस समय एशिया–भारत, चीन, जापान और कोरिया गणतंत्र में प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में समुचित रूप से तैयार तेल उत्पाद बाजार नहीं है। इन चार देशों ने एक दूसरे से और अपने मुख्य आपूर्तिकारों से परामर्श करके कदम उठाए हैं कि वे पश्चिम एशियाई ओपेक तेल की कैसे साम्यिक प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम के सहयोग से कच्चे तेल के चार प्रमुख एशियाई खरीददारों और छह मुख्य एशियाई निर्यातकों के साथ नई दिल्ली में एक साथ वार्ता आयोजित कर रहा है।

अंततोगत्वा हमें आपके समक्ष वहनीय विकास के हित में न्याय मांगने आना पड़ेगा। क्या हमें दीर्घकालीन विकास को प्रोत्साहित करने और गैर किफायती खपत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मार्कर मूल्यों के पूरे आधार पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? मैं आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि ओपेक दीर्घकालिक विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस संबंध में अनेक अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के लिए ओपेक सदस्य पक्षकार हैं जिसमें दीर्घकालिक विकास पर यूएन कमीशन, यूएनईपी, यूएनसीटीएडी और यूएन जनरल असेम्बली, गुटनिरपेक्ष देशों और ग्रुप 77 के आंदोलन और ओपेक में ही की गई वचनबद्धताओं के साथ–साथ भूमंडल सम्मेलन और अनुवर्ती संकल्प शामिल हैं। हममें से जो लोग दीर्घकालिक विकास में विश्वास रखते हैं उनके लिए ओपेक चैन और पुनरआश्वासन का एक स्रोत रहा है।

यह मुझे इस फोरम में उस प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो प्रस्ताव 15 वर्ष पहले प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा रखा गया था। उन्होंने ग्रह संरक्षण निधि का आहवान किया था जो पर्यावरण सापेक्ष प्रौद्यौगीकियों का एक वित्त बैंक होगा जिसमें विकासशील और विकसित जैसे देशों की समान और आसानी से पहुंच होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ग्रह संरक्षण निधि के उनके तर्क को उसी तरीके से उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था–

> "हमें विद्यमान विकासशील और विकसित प्रौद्यौगीकियों तक पहुंचने के लिए आपस में विश्वव्यापी प्रयास करने की आवश्यकता है और प्रदूषण और पर्यावरणीय अपनयन का सामना करने के लिए अभी विकसित होना है। हम इन मामलों को बाजार शक्तियों के खिलवाड़ के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। पर्यावरणीय गहन प्रौद्योगीकियों पर ध्यान देने की अपर्याप्त क्षमता रखने वालों के पास तब कोई विकल्प नहीं बचेगा कि पर्यावरण पर कोई ध्यान दिए बगैर वे विकास प्रक्रिया चलने दें। इसी प्रकार जो लोग इन प्रौद्योगीकियों तक नहीं पहुंच सकते हैं उन्हें दूसरों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यह न केवल उन देशों के लिए होगा और वे पर्यावरण की अनदेखी का मूल्य चुकाएंगे, यह वह मूल्य है जिसे पूरे विश्व और भावी पीढ़ी को चुकाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की वहनीय विकास में समान जिम्मेदारी है। हमें पर्यावरण सापेक्ष प्रौद्योगीकियों तक पहुंच बनाने और इन प्रौद्योगीकियों के अनुसंधान और विकास में वित्तपोषण सुनिश्चित करने के विश्वव्यापी प्रयास करने की आवश्यकता है।"

महोदय वहनीय विकास के हितों में, हमें ऊर्जा दक्ष उपकरणों और मांग की ऊर्जा लोच में कमी की आवश्यकता है। भारत में, आर्थिक आउटपुट की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए जैसा कि ओईसीडी देशों में होता है इससे कम से कम तीन गुणा तेल की आवश्यकता होती अनुमानित अनुपात 2.88 : 1 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संरक्षा प्रौद्योगीकियां कठिन हैं और उन तक पहुंच मंहगी है। यदि ओपेक धनराशि को सीड राशि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए इस्तेमाल पर विचार किया जाए, तो कदाचित राजीव गांधी का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः क्रियाशील हो सकता है।

हम तेल आयातक विकासशील विश्व में रहते हैं जिसमें हमें तेल निर्यातक विकासशील विश्व के सहयोग की आवश्यकता होती है। पहले से ही चीन जिसने भारत से पहले विकास क्षेत्र में पहल कर ली है, वह तेल के लिए बढ़ती हुई सार्वभौमिक मांग के पीछे भाग रहा है। भारत अधिक पीछे नहीं है। एक बड़ा, अधिक बड़ा, एशिया तेल के छोटे हिस्से की खपत एशियाई देशों में ही की जाती है। यह एक एशियाई सदी हो सकती है। क्योंकि इस 21वीं सदी में, एशिया वही पुराना स्थान प्राप्त करने की दिशा में है जो मानव सभ्यता के विकास में सहस्राब्दि आपके समक्ष खड़े हैं। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारी जरूरत के समय आप हमारे साथ खड़े हों। नए चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय तेल अर्थ–व्यवस्था के लिए नए उदाहरण की मांग करते हैं। यह समय कुछ करने का है। यह स्थान कार्य करने का है।

[अनुवाद]

महानगरों में घरों के लिए पाइप के माध्यम से सी.एन.जी. गैस पहुंचाना

***334. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एन.जी. गैस एल.पी.जी. से सस्ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महानगरों में घरों के लिए पाइप के माध्यम से और अधिक सी.एन.जी. गैस की आपूर्ति करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। घरों के लिए पाइप द्वारा दी जाने वाली प्राकृतिक गैस (पी एन जी) का मूल्य घरेलू एल पी जी के मूल्य से कम है। दिल्ली और मुंबई में पी एन जी तथा एन पी जी के सापेक्षित मूल्यों के ब्यौरे निम्नवत् हैं–

महानगर	घरेलू पी एन जी अक्टूबर, 2004 (रु./कि. ग्रा.)	घरेलू एल पी जी 5.11.04 से प्रभावी (रु./कि. ग्रा.)
दिल्ली	16.45	19.83
मुंबई	16.37	20.55

दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार महानगर गैस लिमिटेड (आई जी एल) द्वारा दिल्ली में 19,356 घरों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की गई है।

(ग) घरेलू क्षेत्र में पी एन जी आपूर्तियों की पैठ और गहरी करने के उद्देश्य से एम जी एल तथा आई जी एल अपने नेटवर्कों का विस्तार कर रही हैं। अन्य महानगरों में ऐसी परियोजनाओं की स्थापना प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर निर्भर करती है। फिलहाल इसके कारण अन्य महानगरों में घरों के लिए पी एन जी को लागू करने में कठिनाई है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय

*335. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटिश एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस जैसी बड़ी विदेशी विमान सेवाओं का मुकाबला करने हेतु एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यविधि/तौर–तरीके तैयार की गई है;

(ग) विलय–कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस विलय–कार्य से क्या व्यावसायिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

परफार्मिंग आर्ट्स

*336. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की विशेष 'परफार्मिंग आर्ट्स' परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों (प्रोफेशनल ग्रुप) और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक प्रदान की गई सहायता का वर्ष–वार एवं कार्यक्रम–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विद्यालय स्तर पर ललित कला और 'परफार्मिंग आर्ट्स' को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छात्रों के लिए उनके भविष्य में यह किस प्रकार सहायक होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय विशिष्ट प्रदर्शनकारी कला (परफोर्मिंग आर्ट) परियोजनाओं हेतु व्यावयायिक समूहों तथा व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता की एक स्कीम चला रहा है। सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों/व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय ने विद्यालय स्तर पर संस्कृति और कला के संवर्धन के लिए 1979 में एक स्वायत्त संगठन, 'सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र' की स्थापना की। इसका मुख्य बल पूरे देश में सेवारत शिक्षकों, शिक्षक–प्रशिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों तथा विद्यार्थियों के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके विद्यार्थियों को समस्त विकास कार्यक्रमों में संस्कृति के महत्व से अवगत कराना है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

यह केन्द्र 10 से 14 वर्ष आयु–वर्ग के प्रतिभावान बच्चों को विविध कला–रूपों के अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का भी संचालन करता है। प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने और उन्हें

कला–क्षेत्र में अपनी रुचि को आगे बढ़ा कर सक्षम बनने के लिए 300 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

विवरण

वर्ष	वेतन अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों की संख्या	निर्माण अनुदान प्राप्तकर्ता संगठनों/ व्यक्तियों की संख्या	संगठनों/ व्यक्तियों की कुल संख्या	संस्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
2002–03	253	315	568	870.00
2003–04	296	391	687	900.00
2004–05 आज तक की स्थिति के अनुसार	319	505	824	900.00

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

*337. **श्री जुएल ओराम** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति–योजना के प्रमुख घटक क्या हैं;

(ख) इस योजना की शुरूआत से किए गए प्रावधानों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी गई सहायता का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात की कोई समीक्षा की गई है कि उच्च शिक्षा चाहने वाले गरीब छात्रों को इस योजना से किस सीमा तक सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) यह योजना निम्नलिखित शर्तों के अनुसार, 26 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अलग–अलग) को हर एक के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है :

(i) प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र 60,000/– रुपए

(ii) द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र 50,000/– रुपए

(iii) तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र 40,000/– रुपए

(iv) छात्राओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा यदि वह उपर्युक्त तीन श्रेणियों में नहीं है 40,000/– रुपए

अलग से 250 छात्रों को 10,000/– रुपए प्रति छात्र की दर से विशेष योग्यता छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। ये 1991 की जनगणना के अनुसार देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी को ध्यान में रखते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के बाद अगले अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाती हैं। योजना का ब्यौरा वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) प्रतिष्ठान ने इस योजना के आरम्भ अर्थात् 2001–02 से वर्ष 2001–02 के लिए 68,30,000/– रुपए की सहायता दी है जिसे 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 283 छात्रों में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त, 7.6 लाख रुपए राशि की छात्रवृत्ति वर्ष 2001–02 के लिए 28 छात्रों को भेजी जा रही है। वर्ष 2002–03 के लिए प्रतिष्ठान ने 8 राज्यों जहां से सूचना पहले ही प्राप्त हो गई है, के 85 छात्रों में 26,20,000/– रुपए की राशि वितरित करने का निर्णय लिया है।

उक्त योजना को चलाने में आने वाले व्यय को पूरा करने हेतु 130 लाख रुपए प्रति वर्ष का बजट प्रावधान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल शोधन क्षमता

*338. **श्री रामदास आठवले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा तेल शोधक कारखाना–वार कितनी मात्रा में तेलशोधन किया गया है;

(ख) क्या तेल कम्पनियों ने अपनी इष्टतम तेलशोधन क्षमता का उपयोग किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तेलशोधन क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान शोधित तेल की प्रमात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू रिफाइनरियों की समग्र क्षमता उपयोग के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

2001–02	2002–03	2003–04	2004–05 (अप्रैल–सितम्बर)
93 प्रतिशत	95 प्रतिशत	99 प्रतिशत	97 प्रतिशत

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में क्रूड की कम उपलब्धता, कम मांग तथा उत्पाद ले जाने में कठिनाइयों के कारण उत्तर पूर्व रिफाइनरियों का क्षमता उपयोग अपेक्षाकृत कम है।

अतः वर्ष 2003–04 के बाद से उत्तर–पूर्व रिफाइनरियों के क्षमता उपयोग में सुधार करने की दृष्टि से, सरकार ने उत्तर–पूर्व क्रूड के अलावा उन्हें 1.5 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष (मि.मी. ट.प्र. वर्ष) राव्वा क्रूड आयल आवंटित किया है। इसके अलावा, उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए उत्तर–पूर्व रिफाइनरियों के उत्पादों पर 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क रियायत दी है। उत्पादन ले जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आयल इंडिया लिमिटेड ने नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक एक उत्पाद पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

क्रूड थ्रुपुट *प्रमात्रा मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) में*

कम्पनी	रिफाइनरी	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005 अप्रैल–सितम्बर
1	2	3	4	5	6
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	मथुरा	8.03	8.21	8.25	2.23
	कोयाली	11.70	12.43	12.76	7.06
	हल्दिया	4.02	4.51	4.52	2.79
	बरौनी	2.88	2.99	4.30	2.49
	गुवाहटी	0.66	0.46	0.89	0.48
	डिग्बोई	0.65	0.58	0.60	0.33
	पानीपत	5.82	6.10	6.34	3.43
आईओसीएल–कुल		33.76	35.29	37.66	18.81
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	मुंबई	5.63	6.08	6.11	3.18
	विशाख	6.71	6.85	7.59	3.75
एचपीसीएल–कुल		12.34	12.93	13.70	6.93
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	मुंबई	8.74	8.74	8.70	4.51
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	चेन्नई	6.12	6.18	6.09	3.53
	नारीमनम	0.57	0.64	0.65	0.36
सीपीसीएल–कुल		6.69	6.82	6.74	3.89
कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड (केआरएल)	कोच्चि	6.80	7.58	7.85	4.03
बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल)	बोंगाईगांव	1.48	1.46	2.13	1.15

1	2	3	4	5	6
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	नुमालीगढ़	2.31	1.88	2.20	0.91
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन	तातीपाका	0.01	0.09	0.08	0.05
मंगलौर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	मंगलौर	5.49	7.25	10.27	5.68
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)	जामनगर	28.94	28.55	29.54	15.94
कुल		106.54	110.58	118.68	61.89

[अनुवाद]

'न्यूजप्रिंट' का आयात

***339. श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों द्वारा 'न्यूजप्रिंट' आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान छोटे तथा मंझोले समाचारपत्रों द्वारा कितनी मात्रा में 'न्यूजप्रिंट' का आयात किया गया;

(ग) क्या देश में 'न्यूजप्रिंट' का उत्पादन छोटे तथा मंझोले समाचारमत्रों की मांग की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो देश में 'न्यूजप्रिंट' का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय छोटे, मंझोले और बड़े समाचारपत्रों के वर्गीकरण के आधार पर न्यूजप्रिंट के आयात का ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, समाचारपत्रों द्वारा दर्ज किए गए वार्षिक विवरणों के आधार पर, जिसमें छोटे और मंझोले समाचारपत्र शामिल हैं, आयातित न्यूजप्रिंट की कुल मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	स्टैंडर्ड	ग्लेज्ड	कुल
2001–02	3,67,955	34,940	4,02,895
2002–03	4,69,125	57,353	5,26,478
2003–04	5,36,431	40,241	5,76,672*

(*भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय द्वारा नवम्बर, 2004 तक प्राप्त वार्षिक विवरण)

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान न्यूजप्रिंट पेपर का उत्पादन निम्नानुसार है :

(लाख टन में)

वर्ष	प्रतिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	आयात
2001–2002	12.04	6.20	4.44
2002–2003	12.25	6.27	5.20
2003–2004	12.69	6.88	7.39
2004–2005	12.70	3.99 (अक्तूबर, 2004 तक)	1.93 (जुलाई, 2004 तक)

(घ) देश में न्यूजप्रिंट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं :

(i) न्यूजप्रिंट उद्योग का लाइसेंस रद्द करना;

(ii) न्यूजप्रिंट के विनिर्माण हेतु लुगदी का शुल्क रहित आयात; और

(iii) न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची–I में शामिल मिलों द्वारा विनिर्मित न्यूजप्रिंट के उत्पाद शुल्क में छूट।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

***340. श्री सूरज सिंह** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नागर **विमानन क्षेत्र** में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और बेहतर उपयोग के लिए कोई योजना कार्यान्वित की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए आरंभ की गई योजनाओं और इस संबंध में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा, विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के विकास एवं बेहतर उपयोग तथा उसके आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु कार्यान्वित की गई स्कीमों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट शुरू किया जाना; दिल्ली में स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी स्थानों को जोड़ने वाली एलएएन/डब्ल्यूएएन परियोजना शुरू किया जाना; मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में एलएएन परियोजनाएं; मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशानिर्देशानुसार राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साफ्टवेयर पर जन शिकायत निवारण और मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना; दिल्ली में एंटरप्राइज लेवल इन्वेंटरी एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशन पैकेज सिस्टम की स्थापना; हैदराबाद हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट इन्फार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सभी प्रमुख परियोजनाओं को कवर करने वाला आन–लाइन प्रोजेक्ट मानिटरिंग सिस्टम; 46 हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक बिलिंग सिस्टम तथा आटो कैड साफ्टवेयर का अपग्रेडेशन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वास्तुशिल्प विभाग के लिए 3 डी मैक्स स्टूडियो और रेविट साफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया जाना शामिल है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय को दिनांक 10.9.2004 से आईएसओ 9001–2000 सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत पहले ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा, चुने हुए हवाई अड्डों पर कार्गो मैनेजमेंट के लिए इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) प्रणाली लागू कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनलों के लिए बार कोड प्रणाली के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर कंप्यूटर आधारित उड़ान–सूचना डिस्पले प्रणाली भी काम कर रही है।

इस संबंध में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भावी योजनाओं में ये कार्य शामिल हैं–आईटी सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन, कामन स्टोरेज के लिए स्टोरेज नेटवर्क प्रणाली एवं आटो डाटा स्टोरेज व रिकवरी के लिए मैकेनिज्म की स्थापना, डिसास्टर रिकवरी साइट, कान्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कामन लाग–इन प्लान का प्रयोग करते हुए विभिन्न अभिक्रियाओं का एकीकरण, 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर कामन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट सिस्टम (सीयूटीई) की शुरूआत तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आन–लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली प्रारम्भ किया जाना।

राज्य और केन्द्र सूची में जातियों को शामिल करने के मानदंडों में अन्तर

*341. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पिछड़ा आयोगों और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में जातियों को शामिल करने के अलग–अलग मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्गों की राज्य सूची की जातियों को केन्द्र सूची में शामिल न करने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन किसी जाति/समुदाय विशेष के पिछड़े स्तर के निर्धारण के लिए मापदंड है। किसी जाति/समुदाय विशेष की पिछड़ा वर्ग के रूप में पहचान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राज्य पिछड़ा वर्ग योजना दोनों के द्वारा, इस मापदंड का पालन करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ी जातियों और समुदायों की पहचान के लिए व्यापक दिशा–निर्देशों का पालन करता है। इसके मुख्य पैरामीटरों में जातीय परिदृश्य, साक्षरता का व्यावसायिक स्तर, सेवाओं में आरक्षण आदि शामिल हैं। राज्य आयोग अपने स्वयं की प्रक्रिया का पालन करते हैं। प्रथम चरण में उन जातियों और समुदायों को केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया था जो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों और राज्य सरकारों की सूचियों दोनों में सामान्य थीं। इस प्रकार कुछ जातियों/समुदायों, जो राज्य सूची में हैं और मंडल सूची में नहीं हैं, को केन्द्रीय सूची में स्थान नहीं दिया गया है। उसके बाद भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, जिन्होंने मंडल निर्णय के बाद अपनी–अपनी राज्य सूचियां जारी की थीं, के संबंध में 10 अक्तूबर, 1993 को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची जारी की थी। चूंकि और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी–अपनी सूची उसके बाद जारी की इसलिए केन्द्र सरकार ने उसी सिद्धान्त पर इसे अधिसूचित किया। अतः कुछेक मामलों में केन्द्रीय तथा राज्य सूचियों के बीच भिन्नताएं हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस का कार्यनिष्पादन

*342. **श्री रूपचन्द मुर्मू** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने इस वर्ष अपने समग्र वित्तीय कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 में यात्री यातायात संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने वित्तीय वर्ष 2004–05 के पूर्वार्द्ध में अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार किया है। वित्तीय वर्ष 2004–05 के पूर्वार्द्ध में प्रचालन घाटा 48.90 करोड़ रुपए तथा शुद्ध घाटा 66.40 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान प्रचालन घाटा 63.95 करोड़ रुपए तथा शुद्ध घाटा 103.50 करोड़ रुपए था। इससे क्रमशः 23.5 प्रतिशत तथा 35.8 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के लेखे जोखे के अनुसार वर्ष 2004–05 के दौरान 6519 हजार यात्रियों की आवाजाही हुई है।

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. क्षमता में वृद्धि के लिए विमान बेड़े में संवर्धन करना/नवीकरण करना।
2. और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए मार्केटिंग के संबंध में नए–नए कदम उठाना।
3. उड़ानगत प्रोत्साहनों, जमीनी सेवाओं के उन्नयन तथा केबिन परिवेश में सुधार द्वारा यात्रियों की संतुष्टि में वृद्धि करना।

यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ियों का उपयोग

3654. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे के महाप्रबंधक अपनी यात्रा के लिए प्रायः विशेष रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी विशेष रेलगाड़ियों का उपयोग किया गया और इस संबंध में रेलवे को कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा;

(ग) क्या सरकार रेलवे पर पड़ने वाले अनावश्यक वित्तीय भार से बचने के लिए इस प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) महाप्रबंधकों द्वारा निरीक्षणों, दुर्घटनाओं आदि जैसी विशेष परिस्थितियों में ही अपने सरकारी कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए विशेष गाड़ियों का उपयोग किया जाता है।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बी.एस.सी.एल. का लालकोटी सिलीका वर्क्स

3655. श्री महबूब जाहेदी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थित बी.एस.सी.एल. के लालकोटी सिलीका वर्क्स के भूतपूर्व कर्मचारियों ने सहकारी समिति का गठन किया है और सहकारी आधार पर लालकोटी सिलीका वर्क्स चलाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से पंजीकरण हेतु उन्होंने सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र में डी.एच.वाई. से स्वीकृति मांगी है;

(ग) क्या डी.एच.आई. का राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अभी विचार करना बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस मामले में निर्णय लेने के लिए इस मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से लालकोटी वर्क्स से संबंधित अभिलेखों के माध्यम से भूमि की स्थिति का समाधान मांगा है।

आगरा और झांसी में होम्योपैथिक डाक्टरों के वेतन का भुगतान

3656. श्री अतीक अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर–मध्य रेलवे के आगरा और झांसी रेल मंडलों के होम्योपैथिक डाक्टरों को पिछले कई महीनों से नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी डाक्टरों और कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) होम्योपैथिक डाक्टरों की नियुक्ति रेलवे द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि कर्मचारी हित निधि संबंधी समितियों द्वारा की जाती है और इनको कर्मचारी हित निधि से मानदेय का भुगतान किया जाता है। उत्तर–मध्य रेलवे के आगरा मंडल तथा झांसी मंडल के दो–दो होम्योपैथिक डाक्टरों को नवम्बर 2004 तक के मानदेय का भुगतान कर्मचारी हित निधि से किया जा चुका है।

जयपुर में आई.ई.सी. की स्थापना का प्रस्ताव

3657. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में "सूचना, शिक्षा और संचार केन्द्र" की स्थापना के लिए 377.75 लाख रुपए स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर उचित विचार करते हुए उसे कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय को, राजस्थान सरकार से इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में "सूचना, शिक्षा एवं संचार केन्द्र" की स्थापन के लिए 377.75 लाख रुपए की मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मंत्रालय की विभागीय जांच समिति ने दिनांक 29 जुलाई, 2004 को हुई अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान नहीं की।

बर्न्स स्टैण्डर्ड के लालकोटी वर्क्स का कार्यकरण

3658. श्री विकास चौधरी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक औद्योगिक सहकारी समिति ने पश्चिम बंगाल के रानीगंज स्थित बर्न्स स्टैन्डर्ड के लालकोटी वर्क्स के परिचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्न्स स्टैन्डर्ड के लालकोटी वर्क्स के परिचालन की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले रिफ्रेक्ट्रीज सामग्री के निर्माण हेतु लालकोटी वर्क्स के परिचालन के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस मामले में निर्णय लेने के लिए इस विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार से लालकोटी वर्क्स से संबंधित अभिलेखों के माध्यम से भूमि की स्थिति का समाधान मांगा है।

इटावा-गुना रेल लाइन

3659. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए इटावा–गुना रेल लाइन के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) क्या जबलपुर–गोंडिया रेल लाइन पर आमान परिवर्तन हेतु जबलपुर–बालाघाट में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गुना–इटावा नई लाइन पहले से स्वीकृत परियोजना है। गुना–ग्वालियर और ग्वालियर–भिंड खंडों पर कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और इन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया है। भिंड से इटावा तक इस परियोजना के अंतिम चरण पर कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) जबलपुर–बालाघाट खंड पर भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आंशिक लम्बाई के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और उनके पास धनराशि भी जमा करा दी गई है।

[हिन्दी]

विशेष निगरानी प्रकोष्ठ को बंद करना

3660. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके कार्यालय में शुरू किया गया विशेष निगरानी प्रकोष्ठ को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रकोष्ठ के कार्यकरण की अवधि के दौरान आम लोगों से कितनी शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शिकायतों/सुझावों की जांच होती है और जहां आवश्यक हो, निवारक कार्रवाई की जाती है। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।

बिहार में रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार

3661. श्री गिरिधारी यादव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्थित उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां गत वित्त वर्ष के दौरान विस्तार और पुनरुद्धार कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक स्टेशन–वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां इस वित्त वर्ष में इस तरह के कार्य या तो शुरू कर दिए गए हैं या शुरू किए जाने हैं;

(घ) क्या पुनरुद्धार कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बिहार में उन रेलवे स्टेशनों के नाम जहां पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तार तथा नवीकरण का कार्य शुरू किया गया है, इस प्रकार हैं : किशनगंज, बेतिया, मोतीहारी, गया, अनुग्रहनारायण रोड, देहरी–ऑन–सोन, बेगूसराय, नौगचिया, साढाजगत, हाथीदाह, परसा बाजार, शिवनार हाल्ट, हरदासबिगाह, बंकाघाट, कच्छानियां घाट, गुलजार बाग, मोरे, बेला, मकदामपुर, डुमरांव, अथमालगोला, दीपनगर हाल्ट, बख्तियारपुर, पटना, पटना साहिब, दीदारगंज, दुमाराहाल्ट, पुनपुनघाट, पुनाराक, बाढ़ करोटा, सलीमपुर, बिहार बेहता, गिद्धौर, चौरे, पापापुड़ी, शेखपुरा, नवादा, राजेन्द्रनगर, जमुई, नालन्दा, छपरा, सीवान, थावे, दाउदपुर, कोपा समहोता गौतमस्थान, दीघवा, दबौली, मैरवा, गोपालगंज, एकमा, मरहौरा, रतनसराय, हथुआ, सिद्धवालिया, मासरख, अभयपुर, जमालपुर, भागलपुर, मालदा टाउन एवं नाथनगर।

(ख) नवीकरण/विस्तार संबंधी कार्यों पर किए जाने वाले खर्च का स्टेशनवार विवरण नहीं रखा जाता है। रेलवे स्टेशनों के नवीकरण/विस्तार कार्य पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि 925.80 लाख रुपए है।

(ग) बिहार के उन स्टेशनों के नाम जहां विस्तार/नवीकरण का कार्य शुरू हो गया है या इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाना है, इस प्रकार हैं : दुगावाटी, शिवसागर रोड, खुदीराम बोस, पूसा, हाजीपुर, कटिहार, छपरा, सीवान, रतनसराय, मांझागढ़, हथुआ, मारहोरा, पटेरी, खैराय, एकचरी, भागलपुर, मालदा टाउन, पीरपैंटी, जमालपुर, विक्रमशिला, अभयपुर तथा कहलगांव।

(घ) और (ङ) कुछ स्टेशनों पर स्वीकृत नवीकरण कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा अन्य स्टेशनों पर प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. के पास विदेशी ऋण

3662. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस नियम (ओ.एन.जी.सी.) के पास कुल कितना विदेशी ऋण है;

(ख) ओ.एन.जी.सी. ने किस प्रयोजनार्थ ऐसे ऋण लिए और वे किन निबंधन और शर्तों के तहत लिए गए; और

(ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ लिए गए ऋण की वापसी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) दिनांक 17.12.2004 को ओ एन जी सी का कुल विदेशी ऋण लगभग 2367 मिलियन जापानी येन (जे पी वाई) है जो 99.75 करोड़ रुपए के समतुल्य है।

(ख) ओ एन जी सी द्वारा, ऋण राशि कम करने के लिए जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन (जो पहले एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक आफ जापान के रूप में जाना जाता था) से कुल 4218.60 मिलियन की बकाया ऋण राशि के पुनर्वित्तपोषण के लिए

2.60 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर फरवरी, 2000 में स्टेट बैंक आफ इंडिया (एस बी आई) न्यूयार्क से यह ऋण लिया गया था। प्रतिवर्ष 3.04 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया पिछला ऋण, हजीरा गैस टर्मिनल की संघटक गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना के विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा व्यय के वित्तपोषण के लिए था।

एस बी आई, न्यूयार्क से लिया गया उपर्युक्त ऋण 205.78 मिलियन जे पी वाई प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों और 102.97 मिलियन जे पी वाई की एक किस्त में चुकाई जानी है।

(ग) देय तिथियों पर ओ एन जी सी द्वारा ब्याज सहित सभी किस्तों का भुगतान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बंद इकाइयों की रक्षा

3663 श्री सुनील खां : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 को रानीगंज और दुर्गापुर की आर/सी इकाईयों के बंद हो जाने के बाद उनकी संपत्तियों की रक्षा हेतु "सिक्यूरिटी सर्विस सिंडीकेट कोलकाता" को लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने 01 नवम्बर, 2003 से 19 जनवरी, 2004 तक पुरानी सिक्यूरिटी एजेंसी के अनुबंध का न तो विस्तार किया है और न ही किसी नई एजेंसी को लगाया है;

(ग) क्या इसने "एम्स सर्विस रिसेटलमेंट सोसाइटी" को कार्यादेश दिया लेकिन दिनांक 23 फरवरी, 2003 को विभिन्न आधारों पर नई सिक्यूरिटी एजेंसी ने कार्यादेश को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया;

(घ) क्या पुरानी सिक्यूरिटी एजेंसी अभी भी बिना किसी पारिश्रमिक के कंपनी की सम्पत्तियों की रक्षा कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को रानीगंज वर्क्स के सभी कर्मचारियों को अलग कर दिया गया तथा 1 नवम्बर, 2000 से इन इकाइयों की सम्पत्तियों की रक्षा करने के लिए कंपनी द्वारा मैसर्स सिक्यूरिटी एंड सर्विस सिंडीकेट, कोलकाता को नियुक्त किया गया।

(ख) मैसर्स सिक्यूरिटी एंड सर्विस सिंडीकेट के साथ ठेका दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 को समाप्त हो गया। दिनांक 19.01.2004 को कंपनी ने दिनांक 01.02.2004 से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मैसर्स एक्स सर्विसमेन रिसेटलमेंट सोसाइटी को आदेश दिया।

(ग) यह एजेंसी रानीगंज ग्रुप ऑफ वर्क्स के स्थानीय लोगों और पूर्व–कर्मचारियों के प्रतिरोध के कारण सुरक्षा गार्डों की तैनाती नहीं कर सकी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) की दृष्टि से पारिश्रमिक के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल निकालने में सहायक जीवाणु

3664. प्रो. चन्द्र कुमार :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा और संसाधन संस्थान एवं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवाणु का पता लगाया है अथवा विकसित किए हैं जो रुग्ण तेल कुओं से तेल निकालने में सहायक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रुग्ण तेल कुओं के पुनरुद्धार में नई तकनीक किस हद तक सहायक है;

(ङ) रुग्ण तेल कुओं की मौजूदा संख्या कितनी है; और

(च) उनमें से ऐसे कितने हैं जो इस तकनीक से लाभान्वित हुए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान (टी ई आर ई), नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से जीवाणुओं का विकास किया है जो कम उत्पादन करने वाले तेल कूपों से उत्पादकता में सुधार करने में मदद करते हैं। इस तकनीक को माइक्रोबिएल इन्हैन्स्ड आयल रिकवरी (एम ई ओ आर) के रूप में जाना जाता है।

ओ.एन.जी.सी. ने गुजरात में कलोल, लिम्बोदरा, सोभासन,

उत्तरी कादी, पादरा, कोसम्बा तेल क्षेत्रों और असम में बदरपुर तेल क्षेत्रों के 26 कम उत्पादन करने वाले तेल कूपों में परीक्षण आधार पर एम ई ओ आर तकनीक का प्रयोग किया है।

(घ) एम ई ओ आर तकनीक ह्रासमान तेल कूपों से तेल की प्राप्ति बढ़ाने के लिए लागू है न कि रुग्ण तेल कूपों को पुनर्जीवित करने हेतु।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में रेल लाइन परियोजनाएं

3665. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधान मंत्री के हाल के दौरे के दौरान कई रेल लाइन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उन्हे शुरू किया गया अथवा शुरू किए जाने की घोषणा की गई; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री ने 20.11.04 को जिरिबाम–इम्फाल (तुपूल) नई लाइन परियोजना की आधार शिला रखी है। इस 97.7 कि.मी. की नई लाइन परियोजना की अनुमानित लागत 727.56 करोड़ रु. है। चालू वित्त वर्ष के दौरान परियोजना पर 3.00 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है। परियोजना के अंतिम स्थल सर्वेक्षण के लिए निविदा पर कार्रवाई की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में कार्य पूरा हो जाएगा।

मछुआरों के बारे में पाकिस्तान के साथ समझौता

3666. श्री ए. के. मूर्ति :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मछुआरों के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका के साथ भी इसी तरह का समझौता किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पाकिस्तान और श्रीलंका से मछुआरों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नौसेना और तटरक्षक, पाकिस्तान के साथ अनन्तिम अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और श्रीलंका के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर नियमित रूप से निगरानी रखते हैं और गश्त लगाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय समुद्र में हमारे मछुआरों को परेशान नहीं किया जाए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने पर पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में भारतीय मछुआरों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

गन में संशोधन करना

3667. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **रक्षा** मंत्री 21 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3692 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के सॉमकेम द्वारा आपूर्ति की गई "बाई–माड्यूलर चार्ज सिस्टम" की जांच कर ली गई है और मौजूदा 155 एम.एम.एफ.एच. 77 बी गन्स के स्थान पर इन्हें तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सॉमकेम द्वारा आपूर्ति किए गए "बाई–माड्यूलर चार्ज सिस्टम" को बिना किसी संशोधन के 155 एम.एम.एफ.एच. 77 बी गन्स की मौजूदा फ्लीट के साथ प्रयोग में लाया जा सकेगा;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उक्त गनों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यू. के. सरकार ने "बाई–माड्यूलर चार्ज सिस्टम" के लिए मैसर्स सॉमकेन के साथ संविदा को पहले ही रद्द कर दिया है क्योंकि इसे त्रुटिपूर्ण पाया गया था और उनके फिल्ड ह्यइत्जर्स के लिए अनुपयुक्त था; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (छ) दक्षिण अफ्रीका

की मैसर्स सोमचेम द्वारा आपूर्ति की गई बाई–माड्यूलर चार्ज प्रणाली के प्रयोक्ता परीक्षण जून–अगस्त, 1998 से किए गए थे तथा बाई–माड्यूलर चार्ज प्रणाली को तोप की लोडिंग ट्रे में मामूली आशोधन करने के बाद मौजूदा 155 मि.मी/39 कैलिबर एफ एच 77 बी तोपों के लिए तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाया गया था। यह आशोधन करने के लिए एक आशोधन किट की जरूरत होती है। आशोधन किटें प्राप्त हो गई हैं तथा प्राप्ति संबंधी संयुक्त निरीक्षण किया जाना है। सरकार को यू.के. सरकार द्वारा इस प्रणाली के लिए मैसर्स सोमचेम के साथ संविदा को रद्द किए जाने की जानकारी नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

3668. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानों में यात्रा करते समय वरिष्ठ नागरिकों को रियायत/सुविधा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिक अपने मूल कार्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को दिखाने के बाद रियायत के पात्र हैं जिस पर उनकी जन्म तिथि भी लिखी होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार तीर्थ यात्रा पर जा रहे वरिष्ठ नागरिकों को और रियायत देने पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों एयरलाइनें वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरेलू रुटों पर मूल किराए पर 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक की विशेष छूट दे रही हैं, बशर्ते, कि ठहरने के न्यूनतम समय, अग्रिम आरक्षण इत्यादि से संबंधित शर्तें पूरी हों।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) दोनों एयरलाइनों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दिए जा रहे रियायती किरायों का उपयोग तीर्थयात्रा के लिए भी किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में अहमदनगर में विमानपत्तन का प्रस्ताव

3669. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में अहमदनगर में विमान पत्तन की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और बाद में उसे स्थगित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में प्रसिद्ध सिर्डी साई बाबा मंदिर, लानी सिंगनापुर मंदिर और विश्व प्रसिद्ध अन्य कई धार्मिक स्थल हैं और हजारों विदेशी प्रतिवर्ष इन स्थानों की यात्रा करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इन धार्मिक स्थलों में अधिक से अधिक विदेशियों को आकर्षित करते हेतु अहमदनगर में विमानपत्तन विकसित करने का उपाय करना प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अहमदनगर की प्रस्तावित जगह के संबंध में एक संभाव्यता अध्ययन करवाया है। महाराष्ट्र सरकार से, भूमि तथा अन्य सूचना से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था। अभी तक, राज्य सरकार ने भूमि की उपलब्धता की पुष्टि नहीं की है। अहमदनगर से अपनी सेवाओं का परिचालन करने के संबंध में किसी नियमित एयरलाइन से न तो कोई निवेदन प्राप्त हुआ है तथा न ही कोई एयरलाइन इसके लिए वचनबद्ध है।

(ग) जी, हां।

(घ) शिर्डी के आस–पास के क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उचित स्थान उपलब्ध होने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त कर्मचारियों की पुनः तैनाती

3670. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2004 (रेलवे) की अपनी रिपोर्ट संख्या 8–पैरा 5.1 में अतिरिक्त कर्मचारियों की पुनः तैनाती में हुए विलम्ब के कारण 3.74 करोड़ रुपए के अनुत्पादक व्यय संबंधी तथ्य को उद्घाटित किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। यह डीजल रेल इंजन शेड, मुगलसराय के सरप्लस कर्मचारियों को पुनः तैनात करने के संबंध में है।

(ख) और (ग) डीजल शेड मुगलसराय के कर्मचारियों को कार्यभार मुक्त कर दिया गया है और उन्हें अपनी तैनाती के नए स्थानों पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। 31.01.2004 को मुगलसराय में पुनः तैनाती के लिए शेष कोई कर्मचारी नहीं था।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण

3671. श्री अशोक कुमार रावत : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, एच.एम.टी बियरिंग लिमिटेड एवं एच.एम.टी. लिमिटेड में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के श्रेणी–वार कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इन सभी उपक्रमों में 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के कितने व्यक्ति हैं;

(ग) क्या उक्त उपक्रमों में आरक्षित कोटे की रिक्तियों को भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आरक्षित कोटे की रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के 6 उद्यमों में से एक नामतः माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन को अब बंद कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के शेष पांच उद्यमों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारियों की श्रेणीवार स्थिति

क्र.सं.	सहायिका	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	भर्ती नहीं होने के कारण/रिक्तियों को भरे जाने का समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	क.	11157	1394	438	696	समूह "क" तथा "ख" में कोई बैकलॉग नहीं है। हालांकि समूह ग में 4 अ.जा., 11 अ.ज.जा. और समूह घ में 1 अ.ज.जा. का बैकलॉग है। कंपनी उपयुक्त/पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण इन रिक्त पदों को नहीं भर पायी है। ऐसी भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया जारी रहेगी।
		ख.	11496	1615	328	212	
		ग.	18358	4188	870	1487	
		घ.	2549	825	82	340	
2.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	क.	363	57	12	17	कंपनी एक दशक से भी अधिक समय से हानियां उठा रही थी। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय पुनर्संरचना के कारण वर्ष 2000–01 से मार्जिनल निवल लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया है। कंपनी ने वर्ष 2002 में जनशक्ति यौक्तिकरण कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत लगभग 25 प्रतिशत कर्मचारियों को वीआरएस दी गई और तब से कोई नयी भर्ती नहीं की गयी है।
		ख.	45	09	–	01	
		ग.	40	06	01	01	
		घ.	15	05	–	01	
3.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	क.	659	47	41	79	चूंकि कंपनी रुग्ण है और जनशक्ति यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया में है, इसलिए
		ख.	1027	26	147	109	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ग.	1521	164	94	629	रिक्त पदों को नहीं भरा गया है। बीआईएफआर ने जुलाई, 2004 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है।
		घ.	464	73	374		
4.	एचएमटी (वेयरिंग) लिमिटेड	क.	53	6	–	–	चूंकि कंपनी हानियां उठा रही है, इसलिए रिक्त पदों को नहीं भरा गया है और इसलिए वर्तमान में नयी भर्ती की कोई योजना नहीं बनायी गई है।
		ख.	52	4	–	–	
		ग.	265	35	–	–	
		घ.	2	1	–	–	
5.	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी)	क.	283	35	1	5	वही
		ख.	188	34	1	5	
		ग.	2036	490	103	18	
		घ.	5.	1	–	–	
	कुल योग		50578	9021	2495	3600	

रेलवे स्टेशनों का विकास

3672. श्री रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में सूरत और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में सूरत और अजमेर स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त आदर्श रेलवे स्टेशनों का कार्य कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इन स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सूरत तथा अजमेर रेलवे स्टेशनों पर मुहैया की जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार है :

सुविधाओं की व्यवस्था	सूरत	अजमेर
1	2	3
विश्राम कक्ष	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
प्रतीक्षाकक्ष	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
क्लॉक रूम	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
पूछताछ एवं कंप्यूटर आधारित उद्घोषणा	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली	मार्च, 2006	मार्च, 2005
इंटरैक्टिव वॉइस रिसपॉंस सिस्टम	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
जन उद्घोषणा प्रणाली	मुहैया कर दी गई	मुहैया करा दी गई
बुक स्टॉल तथा अनिवार्य सामान के अन्य स्टॉल	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
जलपान गृह	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
पार्किंग/परिचलन क्षेत्र	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
जैट क्लीनिंग वाले वाशे–बल एप्रन की व्यवस्था	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई

1	2	3
गाड़ी इंडीकेशन बोर्ड	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
सार्वजनिक टेलीफोन तथा इंटरनेट	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
टच स्क्रीन राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली	मार्च, 2006	मार्च, 2005
वाटर वेंडिंग मशीन	मुहैया करा दी गई	मार्च, 2005
जलशीतक	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
स्टैंडर्ड साइनेजेज	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
मॉड्यूलर स्टॉल	अक्टूबर, 2005	मुहैया करा दी गई
ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
भुगतान करो इस्तेमाल करो शौचालयों की व्यवस्था	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
स्व मुद्रित टिकट मशीन/ अनरक्षित टिकट प्रणाली	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
शिकायतों का कंप्यूटरीकरण	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई
परिचालन क्षेत्र में लाइटें	मुहैया करा दी गई	मुहैया करा दी गई

नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट

3673. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट द्वारा गठित की जाने वाली क्रय समिति के क्या मानदंड हैं;

(ख) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट द्वारा कलाकृतियों की खरीद के लिए कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) किस कलाकार की कृति खरीदी गई और उसका मूल्य कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) कला क्रय समिति का गठन यह ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि यह चित्रकला, मूर्तिकला, डिजाइन, फोटोग्राफी आदि क्षेत्रों के उत्कृष्ट कलाकारों का प्रतिनिधित्व करे। मंत्रालय के संबंधित संयुक्त सचिव तथा नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट, नई दिल्ली के निदेशक इसके पदेन सदस्य होते हैं।

(ख) कलाकृतियों की खरीद के लिए वर्षवार आवंटन तथा उन पर किया गया व्यय निम्नलिखित है :

वर्ष	बजट आवंटन	किया गया व्यय
2003–04	65.00	61.89
2004–05	65.00	45.59 (दिनांक : 10.12.04 तक)

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

2003-04

क्र.स.	कलाकार का नाम	शीर्षक/वर्ष	मूल्य (रुपए में)
1	2	3	4
1.	अरुण्था रानी सेनगुप्ता	ईगल फ्लाई साइकल	35,000.00
2.	अरुण्था रानी सेनगुप्ता	ग्रोइंग–पैशन, 2003	35,000.00
3.	अरुण्था रानी सेनगुप्ता	इंडिया अनलिमिटेड, 2003	35,000.00
4.	रॉय थॉमस	अनॉनिमस गेम–1	35,000.00
5.	जयंत गजेरा	अनपरसीवेबुल–V 2003	15,000.00
6.	जयंत गजेरा	अनपरसीवेबुल–VI 2003	15,000.00

1	2	3	4
7.	जगदीश चंदर	वाइसेज, 2004	80,000.00
8.	सुमेथ राजेन्द्रन	हाउस ऑफ एनसेस्टर, 2003	80.000.00
9.	सुमेघ राजेन्द्रन	द ब्रिजःएन ओपन टैक्सट टू थर्ड रियेल्टी, 2003	40,000.00
10.	लतिका काट	लैंडस्केप, फील्ड, 1997	300,000,00
11.	शोमा ब्रूटा	होमेज टू सॉलिट्यूड–2003	55,000.00
12.	एर्बेजर सुंदर सिंह	सेंसेज, 2003	29,376,00
13.	एर्बेजर सुंदर सिंह	शीर्षक रहित, 2004	18,360.00
14.	एर्बेजर सुंदर सिंह	शीर्षक रहित, 2004	18,360.00
15.	प्रतुल दाश	शीर्षक रहित, 2003	5,508.00
16.	प्रतुल दाश	शीर्षक रहित, 2003	5,508.00
17.	जॉन टुन सेन	शीर्षक रहित, 2003	34,000.00
18.	अरिंदम चटर्जी	ट्रांस स्पेस–3, 2003	21,250.00
19.	राजेंद्र धवन	शीर्षक रहित, 1998	137,700,00
20.	राजेन्द्र धवन	शीर्षक रहित, 1986	100,980.00
21.	के.जयपाल पनिकर	स्केयर को, 1995	18,000.00
22.	जयश्री चक्रवर्ती	शीर्षक रहित–VIII, 2004	216,372.00
23.	हेमा उपाध्याय	दि रेड एंड, 2003	79,560.00
24.	हेमा उपाध्याय	ब्लीडिंग हर्ट्स	79,560.00
25.	वासुदेवन अक्किथम	शीर्षक रहित	76,908.00
26.	पी.जी. दिनेश	शीर्षक रहित	9,715.00
27.	पी.जी. दिनेश	शीर्षक रहित	9,715.00
28.	पी.जी. दिनेश	शीर्षक रहित	9,715.00
29.	पी.जी. दिनेश	शीर्षक रहित	9,715.00
30.	पी.जी. दिनेश	शीर्षक रहित	9,715.00
31.	पी.जी. दिनेश	शीर्षक रहित	9,715.00
32.	पी.जी. दिनेश	शीर्षक रहित	17,371.00
33.	डगलस	ब्रोकन मिरर	75,370.00
34.	सजीता आर. शंकर	आर्च टाइप–I ए सर्च थ्रू सेल्फ, 2003	27,000.00

1	2	3	4
35.	सजीता आर. शंकर	आर्च टाइप–II ए सर्च थ्रू सेल्फ, 2003	27,000.00
36.	सजीता आर.शंकर	आर्च टाइप–III, 2003	18,000.00
37.	जोगेन चौधरी	शीर्षक रहित	42,500.00
38.	सोमनाथ होरे	शीर्षक रहित, 1983	51,000.00
39.	परितोष सेन	शीर्षक रहित, 1994	63,750.00
40.	पंकज पँवार	चेस प्लेयर, 2001	187,000.00
41.	चिंतन उपाध्याय	शीर्षक रहित	80,750.00
42.	चिंतन उपाध्याय	शीर्षक रहित	80,750.00
43.	के. पी. रेजी	वेन दि हाउस इज बर्निंग, 2003	63,703.00
44.	रियास कोमू	डॉग इन दि बुश–एक्सक्लूसिव, 2003	93,105.00
45.	के. पी. रेजी	शीर्षक रहित, 2004	58,803.00
46.	प्रजाक्ता पोटनीस	फ्लॉवर पॉट, 2004	16,661.00
47.	रेखा रोडविट्टिया	ओल्ड फेबल्स न्यू मिथ्स, 2003	161,421.00
48.	रीना सैनी कल्लाट	नाइट वाच, 2003	17,641.00
49.	रीना सैनी कल्लाट	नाइट वाच, 2003	17,641.00
50.	रणबीर सिंह कलेका	शीर्षक रहित, 2000	83,304.00
51.	रणबीर सिंह कलेका	शीर्षक रहित, 2000	83,304.00
52.	सचिन कार्ने	मल्टीपल नाइट वाच, 2003	115,300.00
53.	सचिन कार्ने	मल्टीपल नाइट वाच, 2003	115,300.00
54.	अमित अम्बालाल	गोपी भाव, 2002	83,304.00
55.	अमित अम्बालाल	बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर	83,304.00
56.	एन. एस. हर्षा	शीर्षक रहित, 2003	93,105.00
57.	नलिनी मलानी	शीर्षक रहित, 2004	605,325.00
58.	सी. डगलस	की, 2002	75,000.00
59.	देवांत बसु	पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिफेंस डिवाइस, 2002	35,000.00
60.	कंचन दासगुप्ता	शीर्षक रहित, 2004	110,000.00
61.	अमीना अहमद कार	शीर्षक रहित	60,000.00
62.	रीमा कुंडू	फैमिली पॉलिटिक्स, 2003	5,000.00

1	2	3	4
63.	रीमा कुंडू	समथिंग बिहाइंड इट, 2003	5,000.00
64.	रीमा कुंडू	मेमडोरीज ऑफ ए बुक, 2000	10,000.00
65.	अलैक्जेंडर डी	शीर्षक रहित	73,503.00
66.	शंकर बी. पलसीकर	थ्री ग्रेसेज	800,000.00
67.	के. जी. सुब्रमण्यन	ब्लू स्टूडियो	200,000.00
68.	बद्री नारायण	शीर्षक रहित	144,125.00
69.	लक्ष्मा गौड़	शीर्षक रहित	161,420.00
70.	विनोद शर्मा	शीर्षक रहित	161,420.00
71.	सुदर्शन शेट्टी	टाइगर लिली	350,000.00
72.	राजश्री करकेरा	शीर्षक रहित	12,000.00

2004-05

क्र.स.	कलाकार का नाम	शीर्षक/वर्ष	मूल्य (रुपए में)
1	2	3	4
1.	समीर ऐच	द ग्रे वर्ल्ड, 2003	126,225.00
2.	जया गांगुली	गार्डेड जॉय ऑफ एक्सपेक्टेशन, 1998	121,550.00
3.	अंजू डोडिया	रिंग–II, 2002	210,375.00
4.	अतुल डोडिया	डेजर्ट हाल्ट, 2001	313,225.00
5.	प्रशांत साहू	आई हैव हर्ड, पीपुल से थिंग्स एक्जिस्ट लाइक बबल्स डू, 2001	70,125.00
6.	श्रेयसी चटर्जी	क्रॉसरोड–I, 2003	32,725.00
7.	श्रेयसी चटर्जी	क्रॉसरोड–4, 2004	32,725.00
8.	प्रभाकर कोल्टे	शीर्षक रहित	259,424.00
9.	अचुत्तम कुदाल्लूर	शीर्षक रहित	25,943.00
10.	अचुत्तम कुदाल्लूर	शीर्षक रहित	25,943.00
11.	अचुत्तम कुदाल्लुर	शीर्षक रहित	25,943.00
12.	वाल्टर एमीलिओ डी. सूजा	शीर्षक रहित	12,452.00
13.	वाल्टर एमीलिओ डी. सूजा	शीर्षक रहित	12,452.00
14.	दिलीप डे	द किंग मेकर, 2000	5,000.00
15.	दिलीप डे	ए कन्वरसेशन अंडर द ब्लैक सन, 2000	5,000.00

1	2	3	4
16.	जेरम पटेल	शीर्षक रहित, 2004	216,000.00
17.	जेरम पटेल	शीर्षक रहित, 2004	43,200.00
18.	जेरम पटेल	शीर्षक रहित, 2004	43,200.00
19.	नसरीन मोहमदी	शीर्षक रहित	23,760.00
20.	नसरीन मोहमदी	शीर्षक रहित	23,760.00
21.	नसरीन मोहमदी	शीर्षक रहित	23,760.00
22.	नागजी पटेल	सिकल, 2001	43,200.00
23.	कलाम पटुआ	बूज़म फ्रेंड्स, 2003	29,160.00
24.	कलाम पटुआ	फोटो स्टूडियो–I, 2003	24,300.00
25.	जरीना हाशमी	सिटीज, 2003	97,200.00
26.	कार्लो अंटाओ	फ्रोजन पार्क्युपाइन एंड द स्मर्किंग डंकी, 2003	129,600.00
27.	अंबादास खोब्रागड़े	शीर्षक रहित	9,720.00
28.	अंबादास खोब्रागड़े	शीर्षक रहित	9,720.00
29.	अंबादास खोब्रागड़े	शीर्षक रहित	9,720.00
30.	अंबादास खोब्रागडे	शीर्षक रहित	9,720.00
31.	गोबर्धन आश	अंडर ए ट्री, 1984	34,560.00
32.	गोबर्धन आश	फेस, 1995	32,400.00
33.	प्रभाकर बर्वे	सोनालीज मून	334,800.00
34.	निखिल बिस्वास	शीर्षक रहित, 1961	19,440.00
35.	निखिल बिस्वास	शीर्षक रहित, 1964	19,440.00
36.	निखिल बिस्वास	शीर्षक रहित, 1963	19,440.00
37.	चित्त प्रसाद	शीर्षक रहित	9,720.00
38.	चित्त प्रसाद	शीर्षक रहित	14,580.00
39.	चित्त प्रसाद	शीर्षक रहित	9,720.00
40.	डी. पी. रॉय चौधरी	शीर्षक रहित	243,000.00
41	सोमनाथ होरे	शीर्षक रहित	27,000.00
42.	सोमनाथ होरे	शीर्षक रहित	16,200.00
43.	बी. बी. मुखर्जी	शीर्षक रहित	48,600.00

1	2	3	4
44.	कार्तिक पाइन	मंकी, 2003	18,360.00
45.	कार्तिक पाइन	शीर्षक रहित, 1998	18,360.00
46.	कार्तिक पाइन	शीर्षक रहित, 1997	18,360.00
47.	कार्तिक पाइन	शीर्षक रहित, 1998	18,360.00
48.	कार्तिक पाइन	शीर्षक रहित, 1998	18,360.00
49.	हिम्मत शाह	शीर्षक रहित	22,950.00
50.	हिम्मत शाह	शीर्षक रहित	18,360.00
51.	हिम्मत शाह	शीर्षक रहित	18,360.00
52.	हिम्मत शाह	शीर्षक रहित	22,950.00
53.	सुनयनी देवी	शीर्षक रहित	68,850.00
54.	राबिन मंडल	शीर्षक रहित, 1970	18,360.00
55.	राबिन मंडल	शीर्षक रहित, 1970	18,360.00
56.	गोपाल सान्याल	पिग, 1973	28,350.00
57.	प्रबीर गुप्ता	फैलिक फ्रीज़ीज़	224,000.00
58.	मृणालिनी मुखर्जी	फ्रॉम द सिरीज "नेचुरल हिस्ट्री नं. 6", 2000	256,000.00
59.	सुदर्शन शेट्टी	शीर्षक रहित (ग्रामोफोन फ्रॉम द सिरीज फॉर हियर ऑर टू गो)	240,000.00
60.	दयानेता सिंह	मास्टरजी सिरीज, 1994	340,000.00
61.	सुबोध गुप्ता	थ्री काउज़	240,000.00
62.	अनिल नायक	पोर्ट्रेट ऑफ एम. एफ. हुसैन	40,000.00
63.	देवदत्त डी. पाडेकर	ड्रॉइंग I	6,000.00
64.	राहुल टी. वाजले	शीर्षक रहित	6,000.00
65.	संजय सावंत	शीर्षक रहित	20,000.00
66.	वैभव जैन	मैन एंड वूमन इन बाथरूम	10,000.00
67	वनिता गुप्ता	शीर्षक रहित	15,000.00

रेलगाड़ियों में जी.आर.पी. कार्मिकों को आर.पी.एफ. द्वारा बदला जाना

3674. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए जी.आर.पी को हटाकर आर.पी.एफ. कार्मिकों की तैनाती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। रेलों पर अपराध रोकने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के प्रयासों को पूरा करने के लिए रेलगाड़ियों की सुरक्षा हेतु रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों की तैनाती की जाती है।

(ग) रेलों पर अपराध का निरंतर बढ़ना चिन्ता का विषय रहा है। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 और रेलवे अधिनियम 1989 में उपयुक्त संशोधन किए गए थे ताकि राज्य सरकार और राजकीय पुलिस के प्रयासों को पूरा करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी पूरा किया जा सके। रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत आने वाले कुछ छोटे अपराधों को रेलवे सुरक्षा बल के कार्य क्षेत्र में लाया गया है। ये उपाय राजकीय रेलवे पुलिस अथवा रेलों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाए गए थे, न कि उनका कार्यक्षेत्र कम करने के उद्देश्य से। रेलगाड़ियों में रेल सुरक्षा बल की अतिरिक्त तैनाती करने और रेल सुरक्षा बल की उपस्थिति बढ़ाकर यात्री क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने से राजकीय रेलवे पुलिस को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले गंभीर अपराधों एवं रेलवे अधिनियम के अंतर्गत तोड़-फोड़ से संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रीकृत करने में सहायता मिलेगी। अन्य निर्धारित ड्यूटियों से कर्मचारियों को हटाकर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 1288 रेलगाड़ियों में मार्गरक्षी दलों की तैनाती की गई है।

भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क

3675. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **रेल** मंत्री 24 अप्रैल, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4996 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच मालगाड़ी सेवाएं शुरू करने हेतु रेल सेवाएं समझौता को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौता की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और नेपाल के बीच मालगाड़ी सेवाएं शुरू करने संबंधी रेल सेवा करार निष्पादित किया गया है। नवनिर्मित रक्सोल-बिरगंज खंड पर भारत और नेपाल के बीच मालगाड़ी सेवाएं भी 16.07.2004 से आरंभ कर दी गई हैं।

डीलरों के कमीशन में वृद्धि

3676. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एच.पी.डी.ए. (हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन) से डीलरों के कमीशन को बढ़ाने हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि इसे अर्थक्षम बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे विचारार्थ और टिप्पणी हेतु समिति के पास अग्रसारित किया गया है;

(ग) क्या रिलायंस डीलरों का डीलर कमीशन सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में डीलरों के डीलर कमीशन से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो निजी तेल विपणन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा डीलरों के कमीशन के मुद्दे पर कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के निदेशकों (विपणन) की समिति को अभ्यावेदन विचारार्थ अग्रेषित किया गया है।

(ग) मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन, डीलरों द्वारा दिए किए निवेशों के आधार पर निर्भर करता है।

(घ) ओ एम सीज के निदेशकों (विपणन) की समिति पेट्रोल और डीजल पर डीलरों के कमीशन के परिकलन संबंधी मामले को देख रही है। साथ ही हरियाणा पेट्रोलियम संघ (एच पी डी ए) सहित विभिन्न पेट्रोल डीलर संघों द्वारा उठाए गए मामलों को ध्यान में रख रही है। समिति की पहली प्रारम्भिक रिपोर्ट जनवरी, 2005 तक प्राप्त होने की संभावना है।

[अनुवाद]

भूमि का हस्तांतरण

3677. श्री तथागत सत्पथी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से खेलकूद परिसर के निर्माण हेतु बरहामपुर, उड़ीसा में रक्षा विभाग की कतिपय भूमि के हस्तांतरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

बरहामपुर (उड़ीसा) में बैरक ग्राउंड के रूप में जानी जाने वाली 17.63 एकड़ रक्षा भूमि में से 8.50 एकड़ भूमि 28.7.1986 को एक स्टेडियम आदि के विनिर्माण के लिए उड़ीसा सरकार को हस्तांतरित की गई थी। राज्य सरकार ने भी बरहामपुर स्टेडियम को पूरा करने के लिए शेष 9.13 एकड़ रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया है।

(ग) मंत्रालय में अनुरोध की जांच की गई थी तथा उन्हें सूचित किया गया था कि शेष 9.13 एकड़ रक्षा भूमि के हस्तांतरण के संबंध में रक्षा मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते की राज्य सरकार बदले में रक्षा मंत्रालय को बरहामपुर की नगरपालिका–सीमाओं के भीतर उतने ही मूल्य की वैकल्पिक भूमि दे तथा उक्त भूमि पर निर्मित परिसंपत्तियों की लागत का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो। अब, संदर्भाधीन भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

पिछड़ा वर्ग प्रभाव के विरुद्ध शिकायतें

3678. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंत्रालय के पिछड़ा वर्ग प्रभाग के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां। एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) शिकायत अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग प्रभाग, विशेष रूप से वक्फ और मौलाना आलाद शिक्षा प्रतिष्ठान का कार्य देख रहे अनुभागों के विरुद्ध प्राप्त हुई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक

3679. श्री रनेन बर्मन : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 21 दिसम्बर, 2002 को राष्ट्रीय विकास परिषद की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में योजना आयोग ने वित्त संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की अधिकार प्राप्त एक उप समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होंगे और जिससे पंचायती राज संस्थानों को प्रशासनिक सशक्तिकरण होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति की पश्चिम बंगाल में अब तक कितनी बैठकें हुई है;

(घ) उपर्युक्त बैठक में विशेषतः पश्चिम बंगाल में क्या निर्णय लिए गए/सिफारिशों की गयी/टिप्पणियां की गयीं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद में लिए गए निर्णय के अनुपालन में योजना आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण के संबंध में, 31 मार्च, 2003 में एक अधिकार प्राप्त उप समिति गठित की गई थी जिसके ग्रामीण विकास मंत्री, अध्यक्ष और वित्त एवं कम्पनी मामले मंत्री, उपाध्यक्ष तथ योजना आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जनजातीय मामले मंत्री और असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री सदस्य थे।

उपसमिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना, ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी संस्था के रूप में कार्य कर सकें;

(ii) केन्द्र और राज्य सरकारों से संसाधनों के अन्तरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए तौर–तरीके निर्धारित करना;

(iii) राजस्व और अन्य संसाधनों को बढ़ाने और इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का पता लगाना;

(iv) विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित वित्तीय आवंटन को प्राप्त करने और पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर राजकोषीय

अनुशासन और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मानदण्ड तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का विश्लेषण करना;

(v) संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मियों पर पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाना;

(vi) लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को परिलक्षित करने वाली स्थानीय योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के लिए एक मानदंड तैयार करना ताकि विकास की प्रक्रिया एक जन आंदोलन बन जाए;

(vii) निर्वाचित पंचायती राज कर्मियों और पंचायती राज संस्थाओं के स्टाफ सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगाना और प्रशिक्षण नमूने/पद्धति तैयार करना; और

(viii) पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के संबंधित प्रगति के साथ केंद्रीय सहायता को राज्य से जोड़ने के लिए तंत्र विकसित करना।

मंत्री (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में समिति की दो बैठकें पहले ही 26 जून, 2003 तथा 7 अगस्त, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकार प्राप्त उप–समिति की कोई बैठक नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना

3680. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इसे निर्गत करने वाले प्राधिकारी का नाम क्या है;

(ख) भारत में कहीं भी रह रहे लोगों की केन्द्रीय सूची में शामिल जाति वाले व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मानदंड क्या हैं; और

(ग) इसके लिए मूल आदेश, अनुदेश और निदेश क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के अनुसार, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में समुदायों को समय–समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस तरह, देश भर में किसी संमुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए कोई केन्द्रीय सूची नहीं है।

विवरण

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 2.5.1975 के पत्र सं. 35/1/72–आर यू (एस सी टी–5), दिनांक 22.3.1977 के पत्र सं. बी. सी. 12025/2/76–एस.सी.टी.–1 और दिनांक 6.8.1984 के पत्र सं. बी.सी. 16014/1/82–एस.सी. और बी.सी.डी–1 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को अनुदेश जारी किए थे, जिनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है तो यह सत्यापित किया जाना चाहिए :

1. कि वह और उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय के हैं;
2. कि वह समुदाय राष्ट्रपतीय आदेश में शामिल है जिसमें संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियां विनिर्दिष्ट की गई हैं।
3. कि वह व्यक्ति उस राज्य से तथा उस राज्य के अंदर उस क्षेत्र से संबंधित है जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित किया गया है।
4. यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति होने का दावा करता है तो वह हिन्दू या सिक्ख या बौद्ध धर्म का होना चाहिए;
5. यदि व्यक्ति अनसूचित जनजाति होने का दावा करता है, तो वह किसी भी धर्म का हो सकता है;
6. कि वह अपने मामले में लागू राष्ट्रपतीय आदेश की अधिसूचना की तारीख को स्थाई निवासी होना चाहिए।

अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को शक्तियां दी गयी है :

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टीपेंडरी मजिस्ट्रेट/नगर–मजिस्ट्रेट/*सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(*प्रथम श्रेणी स्टीपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम नहीं हो)

3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक कम नहीं हो।

4. उस क्षेत्र का सब–डिवीजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और उसका परिवार सामान्यतया निवास करता है।

5. प्रशासक/प्रशासकों के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

सतना विमानपत्तन की भूमि का अतिक्रमण

3681. श्री गणेश सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में सतना विमानपत्तन की भूमि के अतिक्रमण और इसकी चारदीवारी नहीं होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस विमानपत्तन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) सतना विमानपत्तन की श्रेणी क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सतना हवाई अड्डा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है और यह गैर–प्रचालनात्मक हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे के चारों ओर तार लगाकर घेराबंदी की गई थी, परंतु यह जगह–जगह से टूट जाने के कारण इसकी मरम्मत की जा रही है। सतना हवाई अड्डे की 150 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जे के 12 मामले हैं जिनके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने न्यायालयों में सिविल याचिकाएं दायर की हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तारों के बाड़े की मरम्मत एवं पहरेदारी के लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती करके हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

गया-दिल्ली उड़ान

3682. श्री राजेश कुमार मांझी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सहायता के लिए गया–दिल्ली उड़ान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई यातायात सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए हवाई यातायात सेवाओं के बेहतर नियमन की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात संबंधी मांग तथा वाणिज्यिक लाभकारिता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं प्रदान करें। अतः एयरलाइनें देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते, कि वे मार्ग संवितरण दिशानिर्देश का अनुपालन करती हों।

दार्जिलिंग (प. बंगाल) में एफ.एम. स्टेशन

3683. श्री जी. नरबुला : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग के लिए फ्रीक्वेंसी माड्यूलेटेड ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को 1993 में स्वीकृति दी गयी थी;

(ख) क्या इस परियोजना को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) स्थल की अनुपलब्धता के कारण इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(घ) एफ.एम. स्टेशन हेतु स्थल अब अधिगृहीत कर लिया गया है। दार्जिलिंग स्थित एफ.एम. स्टेशन के 10वीं योजना अवधि के दौरान पूरा कर लिए जाने की आशा है।

मनुगुर और किरनडेले बड़ी लाइन को जोड़ना

3684 डा. बाबू राव मिडियम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रमुख कच्चा माल कोयला और लौह अयस्क की ढुलाई की लागत को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश में मनुगुर और किरनडेले (छत्तीसगढ़) को 147 कि.मी. बड़ी लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित लाइन की व्यवहार्यता, लागत और अर्थक्षमता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

रेल पटरियों की मरम्मत

3685. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या **रेल** मंत्री दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान झांसी–बांदा–मानिकपुर और बांदा से कानपुर रेल पटरियों की मरम्मत कार्य पर वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) वर्तमान में इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की गति (किलोमीटर प्रति घंटा) कितनी है;

(ग) क्या झांसी–बांदा–मानिकपुर और बांदा–कानपुर रेलमार्ग को देश में सबसे घटिया रेलमार्ग माना जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखंड रेलमार्ग को विकसित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मार्ग वर्गीकरण के अनुसार, खंड पर अधिकतम अनुमेय गति 100 कि.मी. प्रति घंटा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) सभी खंडों पर रेल पथ की मरम्मत एवं अनुरक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। रेलपथ की संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलपथ की नियमित रूप से जांच की जाती है तथा जब कभी अपेक्षित होता है, निवारक अनुरक्षण संबंधी कार्रवाई तुरंत की जाती है। आवश्यकता के अनुसार भी रेलपथ नवीकरण संबंधी कार्य किए जाते हैं, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

पंचायती राज संस्थानों द्वारा विद्यालयों पर नियंत्रण

3686. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों और ग्राम स्तरीय सरकारी कर्मचारियों सहित प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित करने हेतु पंचायती राज संस्थानों को और अधिक अधिकार देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी के अलावा जहां संवैधानिक अधिनियम (73वां संशोधन) लागू है, ने पंचायती राज संस्थाओं को अलग–अलग मात्रा में कार्य सौंपे हैं। पंचायती राज द्वारा गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण समृद्धि पर मुख्य मंत्रियों और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29–30 जून, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने एवं उनके कार्यान्वयन के लिए संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार स्वशासन की वास्तविक संस्था बनने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। ग्राम सभाओं के प्रभावी सशक्तिकरण और पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों को कार्य (जिसमें विद्यालय शामिल हैं), कार्मिक (जिसमें ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं) और निधि की प्रभावी सुपुर्दगी प्रत्यायोजन के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों पर "पंचायती राज : प्रभावी सुपुर्दगी" के विषय पर पहला गोलमेज सम्मेलन कोलकाता मे 24–25 जुलाई, 2004 को आयोजित किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि प्रत्येक तीनों स्तरों की संस्थाओं के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करके ही प्रभावी सुपुर्दगी की जा सकती है और इस उद्देश्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर ही क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और इसके लिए जहां भी आवश्यक हो, केन्द्र से तकनीकी सहायता ली जाएगी। आपसी सहमति द्वारा पहले गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्षों को, जिन्हें पंचायती राज के प्रभावी मंत्रियों ने केन्द्र और राज्यों के बीच संयुक्त स्वीकृति हेतु संबंधित सरकारों को सिफारिश करने पर सहमति दी, विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का पहला गोलमेज सम्मेलन–कोलकाता

24–25 जुलाई, 2004

पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि संघीय सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भारत के संविधान के भाग IX में निर्धारित पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी होना आवश्यक है, और उससे सम्बद्ध प्रावधानों, जिनमें अनुच्छेद 243 जैड डी (जिला आयोजना समितियां) विशेष

रूप से शामिल हैं, केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्यवाही के निम्नलिखित मुद्दों की अपनी–अपनी सरकारों को सिफारिश करने के लिए सहमत हुए :

कार्यों का प्रभावी अन्तरण

(I) संविधान (अनुच्छेद 243 जी) में "अंतरण" अर्थात् स्व–शासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं के लिए अन्तरिम विषयों, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में दिए विषय और ऐसे विषय शामिल हैं, जिन्हें राज्य ने ऐसी शर्तों के अध्यधीन कानून बना कर विनिर्दिष्ट किया हो, के लिए (1) अपने–अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और (2) अपने–अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के दोहरे प्रयोजन के लिए अधिकार देने का प्रावधान है। इसलिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज संस्था ऐसे कार्यों के संदर्भ में, जो उन्हें अंतरित किए जा सकते हों, अन्य प्राधिकरणों के लिए सिर्फ कार्यान्वयन एजेंसी के स्थान पर स्व–शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करें।

(II) कार्य हस्तान्तरित करते समय समयबद्ध तरीके से राज्य के विधान में दिए गए सभी विषय शामिल किए जाने चाहिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने–अपने अंतरण कार्यक्रम को प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे कार्यों, जिन्हें प्राथमिकता दी गई है, के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में अधिकार देने में पूरा और प्रभावी हस्तांतरण होगा।

(III) इस दिशा में त्रि–स्तरीय प्रणाली के उपयुक्त स्तर को इन गतिविधियों को सौंपने की दृष्टि से अन्तरित कार्यों से संबंधित गतिविधियां तय करना एक आवश्यक कदम है। जहां तक संभव हो, किसी भी विशेष गतिविधि के संदर्भ में स्तरों के बीच अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए।

(IV) यह निर्धारित करते समय कि कोई विशिष्ट गतिविधि पंचायती राज प्रणाली के किस स्तर को सौंपी जाए, जहां तक संभव हो, अनुक्रम सिद्धांत का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए। अनुक्रम सिद्धांत में यह उल्लेख है कि यदि किसी गतिविधि को निचले स्तर पर शुरू किया जा सकता है तो उसे किसी उच्च स्तर पर ले जाने की बजाय उसी स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए।

(V) अन्तरित कार्यों से संबंधित गतिविधियों के निर्धारण के आधार पर और अनुक्रम सिद्धांत लागू करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2004–05 के भीतर इस कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से समयबद्ध गतिविधि रूप–रेखा की समीक्षा कर सकते हैं/शुरू कर सकते हैं।

(VI) पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और कार्य के अंतरण संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिस प्रकार गतिविधि रूपरेखा मॉडल बनाया गया है और गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए तथ्य–पत्र में मौजूदा राज्य–वार गतिविधि रूपरेखा के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी–अपनी गतिविधि रूपरेखा तैयार करने के लिए गतिविधि रूपरेखा मॉडल बना सकते हैं।

(VII) संघ का पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर गतिविधि रूपरेखा बनाने के लिए उन्हें तकनीकी सहायता एवं विशेषज्ञ भेज सकता है।

(VIII) ऐसा उपाय करने की दृष्टि से कि अंतरित कार्य पुनः अंतरित न किए जा सकें, कार्यों का अंतरण विधिक उपायों अथवा विकल्प के रूप में कार्यपालिका के आदेशों के माध्यम से अंतरण के लिए कठोर वैधानिक रूप–रेखा उपलब्ध करा कर किया जा सकता है।

कर्मियों का प्रभावी अंतरण :

(I) पंचायती राज संस्थाओं को कर्मियों का अंतरण अंतरित कार्यों से संबंधित गतिविधियों की गतिविधि रूपरेखा के आधार पर किया जाना चाहिए।

(II) यदि अंतरित गतिविधि की योजना बनाने अथवा उसे कार्यान्वित करने में निर्वाचित पंचायती राज संस्था की मदद करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो तो संबद्ध कर्मचारी बुनियादी तौर पर निर्वाचित प्राधिकारी के प्रति जिम्मेवार और उनके अनुशासनिक निरीक्षण एवं नियंत्रण के तहत होने चाहिए।

(III) पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित कार्यों में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मचारियों और प्रौद्योगविदों का संवर्ग बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अंतरित कार्यों के लिए राज्य सेवाओं में स्टाफ की और भर्ती बंद करके पंचायती राज प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा शुरू कर सकते हैं।

(IV) (i) जिला पंचायतों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के उत्तरोत्तर विलय के माध्यम से पंचौयती राज विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की भूमिका पर पुनः विचार करना। उपयुक्त स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्राधिकारियों की संपूर्ण जवाबदेही और अनुशासनात्मक नियंत्रण के तहत पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

(ii) पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों के संबंध में पुनः विचारी गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की गतिविधियां कार्यों, कर्मियों और निधियों के अंतरण की गतिविधि रूपरेखा पर आधारित होनी चाहिए ताकि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के पास जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के संसाधन, विशेषज्ञता, सुविधाएं और श्रमिक समान रूप से उपलब्ध हों।

निधियों का प्रभावी अंतरण :

(I) पंचायतों का "सुदृढ़ वित्तीय आधार" अनुच्छेद 243–I द्वारा राज्यों पर लागू की गई संवैधानिक बाध्यता है। इस संवैधानिक बाध्यता के अनुपालन में राज्यों और केन्द्र को संघीय राजकोषीय की भावना के अनुरूप निर्वाचित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

(II) इस दिशा में पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों को निधियों का अंतरण कार्यों और कर्मियों के अंतरण के लिए गतिविधि रूपरेखा के आधार पर होना चाहिए ताकि निधियों के अंतरण को कार्यों और कर्मियों के अंतरण के साथ मिलाते हुए पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का प्रभावी अंतरण सुनिश्चित हो सके।

(III) ऊपर वर्णित सिद्धांतों के आधार पर, राज्य सरकारें गतिविधि की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास कर सकती हैं जिसे यथाशीघ्र लागू किया जाए और हर हाल में इसे अगले वित्त वर्ष 2005–06 के अंत तक बना लिया जाए; इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हो सकते हैं :

(i) स्तर–वार और निम्न की गतिविधि रूपरेखा पर आधारित अंतरण :

(क) नियोजन

(ख) बजट

(ग) निधियों का प्रावधान

(ii) गतिविधि रूपरेखा के आधार पर प्रत्येक राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग के बजट में पंचायती राज संस्था के घटक का समावेश;

(iii) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को स्तर–वार क्रमिक रूप से शर्तमुक्त बड़ी राशि का प्रावधान;

(iv) गतिविधि रूपरेखा के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को योजना आयोग से स्तर–वार शर्तमुक्त अनुदान का प्रावधान;

(v) पंचायती राज संस्था की गतिविधि रूपरेखा के आधार पर, पूर्व वित्त आयोगों द्वारा अब तक आवंटित न किए गए अनुदानों, यदि कोई हो, का स्तर–वार आवंटन और बारहवें तथा भावी वित्त आयोगों से स्तर–वार आवंटन की पूर्व निर्धारित पद्धति के आधार पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर अनुदानों का आवंटन।

(vi) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाना है जिसकी समय–सीमा के भीतर राज्य वित्त आयोगों को अपनी रिपोर्टें तैयार करनी चाहिए तथा जिनमें विधानमंडल के प्रति की गई कार्रवाई रिपोर्ट और राज्य विधानमंडल द्वारा समर्थित सिफारिशों/की गई कार्रवाई रिपोर्टों पर कार्य–पालक द्वारा कार्य करने संबंधी सिफारिशें शामिल हों।

(vii) पंचायती राज संस्थाओं को अपने संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करना, विशेषकर उन राजस्वों के विनियोजन के प्रावधान के माध्यम से, जो उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जुटाए हैं। (अनुच्छेद 243–एच)

ग्राम सभाएं :

(I) संविधान के अनुच्छेद 243–क के भाग IX में ग्राम सभाओं को स्थापित करने का प्रावधान है ताकि वे "ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करें और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य निष्पादित करें जो राज्य विधान सभा द्वारा, काननून, उन्हें प्रदान करे।"

(II) एक सुदृढ़ ग्राम सभा प्रणाली, पंचायती राज के माध्यम से अच्छे शासन का अपरिहार्य आधार है।

(iii) ऊपर वर्णित दोनों नीतियों के आधार पर राज्य सरकार यह तय करने के लिए वर्तमान विधान की समीक्षा कर सकती है कि संविधान के अनुच्छेद 243–क में उल्लिखित "शक्तियों" एवं "कार्यों" का राज्य विधान में पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कौन से विधायी एवं अन्य कदम उठाए जाने बाकी हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित मदों की जांच की जाए :

(i) ग्राम स्तर से नीचे सभाओं को गठित करने (जैसे ग्राम संसद, उप ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा, जिस नाम से भी संबोधित किया जाए) की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वार्ड में वयस्क आबादी की ग्राम सभा के सम्मुख विचार हेतु उभरने वाले मुद्दों पर अपने विचार रखने का मौका दिया जा सके और प्रत्येक वार्ड में वयस्क आबादी के लिए निर्वाचित वार्ड प्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

(ii) ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की बैठकों की अवधि।

(iii) महिलाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन मजदूर आदि जैसे जनसंख्या के विशेष और उपेक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के साथ पूर्ण और संतोषजनक परामर्श का प्रावधान।

(iv) वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी वयस्क महिलाओं वाली महिला सभा बैठकों का प्रावधान ताकि वे ग्राम/वार्ड सभा में अपने विचार रख सकें और तौर तरीकों के बारे में निर्णय ले सकें।

(v) ग्राम/वार्ड सभा को निम्न उपायों के माध्यम से सार्थक सशक्तीकरण द्वारा सम्पन्न बनाना :

(क) पारदर्शी और अच्छे शासन में योगदान देने के लिए ग्राम/वार्ड सभाओं को सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार/पात्रता; साथ ही ग्राम/वार्ड सभा के प्रति निर्वाचित पंचायत को जवाबदेह बनाना।

(ख) पंचायत द्वारा तैयार की गई आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए आयोजना तथा कार्यक्रमों को (बजट सहित) कार्यान्वयन शुरू होने से पहले मंजूरी देना।

(ग) पंचायत की योजनाओं, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने को प्राधिकृत करना।

(घ) लाभार्थियों की पहचान।

(vi) ऐसे सामाजिक लेखापरीक्षा उपाय ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपयुक्त रूप से संस्थागत भी किए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में पुलों का निर्माण

3687. श्री कैलाश जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में सिहोर शहर के निकट रेल उपरिपुल के निर्माण संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा में रंगपुर रोड में ऊपरी पुल

3688. श्री रघुबीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा (राजस्थान) में रंगपुर मार्ग पर बन रहे उपरिपुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त पुल के निर्माण के संबंध में राजस्थान सरकार और रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों का अलग–अलग ब्यौरा क्या है और इस पर पहले ही कितना खर्च हो चुका है; और

(ग) इस कार्य के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रंगपुर रोड पर समपार सं. 109 के स्थान पर कोटा में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1996–97 में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था जिसमें रेलवे का हिस्सा 565 लाख रुपए था तथा राज्य सरकार का हिस्सा 590 लाख रुपए था। रेलवे द्वारा पुल खास का निर्माण (रेलवे लाइन के ऊपर पुल) तथा राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग का कार्य निष्पादन किया जा रहा है। रेलवे के भाग के पुल खास का उप अवसंरचना का कार्य पहले से ही पूरा कर लिया गया है तथा गर्डरों का कास्टिंग संबंधी कार्य प्रगति पर है। रेलवे के भाग में 80 प्रतिशत प्रगति की गई

है तथा पहुंच मार्गों में 90 प्रतिशत प्रगति है। 31.5.2004 तक रेलवे के हिस्से के कार्य पर कुल व्यय लगभग 250.75 लाख रुपए है। कार्य के निष्पादन के दौरान पुल खास का निर्माण कार्य कुछ संविदागत कठिनाइयों के कारण प्रभावित हुआ था जिसका अब समाधान कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण कार्य के साथ–साथ रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे और टेलीकॉम सेंटर

3689. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे स्टेशनों पर विशेषतः पश्चिम रेलवे के सभी रेलवे स्टेशनों पर साइबर कैफे और टेलीकॉम सेंटर उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चयनित स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त सुविधा का कब तक सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। साइबर कैफे तथा दूरसंचार केन्द्रों को सभी स्टेशनों पर उपलब्ध कराने की योजना नहीं है। रेल मंत्रालय ने रेलटेल को चरणबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर फ्रेंचाइज आधार पर इंटरनेट टेलीफोन, ओडियो/वीडियो चैटिंग, इमेल, इंटरनेट आदि दूरसंचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया है। रेलटेल की भारतीय रेलों पर कुल 279 कैफे में से फेस–I में 51 ऐसे कैफे मुहैया कराने की योजना है। जिनमें पश्चिम रेलवे पर 22 साइबर कैफे में से फेस–I में 7 साइबर कैफे शामिल हैं।

(ख) यह कैफे फ्रेंचाइज आधार पर उपलब्ध होंगे, कुल मिलाकर एक साइबर कैफे पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए की लागत आएगी, बहरहाल इस संबंध में किया गया व्यय फ्रेंचाइज द्वारा उठाया जाएगा। रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर आप्टीकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) कोनेकिटीविटी के साथ स्थान/भूमि क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम रेलवे के उन स्टेशनों के नाम जो फेस–I में विचाराधीन हैं, निम्नलिखित हैं :

चर्चगेट, वडोदरा, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, दादर, बोरविली तथा बांद्रा।

(ग) इस वित्त वर्ष में फेस–I पूरा किए जाने की संभावना है एवं उसके बाद फेस–II आरंभ किया जाएगा।

[अनुवाद]

आपूर्तिकर्ताओं को समय से भुगतान

3690. श्री जे. एम. आरून रशीद :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी एस डी) बाजार मूल्य से अच्छी खासी रियायत लेने और आपूर्तिकर्ताओं से तयशुदा उधार की सुविधा लेने के बावजूद आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए समय से भुगतान नहीं करता है;

(ख) क्या उधार की तय अवधि से अधिक समय तक भुगतान नहीं करने पर सी एस डी आपूर्तिकर्ताओं को कोई ब्याज का भुगतान नहीं करता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सी एस डी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति की तिथि और उधार की सहमत तिथि के आधार पर बकाया का निपटान नहीं करता बल्कि मनमाने आधार पर करता है जिससे बिना बारी के भुगतानों के लिए पक्षपात और भ्रष्टाचार हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सी एस डी संगठन के निचले स्तर पर शक्ति के दुरुपयोग को रोकने/नियंत्रित करने के लिए भुगतान की सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर विचार नहीं करने के क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा इस स्थिति को ठीक करने तथा भुगतान प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है;

(छ) 1 अक्तूबर, 2004 की तिथि के अनुसार सी एस डी की वर्तमान कुल बकाया भुगतान राशि कितनी है; और

(ज) बकाया राशि के भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ज) कैंटीन स्टोर्स विभाग में भुगतान प्रणाली पारदर्शी है। कैंटीन स्टोर्स विभाग में भुगतान की विधि आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए आपूर्ति आदेश की शर्तों एवं निबंधनों में स्पष्टतः विहित होती है। बजटीय आवंटन एवं निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वस्तुओं की सुपुर्दगी की तारीख से 30 कार्य–दिवसों के पश्चात भुगतान कर दिया जाता है। आपूर्तिकर्ता, भुगतान के समय और तरीके से कुल मिलाकर संतुष्ट हैं। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बाजार कीमतों पर दी जाने वाली छूट और तयशुदा उधार का समय–विस्तारण व्यापार के मानदंडों के अनुसार होता है। यह कैंटीन स्टोर्स विभाग के बुनियादी उद्देश्य,

अर्थात् जवानों को बाजार से कम कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना, के मद्देनजर ही किया जाता है।

कैंटीन स्टोर्स विभाग अतिशोध्य भुगतानों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किसी ब्याज का भुगतान नहीं करता है। हाल ही में, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अतिशोध्य भुगतानों पर ब्याज मांगे जाने का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान स्वेच्छानिर्णय–आधार पर नहीं किए जाते हैं अपितु अधिकतर आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं की सुपुर्दगी की तारीख के अनुसार किए जाते हैं।

कैंटीन स्टोर्स विभाग ने एक कम्प्यूटीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें इनकी मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत की गई हैं। दूसरे चरण में, कैंटीन स्टोर्स विभाग के सभी 35 डिपुओं में भी ऐसा ही किया जाएगा। इससे विभिन्न डिपुओं को प्रस्तुत किए गए बिलों की शीघ्रता से लिकिंग और भुगतान हो सकेगा, जिससे और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।

कैंटीन स्टोर्स विभाग का कुल अतिशोध्य भुगतान 1 अक्तूबर, 2004 को 298.81 करोड़ रुपए था। पूरा बजटीय आवंटन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि बकाया भुगतानों को निपटाया जा सके।

[हिन्दी]

सी एस डी में भुगतान प्रणाली

3691. श्री वी. के. दुग्मर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी एस डी) में भुगतान प्रणाली पारदर्शी नहीं है और उद्योग के हितों की रक्षा नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रक्षा बलों के एक अंग से पक्षपात और भ्रष्टाचार के खतरे को हटाने के लिए सी एस डी प्रणाली की सामान्यतः और भुगतान प्रणाली की विशेषतः नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा व्यापक लेखापरीक्षा कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) कैंटीन स्टोर विभाग में भुगतान व्यवस्था पारदर्शी है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा व्यापक लेखापरीक्षा पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, रेजिडेंट लेखापरीक्षा सेल के माध्यम से कैंटीन स्टोर विभाग की पहले ही नियमित लेखापरीक्षा करता है। कैंटीन स्टोर विभाग की, महानियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा भी आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है जिससे कैंटीन स्टोर विभाग के पारदर्शी कार्य में मदद मिलती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैनल

3692. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इसरो द्वारा छोड़े गए 'एजूसेट' उपग्रह का उपयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए खास चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त चैनल के लक्ष्य क्या हैं और कितने क्षेत्र में इसका प्रसारण किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक खास चैनल शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

चेचर में खुदाई

3693. श्री अनंत गुढ़े : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वैशाली जिले में चेचर गांव में स्थित एक स्थल की खुदाई की है और ताम्र पाषाण/नव पाषाण अवधि तथा उससे आगे की अवधि की संस्कृति प्रकाश में लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस स्थल के संरक्षण की योजना बनाई थी किन्तु गंगा नदी के तट के लगातार अपरदन के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण स्थल के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थल का संरक्षण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में जिला वैशाली स्थित चेचर में उत्खनन किया

है। उत्खनन से अनियमित अंतरालों में नव पाषाण काल (लगभग तीसरी सहस्राब्दि ई. पू) से कुषाण तथा गुप्त काल (लगभग छठी शताब्दी ई. पू) के सांस्कृतिक घटनाक्रम प्राप्त हुए हैं। स्थल की सतह पर मध्यकालीन चमकदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थल के संरक्षण का मामला विचाराधीन है।

गाज़ियाबाद के सभी प्लेटफार्मों के नीचे सब-वे का निर्माण

3694. श्री सुब्रत बोस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है और स्टेशन पर सभी तरफ के प्लेटफार्मों का प्रयोग करने वाले यात्रियों के लिए रेल आरक्षण केंद्र की ओर से विजय नगर की तरफ के मुख्य ऊपरिपुल की चौड़ाई काफी कम है;

(ख) क्या इस भीड़भाड़ के परिणामस्वरूप आमतौर पर यात्री विभिन्न प्लेटफार्मों पर जाने के लिए रेल लाइनों को पार करते हैं;

(ग) क्या सरकार गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों के नीचे सब–वे का निर्माण करने पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) गाजियाबाद स्टेशन पर 4.00 मीटर और 6.10 मीटर चौड़े दो ऊपरी पैदल पुल मौजूद हैं जिन्हें यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गाजियाबाद स्टेशन पर मौजूदा यातायात के लिए इस स्टेशन पर मौजूद दो ऊपरी पैदल पुलों को पर्याप्त समझा जाता है।

पेट्रो-रसायन इकाइयां

3695. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पेट्रो–रसायन इकाइयां को फीड स्टाक की आपूर्ति करते समय सरकारी तेल कंपनियां आयात समानता मूल्य निर्धारण तंत्र का पालन करती हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कतिपय उत्पादों पर लगाई गई/शुरू किए गए किसी नए शुल्क/विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) को तेल कंपनियां उपभोक्ताओं पर थोप देती हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि कतिपय दृष्टांतों में अधिसूचना के माध्यम से किसी नए शुल्क/विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी) को हटाया जाता है/कम किया जाता है तो तेल कंपनियां उसे उद्योग (पेट्रो–रसायन उद्योग) को नहीं भेजती हैं और अंततः उद्योग उसे उपभोक्ता पर लाद देते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिनांक 8.1.2004 की अधिसूचना संख्या–6/2004 सीमा शुल्क को उचित रूप से लागू न करने वाली तेल कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या उद्योग को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रो रसायन इकाइयों को फीड स्टॉक के रूप में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रही हैं। तेल विपणन कंपनियां पेट्रो रसायन इकाइयों को नाफ्था तथा पॉलीप्रोपीलेन फीड स्टाकों (पीपीएफएस) की आपूर्ति के लिए आयात समता मूल्य निर्धारण तंत्र प्रणाली को अपनाती हैं। लीनियर अल्काइल बेंजीन (एलएबी) के लिए, उत्पाद विनिर्देशों के आधार पर पारस्परिक रूप से सहमत वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा फीड स्टॉक के रूप में पेट्रो रसायन इकाइयों को आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस का मूल्य अस्थायी मूल्य है जो दिनांक 18 सितम्बर, 1997 के गैस मूल्य निर्धारण आदेश में निर्धारित प्रणाली के अनुसार तिमाही आधार पर निर्धारित ईंधन तेलों के अंतरराष्ट्रीय बास्केट से संबंधित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन द्वारा सी2–सी3 मिश्रित आपूर्ति का मूल्य एफओबी आधार पर प्रोपेन के लिए मासिक सऊदी अरामको संविदा मूल्य पर आधारित होता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) रियायती गैस मूल्य तथा लागू रॉयल्टी और बिक्री करों पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है।

(ख) सरकारी अधिसूचना के अनुसार तेल विपणन कंपनियों द्वारा ग्राहकों को शुल्क और वसूलियां अन्तरित की गई हैं।

(ग) सरकारी अधिसूचना के अनुसार तेल विपणन कंपनियों द्वारा ग्राहकों को शुल्कों में सभी प्रकार की लागू कटौती अन्तरित की गई हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने मंत्रालय को सूचित किया है कि वे सरकारी अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसार तथा पारस्परिक संविदागत करारों के अनुसार लागू सभी रियायतें/कटौतियां प्रदान कर रही हैं। यदि सरकार के ध्यान में कोई उल्लघंन विशेष लाया जाता है, तो उसकी जांच की जाएगी।

गुनुपुर से रायगडा का सर्वेक्षण

3696. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वतट जोन के अंतर्गत गुनुपुर से रायगडा को न जोड़ने वाली रेल लाइन का आरंभिक सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो बड़ी लाइन के उपर्युक्त सर्वेक्षण हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा क्या तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना है और सर्वेक्षण को पूरा करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्तावित बड़ी लाइन का सर्वेक्षण न करने तथा इस बड़ी लाइन को जोड़ने हेतु गुनुपुर रेलवे स्टेशन तक लाइन का विस्तार न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) गुनुपुर से थेरूवली तक (रायगडा–तिललागढ़ खण्ड पर) नौपाड़ा–गुनापुर लाइन के विस्तार के लिए 1997–98 के दौरान सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अनुसार उस समय विद्यमान मूल्य स्तर पर विस्तार की लागत 124.16 करोड़ रु. आकलित की गई थी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो–फॉरवर्ड के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

चेन्नई से उड़ानें

3697. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार चेन्नई अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन से विभिन्न देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त विमानपत्तन से विभिन्न देशों को जाने वाली/आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चेन्नई से कोलंबो, श्रीलंका के लिए एयर इंडिया की कितनी उड़ानें हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारत द्वारा किए गए हवाई सेवाएं करारों के तहत 19 देशों की निर्दिष्ट एयरलाइनों को चैन्नै के लिए प्रचालन करने हेतु ट्रैफिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में 12 विदेशी एयरलाइनें, अपने–अपने देशों से चेन्नै के लिए प्रति सप्ताह कुल 67 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन कर रही हैं। इंडियन एयरलाइन्स चेन्नै से बैंकॉक, कोलंबो, दुबई, फूजेराह, क्वालालम्पुर, कुवैत, मस्कट, रस–अल–ख्यमाह, शारजाह तथा सिंगापुर के लिए प्रचालन कर रही है। एयर इंडिया भी चेन्नै से सिंगापुर, क्वालालम्पुर, कुवैत तथा वापसी के लिए प्रचालन कर रही हैं।

(ग) एयर इंडिया चेन्नै से कोलंबो के लिए प्रचालन कर रही है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चेन्नै और कोलंबो के बीच एक दैनिक उड़ान प्रचालित की जाती है। श्रीलंकन एयरलाइन्स भी इन दो गंतव्यों के बीच प्रति सप्ताह 15 उड़ानें प्रचालित कर रही है।

नई दिल्ली-पांडिचेरी के बीच सीधी रेलगाड़ी

3698. प्रो. एम. रामदास : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली से पांडिचेरी के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि चेन्नई से पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के लिए कोई एक्सप्रेस फास्ट रेलगाड़ी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। बहरहाल, विषुपुरम में 2651/2652 निज़ामुद्दीन–मदुरै तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार) और 2641/2642 निजामुद्दीन–कन्याकुमारी तिरुक्कुराल एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार) के ठहराव की व्यवस्था है जो पांडिचेरी से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 103/104 पैसेंजर, चेन्नै एग्मौर और पांडिचेरी के बीच सीधी सुविधाजनक सेवा उपलब्ध करा रही है। एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा चेन्नै एग्मौर और पांडिचेरी के बीच स्लिप कोच की व्यवस्था के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और उस पर यथाव्यावहारिक एवं औचित्यपूर्ण कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

लेखन सामग्री की खरीद

3699. श्री कैलाश बैठा : क्या **रेल** मंत्री सभी अन्य क्रय प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए एकसमान नीति के बारे में 2.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 415 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखन सामग्री और अन्य मदों की खरीद के मामले में जीएफआर के प्रावधानों में ढील दी है और सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रणाधीन सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों और संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए केवल एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार से ही लेखन साम्रगी और अन्य मदों की खरीद करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा कम कीमत की लेखन सामग्री और अन्य मदों की स्थानीय खरीद एनसीएफ/केंद्रीय भंडार से करने के क्या कारण हैं और लेखन सामग्री और अन्य मदों की स्थानीय खरीद के विषय पर सरकारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत 12 महीनों के दौरान प्रत्येक महीने में एनसीसीएफ से कम कीमत की लेखन सामग्री और अन्य मदों की स्थानीय खरीद का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी

3700. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री अब्दुल्लाकुट्टी :
श्री सुरेश कुरूप :
श्री एस. अजय कुमार :
श्रीमती सी. एस. सुजाता :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा रहा है यद्यपि वे सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों संगठनों के कर्मचारियों की स्थिति विनिर्दिष्ट करें;

(ग) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी प्रसार भारती बनने के बाद प्रचलित अस्पष्टता के कारण इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन मुद्दों के समाधान हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को दिनांक 1.4.2004 से मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के प्रसार भारती को समप्रतिनियुक्ति आधार पर सौंप दिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी कर्मचारियों को प्रसार भारती में उनके औपचारिक अन्तर्लयन होने तक सरकारी कर्मचारी बने रहेंगे। तथापि, सम्पदा निदेशालय ने हाल ही में प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के नए आवंटन को बन्द कर दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उठाए गए मामलों पर सरकार विचार कर रही है। प्रसार भारती स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों हेतु भर्ती नियमों एवं सेवा शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

विज्ञापन उद्योग

3701. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विज्ञापन उद्योग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय के कुल विज्ञापन कारोबार में केंद्र सरकार का विज्ञापन में कुल कितना हिस्सा है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञापन उद्योग की वृद्धि में अपना हिस्सा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) विज्ञापन उद्योग मुख्यतया निजी हाथों में है और विज्ञापन उद्योग तथा भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के एक स्व–विनियामक निकाय भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय विज्ञापन उद्योग के विकास तथा कार्य निष्पादन की मानीटरिंग नहीं करता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय जो एक सरकारी मीडिया संगठन है, का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सरकार की स्कीमों, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों की व्यापक रूप से संभव कवरेज प्राप्त करना है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार

निदेशालय ने वर्ष 2002–2003 में 100.14 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2003–2004 की अवधि के दौरान 159.15 करोड़ रुपए के विज्ञापन जारी किए।

कोंकण कन्या रेलगाड़ी में टिकट उपलब्धता

3702. श्री अलीमाऊ घर्चील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा और मुंबई के बीच चलने वाली कोंकण कन्या रेलगाड़ी के अधिकांश यात्री महाराष्ट्र (रत्नागिरी क्षेत्र तक) के हैं और टिकट उपलब्ध न होने के कारण गोवा के लोग इस रेलगाड़ी का लाभ नहीं उठा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) कोंकण कन्या एक्सप्रेस के लिए पूरे भारत में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) के माध्यम से पर्याप्त संख्या में टिकट उपलब्ध होते हैं और बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के पहले आओ पहले पाओ सेवा के आधार पर गोवा वालों सहित सभी यात्री इस गाड़ी की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।

एम.ई.एस. में सेना के अधिकारियों की तैनाती हेतु नियम

3703. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के अधिकारियों की उनके कार्यकाल के आधार पर एम.ई.एस. में तैनाती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेना के अधिकारियों की एम.ई.एस. में तैनाती हेतु दिशा–निर्देश तैयार न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे व्यापक नियमों/दिशनिर्देशों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सैन्य इंजीनियर सेवा में सैन्य अफसरों की तैनाती सांविधिक नियम और आदेश 19 ई के प्रावधानों के अनुसार की जाती है जिसमें यह व्यवस्था है कि "सैन्य इंजीनियर सेवा में इंजीनियर कोर के अफसर, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर तथा अन्य रैंक और सिविलियन कार्मिक आते हैं" इनकी तैनाती के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) सांविधिक नियम ओदश 19 ई में सैन्य इंजीनियर सेवा में पदों की संख्या और सैन्य अफसरों के पदों का अनुपात या प्रतिशतता विनिर्दिष्ट की गई है।

(ग) सांविधिक नियम और आदेश 19 ई के प्रावधानों के मद्देनजर सैन्य इंजीनियर सेवा में सैन्य अफसरों की तैनाती के लिए कोई दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

रेल नेटवर्क का विस्तार

3704. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल यात्रियों अथवा संसद सदस्यों से रेल नैटवर्क के विस्तार, कुछ रेलगाड़ियों की समयसारणी में परिवर्तन करने और कुल रेलगाड़ियों के नाम झारखंड के कुछ स्तंत्रता सेनानियों आदि के नाम पर रखने के बारे में कोई पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) प्राप्त की गई हरेक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, रेलनेट का विस्तार करने, कुछ रेलगाड़ियों की समयसारणी में परिवर्तन करने और कुछ रेलगाड़ियों के नाम झारखंड के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने के संबंध में हाल ही में प्राप्त कुछ अनुरोध निम्नानुसार है :

मांग	स्थिति
1	2
कोरबा–लोहरदगा नई लाइन का निर्माण	कोरबा–लोहरदगा नई लाइन के लिए सर्वेक्षण वर्ष 2001–02 में किया गया था, सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार 326 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 7.25 प्रतिशत प्रतिफल की दर से 621.67 करोड रुपए आंकी गई है। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

1	2
बरवडीह और चिरीमिरी के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	चिरीमिरी बिशरामपुर पहले से बड़ी लाइन है। बिशरामपुर–अंबिकापुर नई लाइन पहले से ही अनुमोदित कार्य है जो प्रगति पर है। वर्ष 2001–02 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 182 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 4.85 प्रतिशत के प्रतिफल की दर के साथ 406.86 करोड़ आंकी गई है। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
चंदिल–नामकोम के रास्ते टाटा नगर से रांची तक रेल लाइन का निर्माण	रांची से कांद्रा तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। कांद्रा से नामकोम तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य को वर्ष 2004–05 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने पर ही इन प्रस्तावों पर आगे विचार करना संभव होगा।
चतरा–गया लाइन का निर्माण	वर्ष 2004–05 के बजट में सर्वेक्षण कार्य शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने पर ही इस प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।
वनांचल एक्सप्रेस का प्रतिदिन चलना और उसके समय में परिवर्तन करना	अनुरोध की जांच की गई है और परिचालनिक तंगियों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।
विक्रमशिला एक्सप्रेस को साहिबगंज तक चलाना	अनुरोध की जांच की गई है और परिचालनिक तंगियों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।
वनांचल एक्सप्रेस का नाम सिधु कंहू एक्सप्रेस करना	रेलवे की नीति के अनुसार गाड़ियों के नाम व्यक्तियों के नाम पर नहीं रखे जाते हैं।

रेलवे को वित्तीय घाटा

3705. श्री विजय कृष्ण : क्या **रेल** मंत्री 'कोयले की खेप पर अधिभार के भुगतान की वसूली न होना' संबंधी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सं. 2001 का 9 (रेलवे) के पैरा 3.1.5, पृष्ठ 121–123 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे को वित्तीय घाटा पहुंचाने हेतु संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने, जवाबदेही नियत करने तथा दोष सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी 2001 रिपोर्ट सं. 9 (रेलवे) के पैरा 3.1.5 में गुजरात बिजली बोर्ड के पावर हाउस के नाम बुक किए गए कोयले के परेषण पर लगाई गई 8.97 करोड़ रुपए की भुगतान किए जाने वाली अधिभार की राशि की वसूली न किए जाने के बारे में सूचित किया था, गुजरात बिजली बोर्ड ने अधिभार राशि का भुगतान करने से मना कर दिया था। पश्चिम रेलवे द्वारा राशि वसूल कर ली गई है और लेखा परीक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात् की गई कार्रवाई का नोट लोक लेखा समिति को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि रेलवे को कोई घाटा नहीं हुआ। अतः जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है।

मोटर वाले वाहनों का प्रयोग करने वाले निःशक्त व्यक्तियों को पेट्रोल पर राजसहायता

3706. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निःशक्त व्यक्तियों जो मोटर वाले वाहनों के स्वामी हैं, को पेट्रोल/डीजल की खरीद पर राजसहायता का दावा/भुगतान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कैसे लागू किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा उनका और इस योजना के अंतर्गत खर्च की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि राज्य सरकारें इस योजना को इस प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर रही हैं जिससे निःशक्त व्यक्तियों को लाभ हो;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पेट्रोल/डीजल की खरीद के लिए निःशक्त व्यक्तियों को राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई केन्द्रीय योजना प्रचलन में नहीं है।

(ख) से (च) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

एम.ई.एस. अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

3707. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.ई.एस. के अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को एम.ई.एस. के अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज नामक एक प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है जो सैन्य इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बेंगलूर, रुड़की तथा खड़की स्थित तीन प्रशिक्षण केन्द्रों में तथा पांच मुख्य इंजीनियर कमानों में उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पनडुब्बी असंतुलन

3708. श्री मिलिन्द देवरा :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक फ्रांसीसी अगोस्ता-90 बी पनडुब्बी विनिर्माण की क्षमता हासिल करने के फलस्वरूप पनडुब्बी असंतुलन पर चिंता प्रकट की है;

(ख) क्या अमेरिका द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के लिए 8 अन्य पी-3 सी ओरियन विमान तथा 2000 टी ओ डब्लयु-2 ए मिसाइलों सहित बिलियन डालर के हथियार का तोहफा देने से क्षेत्र में और असंतुलन पैदा हो गया है;

(ग) क्या नौसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को भी अपनी चिंताओं की संक्षिप्त जानकारी दी है; और

(घ) यदि हां, तो युद्ध की स्थिति पैदा होने और पनडुब्बी/पानी के अंदर के बेड़े के विनिर्माण और उन्नयन के मामले में चुनौती का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) नौसेनाध्यक्ष ने अपने 1 दिसंम्बर, 2004 के पत्रकार सम्मेलन में कहा कि अपनी पनडुब्बी निर्माण क्षमता की पुनर्स्थापना करना एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। पाकिस्तान को पी-3 सी ओरियन विमान की कथित बिक्री से उसकी नौसेना की क्षमता काफी बढ़ जाने की संभावना है।

सरकार, खतरे की अवधारणा तथा बाह्य सामरिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, पोतों, विमानों तथा उपस्करों को योजनाबद्ध रूप से नौसेना में शामिल करके अपनी क्षमताओं के उन्नयन द्वारा भारतीय नौसेना की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।

अमेरिकी वायु सैनिकों की खोज

3709. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय वायु सेना से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की ओर के हिमालय के ऊपर लापता हुए अमेरिकी वायु-सैनिकों को खोज हेतु सहायता करने का कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुरोध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्षेत्र में लापता हुए अमरीकी विमानचालकों को खोजने में भारत की सहायता लेने से संबंधित है।

(ग) हम अमरीकी दूतावास से कतिपय जानकारियां मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आतंकवादियों की भर्ती

3710. श्री गुरुदास कामत : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने आत्मसमर्पण कर चुके कई आतंकवादियों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आत्मसमर्पण कर चुके इन आतंकवादियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं। आतंकवादियों को नियमित सेना में भरती नहीं किया गया है। तथापि, कुछ आतंकवादियों, जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी अथवा आत्मसमर्पण किया था, उन्हें प्रादेशिक सेना की एक बटालियन में भरती किया गया है जोकि नियमित सैन्य यूनिट नहीं है।

(ग) और (घ) यह भरती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गई थी जिसमें शारीरिक जांच और डाक्टरी परीक्षण भी शामिल हैं।

राज्यों में अनूसूचित जातियों की पहचान करना

3711. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नामासुदरा, पौंडरा और मातो, बंगाली अनुसूचित जातियों की अभी तक उनके अप्रवास और पुर्नवास वाले उनके संबंधित राज्यों में अनुसूचित जातियों के रूप में पहचान नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अनुसार, अनुसूचित जातियों की सूचियां किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में नामासुद्रा, पौंडरा और माझी (मातो नहीं) समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को जातीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, इस मामले में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन प्रस्तावों पर विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करना होता है और अनुसूचित जातियों की सूची में कोई भी संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(2) के उपबंध के मद्देनजर, संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

उन्नयन योजना

3712. श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने 24,000 करोड़ रुपये की उन्नयन योजना पर काम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कार्यों को पूरा करने हेतु समय-सीमा का पालन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, रेलों ने 24,000 करोड़ रुपये के व्यय वाली एक एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना तैयार की है।

(ख) और (ग) एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना 2005-2010 के लिए तैयार की गई है जिसमें कार्यान्वयन की नियत समय सीमा के साथ गतिविधियों की पहचान की गई है। इसमें तीन क्षेत्र शामिल हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

यात्री व्यवसाय क्षेत्र : इसमें नई दिल्ली-चेन्नै और नई दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ियों के चालन, सभी राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में आधुनिकतम तकनीक वाले सवारी डिब्बों को सेवा में लगाने, पूरे देश में यात्री आरक्षण टिकट प्रणाली एवं अनारक्षित टिकट प्रणाली के विस्तार, सवारी डिब्बों में पर्यावरण अनुकूल शौचालयों, सवारी डिब्बों की क्रेशवर्थीनेस तथा अग्निरोधक विशेषताओं के हिसाब से इनमें उन्नत संरक्षा विशेषताओं की संकल्पना की गई है।

माल व्यवसाय क्षेत्र : इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्णीय मार्गों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मालगाड़ियों के चालन, उच्चतर धुरा भार की शुरुआत, चिह्नित मार्गों पर डबल स्टैक कंटेनरों तथा रोल-ऑन-रोल-ऑफ मालडिब्बों, कम वज़न वाले तथा संक्षारण रोधी इस्पात एवं अल्यूमिनियॅम के मालडिब्बों की शुरुआत, टर्मिनल, रेक तथा कर्मीदल प्रबंधन प्रणाली को शामिल करने के लिए यातायात परिचालन प्रबंधन प्रणाली के विस्तार, कुछ अन्य थ्रूपुट संवर्धन कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय रेल

विकास योजना के अंतर्गत चिह्नित कार्यों को पूरा करने की संकल्पना की गई है।

अन्य आधुनिकीकरण पहलकदमियां : इसमें रेलपथ और इसकी अनुरक्षण पद्धतियों का आधुनिकीकरण, पुल प्रबंधन, सिगनल व्यवस्था और दूरसंचार प्रणाली, यांत्रिक एवं बिजली प्रणाली तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल है।

एकीकृत रेल आधुनिकीकरण योजना में चिह्नित मदों के निष्पादन के लिए लगभग कुल 24,000 करोड़ रुपये के व्यय की संकल्पना की गई है। आधुनिकीकरण की योजना में पूर्वचिह्नित कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष धन की समग्र उपलब्धता में से संसाधनों का आवंटन किया जाएगा।

[हिन्दी]

विशेष भर्ती अभियान

3713. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय आदिवासियों की भर्ती हेतु विशेष अभियान चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये अभियान किन स्थानों पर चलाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों में ये विशेष अभियान चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय में ठेके के आधार पर कामगार किराए पर लिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा काम की उपलब्धता के आधार पर लोगों को भर्ती न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में ठेके के आधार पर लोगों को रोजगार देने से मंत्रालय की गोपनीयता खतरे में नहीं पड़ रही है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 5 अगस्त, 2004 के आदेश के अनुसार रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के सिविलियन काडर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियां भरने के लिए मध्य प्रदेश सहित जहां ऐसी रिक्तियां हैं, देश भर में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

सशस्त्र सेनाओं के लिए नियुक्ति तथा चयन कड़ाई से योग्यता के आधार पर किया जाता है। तथा जाति, संप्रदाय, क्षेत्र अथवा वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। तथापि, सेना में भर्ती हेतु अनुसूचित जनजातियों को आकर्षित करने के लिए सुदूरतम क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया जाता है। इसी संबंध में वर्ष 2004 में जबलपुर, मऊ, विदिशा, ग्वालियर, भोपाल में भर्ती मेले आयोजित किए गए हैं तथा इसी तरह के अन्य भर्ती मेले वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए बेतुल, उज्जैन, शिवपुरी तथा सीओनी में आयोजित किए जाने हैं।

तटरक्षक बल भी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चला रहा है। मध्य प्रदेश राज्य, मुंबई स्थित तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पश्चिम) द्वारा कवर किया जाता है।

(ग) से (ङ) रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में कतिपय ऐसे कार्य करने के लिए जो बारहमासी तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति के नहीं होते हैं, करने के लिए संविदागत आधार पर कामगार किराये पर लिए जाते हैं। ऐसे किसी कामगार को काम पर लिए जाने से पहले सभी सुरक्षात्मक एहतियात बरते जाते हैं।

[अनुवाद]

कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

3714. श्री बी. विनोद कुमार : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उनका विस्तार करने में सरकार को क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा राज्य-वार क्या उपलब्धियां हासिल की गईं तथा क्या कार्यकलाप शुरू किए गए;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी अध्यापकों के लिए सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके कार्य तथा उद्देश्य और उपलब्धियां क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) संस्कृति विभाग के पास कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं हैं नामतः-

(i) व्यवसायी समूहों और व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट प्रदर्शनकारी कला परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

(ii) सांस्कृतिक संगठनों को भवन के निर्माण/उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

(iii) जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता

(iv) युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति

(v) उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न संस्थाएं, अकादमियां और आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र कला और संस्कृति के संवर्धन में योगदान कर रहे हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत और संस्थाओं के माध्यम से, बड़ी संख्या में व्यक्तियों और संगठनों को प्रति वर्ष कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) ऐसे 7 आंचलिक केन्द्र हैं, जिनकी स्थापना भारत में लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं :

(i) राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

(ii) प्रलेखन

(iii) गुरु–शिष्य परंपरा

(iv) रंगमंच सुदृढ़ीकरण

(v) प्रतिभाशाली युवा कलाकार

चूंकि केन्द्रों द्वारा समूचे क्षेत्र के लिए कलारूपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यय किया जाता है, इसलिए क्रियाकलापों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं नवम्बर, 2004 तक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम पर हुए व्यय को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

लुप्त हो रहे कला–रूपों का प्रलेखन	किया गया व्यय			
	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	10.00	10.00	शून्य	10.00
दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	10.00	10.00	शून्य	10.00
उत्तर–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	10.00	शून्य	शून्य	10.00
दक्षिण–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	0.7.00	शून्य	शून्य	10.00
पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	06.90	10.00	शून्य	10.00
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	08.69	08.58	शून्य	10.00
उत्तर–पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	10.00	10.00	10.00	10.00
राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	किया गया व्यय			
	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	25.00	35.00	35.00	30.00
दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	25.00	25.00	35.00	30.00
उत्तर–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	25.00	35.00	35.00	30.00
दक्षिण–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	25.00	35.00	29.33	30.00
पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	25.00	35.00	29.34	30.00
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	20.00	35.00	29.33	30.00
उत्तर–पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	25.00	25.00	35.00	50.00

गुरु–शिष्य परंपरा	किया गया व्यय			
	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	शून्य	शून्य	23.52	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	शून्य	शून्य	23.52	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
उत्तर–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	शून्य	शून्य	23.52	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
दक्षिण–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	शून्य	शून्य	23.52	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	शून्य	शून्य	23.52	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	शून्य	शून्य	23.52	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
उत्तर–पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	शून्य	शून्य	23.52	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।

रंगमंच सुदृढ़ीकरण	किया गया व्यय			
	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	शून्य	शून्य	11.00	5.50
दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	शून्य	शून्य	11.00	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
उत्तर–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	शून्य	शून्य	11.00	5.50
दक्षिण–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	शून्य	शून्य	11.00	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	शून्य	शून्य	11.00	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	शून्य	शून्य	11.00	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।
उत्तर–पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	शून्य	शून्य	11.00	धनराशि अभी रिलीज की जानी है।

प्रतिभाशाली युवा लोक–कलाकार	किया गया व्यय			
	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला	शून्य	शून्य	शून्य	2.30
दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	शून्य	शून्य	शून्य	2.30
उत्तर–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	2.30
दक्षिण–मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	शून्य	शून्य	शून्य	2.30
पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	शून्य	शून्य	शून्य	2.30
पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	शून्य	शून्य	शून्य	2.30
उत्तर–पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	शून्य	शून्य	शून्य	2.30

[हिन्दी]

एच.पी.सी.एल. द्वारा स्थापित किए गए पेट्रोल पम्प

3715. श्री ए. एफ. जी. ओसमानी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय सरकारी क्षेत्र की कंपनियां विशेषकर एच.पी.सी.एल. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसी भूमि पर भारी धनराशि खर्च करके पेट्रोल पम्प स्थापित कर रही है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तेल कंपनियों के अधिकारियों का कर्त्तव्य इस बात की पुष्टि करना है कि वह स्थान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लघंन नहीं करता है;

(घ) यदि हां, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा ऐसे स्थलों के पेट्रोल पम्पों को स्वीकृति न दिए जाने के मामले में तेल कंपनियों के अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ये दिशादिर्नेश वर्तमान पेट्रोल पम्पों और पहले से ही अनुमोदित प्रस्तावों के हित को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं; और

(च) यदि हां, तो वर्तमान पेट्रोल पम्पों और स्वीकृत प्रस्ताव को अद्यतन दिशानिर्देशों की परिधि से बाहर रखने हेतु निर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) ने ईंधन केन्द्रों, सेवा केन्द्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों (एन एच एस) हेतु पहुंच के लिए मानक संबंधी दिशानिर्देश अक्टूबर, 2003 में जारी किए थे। तेल विपणन कंपनियों नामतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और आई बी पी कं. लि. ने रिपोर्ट दी है कि वे एम ओ आर टी एच द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों में पेट्रोल पम्प स्थापित करते हैं। तथापि, यदि सरकार के ध्यान में कोई विपथन/उल्लंघन आया हो तो इसकी जांच की जाएगी और समुचित कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) और (च) एम ओ आर टी एच द्वारा ये दिशानिर्देश राजमार्ग प्रयोक्ताओं की सुरक्षा और अबाधित यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जन हित में जारी किए गए हैं विद्यमान पेट्रोल पम्पों के हित में, कि वे किसी भी तरीके से प्रभावित न हों, उन्हें इन दिशानिर्देशों से मुक्त रखा गया है।

[अनुवाद]

ग्रेटर नोएडा में जनशक्ति कांट्रेक्ट

3716. श्री लालमणि प्रसाद : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को 28 जून, 2004 से अब तक ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथोरिटी में विभिन्न श्रेणियों के लिए जनशक्ति करार "मेनपावर कांट्रेक्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज" के संबंध में "आल इंडिया एसोसिएशन फॉर एस.सी./एस.टी. एण्ड फिजीकली हैण्डीकैप्ड पीपल अपलिफ्मेंट" से नोटिस प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा आयोग द्वारा अथारिटी तथा उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए निर्देश सहित इस मुद्दे पर आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) संबद्ध अथोरिटी द्वारा एसोसिएशन की मांग न मानने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सूचित किया है कि "अखिल भारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उत्थान संघ" ने आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए उनसे सम्पर्क किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना के मामले में तथ्यों तथा की गई कारवाई के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से पूछा है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की जरूरत के अनुसार निविदा आमंत्रित किए जाने के माध्यम से एक वर्ष के लिए ठेकेदारों से मांगे जाते हैं।

इस आयोग ने प्राधिकरण की कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

तथापि, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमित रिक्तियों के सम्मुख सीधी भर्ती कि लिए आरक्षण आदेशों का अनुपालन करता है।

[हिन्दी] .

अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्ग के लोग

3717. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है तथा उनके पिछड़ेपन का क्या कारण है;

(ख) इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अल्पसंख्यकों को आरक्षण देते समय इन बिन्दुओं का ध्यान रखेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अल्पसंख्यकों में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है। अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि अभी तक पिछड़े वर्गों की अलग से गणना नहीं की गई है।

(ख) से (घ) सरकार अल्पसंख्यकों के शैक्षिक व आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर ब्यौरा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ उपायों जिनके अंतर्गत शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण भी है, की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। यह आयोग धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के मानदंड निर्धारित करेगा।

[अनुवाद]

भारतीय कबड्डी दल

3718. श्री एम. शिवन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कबड्डी दल ने हाल ही में ईरान को हराकर विश्व कप जीता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का दिल्ली दूरदर्शन अथवा किसी अन्य चैनल पर प्रसारण नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि कबड्डी तथा खो–खो जैसे भारतीय खेलों को भविष्य में दूरदर्शन द्वारा उनकी कवरेज में प्राथमिकता मिले, कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल ने इस मैच का प्रसारण किया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कबड्डी और खो–खो मैचों को प्रसार भारती द्वारा पहले ही प्रसारित किया जा रहा है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाना

3719. श्री दुष्यंत सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने के लिए कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ताप्ती गैस क्षेत्र से गैस का आवंटन

3720. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप्ती गैस क्षेत्र से गैस के आवंटन हेतु अतिरिक्त विकास योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) पिपावव विद्युत परियोजना के लिए 3.65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस के आवंटन हेतु राजस्थान राज्य सरकार के अनुरोध पर सरकार का क्या दृटिकोण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) मध्य–ताप्ती क्षेत्र के लिए अतिरिक्त विकास योजना (जिसे विकास की नई संशोधित योजना या एन आर पी ओ डी कहा जाता है) अपेक्षित अनुमोदन के लिए प्रबंध समिति (एम सी) को संविदाकार द्वारा अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) ताप्ती क्षेत्र से एक बार अतिरिक्त गैस उपलब्ध होने पर पीपावव विद्युत परियोजना के लिए 2.25 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) का आवंटन "सिद्धांत रूप में" किया गया था। तथापि, परियोजना विकासकर्ताओं को संबंधित बाजार मूल्यों पर संबंधित संयुक्त उद्यम/गेल के साथ गैस की मांग निर्धारित करनी है।

अनारक्षित कोचों/कम्पार्टमेंटों में अनधिकृत रूप से सीटों को घेर लेना

3721. श्री डी. विट्टल राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक एक्सप्रेस तथा सुपर–फास्ट रेलगाड़ियों में दो या तीन कोचों/कम्पार्टमेंटों को आम यात्रियों के लिए अनारक्षित बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कोच/कम्पार्टमेंट में अवांछित लोगों द्वारा किसी आरक्षण प्राधिकार के बलपूर्वक सीटों को घेर लिया जाता है तथा ये लोग उस कम्पार्टमेंट/कोच में आम यात्रियों को आने नहीं देते;

(ग) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों में ऐसे अवांछित लोगों द्वारा आम यात्रियों से दुर्व्यवहार के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में कार्यवाही करने हेतु तथा आम यत्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलगाड़ियों में और अधिक अनारक्षित कोच/कम्पार्टमेंट लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगेज–कम–सामान्य श्रेणी के दो सवारी डिब्बों के अलावा सामान्य श्रेणी के कम से कम दो सवारी डिब्बे उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करती है जो एक सतत प्रक्रिया है और इसमें सामान्य श्रेणी के डिब्बों की संख्या में वृद्धि भी शामिल है जो यातायात के पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है बहरहाल अनारक्षित यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) अनारक्षित सवारी डिब्बों में चढ़ने वाले यात्रियों की कतारों को आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक और रेल सुरक्षा बल (आर पी एफ) द्वारा राजकीय रेल पुलिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है।

(2) अनारक्षित सवारी डिब्बों को यार्ड में लॉक कर प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। प्लेटफॉर्म पर दरवाजों को खोला जाता है और लाइन में प्रतीक्षारत अनारक्षित यात्रियों को अनारक्षित सवारी डिब्बों में नियमित किया जाता है।

(3) इन उपायों की निगरानी खासकर अवकाश के दिनों और व्यस्त अवधि में दौरान की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

3722. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती करूणा शुक्ला :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र के हिस्से की स्वीकृति हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को केन्द्र के हिस्से के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त धनराशि के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल ओवर ब्रिज

3723. श्री सर्वानन्द सोनोवाल :
डा. अरूण कुमार शर्मा :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क (बोगीबील) पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कार्य की प्रगति धीमी गति से हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क के उन्नयन हेतु कोई कार्यक्रम मौजूद है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील में रेल एवं सड़क पुल के निर्माण कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001–02, 2002–03, 2003–04 के दौरान बजट परिव्यय क्रमश : 14.89 करोड़, 40 करोड़ रुपए तथा 60 करोड़ रुपए था।

(ख) से (घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा रहा है। 1767 करोड़ रुपए की कुल लागत में से, रेलों का हिस्सा 1109 करोड़ रुपए है तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा 658.4 करोड़ रुपए है। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने हिस्से की लागत का धन उपलब्ध करवाया जाना बाकी है। इस समय, भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य तथा पत्थर इकट्ठे करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है। उत्तरी किनारे, पुल के लिए सेवा संपर्क सड़क पर निर्माण कार्य प्रगति पर है लेकिन बाढ़ से नष्ट सामान्य तटबंधों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण काम रुका हुआ है। गाइड बंधों सहित मुख्य पुल की उपसरंचना के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।

(ङ) और (च) असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए फिलहाल नई लाइन और आमान परिवर्तन संबंधी 11 चालू परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा किए जाने पर बड़े आमान की लगभग 1724 कि.मी. लाइन हो जाएगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसरण में रेलों द्वारा इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धन निर्धारित किया गया है। हाल ही में, कुमारघाट–अगरतला नई लाइन और लमडिंग–सिलचर–जिरीबाम आमान परिवर्तन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि सामान्य बजटीय सहायता से अधिक अतिरिक्त धन प्रदान किया जाएगा ताकि इन परियोजनाओं को क्रमशः मार्च, 2007 और मार्च, 2009 तक पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

नई रेल सेवाओं से संबंधित लंबित प्रस्ताव

3724. श्री धनसिंह रावत :
श्री महावीर भगोरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास नई रेल सेवाओं को शुरू किए जाने से संबंधित लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने भी इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई रेल सेवा शुरू किए जाने हेतु क्या मानदण्ड बनाए गए हैं और राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन किस आधार पर नहीं किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2004–05 के दौरान, प्रस्तावित 19 जोड़ी गाड़ियां अभी भी चलाई जानी हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार ने चित्तौड़गढ़–उदयपुर खंड के बड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाने के बाद बड़ी लाइन पर जयपुर–उदयपुर लेक सिटी एक्सप्रेस चलाने का अनुरोध किया है।

(घ) यातायात पैटर्न परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर नई गाड़ियां चलाई जाती हैं। आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो जाने के बाद बड़ी लाइन पर जयपुर–उदयपुर लेक सिटी एक्सप्रेस चलाने पर विचार किया जा सकता है।

असम में तेल और गैस भण्डार

3725. श्री मोहन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने असम में तेल तथा गैस भण्डार वाले कुछ और क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र–वार मात्रा कितनी है; और

(ग) कब तक इनसे तेल निकाला जाना शुरू किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप हमारे तेल तथा गैस भण्डार में किस सीमा तक बढ़ोत्तरी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) का असम–अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में 27 प्रतिशत का हिस्सा है, जहां प्रीमियर ऑयल प्रचालक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लोअर असम कछार में एक अन्य क्षेत्र में अन्वेषण कार्यों में 35 प्रतिशत हिस्से के साथ भागीदारी के लिए उसी फर्म के साथ एक करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, यह आईओसीएल के भागीदारी हित को सौंपने के लिए सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करता है। ये दोनों ब्लाक अन्वेषण चरण में हैं और पेट्रोलियम की उपलब्धता का पता केवल अन्वेषी कूपों के वेधन के बाद ही लगेगा।

(ग) इन क्षेत्रों से उत्पादन, साथ ही साथ देश के तेल और गैस भण्डारों में वृद्धि, यदि कोई होती है, तो यह अन्वेषण के परिणामों पर निर्भर करेगा और यदि सफल खोज होती है, तो क्षेत्र से वाणिज्यिक उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

[अनुवाद]

आइजोल में आकाशवाणी का ट्रांसमीटर

3726. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की शिकायतें मिली हैं कि मिजोरम में आकाशवाणी आइजोल के ट्रांसमीटर कम शक्ति वाले हैं तथा सुदूर एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग आकाशवाणी द्वारा प्रसारित बुलेटिन/कार्यक्रम सुन नहीं पाते हैं;

(ख) क्या यह भी शिकायत है कि सुदूर तथा दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास आकाशवाणी के कार्यक्रमों को न सुन पाने के कारण रेडियो रंगून/डीएसीसीए को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मिजोरम के 59.56 प्रतिशत क्षेत्र और 73.27 प्रतिशत आबादी को इस समय मी.वे. और एफ एम रेडियो सिगनलों द्वारा तकनीकी रूप से कवर किया जाता है। तथापि, आकाशवाणी, आइजोल स्थित 10 कि.वा. शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर के शॉर्ट वेव सिगनल तकनीकी रूप से समस्त राज्य में उपलब्ध हैं।

(घ) मिजोरम में रेडियो कवरेज को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर विशेष पैकेज (चरण–II) जिसे अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है, के अन्तर्गत तीन नए रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ये स्टेशन हैं :

चंफाई	—	1/5 कि.वा. एफ एम
तुईपांग	—	1/5 कि.वा. एफ एम
कोलासिब	—	1/5 कि.वा. एफ एम

उपरोक्त पूर्वोत्तर विशेष पैकेज (चरण–II) के अन्तर्गत मिजोरम में 10 अल्पशक्ति एफ एम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी आइजोल में स्टीरियो सुविधा सहित एक 6 कि.वा. एफ एम ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार है और इसे चालू करने हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण स्टाफ की संस्वीकृति प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम

3727. श्री मुन्शी राम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा का प्रचार करने के लिए सायं 7 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तकनीकी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को शामिल करने पर भी विचार कर रही है;

(ग) दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण का वर्तमान समय तथा समय अवधि क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों के प्रसारण समय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी डी ज्ञान दर्शन चैनल पहले ही प्रतिदिन 24 घंटे शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि डी डी ज्ञान दर्शन

अपने एकलव्य नामक चैनल के जरिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। यह चैनल 24 घंटे का उपग्रह चैनल है और यह 8 घंटे की अवधि के लिए अभियांत्रिकी और विज्ञान की भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान संकायों द्वारा दिए गए व्याख्यानों को प्रसारित करता है तथा इच्छुक व्यक्तियों को उनकी सुविधानुसार इन कार्यक्रमों को देखने के लिए इन्हें दिन में दो बार पुनः प्रसारित करता है।

(ग) दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमों की सूची निम्न प्रकार से है :

डी डी-1 (नेशनल) पर :

प्रातः 5.30 बजे से प्रातः 6.00 बजे : (प्रतिदिन)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम

प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 6.30 बजे : (प्रतिदिन)

इग्नू के कार्यक्रम

प्रातः 9.30 बजे से 10.00 बजे : (सोमवार से शुक्रवार)

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे : (सोमवार से शुक्रवार)

शैक्षिक ई टी वी कार्यक्रम

क्षेत्रीय सेवा पर :

क्षेत्रीय केन्द्र राज्य के केन्द्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं।

डी डी-भारती पर :

प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे : हैल्थलाइन–सोमवार से मंगलवार

प्रातः 8.00 बजे से 9.00 बजे : हैल्थलाइन–बुधवार से रविवार

उपरोक्त कार्यक्रमों को शिक्षा संप्रेषण एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय द्वारा निर्मित किया जाता है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस स्थिति में प्रसारण समय में बढ़ोत्तरी करने की परिकल्पना नहीं है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में टिकट आरक्षण केन्द्र

3728. श्री सुरेश चन्देल :
प्रो. चन्द्र कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जिला मुख्यालयों के सभी रेल टिकट आरक्षण केन्द्रों को कंप्यूटरीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। मौजूदा यात्री आरक्षण संबंधी नीति के अनुसार, कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा रेल शीर्ष एवं गैर रेल शीर्ष सभी जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। गैर रेल शीर्ष वाले जिला मुख्यालय के मामले में, जिला प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि मुहैया कराई जानी अपेक्षित है।

कांगड़ा जिले के जिला मुख्यालय धर्मशाला में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा पहले से ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कुल्लू में इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की मंजूरी दे दी है और हिमाचल प्रदेश जिला प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जैसे ही निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी उसके बाद कुल्लू में आरक्षण सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

केरल में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण

3729. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल्लम शेनकोट्टाह (विरुदुनगर) में अवनीश्वरम रेलवे स्टेशन के निकट अवनीश्वरम में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है तथा क्या इसके लिए केरल सरकार ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संदेहात्मक पोतों की तलाशी लेना

3730. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों को आने वाले संदेहात्मक पोतों

की तलाशी लेने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक रणनीति बनाने का विचार है, जैसा कि 1 दिसंबर, 2004 के 'स्टेट्समेन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

3731. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई पत्तन संपर्क परियोजनाएं और "ब्रॉड गेज रेलवे कनेक्शन" शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष के लिए बड़ी आमान की नई लाइनों सहित पत्तन/भीतरी क्षेत्र संपर्क परियोजनाओं का उनके परिव्यय सहित ब्यौरा नीचे दी गई तालिका के अनुसार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	योजना शीर्ष	संबंधित राज्य	कि.मी.	प्रत्याशित लागत	मार्च 2004 तक व्यय	परिव्यय 2004–05 (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पनवेल–जेएनपीटी	दोहरीकरण	महाराष्ट्र	28.5	53.25	3.63	25.00
2.	पनवेल–करजत	नई लाइन	महाराष्ट्र	28	137.44	113.82	5.00
3.	रजतगढ़–नारगुंडी	दोहरीकरण	उड़ीसा	28	82.87	81.6	1.00
4.	नारंगुंडी–कटक–रघुनाथपुर	दोहरीकरण	उड़ीसा	43	160	131.25	15.00
5.	रहामा–पारादीप	दोहरीकरण	उड़ीसा	23	63.47	57.68	11.90
6.	हरिदासपुर–पारादीप	नई लाइन	उड़ीसा	82	301.64	24.1	6.00
7.	बांसपानी–दैतारी	नई लाइन	उड़ीसा	155	590.60	446.52	83.00
8.	हसन–मंगलौर	आमान परिवर्तन	कर्नाटक	236	357.11	271.67	0.01
9.	सुरेंद्र नगर–पीपावाव	आमान परिवर्तन	गुजरात	385	527.4	165.38	10.27
10.	सलेम–कुड्डालोर	आमान परिवर्तन	तमिलनाडु	191	261	40.7	25.00
11.	कुड्डालोर के रास्ते तंजावुर–विषुपुरम	आमान परिवर्तन	तमिलनाडु	192	231.00	49.89	15.00
12.	गांधीधाम–पालनपुर	आमान परिवर्तन	गुजरात	313	344.63	80.52	13.00
13.	पांसकुड़ा–हल्दिया : चरण । (पासंकुड़ा–राजगोडा)	दोहरीकरण	पश्चिम बंगाल	16	26.02	0.91	10.00
14.	होसपेट–गुंतकल	दोहरीकरण	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	115	154.14	82.21	63.00
15.	बरौनी–तिलरथ	दोहरीकरण	बिहार	14	15.37	0	12.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	भिलडी–समदड़ी	आमान परिवर्तन	राजस्थान, गुजरात	223	244.74	2.86	20.00
17.	मानसी–सहरसा–पूर्णिया	आमान परिवर्तन	बिहार	142	210.51	80.02	20.00
18.	दिल्ली–रेवाड़ी (फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद का वास्तविक आशोधन)	आमान परिवर्तन	दिल्ली, हरियाणा	83	621.86	493.79	7.74

(ग) उपरोक्त दर्शाई गई परियोजनाएं राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एनआरवीआई) का एक हिस्सा है जिसे 2002–03 में शुरू किया गया और 5 वर्षों की समयावधि में पूरा करने की योजना बनाई गई।

[हिन्दी]

सोनपुर-दीघा रेल पुल

3732. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना के निकट गंगा नदी पर सोनपुर–दीघा रेल पुल मुंगेर में गंगा नदी पर तथा निर्मली–भाप्तिहाई में कोशी नदी पर भी एक रेल पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति दी है।

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के लिए अलग–अलग रूप से किए गए आकलन, बजटीय प्रावधान, आवंटन तथा किए गए खर्च की स्थिति क्या है;

(ग) अब तक निर्माण कार्य की क्या प्रगति है; और

(ध) उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 2004–05 के दौरान बजटीय आवंटन, परियोजनाओं के संबंध में 31.3.2004 तक किया गया खर्च, वर्तमान स्थिति और परियोजना के पूरे होने की संभावना लक्ष्य तिथि के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :

परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2004 तक किया गया अनुमानित खर्च (करोड़ रु. में)	2004–05 के दौरान मुहैया करवाया गया परिव्यय (करोड़ रु. में)	अनुमान की स्थिति और पूरा होने की लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई है, सहित वर्तमान स्थिति
1. संपर्क लाइनों सहित पटना–गंगा पुल	624.47	116.26	50.00	विस्तृत अनुमान की स्वीकृति दे दी गई है। भूमि अधिग्रहण एवं मिट्टी का कार्य और नींव संबंधी कार्य प्रगति पर है। खेली रोड पर ऊपरी सड़क पुल का कार्य प्रगति पर है। 2007–2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह कार्य राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अन्तर्गत है।
2. गंगा नदी पर मुंगेर रेल एवं सड़क पुल (14 कि.मी.)	921.00	22.50	30.00	विस्तृत जांच–पड़ताल सहित अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। उप–संरचना कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अन्तर्गत आती है।
3. कोसी पुल (21.85 कि.मी.)	232.41	0.71	10.00	आंशिक विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। पहुंच मार्गों में मिट्टी के काम और छोटे पुलों का निविदाओं संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। भू–तकनीकी अन्वेषण, पुल के विस्तृत डिजाइन तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए एकल निविदा मैसर्स राइट्स को दे दी गई है। तिलजुगा पुल के लिए भू अन्वेषण संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। यह कार्य राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अन्तर्गत आता है।

जोधपुर विमानपत्तन पर एयरबसों के उतरने की सुविधाएं

3733. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर विमानपत्तन पर एयरबसों के उतरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जोधपुर हवाई अड्डा भारतीय वायु सेवा (रक्षा मंत्रालय) का है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहां एक सिविल एन्क्लेव का रखरखाव किया जाता है जिसमें यात्री टर्मिनल भवन, एप्रन, लिंक टैक्सी–वे, कार पार्क इत्यादि शामिल हैं। एयरबस जैसे विमानों के प्रचालन के लिए वर्तमान समान्तर टैक्सी–वे तथा दो लिंक टैक्सी–वे को चौड़ा करके एक नए लिंक टैक्सी–वे का निर्माण करना अपेक्षित है। रक्षा मंत्रालय ने इन कार्यों के लिए अगस्त, 2004 में अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसके लिए विस्तृत इंजीनियरिंग तथा निविदा संबंधी कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि यह कार्य अगले वित्त वर्ष अर्थात 2005–06 की पहली तिमाही में प्रारंभ हो जाएगा और कार्य सौंपने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा हो जाएगा। एयरबस के प्रचालन के लिए अपेक्षित डीवीओआर/डीएमई जैसी नेवीगेशन आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ में परामर्शदात्री समिति

3734. श्री अजीत जोगी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुषंगी इकाइयों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में कार्यरत केन्द्र सरकार के सभी लोक उद्यमों में 'संयंत्र इकाई परामर्शदात्री समिति' गठित की गई है;

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात कौन–कौन सी तिथियों को सरकारी उद्यम आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड की संयंत्र इकाई परामर्शदात्री समिति की बैठकें हुईं; और

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड की कितनी अनुषंगी इकाइयां स्थापित की गई हैं और ऐसी इकाइयां कौन–कौन सी हैं और उन्हें वर्षवार कितनी धनराशि का क्रयादेश दिया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद कोई 'संयंत्र परामर्शदात्री समिति' गठित नहीं की गई है।

(ख) आई.बी.पी. ने पहले मौजूद 'संयंत्र परामर्शदात्री समिति' (पीएसी) के साथ जनवरी, 2005 के दौरान बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) हाल के वर्षों में कोई अनुषंगी इकाई स्थापित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

घरेलू क्षेत्र में कार्गो सेवाएं

3735. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू क्षेत्र में कार्गो सेवाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानन क्षेत्र में हाल ही में प्रवेश करने वाली निजी विमान कंपनी किंगफिशर एयरलाइन्स घरेलू सेवाएं आरंभ करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर घरेलू सेक्टर में कार्गो सेवा प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस को निर्धारित शर्तों का अनुपालन किए जाने के आधार पर दिनांक 23.11.2004 से नियमित विमान परिवहन सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

[हिन्दी]

कलपुर्जों के मूल्य

3736. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने टैंकों, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों के कलपुर्जों के मूल्य में वृद्धि कर दी है जैसा कि दिनांक 1 दिसंबर, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा सौदों के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितनी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रक्षा संबंधी कलपुर्जों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार का ध्यान पहली दिसंबर, 2004 के राष्ट्रीय सहारा में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) से (ङ) सैन्य उपस्कर के मूल्य को अंतिम रूप, प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किए जाने के बाद, विधिवत् रूप से गठित मूल्य वार्ता समिति द्वारा बातचीत के बाद दिया जाता है।

[अनुवाद]

मछली पकड़ने वाली नावों के लिए पर्याप्त मिट्टी का तेल

3737. श्री पी. करूणाकरन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब मछुआरों के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल देने संबंधी कदम उठाए हैं ताकि वे अपनी मछली पकड़ने वाली नावों को प्रयुक्त कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गरीब मछुआरों को कम मूल्य पर मिट्टी का तेल उपलब्ध करा के उनकी सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाना पकाने और प्रकाश करने के उद्देश्यों के लिए मिट्टी तेल का आवंटन करती है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए कोई अलग आवंटन नहीं होता है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मिट्टी तेल के समग्र आवंटन के भीतर मात्स्यिकी क्षेत्र की अपेक्षाएं समायोजित करनी होती हैं। तथापि, गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल बाजार मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं

3738. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने सैनिक कल्याण बोर्ड हैं और उनका कार्यकरण क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितनी सचल और अचल कैंटीनें चल रही हैं;

(घ) कितने राज्यों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ङ) सरकार ने ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक) : (क) 30 सितम्बर, 2004 तक की स्थिति के अनुसार राज्य सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 18,94,962 है। राज्यवार सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) प्रत्येक राज्य में एक–एक राज्य सैनिक बोर्ड/सैनिक कल्याण विभाग है जो भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर, पर इन राज्य सैनिक बोर्डों के अधीन जिला सैनिक बोर्ड होते हैं। कुल मिलाकर 32 राज्य सैनिक बोर्ड और 340 जिला सैनिक बोर्ड हैं।

राज्य सैनिक बोर्डों के कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) चल एवं अचल कैंटीनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

किसी भी बचे हुए क्षेत्र को कवर करने के लिए समय–समय पर सुधार किए जाते हैं। दूर–दराज के इलाकों को चल कैंटीनों के द्वारा कवर किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67022

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	284
3.	असम	26755
4.	बिहार	55890
5.	छत्तीसगढ़	3951
6.	गोवा	1772
7.	गुजरात	18131
8.	हिमाचल प्रदेश	91502
9.	हरियाणा	198716
10.	जम्मू–कश्मीर	61663
11.	झारखंड	15983
12.	कर्नाटक	57435
13.	केरल	144440
14.	मध्य प्रदेश	33695
15.	महाराष्ट्र	157996
16.	मणिपुर	4312
17.	मेघालय	2043
18.	मिज़ोरम	4376
19.	नगालैंड	2246
20.	उड़ीसा	22904
21.	पंजाब	245763
22.	राजस्थान	128978
23.	सिक्किम	1144
24.	तमिलनाडु	114895
25.	त्रिपुरा	1981
26.	उत्तर प्रदेश	221619
27.	उत्तरांचल	114496
28.	पश्चिम बंगाल	51775
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	591
30.	चंडीगढ़	7429
31.	दिल्ली	33772
32.	पांडिचेरी	1403
	कुल	1894962

टिप्पणी : अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

राज्य सैनिक बोर्डों के कार्य

1. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सैनिक कल्याण विभाग/राज्य सैनिक बोर्ड निम्नलिखित कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं :

(क) राज्य में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के कार्य का समन्वय करना।

(ख) राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार और भर्ती नियमों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए रिक्तियों का पता लगाने के वास्ते राज्य के उपक्रमों और उद्यमों तथा बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना, इस तरह की रिक्तियों की मानीटरिंग करना और यह सुनिश्चित करना कि इन रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों अथवा विधवाओं को ही भर्ती किया गया है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र सेनाओं के सेवारत/दिवगंत कार्मिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास हेतु उपायों को प्रोत्साहित करना।

(घ) देश में सशस्त्र सेनाओं के बारे में जन–साधारण में जानकारी का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता के बीच सशस्त्र सेनाओं के प्रति रुचि बढ़ाना।

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों और अनुदेशों के अनुसार राज्य में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की देख–रेख करना।

(च) महानिदेशक/पुनर्वास/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना।

(छ) राज्य के राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के स्थापना–व्यय के लिए 50 प्रतिशत प्रभारों

का दावा करने के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ज) भूतपूर्व सैनिकों, निशक्त भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा रखना।

(झ) पुनर्वास महानिदेशालय/केंद्रीय सैनिक बोर्ड को रिपोर्टों और विवरणियों को समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना।

(ञ) मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक और राज्य के गवर्नर की अध्यक्षता में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की बैठक आयोजित करना।

(ट) भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के वास्ते निजी क्षेत्र में रोजगार अवसरों का पता लगाना और उनकी मानीटरिंग करना।

(ठ) स्व–रोजगार के अवसरों की योजना बनाने और धन–व्यवस्था करने में भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं की सहायता करना।

(ड) वर्ष भर तक सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष संग्रह के लिए अभियान चलाना।

(ढ) भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों का सृजन करना।

विवरण-III

चल एवं अचल कैंटीनों का राज्यवार ब्यौरा (1.7.2003 तक)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थैतिक कैंटीन	सचल कैंटीन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	140	
अंडमान और निकोबार	17	
अरूणाचल प्रदेश	27	
असम	245	06
बिहार	08	
छत्तीसगढ़	01	05
दिल्ली	120	
गोवा	04	
गुजरात	88	01
हरियाणा	209	
हिमाचल प्रदेश	05	32
जम्मू–कश्मीर	684	24
झारखंड	55	
कर्नाटक	85	01
केरल	27	
मध्य प्रदेश	108	09
महाराष्ट्र	209	16
मणिपुर	32	
मिजोरम	08	
नागालैंड	132	01
उड़ीसा	05	
पंजाब	426	
राजस्थान	261	02
तमिलनाडु	73	
त्रिपुरा	10	04
उत्तरांचल	09	08
उत्तर प्रदेश	474	22
पश्चिम बंगाल	206	

रेल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

3739. योगी आदित्यनाथ :
श्री वाई.जी. महाजन
श्री उदय सिंह :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कई परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं तथा किस सीमा तक ये निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के बिना समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई रणनीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) चालू रेल परियोजनाएं वर्ष दर वर्ष धन राशि की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं। चालू रेल परियोजनाओं की लागत में विभिन्न कारणों से, जैसे कि निर्माण एवं प्रौद्योगिकी के मानकों में अंतर एवं निर्माण कार्यों के क्षेत्र, मुद्रास्फीति आदि के कारण वृद्धि हो रही है। भारी थ्रोफारवर्ड और निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण वे परियोजनाएं जो पूरी नहीं हो पाईं, में भी समय के साथ वृद्धि हुई है। परियोजना को आरंभ करते समय उपयुक्त निधियों का आश्वासन न होने के कारण इसमें लगने वाले समय और लागत का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए गैर बजटीय साधनों को जुटाने लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनता/निजी भागीदारी राज्य सरकारों के साथ लागत हिस्सेदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, रक्षा मंत्रालय नेशनल रेल विकास योजना एवं उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला नई लाइन को भी सामान्य रेल योजना की अतिरिक्त निधियों के रूप में पोषित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। अंतरिम बजट 2004–05 में दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना भी घोषित की गई है जिसमें नई लाइन पर पांच वर्ष में 20,000 करोड़ रु. का निवेश शामिल है और आमान परिवर्तन परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक हितों को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। बहरहाल, योजना के लिए निधियां अभी जुटाई जानी हैं, इन सारे उपायों के साथ चालू परियोजनाओं को लगभग पांच वर्षों की अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं से राहत प्रदान करने की नई योजना

3740. श्री तूफानी सरोज :
श्री राजेश कुमार मांझी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानवीय चूकों के कारण प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से तुरंत राहत प्रदान करने के लिए एक नई योजना अर्थात् ' एमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन' योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन में हिस्सेदारी

3741. श्री मधु गौड यास्खी :
श्री के. एस. राव :
श्री अबदुल्लाकुट्टी
श्री सुरेश अंगड़ि :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन एटलांटिक ने मौजूदा "इण्डियन केरियर्स" में हिस्सेदारी लेने अथवा नयी एयरलाइन में निवेश करने में रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार को मौजूदा भारतीय विमान कंपनियों में लगी हिस्सेदारी को लेने अथवा कोई नई विमान कंपनी लांच करने में निवेश करने के विषय में प्राइवेट ब्रिटिश एयरलाइन–वर्जिन एटलांटिक से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइन्स के लिए जोखिम बीमा कवर

3742. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को गत वर्ष भुगतान की गयी प्रीमियम राशि पर 12 प्रतिशत की आकर्षक छूट पर हाल ही में जोखिम बीमा कवर प्रदान किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या ताइवान की चाइना एयरलाइन्स को भी यह जोखिम कवर उस समय प्राप्त हुआ जब यह इंडियन एयरलाइन्स ने प्राप्त किया था और क्या ताइवान की चाइना एयरलाइन्स पिछले वर्ष दिए गए प्रीमियम पर 30 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने में सफल रही;

(ग) क्या गत दो वर्षों से इंडियन एयरलाइन्स का दुर्घटना मुक्त रिकार्ड रहा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से कारणों से अधिक छूट की बातचीत नहीं की जा सकी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वर्ष 2004–05 के लिए किए गए प्रीमियम भुगतान में 18.67 प्रतिशत की कमी हुई है।

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) गत दो बीमा वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किसी प्रमुख दुर्घटना का दावा नहीं किया गया है। बीमा प्रीमियम की दरें दुर्घटनाओं के रिकार्ड के अतिरिक्त बाजार की क्षमता, समग्र बाजार दावों, अनुभव इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं।

सीमा/नियंत्रण रेखा पर छुटपुट घटनाएं

3743. श्री पी. सी. थामस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के साथ कितनी छुटपुट घटनाएं हुईं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के कितने सैनिक मारे गए/घायल हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादियों ने घुसपैठ की; और

(घ) सरकार ने सीमा/नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाये?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) गत छः माह के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के साथ कोई छुटपुट घटना नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत छः महीनों के दौरान 200 से अधिक आतंकवादियों के जम्मू व कश्मीर में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने का अनुमान है।

(घ) पाकिस्तान से लगी सीमा पर युद्ध विराम जारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा पर शांति बनी रहे, संयुक्त वार्ता के तहत विश्वास बढ़ाने संबंधी उपायों सहित सभी संभव उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

जबलपुर जोन में हार्ड स्टोन के स्थान पर सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल

3744. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जाने के अंतर्गत बीना–कटनी खंड में कठोर पत्थर कंकरीट के स्थान पर मुलायम पत्थर कंकरीट की आपूर्ति हो रही है और इसी का इस्तेमाल हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंकरीट निर्माण संबंधी नियमों का उल्लघंन करते हुए मशीन से तोड़े गए कंकरीट के स्थान पर हाथ से तोड़े गए कंकरीट का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ग) उन ठेकेदारों से डूबी हुई राशि की वसूली न करने के क्या कारण हैं जिनके स्टॉकों को अस्वीकार कर दिया गया था;

(घ) क्या रेल स्पेसिफिकेशन संख्या 101 का पालन किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो बीना–कटनी रेल खंड में रेल लाइन के कंकरीट की गुणवत्ता की जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। पश्चिम मध्य रेलवे के बीना–कटनी खंड में सॉफ्ट स्टोन गिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रिकॉर्ड के अनुसार, गिट्टियों के स्टैक को अस्वीकार नहीं किया गया था, अतः ठेकेदारों से "डैड रेंट" वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) से (च) रेलपथ की गिट्टी के लिए अद्यतन विशिष्टयों का पालन किया जा रहा है। तदनुसार रेलपथ गिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाती है और विशिष्टियों में निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

नेपाल तेल निगम के साथ सौदा

3745. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरंकार ने पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु नेपाल तेल निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इंडियन ऑयल

कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन (एनओसी) के साथ आईओसी के रक्सौल डिपो से एनओसी के आमलेखगंज डिपो तक पाइपलाइन बिछाने के लिए दिनांक 9 सितम्बर, 2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईओसी और एनओसी ने इस परियोजना को चालू करने के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन करने के लिए संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया है। यह प्रस्तावित है कि 1.1 मि.मी.टी.प्र. वर्ष डिजाइन क्षमता वाली यह पाइपलाइन पेट्रोल, डीजल व मिट्टी तेल का परिवहन करेगी। इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों का प्राकृतिक सौंदर्यवर्धन

3746. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों का प्राकृतिक सौंदर्यवर्धन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव से कौन–कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। रेलों के पास रेलवे स्टेशनों का प्राकृतिक सौंदर्यवर्धन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, रेलों ने 319 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन में विकसित करने के लिए चुना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यों पर विचार किया गया है :

- उन्नत संकेत पटों के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करना तथा राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली की व्यवस्था।
- गाड़ी संकेत बोर्डों की व्यवस्था।
- स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों की व्यवस्था।
- पर्याप्त फर्नीचर, लाइन में खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ–साथ बेहतर काउंटरों की व्यवस्था करके प्रतीक्षालयों/बुकिंग कार्यालयों में सुधार करना।
- मॉडयूलर खानपान स्टालों की व्यवस्था।
- बेहतर सरकूलेटिंग क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान के साथ–साथ बेहतर रोशनी की व्यवस्था।
- "पे एंड यूज़ शौचालयों" की व्यवस्था।
- सार्वजनिक टेलीफोन और इंटरनेट की व्यवस्था।

61 स्टेशनों पर कार्य पूरा हो गया है।

(ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों के नजरिये में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मौजूदा यात्रियों को यात्रा के दौरान वही सुख–साधन का स्तर चाहिए जो उन्हें अपने घरों/कार्य–स्थलों में उपलब्ध है। मॉडल स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने से यात्रियों की सुख–साधनों के स्तर में वृद्धि होगी और यह स्तर यात्री सुविधाओं की मदों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने से प्राप्त होगा।

महिला चिकित्सकों की भर्ती

3747. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में भर्ती होने की इच्छुक महिलाओं की बढ़ती संख्या के कारण सेना में अधिक महिला चिकित्सकों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेना में महिला चिकित्सकों की अधिक संख्या में भर्ती करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आवश्यकता के मद्देनजर सेना चिकित्सा कोर में महिला चिकित्सा अफसरों की अपेक्षित संख्या में भर्ती नियमित रूप से की जाती है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

3748. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चल रही नई परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अभी तक परियोजना–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से चल रही

तेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क), (ख) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बहरहाल, चालू परियोजनाओं पर निधियों के आवंटन में वृद्धि करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

विशेष राज्य के लिए निधियों का आवंटन पारदर्शी नीति पर आधारित होता है। तदनुसार, धन का आवंटन राज्य में विभिन्न परियोजनाओं में निधियों की समग्र उपलब्धता और नीति के आधार पर किया गया है। रेलों द्वारा अतिरिक्त धन की आवश्यकता बजटीय समीक्षा में तैयार की जाती है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाती है।

विवरण

(क), (ख) और (ङ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। चालू परियोजनाएं और उन पर किए गए खर्च, वर्तमान स्थिति तथा निर्धारित लक्ष्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	चालू परियोजनाओं के ब्यौरे	कि.मी.	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2004 तक का व्यय	2004–05 के दौरान परिव्यय	परियोजना की वर्तमान स्थिति और पूरा होने की संभावित तिथि, जहां भी निर्धारित हो
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइनें						
1.	अहमदनगर–बीद–परली वेजनाथ	250	353.08	11.75	20	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर दिया गया है। 15 कि. मी. की लंबाई में भूमि अधिग्रहण (अहमदनगर–नारयणदोह खंड) पूरा कर लिया गया है, जहां मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
2.	अमरावती–नरखेड़	138	284.27	107.17	16.49	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, छोटे और बड़े पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। अमरावती से चंदुर बाजार (44 कि. मी.) तक के खंड को 2004–05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3.	बारामती–लोनंद	54	138.48	6.62	4	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। लोनंद–फलटोन (27 कि.मी.) के लिए भूमि संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं। मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि भूमि उपलब्ध नहीं है। पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
4.	पनवेल–करजत	28	137.96	113.82	5	कार्य पूरा हो गया है। इसे अभी यातायात के लिए खोला जाना है।
5.	पुनतंबा–शिरडी	16.6	48.78	13.15	8.92	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कर लिया है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। छोटे 9 पुलों में से 7 पुल पूरे हो गए हैं।
आमान परिवर्तन						
1.	अकोला–पूर्णा	210	244.5	19.39	20	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	बालाघाट–कटंगी सहित जबलपुर–गोंदिया	285	511.86	96.44	38.06	गोंदिया–बालाघाट (42 कि.मी.) खंड पर सभी प्रारम्भिक कार्य पूरे हो गए हैं। मैगा ब्लाक का कार्य शुरू हो गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। गोंदिया–बालाघाट (41 कि.मी.) खंड को 2004–05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3.	मिराज–लातूर	374	515.57	192.78	2.5	कार्य को चरणों में पूरा किया जा रहा है। कुरडूबाड़ी से पंधरपुर (52 कि.मी.) और लातूर से लातूर रोड (33 कि.मी.) तक पूरा कर लिया है। कुरडूबाड़ी–लातूर खंड में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। 'रोजगार गांरटी योजना' के तहत राज्य सरकार द्वारा इस खंड में गिट्टी बिछाई जा रही है किंतु प्रगति बहुत धीमी है। मिराज–पंधरपुर के बीच कार्य शुरू हो गया है।
4.	मुदखेड़–आदिलाबाद	167	199.06	59.85	30	निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। आदिलाबाद–किनवत (45 कि.मी.) हाल ही में पूरा हो गया है।
5.	सिकंदराबाद–मुदखेड़ और जनखमपेट–बोधन	269	287.83	206.38	2.5	मुदखेड़–धर्माबाद–निज़माबाद, बोलारम–मनोहराबाद और जनखमपेट से बोधन का पहले ही आमान परिवर्तन हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। मनोहराबाद–निज़माबाद (118 कि.मी.) के बीच आमान परिवर्तन के कार्य को 2004–05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
6.	सोलापुर (होटगी.–गदग)	300	276	200.38	15	सोलापुर से बीजापुर (110 कि.मी.) तक का खंड पूरा हो गया है। बीजापुर–बागलकोट (93 कि.मी.) को 2004–05 में पूरा करने का लक्ष्य है। बहरहाल, केवल बीजापुर–बसववाना बागेवाड़ी (45 कि.मी.) के दौरान 2004–05 के दौरान पूरा होने की संभावना है। क्योंकि राज्य सरकार ने अपने हिस्से की लागत रेलों को अदा नहीं की है।
दोहरीकरण						
1.	दीवा–कल्याण	11	48.06	28.37	9	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
2.	पकनी–मोहोल	17	42.73	15.00	10	विस्तृत अनुमान तैयार कर लिया गया है। रेल विकास निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है।
3.	पकनी–सोलापुर	16.28	38.52	6.09	2.5	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
4.	पनवेल–जसई–जे.एन.पी.टी	28.5	53.23	20.50	2.5	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
महानगर परिवहन परियोजनाएं						
1.	बैलापुर–पनवेल पूर्व–पश्चिम गलियारे के भाग के रूप में दैनिक यातायात की दोहरी लाइन का दोहरीकरण	10.9	92.50	85.88	0.50	दोहरी लाइन शुरू हो गई है और दैनिक यातायात के लिए 14.04.2000 को खोल दी गई थी। शहर और औद्योगिक विकास निगम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शेष कार्य प्रगति पर हैं।

1	2	3	4	5	6	7
2.	बेलापुर–सीवुड–उरान विद्युतीकृत दोहरी लाइन	22.3	163.49	44.39	8	कार्य प्रगति पर है। सीआईडीसीओ संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना को कम प्राथमिकता दे रहा है।
3.	मुंबई शहरी यातायात परियोजना (एमयूटीपी)	108.8	3125.2	646.78	232.97	विभिन्न छोटे कार्य प्रगति पर हैं।
4.	न्यू मुंबई में गलियारे सं. 1 के भाग थाणे–तुर्भे नेरुल/वाशी	22.5	131.47	95.14	3	चरण–I, थाणे–तुर्भे–वाशी (18.50 कि.मी.) 09.11.04 को शुरू कर दिया गया है। चरण–II को शेष कार्य प्रगति पर है।
5.	थाणे–मुबरा–दीवा 5वीं और 6वीं लाइन	9.42	86.87	1.20	5.01	सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हाल ही में अनुमोदित।

वे परियोजनाएं जो पूरी हो गई हैं किंतु बजट में शेष कार्य में दिखाई गई हैं और वित्तीय समायोजन ऊपर नहीं दर्शाए गए हैं।

महाराष्ट्र में चालू सर्वेक्षणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	परियोजनाओ का नाम	कि.मी.
1.	शिरपुर–महोव नई लाइन	185
2.	सोलापुर–तुलजापुर–उस्मानाबाद नई लाइन	60
3.	चिंचवाड़–रोहा नई लाइन	95
4.	अचलपुर–मूर्तजापुर–यवतमाल, पुलगांव–अरवी आमान परिवर्तन	225
5.	लातूर रोड़–मुदखेड़ नई लाइन	120
6.	पुणे–मिरज–कोल्हापुर दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना	326

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश के लिए छोटे विमान

3749. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नागर विमानन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विमानन टर्बाइनों पर बिक्री कर को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ किये गये विकास कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में छोटे विमान चलाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश में हवाईअड्डों पर किए गए विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं :

1. **हैदराबाद :** हवाईपट्टी को 9080 फुट से बढ़ाकर 10600 फुट तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण करना।
2. **विशाखापट्नम :** बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए 10,000 फुट लम्बी नई हवाईपट्टी का निर्माण तथा सहायक सुविधाएं जुटाया जाना।
3. **तिरुपति :** 1998 में बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया गया।
4. **विजयवाड़ा :** बी–737–200 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए हवाई पट्टी को सुदृढ़ किया गया तथा 450 फुट × 75 फुट के परिमाप वाले एक लिंक टैक्सी पथ सहित 350 फुट × 250 फुट के माप के एक नए एप्रन का निर्माण किया गया।
5. **राजामुन्दरी :** एटीआर–72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए हवाईपट्टी को सुदृढ़ किया गया तथा टैक्सी ट्रैक तथा एप्रन के निर्माण का कार्य अप्रैल, 2002 में पूरा किया गया।

(ग) और (घ) राजामुन्दरी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति के लिए छोटे विमान से प्रचालन कार्य शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इंडियन एयरलाइन्स विशाखापट्टनम और तिरुपति के लिए/से विमान सेवाएं प्रदान करती है, जबकि एयर डेक्कन ने हैदराबाद–विजयवाड़ा, हैदराबाद–

विशाखापट्टनम तथा हैदराबाद–तिरुपति सैक्टरों में उड़ानें आरंभ की हैं।

इसके अलावा, देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर नियमन की दृष्टि से, सरकार ने मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक लाभकारिता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। अतः, सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन की शर्त पर, एयरलाइनें देश में किसी भी स्थान पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) की संपत्ति के सदुपयोग के लिए नीति

3750. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सरकारी उद्देश्यों के लिए सरकार को अपनी संपत्ति (हैंगर, भूमि आदि) के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के लिए क्या नीति है;

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बैरक और हैंगर के किराये के आकलन की क्या प्रक्रिया है और क्या गैर–वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उनके निःशुल्क उपयोग की अनुमति प्रदान करने में कोई दिक्कत है;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विमानन निदेशालय के बैरक और हैंगर के किराये को माफ करने का अनुरोध करते हुए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अनुसूचित प्रचालकों, अन्य प्रचालकों तथा अनुमोदित अनुरक्षण एजेंसियों, जिनमें नई एजेंसियां भी शामिल हैं, को प्राथमिकता देते हुए हैंगर के लिए भूमि का आवंटन, भूमि उपलब्ध होने पर, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।

(ख) ऐसे हैंगरों तथा बैरक्स के लिए किराए का निर्धारण, निर्माण लागत तथा उपलब्ध करवाई जाने वाली/सम्बद्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के आधार पर किया जाता है तथा आवधिक आधार पर इसमें संशोधन किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार की अनुदान संहिता के अनुसार प्रत्येक सुविधा/सेवा पर प्रभार लगाना होता है। अतएव, इन कठिनाइयों के कारण ऐसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल तथा इन्दौर हवाईअड्डों पर विमान तथा ग्लाईडर के हैंगर शुल्क को समाप्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है। इस मामले में कारवाई की जा रही है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3751. श्रीमती अनुराधा चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जीर्ण–शीर्ण रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) इन क्षेत्रों में कितने प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं और कितने छोटे जंक्शन हैं; और

(ग) वर्ष 2003 के दौरान इस क्षेत्र में, विशेषकर घाना भवन में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में कोई जीर्ण–शीर्ण रेलवे स्टेशन नहीं हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में 834 स्टेशन हैं, इनमें मुख्य रेलवे स्टेशन तथा छोटे जंक्शन स्टेशन शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण तथा अनुरक्षण पर 1496.10 लाख रु. की निधि व्यय की गई। घाना भवन नाम का कोई स्टेशन नहीं है। बहरहाल, घाना भवन नाम का स्टेशन उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर मौजूद है। 2003–04 के दौरान घाना भवन रेलवे स्टेशन के रखरखाव पर 0.25 लाख रु. व्यय किए गए।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

3752. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेल लाइनों के दोहरीकरण के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन थे;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य सरकार से सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लाइनों में से किसी रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए धनराशि मंजूर की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) परिचालनिक आवश्यकता और साधनों की उपलब्धता के अध्यधीन लाइन क्षमता के सृतंत्प हो जाने पर किसी खंड के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया जाता है।

(ख) हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार से दोहरीकरण का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

3753. श्री उदय सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राजधानी के कुछ हिस्सों में पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्रों तथा ल्यूटियन जोन में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा गैस आपूर्ति नहीं की जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्रों तथा ल्यूटियन जोन के निवासियों को पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में की जा रही है :

गोल्फ लिंक, सुजान सिंह पार्क, सुन्दरनगर, काका नगर, बापा नगर, पंडारा पार्क, पंडारा रोड़, लोधी काम्पलैक्स, लोधी कालोनी, सरोजिनी नगर, नैरोजी नगर, प्रगति विहार, मोहम्मदपुर, भारत नगर, फ्रैण्ड्स कालोनी, न्यू फ्रैण्ड्स कालोनी, ईश्वर नगर, कालिंदी कालोनी, खान मार्किट, महारानी बाग, जोर बाग, एशियाड विलेज, सुखदेव विहार, सरिता विहार, जाकिर बाग, पन्त नगर, निजामुद्दीन पूर्व और पश्चिम, जंगपुरा एक्सटेंशन जंगपुरा, डिप्लोमैटिक एन्कलेव, इन्द्रप्रस्थ, एस्टेट, इन्द्रप्रस्थ, एस्टेट एक्सटेंशन, नीति बाग, गुलमोहर पार्क, मयूर विहार फेज–1, रोहिणी सैक्टर–9, 13 और 14, आर के पुरम सैक्टर 1 से 5 और 7, वसंत कुंज पॉकेट सी–6/7 और 9।

(ग) जी, नहीं। नई दिल्ली नगरपालिका (एनडीएमसी) में आने वाले क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एन डी एम सी क्षेत्रों सहित दिल्ली के विभिन्न भागों में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार कार्य एक चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है और यह कार्य भावी ग्राहकों से मांग/प्रत्युत्तर तथा सी पी डब्ल्यू डी की सलाह (सरकारी कालोनियों के लिए) तकनीकी व्यवहार्यता, भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों से पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए अनुमति पर निर्भर करता है। पीएनजी नेटवर्क का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है।

मंत्रालय द्वारा पत्रों के उत्तर देना

3754. श्री इलियास आजमी :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पत्रों के उत्तर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिए गए;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि छह माह की अवधि के बीत जाने के पश्चात भी बहुत से पत्रों के उत्तर नहीं दिए गए हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायमी राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1.11.2003 से 30.11.2004 की अवधि के दौरान संसद सदस्यों से 2232 पत्र प्राप्त किए और 1668 पत्रों का उत्तर दिया। यह मंत्रालय माननीय संसद सदस्यों/अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों को उच्च प्राथमिकता देता है। ऐसे पत्रों के यथेष्ट उत्तर के लिए कई बार अन्य संगठनों से विस्तृत जानकारी एकत्र

करना अपेक्षित होता है। तथापि, ऐसे 47 पत्रों का उत्तर छः माह का समय बीत जाने के बाद भी नहीं दिया जा सका। ऐसे पत्रों का उत्तर देने की व्यवस्थाओं की समीक्षा मंत्री द्वारा की गई है और उत्तर देने की प्रणाली को न केवल नवीकृत किया गया है किन्तु यथेष्ट उत्तर तत्काल देने के लिए ई–मेल आधार पर भी डाला गया है ताकि अन्तिम उत्तर देने में तेजी आ सके।

[अनुवाद]

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

3755. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री वर्ष 2001 (रेलवे) की नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट सं. 9 के पृष्ठ सं. 37 से 58 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंद घोषित 44 मार्शलिंग यार्ड्स को संचालनाधीन पाया गया था और यदि हां, तो इन्हें किन परिस्थितियों के अन्तर्गत संचालनाधीन पाया गया था;

(ख) क्या 53 यार्ड्स में 3621.84 करोड़ रुपए के कुल घाटे में से 1686.03 करोड़ रुपए का घाटा 15 मार्शलिंग यार्ड्स के कारण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो मार्शलिंग यार्ड्स के कार्यकरण की समीक्षा नहीं करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) माल यातायात के संचलन के लिए ब्लॉक रेक की शुरुआत और वैल्यूम ब्रेक स्टॉक को उत्तरोत्तर समाप्त करने से माल यातायात के संचलन के पैटर्न में बदलाव आया है। परिणामस्वरूप मार्शलिंग यार्डों में किए जाने के लिए अपेक्षित विन्यास की प्राथमिक गतिविधियों की मात्रा में कमी आई है और जिनका माल परिचालनों की अनिश्चितताओं और गतिशीलता के कारण विशिष्ट यार्डों के लिए अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। बहरहाल, बहुत सी अन्य गतिविधियां जो मार्शलिंग यार्ड में अभी की जानी अपेक्षित हैं, समाप्त नहीं हुई हैं। ऐसी अन्य गतिविधियां नीचे दी गई हैं :

(i) थ्रू गाड़ियां लेना।

(ii) इंजन और चालक दल बदलना।

(iii) रेकों में सवारी और माल डिब्बों की संख्या की नोटिंग।

(iv) सवारी और माल डिब्बा जांच।

(v) ब्रेक पावर री–बेलिडेशन।

(vi) खराब माल डिब्बे को हटाना/मरम्मत करना।

(vii) भार का समायोजन जहां आवश्यक हो।

(viii) खाली माल डिब्बों का प्रावधान जब कभी अपेक्षित हो।

(ix) स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न पाइंटों पर माल डिब्बे रखना और हटाना।

इससे स्पष्ट होता है कि पहचाने गए 80 यार्डों में से केवल 36 यार्ड ही क्यों बंद किए जा सके और शेष 44 मार्शलिंग यार्ड कार्य कर रहे हैं।

(ख) "हानि" संबंधी आंकड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित माल डिब्बा रूकौनी के लिए लक्ष्य समय को ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं। जहां कहीं लक्ष्य समय उपलब्ध नहीं हो, वहां सीमापवर्ती यार्डों के लक्ष्य समय को ध्यान में रखा गया है। मार्शलिंग यार्डों में लक्ष्य समय से अधिक माल डिब्बों की रूकौनी को रेलों की हुई हानि के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

माल परिचालन एक गतिशील प्रक्रिया है जहां यातायात की मांग पूरी करने के लिए अवसंरचना परिसंपत्तियां और जनशक्ति जुटानी होती हैं। यातायात की मांग और स्वरूप बहुत ही असमान प्रकृति का होता है। ऐसी बहुत सी स्थितियां आएंगी जब यातायात के लिए मांग की कमी के कारण अवसंरचना निष्क्रिय रह जाएगी जबकि दूसरी ओर स्थिति पूरी तरह से विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार, माल परिचालन का वातावरण एक ऐसी आदर्श स्थिति से बहुत दूर है जिसमें अवसंरचना, एकदम सही, आदर्श तरीके से यातायात की मांग को पूरा करती है।

रेल प्रशासन द्वारा लक्ष्य सामान्यतः संपूर्ण प्रशासन की गहन तरीके से काम में जुटे रहने के माध्यम से उत्पादकता अधिकतम करने के दृष्टिगत कठिन स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। वास्तविक निष्पादन के लक्ष्य निष्पादन से कम होने का मतलब हानि होना नहीं है, यदि लक्ष्य कम स्तर पर निर्धारित होते हैं तो संभावित हानि जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, न्यूनतम होगी या शून्य भी हो सकती है। लेकिन इससे प्रणाली में कुशलता और उत्पादकता स्तर बढ़ाने का उद्देश्य अप्रभावी हो जाएगा। लक्ष्य से अधिक रूकौनी रेल इंजनों की कमी, मार्ग में भीड़–भाड़ के कारण पथ की अनुपलब्धता, दुर्घटनाओं या अन्य अस्तव्यस्तता जैसे कारणों से हो सकती है। ऐसे कारणों से रूकौनी अपरिहार्य होती है और इसे हानि नहीं कहा जा सकता है।

(ग) जैसाकि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है मार्शलिंग यार्डों की निष्पादन समीक्षा करना सतत प्रक्रिया है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल पिछले कुछ समय से 36 यार्ड बंद कर सकी है और माल डिब्बा रुकौनियों को भी कम कर सकी है।

भारत उदय अभियान पर खर्च

3756. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्रीमती प्रतिभा सिंह :
प्रो. चन्द्र कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न माध्यमों से भारत उदय अभियान पर सरकार ने कुल कितना खर्च किया तथा जनवरी–फरवरी 2004 में सरकार के कुल विज्ञापन खर्च में से इसकी प्रतिशतता कितनी थी;

(ख) क्या डी.ए.वी.पी. के अतिरिक्त किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से विज्ञापन दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो इसमें खर्च राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को भारत उदय अभियान पर हुए खर्च के संबंध में विभिन्न वर्गों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एलाइंस एयर को राज-सहायता तथा प्रोत्साहन

3757. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलायंस एयर को पूर्वोत्तर में एटीआर विमान के प्रचालन के लिए कितनी राज–सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान किया गया तथा राज–सहायता के स्रोत क्या हैं;

(ख) क्या यह आवश्यक है कि एयरलाइन के लिए गुवाहाटी को पूर्वोत्तर के लिए एक क्षेत्रीय हब बनाया जाए तथा पूर्वोत्तर के युवकों को समानुपातिक रोजगार तथा किराये में रियायत उपलब्ध करायी जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी राज–सहायता देने के उद्देश्य क्या हैं तथा इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) उत्तर पूर्व विकास विभाग ने एलायंस एयर को लीज पर लिए गए एटीआर विमान की सहायता से विशेष रूप से उत्तर–पूर्व में अपनी विमान सेवाओं का प्रचालन करने के लिए प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपए का बजट अनुदान देने की सहमति प्रदान की है।

(ख) से (घ) एलायंस एयर तथा उत्तर–पूर्व विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्र में एलायंस एयर द्वारा उत्तर–पूर्व क्षेत्र में स्थित हवाईअड्डों की कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी को प्रमुख ऑपरेशनल बेस बनाने पर बल दिया गया है। तदनुसार, 28 जुलाई, 2004 से गुवाहाटी में एक एटीआर विमान को सेवा में लगा दिया गया है, जिससे उत्तर–पूर्व से/के लिए तथा उत्तर–पूर्व के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। किसी क्षेत्र विशेष को रोजगार/रियायती किराए देने का प्रावधान सहमति पत्र में नहीं है। अनुदान प्रदान करने का उद्देश्य उत्तर–पूर्व क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। एटीआर विमान को सेवा में लगाने के बाद इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर ने उत्तर–पूर्व मार्ग पर प्रति सप्ताह 1954 सीटें बढ़ाई हैं। इसके अतिरिक्त, इन मार्गों पर इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर के किराए शेष भारत के ऐसे ही सैक्टरों के किरायों की तुलना में प्रत्येक दृष्टि से कम हैं।

लंबित रेल परियोजनाएं

3758. श्री मदल लाल शर्मा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू एवं कश्मीर में लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित तिथि से ऐसी परियोजनाओं को पूरा होने में किस सीमा तक देरी हुई; और

(ग) जम्मू एवं कश्मीर में रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) लंबित परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिन्हें पूर्व अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त किए बिना बजट में शामिल किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में ऐसी कोई लंबित परियोजना नहीं है। संभवतः माननीय संसद सदस्य का आशय जम्मू एवं कश्मीर में चालू परियोजनाओं से है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आंशिक/पूर्ण रूप से आने वाली चालू परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई कि.मी. में	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2004 तक किया गया खर्च	परिव्यय	स्थिति
1.	जालंधर–जम्मूतवी दोहरीकरण	202	408.69 करोड़ रु.	95.42 करोड़ रु.	33.97 करोड़ रु.	कार्य चल रहा है तथा तीन खंडों यथा सुचीपिंड–भोगपुर–सिरवाल (26 कि.मी.), मुकेरिया–मीरथल (18 कि.मी.) तथा भरौली–माधोपुर–पंजाब (13 कि.मी.) पर कार्य 2004–05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला नई लाइन	287	5000.00 करोड़ रु.	1286.43 करोड़ रु.	700.00 करोड़ रु.	कार्य चरणों में शुरू किया गया है तथा प्रगति निम्नानुसार है : (i) **उधमपुरा-कटरा (कि.मी. 0-25)** : मिट्टी संबंधी कार्य, सुरंग बनाने के कार्य तथा बड़े/छोटे पुलों के कार्य प्रगति पर हैं। (ii) **कटरा-काजीगुंड (कि.मी. 25-167)** : कि.मी. 25–30 के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा सुरंग बनाने का काम चल रहा है कि.मी. 30–167 के लिए भूमि अधिग्रहण, विस्तृत निर्माण सर्वेक्षण प्रगति पर है। कि.मी. 30–50 के बीच सुरंग बनाने का काम प्रगति पर है जहां भूमि उपलब्ध करा दी गई है। (iii) **काजीगुंड-बारामूला (कि.मी. 167-287)** : मिट्टी, पुल संबंधी कार्य आदि प्रगति पर हैं।

(ख) जालंधर–जम्मूतवी के दोहरीकरण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2007–08 तक पूरा हो जाने की संभावना है। उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला नई लाइन का कार्य एक वर्ष अथवा अधिक विलंब हो जाने की संभावना है।

(ग) उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला नई लाइन के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया की जा रही है। भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने तथा रेलवे को ऋणभार मुक्त भूमि सौंपने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। परियोजना संरेखण पर सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने के भी प्रयास किए गए हैं।

[हिन्दी]

एनसीसी के 'सी' सर्टीफिकेट धारकों को रोजगार

3759. श्री सूरज सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी सेवाओं में तथा गैर–सरकारी संस्थाओं में एनसीसी के 'सी' सर्टीफिकेट धारकों को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या योजना बनाई है;

(ग) क्या सरकार 'सी' सर्टीफिकेट धारकों को आंतरिक सुरक्षा बलों में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार एन सी सी के 'सी' प्रमाण–पत्र धारकों को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आरक्षण तथा अर्ध–सैन्य संगठनों में अंकों में तरजीह प्रदान करती है। तथापि, रक्षा मंत्रालय के पास अन्य सरकारी सेवाओं में तथा गैर–सरकारी संगठनों में प्राथमिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्क्रैप सामग्री की नीलामी

3760. श्री अनवर हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलगंज के निकट गंगाधर नदी पर बने रेल पुल के लिए पहुंच मार्ग बाढ़ में बह गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने पुल की स्क्रैप सामग्री की नीलामी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नीलामी बिक्री को धुबरी सिविल न्यायालय द्वारा अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया गया था;

(घ) क्या न्यायालय ने रेल तथा सड़क सेवा दोनों को बहाल एवं विकास करने का निर्देश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करेगी तथा नई मोइनागुड़ी–गोगीघुपा रेल के निर्माणधीन कार्य के दौरान ही उस पुल का पुनः निर्माण करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) स्वतंत्रता से पूर्व गोलगंज और बामनहाट को जोड़ने वाली रेल लाइन पर गंगाधर नदी के ऊपर रेलवे पुल था। स्वतंत्रता के बाद, पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) के रास्ते यह संपर्क बंद कर दिया गया था। बाद में, गंगाधर नदी के ऊपर का रेलवे पुल बाढ़ आने से बह गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस विषय पर सिविल न्यायालय, धुबरी के न्यायिक निर्णय की एक प्रति हाल ही में इस मंत्रालय में प्राप्त की हुई है। रेल लाइन का पुराना संरेखण जिस पर प्रश्नगत पुल मौजूद था को बंद कर दिया गया है जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है। बहरहाल, नई मोइनागुड़ी को जोगीघोपा स्टेशन के साथ जोड़ने वाली नई लाइन पर गंगाधर नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाना है और इस पर कार्य चल रहा है। यह पुल पूर्णतः रेलवे पुल होगा। जहां तक निर्माण किया जाता है और इस पर कार्य चल रहा है। यह पुल पूर्णतः रेलवे पुल होगा जहां तक सड़क पुल के निर्माण का संबंध है, यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है।

रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनः रोजगार

3761. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेल उपक्रमों को सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु तक पुनः रोजगार में लिए जाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल उपक्रमों में परामर्शदाता/सलाहकार के रूप में पुनः रोजगार में लिए गए कर्मचारीवृंदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रोजगार देने के बजाय बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) दिशा–निर्देशों के अनुसार, अधिवर्षिता प्राप्त अधिकारियों को पुनः रोजगार की अनुमति केवल अपवाद मामलों में दी जाती है जब विशेषज्ञ और अनुभवी तुरंत उपलब्ध न हो या पर्याप्त रूप से उपलब्ध न हो। गैर–तकनीकी/गैर व्यावसायिक कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में भी पुनः रोजगार की अनुमति प्रदान की जाती है। जब कोई परियोजना अभी बीच में हो और सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञ को वापिस बुलाने से परियोजना के पूरा होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों (पीएसयू) द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि नई परियोजनाओं में केवल उन अधिकारियों की तैनाती की जाए जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी पर्याप्त समय हो ताकि परियोजना पूरी करने के लिए पुनः रोजगार की आवश्यकता ही न पड़े। पीएसयू में पुनः रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों के निदेशक मंडल के अनुमोदन से दिया जा सकता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की केवल विशेष कार्य जैसे परामर्शदाता/सलाहकार के लिए नियुक्ति की जा सकती है। परामर्शदाता की नियुक्ति विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यकता आधारित होनी चाहिए और विशेष अवधि के लिए की जानी चाहिए। परामर्शदाताओं को कंपनियों का नियमित कार्य करने की अनुमति नहीं है। परामर्शदाता ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई वित्तीय वचनबद्धता देनी पड़े या जिसमें कंपनी के बाध्य होने की संभावना हो। परामर्शदाता कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित पैनल से ही लिए जाते हैं। केवल वही व्यक्ति परामर्शदाता/सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं जिन पर सतर्कता को कोई मामला न हो।

(ग) रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज (राइट्स), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकान), कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कॉनकोर), मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड (एमआरवीसी), रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईसीआईआर), भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड

(आईआरसीटीसी), रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) और भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) नामक नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में पुनः रोजगार दिए गए/पुनः नियुक्त किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

पीएसयू का नाम	पुनः रोजगार दिया गया	पुनः नियुक्त किया गया	कुल
राइट्स	24	167	191
इरकॉन	1	7	8
कॉनकोर	–	119	119
एमआरवीसी	–	15	15
आरसीआईएल	–	28	28
आईआरसीटीसी	–	43	43
आरवीएनएल	–	7	7
केआरसीएल	–	20	20
आईआरएफसी	–	–	कोई नहीं

(घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति अपवाद मामलों में की जा रही है जब उस कार्य के लिए इसकी आवश्यकता हो और ये नियुक्तियां छोटी अवधि के लिए की जाती हैं। इन आवश्यकताओं को बेरोजगार युवकों को नौकरी देकर पूरा नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

विदेशों में प्रसार भारती पत्रकार

3762. श्री संजय धोत्रे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रसार भारती के लिए विदेशों में कार्य कर रहे संवाददाताओं को वापस बुलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां संवाददाता अभी भी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन देशों में इस समय आकाशवाणी के पत्रकार कार्य कर रहे हैं उनके नाम अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पत्रकारों पर 4,65,72,716 रुपये की कुल राशि खर्च की गयी।

[अनुवाद]

स्टार तथा टाटा सन्स के वित्त पोषण तथा निवेश के स्रोत

3763. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 10 करोड़ रुपये की शुल्क स्वीकार करने के बाद डीटीएच आवेदन के स्टार तथा टाटा सन्स के संयुक्त उद्यम के वित्त पोषण और निवेश के स्रोत की जांच कर रही है;

(ख) क्या जी टीवी मामले में समान प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो स्टार तथा टाटा सन्स के संयुक्त उद्यम प्रस्ताव की वित्तीय संवीक्षा तथा वित्त पोषण एवं अन्य निवेश के कारण क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) डी टी एच दिशा–निर्देशों की अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स स्पेस टी वी (टाटा–स्टार का संयुक्त उद्यम) से परियोजना के वित्त–पोषण और प्रबंध नियंत्रण की प्रकृति के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

(ख) इस मंत्रालय ने मैसर्स ए एस सी इन्टरप्राइजेस लि. को निधियों के स्रोतों, विदेशी निवेश, शेयरधारकों के करार आदि सहित डी टी एच दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके आवेदनों की विस्तृत जांच करने के पश्चात् डी टी एच लाइसेंस प्रदान किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल में एथनाल की मिलावट

3764. श्री संतोष गंगवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल एथनाल की मिलावट अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मिलावट अभी भी की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पेट्रोल में एथनाल की मिलावट करने के संबंध में निर्णय बदल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) जी, हां। तथापि, उचित मूल्यों पर निरन्तर एथेनोल के स्रोतीकरण में लगातार आ रही कठिनाइयों के कारण दिनांक 27.10.2004 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 705 (ङ) जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार जब तक एथेनोल के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक और उचित हैं और एथेनोल की आपूर्ति पर्याप्त है, तब तक तेल विपणन कंपनियों को इन्हें सांविधिक रूप से उठाना होता है और अधिसूचित क्षेत्रों में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करनी होती है। जो क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, वे हैं गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश (चित्तूर और नेल्लोर के अलावा सभी जिले), तमिलनाडु (केवल कोयम्बतूर डिंडीगल, इरोड, कन्याकुमारी, नीलगिरी रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन ओर विरुधुनगर जिले) राज्य और चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र।

तेल विपणन कंपनियों ने दिनांक 27.10.2004 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एथेनोल प्राप्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

3765. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सैनिकों को हटाये जाने के पश्चात वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके पश्चात् कितनी घटनाएं घटी हैं;

(ग) सैनिकों को हटाये जाने के पश्चात् कितने आतंकवादी मारे गए/गिरफ्तार किए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 17 नवंबर, 2004 से 15 दिसंबर, 2004 तक सैन्य टुकड़ियों की वापसी शुरू होने के बाद से आतंकवादियों द्वारा की गई 58 घटनाएं हुई हैं तथा 25 आतंकवादी मारे गए हैं और 7 आतंकवादी पकड़े गए हैं।

(घ) से (च) सुरक्षा संबंधी स्थिति बदलती रहती है तथा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सुरक्षा संबंधी मामलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा सभी संभावित संक्रियात्मक आकस्मिकताओं से निपटाने के लिए योजनाएं मौजूद हैं।

[अनुवाद]

महाप्रबंधकों के रिक्त पद

3766. श्री एल. राजगोपाल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से रेलवे में महाप्रबंधक के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पड़े पदों की जोन-वार संख्या कितनी है;

(ग) इसके कारण क्या हैं; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में महाप्रबंधकों के पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) पूर्व पदधारियों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण रेलों पर महाप्रबंधकों के कुछ पद खाली हो गए थे। बहरहाल, इन रेलवे जोन्स में महाप्रबंधकों की नियुक्ति करके सभी खाली पद भर लिए गए हैं।

स्वतः प्रमाणन दर्जा

3767. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपनी आयुध निर्माणियों को सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडों को लागू किए बिना स्वतः प्रमाणन दर्जा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विसंगति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विसंगति दूर करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि विनिर्माता को अपने द्वारा विनिर्मित उत्पाद की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, आयुध निर्माणियों को स्वतः प्रमाणन के तहत सात निम्न प्रौद्योगिकी वाली कपड़े की मदों का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय, इस उत्पाद के गुणवत्ता आश्वासन संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

(ख) से (ङ) लागू नहीं होते।

गामा किरण आधारित कार्गो-स्केनरों की खरीद

3768. श्री अजीत कुमार सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेपिस्कैन यू.एस.ए. से प्रत्येक 8.22 करोड़ रुपए कीमत वाले पांच गामा किरण आधारित कार्गो स्कैनरों की खरीद का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपकरण संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक 4 करोड़ रुपए कीमत से कम पर उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी धनराशि को बाहर जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या गामा किरण आधारित कार्गो स्केनर कई यूरोपीय तथा एशियाई देशों जैसे बेल्जियम, पोलैण्ड, जर्मनी, जापान, स्विटरजरलैंड आदि में प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं क्योंकि इनमें रेडियोएक्टिव सामग्री का प्रयोग होता है जो आतंकवादियों द्वारा लोगों पर विकिरण हमला करने के लिए छोड़ी जा सकती है एवं इससे भारी तबाही हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी जोखिम वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग किये जाने के कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय का 3 से 5 तक गामा किरण आधारित मोबाइल कार्गो सर्च सिस्टम अधिप्राप्त करने का प्रस्ताव है। मैसर्स रेपिस्कान सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स इन्कॉरपोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका, जिन्होंने सबसे कम कीमत कोट की, के साथ इस उपस्कर से संबंधित कीमत, उसकी प्रभावकारिता, सुरक्षा आदि के बारे में संविदा संबंधी बातचीत चल रही है।

(घ) और (ङ) गामा किरण आधारित कार्गो स्केनर फिलहाल कई देशों में तैनात हैं। एक चल गामा किरण प्रणाली न्हावा शेवा पत्तन, नवी मुबंई में पहले से ही कार्य कर रही है। गामा किरण प्रणालियां, गामा किरणों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट 60 को रेडियोएक्टिव स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती हैं और अधिप्राप्ति के लिए तकनीकी अर्हता प्राप्त करने के लिए उन्हें परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की मौजूदा सिफारिशों का पालन करने और उसमें संरक्षा संबंधी कई विशेषताओं को समाविष्ट करने की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय चैनल

3769. श्री देविदास पिंगले :
श्री महादेवराव शिवनकर :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री मुन्शी राम :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन चैनल का विभिन्न अन्य देशों में प्रसारण कर रही है जैसा कि 28 नवम्बर, 2004 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) इन चैनलों के प्रसारण के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च तथा आय अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों में डीडी न्यूज/पे चैनलों के प्रसारण के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है तथा कितनी आय अर्जित होने की सम्भावना है;

(ङ) क्या उपर्युक्त चैनल को पूर्व में डीडी इंडिया के रूप में शुरू किया गया था;

(च) यदि हां, तो इस चैनल को बंद किये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) दूरदर्शन द्वारा विदेशों में प्रसारित किये जाने वाले अन्य चैनलों का देश–वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के अन्तर्राष्ट्रीय चैनल, डीडी इंडिया के सिगनल विभिन्न देशों में प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ख) डीडी इंडिया चैनल के प्रसारण हेतु प्रयुक्त पी ए एस 10 और पी ए एस–9 उपग्रहों पर ट्रांसपोन्डरों हेतु मासिक किराया प्रभार 121875 अमरीकी डालर +11.11 प्रतिशत आयकर की दर से बनता है। दूरदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और संयुक्त

अरब अमीरात में इस चैनल के वितरण के जरिए दूरदर्शन प्रतिवर्ष 189,642 अमरीकी डालर कमाता है।

(ग) जी, नहीं। प्रसार भारती की एक डीटीएच (बी स्काई बी) प्लेटफार्म के जरिए यूके के दर्शकों के लिए दूरदर्शन न्यूज चैनल का प्रसारण करने संबंधी प्रस्ताव को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाड़ा में पांच क्षेत्रीय भाषाई–बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी और तमिल के वितरण और विपणन हेतु दूरदर्शन की बोलियां प्राप्त हुई हैं।

कर्मचारियों को जोखिम भत्ता

3770. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध निर्माणियों के खतरनाक जोनों में कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों को दिये जाने वाले जोखिम भत्ते के लाभों से 'मास्टर क्राफ्टमैन' की श्रेणी के कर्मचारियों को वंचित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आयुध निर्माणियों के खतरनाक जोन में कार्यरत कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) सरकार ने जोखिमयुक्त कार्यों में लगे अकुशल, अर्ध–कुशल तथा कुशल श्रेणियों के कामनारों को जोखिम भत्ता दिए जाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। चूंकि 'मास्टर क्राफ्टमैन' का पद उक्त किसी श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इस पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी जोखिम भत्ते के पात्र नहीं हैं।

[अनुवाद]

रेलवे को राजस्व घाटा

3771. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रचालित एयरलाइनों द्वारा किराये में कमी करने से रेलवे को अत्यधिक राजस्व घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सितंबर, 2004 से हवाई यात्रा किराये में कमी करने के बाद विभिन्न रेलवे जोनों को हुए तुलनात्मक घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हवाई यात्रा किराये के साथ रेल किराये को तार्किक रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर लाने के लिए नई नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस सिलिंडरों का अनधिकृत उपयोग

3772. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल वालों, हलवाईयों और टैक्सी मालिकों द्वारा विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में एलपीजी गैस सिलिंडरों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रति सिलिंडर की क्या कीमत है और बिक्री मूल्य और लागत मूल्य में कितना अंतर है अर्थात् प्रत्येक सिलिंडर पर कितनी राजसहायता दी जाती है;

(ग) सरकार का एलपीजी रसोई गैस सिलिंडरों के अनधिकृत उपयोग के कारण बड़ी संख्या में दी जाने वाली राजसहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ऐसे दुरुपयोग से राजकोष पर बोझ बढ़ रहा है साथ ही घरेलू उपयोग के लिए सिलिंडरों की उपलब्धता कम हो रही है जिसके कारण घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रसोई गैस सिलिंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) विभिन्न बाजारों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) नवंबर, 2004 के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर प्रत्येक घरेलू सिलेंडर का आयात समता मूल्य 492/– रुपए प्रति सिलेंडर है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणपन कंपनियां 281/– रुपए प्रति सिलेंडर की दर पर बिक्री कर रही है। इस प्रकार प्रत्येक सिलेंडर पर राजसहायता 211/– रुपए है जिसमें

से वर्ष 2004–05 के दौरान केन्द्रीय सरकार के बजट से 22.58 रुपए प्रति घरेलू सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं, बाकी राशि तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन की जा रही है।

(ग) से (ङ) वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अधीन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 प्रख्यापित किया गया है। इस आदेश के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग की मनाही है। ऐसा अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 3 महीने से 7 वर्ष की कैद से साथ दंडनीय है।

(2) राज्य सरकारें और तेल कंपनियां उपर्युक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं।

(3) तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश सरकार द्वारा अप्रैल, 2001 में निर्धारित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार यदि डिस्ट्रीब्यूटर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के विपथन में संलिप्त पाया जाता है, तो निम्नानुसार दंड लगाए जाते हैं–

(क) पहले अपराध के लिए 20,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।

(ख) दूसरे अपराध के लिए 50,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य, और

(ग) तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

(4) तेल विपणन कंपनियां घरेलू सिलेंडरों के किसी अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए समय–समय पर डिस्ट्रीब्यूटरों की रीफिल जांच करती है।

(5) वाणिज्यिक संस्थापनाओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तेल विपणन कंपनियों द्वारा सावधि रूप से छापे डाले जाते हैं।

तहलका खुलासा पर रिपोर्ट

3773. श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री प्रदीप गांधी :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री राजेन गोहेन :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन आयोग ने तहलका खुलासा पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तहलका कांड की जांच करने हेतु गठित फूकन आयोग के कार्यकाल को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या तहलका कांड/खुलासा में कथित रूप में शामिल अधिकारियों की सेवाएं पुनर्बहाल कर दी गयी हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग ने सरकार को 4–2–2004 को रिपोर्ट का भाग–1 प्रस्तुत कर दिया था। आयोग ने 5 फरवरी, 2004 के अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि रिपोर्ट में अंतरिम सिफारिशों के साथ–साथ पिछले 15 लेन–देनों के प्रस्तावना और निष्कर्ष दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) जस्टिस एस.एन. फूकन आयोग को 4–10–2004 से समाप्त कर दिया गया है। सारे मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जाए।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे में कन्टेनरों की आवाजाही

3774. श्री अतीक अहमद : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को रेलवे में कन्टेनरों की नियमित

आवाजाही की व्यवस्था करने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल पंपों के खुदरा बिक्री केन्द्रों को बंद किया जाना

3775. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में बंद पड़े पेट्रोल/डीजल पंपों के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उनके बंद होने के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन खुदरा बिक्री केन्द्रों में कार्य पुनः शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में 31.10.2004 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और आईबीपी कंपनी लिमिटेड के 224 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पंप) बंद पड़े थे। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) ये खुदरा बिक्री केन्द्र, राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने, डीलर की मृत्यु, कानूनी उत्तराधिकारियों/भागीदारों के बीच विवाद, वित्तीय अड़चनें और परिणामतः उत्पाद न उठाना, जिला प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करना, विस्फोटक लाइसेंस का निलंबन, सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार/रेलवे प्राधिकारियों द्वारा स्थलों का अधिग्रहण, भूमि विवाद, डीलरशिप की अव्यवहार्यता, कुप्रबंधन, खुदरा बिक्री केन्द्र चलाने में डीलर द्वारा रुचि न लेना, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के तहत डीलरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, न्यायालय में मामले आदि अनेक कारणों से बंद पड़े हुए हैं।

(घ) ओएमसीज द्वारा इन मामलों में प्रचालन पुनः आरंभ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें वे मामले शामिल हैं जिन पर न्यायालय के दिशानिर्देश पर कार्रवाई करनी है और वे न्यायालय के विवेकाधीन हैं। ये मामले हैं—खुदरा बिक्री केन्द्र सड़क विपथन, भूमि विवाद/सड़क बंद करने के कारण स्थल स्थानांतरण करने, डीलर की मृत्यु के मामले में डीलरशिप का पुनर्गठन/भागीदारिता विवाद/वित्तीय समस्या/नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों से अनुवर्तन/विभिन्न लाइसेंस प्राप्त करना/इन प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस रद्द करने के कारण बंद पड़े खुदरा बिक्री केन्द्रों को शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार चल रहे मामले जहां इन दिशानिर्देशों के तहत उन पर ओएमसीज द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के कारण वे बिक्री केन्द्र बंद पड़े हुए हैं।

विवरण

देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के 31.10.2004 को बंद पड़े हुए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बंद पड़े हुए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	असम	2
3.	बिहार	19
4.	चंडीगढ़	2
5.	गुजरात	19
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	5
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	झारखंड	9
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	केरल	5
12.	कर्नाटक	15
13.	मध्य प्रदेश	9
14.	महाराष्ट्र	17
15.	मणिपुर	1

1	2	3
16.	नागालैंड	1
17.	उड़ीसा	10
18.	पंजाब	4
19.	राजस्थान	10
20.	तमिलनाडु	20
21.	उत्तर प्रदेश	25
22.	उत्तरांचल	4
23.	पश्चिम बंगाल	24
24.	दिल्ली	3
	योग	224

[हिन्दी]

पी.ई.एस.ए. एक्ट, 1996 का क्रियान्वयन

3776. श्री रनेन बर्मन : क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "दी पंचायत्स (एक्सटेंशन टू द शेडयुल्ड एरियाज) एक्ट, 1996" के उपबन्धों के क्रियान्वयन की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित पी.ई.एस.ए एक्ट, 1996 के विभिन्न उपबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पी.ई.एस.ए एक्ट, 1996 के क्रियान्वयन में कोताही बरती गयी है जिसकी कीमत जनजातियों को उठानी पड़ रही है जैसा कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन हेतु कार्य सूची में बताया गया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ताकि इस अधिनियम को इसके वांछित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु क्रियान्वित किया जा सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियमन 1996 संसद द्वारा वर्ष 1996 में पारित किया गया था और 73वें संशोधन के उपबंधों का कुछ परिशोधनों के साथ अनुसूची–V के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है। इसका पश्चिम बंगाल तक विस्तार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उन सभी राज्यों ने जहां पेसा, 1996 लागू है, केन्द्रीय अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार विधान बना लिया है। इस विधान के होते हुए भी इसके कार्यान्वन को देखकर ऐसा लगता है कि जनजातियों का अहित करके इसके प्रभाव को कम किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, विशेषकर बांस जैसे लघु वन उत्पाद की परिभाषा और उस पर अधिकार, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे आमतौर पर अधिक अनुसलझे रह गए हैं। जनजातीय आबादी वाले राज्यों में पेसा के उद्देश्यों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया है। पंचायती राज के प्रभार मंत्रियों का तृतीय गोलमेज सम्मेलन 23–24 सितम्बर, 2004 को रायपुर में आयोजित किया गया था जिसमें पेसा के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। पंचायती राज के मंत्रिगण बैठक के दौरान तय किए गए कार्य बिन्दुओं पर केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार किए जाने के लिए अपनी–अपनी सरकारों से सिफारिश करने पर सहमत हुए थे। बैठक के दौरान लिए गए निर्णय की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रभारी मंत्रियों की तीसरी गोलमेज वार्ता–रायपुर, 23–24 सितम्बर, 2004

भारत के संविधान के भाग–9 और उससे सम्बद्ध प्रावधानों में यथा निर्धारित पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी देने की सहयोगी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि अपनी–अपनी सरकारों को कार्यवाही के निम्नलिखित बिंदुओं पर केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वाकृति के लिए सिफारिश करने पर सहमत हुए :

I. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए) के प्रावधान

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जातीय पहचान के आधार पर जनजातीय समुदायों को, यहां तक कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी, विभिन्न ग्राम सभाओं में गठित किया जाएगा, अनुसूची 5 के क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के गठन के लिए मानदण्ड विकसित करने में जनजातीय समुदायों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श करने की आवश्यकता।

(ii) अनुसूची 5 के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकारों के

संबंध में "पेसा" के प्रावधानों को समयबद्ध रूप में कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता :

– आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लाभार्थियों का पता लगाना;

– स्थानीय विकास के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का अनुमोदन करना;

– ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करना।

(iii) अनुसूची 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता :

– भूमि और इसके संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व की रक्षा और इस तरह से यह सुनिश्चित करना कि जनजातीय भूमि का हस्तांरण न हो;

– यह सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रयोजन से भूमि से अधिग्रहण से पहले उनसे परामर्श अवश्य किया जाए;

– यह सुनिश्चित करना कि लघु वन्य उत्पाद के स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित रहे; यह कि वे लघु जलाशयों के बारे में योजना बना सकें और उनका प्रबंध कर सकें; और लघु खनिजों के खनन उपयोग और विपणन के तरीकों पर नियत्रंण और विनियमन रख सकें।

(iv) अन्य सरकारी विभागों के साथ गहन विचार–विमर्श करना ताकि अन्य कानूनों के उन प्रावधानों, जो पी. ई.एस.ए. के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, को लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सके।

II. महिलाओं के लिए आरक्षण

(i) यह सही है कि महिलाएं अपने प्रतिनिधित्व को संविधान में निर्धारित न्यूनतम 33½ प्रतिशत से अधिक करने में सक्षम रही हैं। कर्नाटक में 45 प्रतिशत निर्वाचित पद महिलाओं के पास हैं और उत्तर प्रदेश में 54 प्रतिशत जिला पंचायतों की अध्यक्ष महिलाएं हैं। इसी प्रकार, तमिलनाडु में भी ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों की 36 प्रतिशत सीटें महिलाओं के पास हैं।

(ii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने में राज्यों को महिला सशक्तीकरण के मुद्दों के प्रति जागरूक किया जा सकता है ताकि ऐसी नीतियां अपनाने में आए परिणामों से पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका में कमी न आ जाए।

(iii) संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान तो है परंतु इसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि रोटेशन से पहले सीट को कितने कार्यकाल तक आरक्षित रखा जाए। सीटों को एक कार्यकाल अथवा दो कार्यकाल अथवा राज्य विधायिका द्वारा राज्य निधि में किए गए प्रावधानों के आधार पर अधिक कार्यकाल के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। विभिन्न राज्यों में अलग–अलग रीतियां अपनाई जा रही हैं और अनेक राज्यों में अलग–अलग रीतियां विचाराधीन हैं। इस कारण से, सीटों को एक कार्यकाल से अधिक के लिए आरक्षित करने का विकल्प खुला है परंतु यह राज्य विधायिका को तय करना है कि सीटें कितने कार्यकाल तक आरक्षित रखी जाएं।

(iv) पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण पहला आवश्यक कदम है परंतु इस हेतु अन्य कई उपाय किए जाने आवश्यक हैं। जैसे :

(क) पंचायती राज संस्थाओं के बजट में महिला घटक योजनाओं का प्रावधान;

(ख) स्व–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के साथ सम्पर्क;

(ग) पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता विकास;

(घ) राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवार खड़े करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(ङ) जब महिलाएं पंचायती राज प्रणाली में पद पर निर्वाचित हो जाएं तो उनके लिए कार्यकाल पूरा करने का अवसर;

(च) ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं (अथवा समकक्ष उप–ग्राम सभा मंच) में उठाई जा रही महिलाओं की समस्याओं और प्राथमिकताओं पर विचार के लिए महिला सभाएं;

(छ) ग्राम सभा एवं उप–ग्राम सभा मंच पर महिला भागीदारी के लिए अलग कोरस।

(v) न्यायालय में प्रावधानों के उपयुक्त बचाव और संबद्ध मुद्दों पर विधि सम्मत स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए पंचायती राज प्रणाली में अध्यक्ष का पद आरक्षित रखे जाने को न्यायालय में चुनौती दी गई है।

III. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण

अनुच्छेद 243 घ में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। सामान्यतः राज्य, अनुच्छेद 243 घ के प्रावधानों का भली–भांति पालन कर रहे थे, उन राज्यों में कठिनाई उत्पन्न हुई जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बहुत कम है। गोलमेज सम्मेलन से यह सिद्ध हो गया है कि राज्यों के आपसी अनुभव, इस समस्या के समाधान की दिशा में काफी उपयोगी है। राज्यों के बीच ऐसे व्यवहारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कृष्णपटनम में गहरे जल के पत्तन का विकास

3777. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने कुड्डपा के निकट हस्तवरण रेलवे स्टेशन से कृष्णपटनम पत्तन तक रेल लाइन के निर्माण पर विचार करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला और लौह अयस्क की ढुलाई को सुगम बनाने हेतु उक्त रेलवे लाइन को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। कुड्डपा जिले के ओबूलवरीपल्लि से कृष्णपटनम पत्तन तक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) कृष्णपटनम पत्तन तक रेल लिंक मुहैया कराने का कार्य राष्ट्रीय रेल विकास योजना में पहले से ही शामिल है। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने रेलवे द्वारा किए गए प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात संबंधी सर्वेक्षण पर आधारित बैंक ग्राह्यता रपट पहले से तैयार कर ली है। रेल विकास निगम लिमिटेड को संशोधित मानकों के अनुसार अंतिम स्थान सर्वेक्षण करने तथा एन्नौर पत्तन के उन्नयन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यातायात की समीक्षा करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

मछलीपटनम से बपतला तक नई रेल लाइन

3778. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई से कोलकाता के बीच दूरी को कम करने के उद्देश्य से पुलिगड्डा–पेनुमंडी–रेवल्ले से होकर मछलीपटनं से बपतला तक नई रेल लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे अर्थक्षम पाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके इस महत्व के मद्देनजर इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि इससे दूरी घटेगी तथा इससे पूर्व तटीय क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) मछलीपट्टनम–रेपाली के बीच बड़े आमान की एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने के काम को 2004–05 के बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम आने पर ही इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

हबीबगंज में रेलवे पुलिस स्टेशन

3779. श्री कैलाश जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 से मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल तथा रीवा रेलवे स्टेशन रीवा पर रेलवे पुलिस स्टेशनों हेतु स्वीकृति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित नीति के अनुसार इन पुलिस स्टेशनों पर आने वाले व्यय का पचास प्रतिशत अंश रेल प्रशासन और शेष पचास प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा;

(ग) क्या इन दोनों पुलिस स्टेशनों का कार्यकरण रेल प्रशासन द्वारा इस प्रयोजनार्थ अपने अंशदान का भुगतान नहीं किए जाने की वजह से रुका हुआ है;

(घ) यदि हां, तो रेल प्रशासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कार्रवाई कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ये पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं लेकिन रेलवे बोर्ड की सहमति लिए बिना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इन पुलिस स्टेशनों के लिए पदों का सृजन कर लिया गया है। राज्य सरकार से इन पदों के औचित्य को सिद्ध करने को

कहा गया है। इस संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार से अपेक्षित औचित्य और कागजात प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मादक पदार्थों के दुर्व्यसन के संबंध में सर्वेक्षण

3780. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को मादक पदार्थों और अल्कोहल के दुर्व्यसन के संबंध में सर्वेक्षण कराने हेतु कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों को निधियां जारी करने में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु अनेक उपाय लागू किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मादक पदार्थों और अल्कोहल के दुर्व्यसन को रोकने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गैर–सरकारी संगठनों को निधियों की निर्मुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना के तहत, सहायता अनुदान की निर्मुक्ति हेतु प्रस्तावों का चयन स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाता है जिसमें स्वैच्छिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।
- सहायता अनुदान सीधे स्वैच्छिक संगठनों के खाते में जमा किया जाता है।
- प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को निधियों की निर्मुक्ति के बारे में जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) युवा वर्ग में नशे की लत पड़ने की रोकथाम करने के उद्देश्य से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण एवं शिक्षा विभागों के माध्यम से जागरूकता सृजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान सहित नशीली दवा के शिकार व्यक्तियों के जागरूकता सृजन, परामर्श और पुनर्वास के लिए देश भर के 54 परामर्श केन्द्रों और 364 उपचार व पुनर्वास केन्द्रों की सहायता करता है।

लंबित रेल परियोजनाएं

3781. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में काफी संख्या में रेल परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु की कितनी रेल परियोजनाएं अब तक लंबित पड़ी हैं और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में रेल परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) ऐसी लंबित परियोजनाओं पर विचार किया जाता है, जिन्हें बजट में शामिल कर लिया गया हो और जिन पर स्वीकृति मिलनी शेष हो। तमिलनाडु एवं दक्षिण रेलवे में ऐसी कोई परियोजना लंबित नहीं है। बहरहाल, दक्षिण रेलवे में 4 नई रेल लाइनें, 7 आमान परिवर्तन, 14 दोहरीकरण और 1 विद्युतीकरण की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। तमिलनाडु में, 2 नई रेल लाइनें, 7 आमान परिवर्तन और 7 दोहरीकरण की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जो आंशिक/पूर्ण रूप से तमिलनाडु राज्य में आती हैं। इन परियोजनाओं का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है। तमिलनाडु राज्य में आने वाले मदुरै–मनामदुरै (48 कि.मी.) और तंजावुर–तिरूवरूर (55 कि.मी.) खंडों के आमान परिवर्तन का कार्य और पट्टाबीरम से तिरूवेलूर (16 कि.मी.) तीसरी लाइन के निर्माण का कार्य वर्ष 2004–05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है और इसे आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) हाल ही में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एसकेओ डीलर को किरोसिन

3782. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों और सरकार ने डीलरशिप का अर्थक्षम बनाने हेतु एसकेओ/एलडीओ डीलरों के लिए न्यूनतम 75 कि.ली. किरोसिन का निर्णय लिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में उन एसकेओ/एलडीओ डीलरों की डीलरवार और कंपनीवार संख्या कितनी है जिन्हें 75 कि.ली. एसकेओ जारी नहीं किया गया;

(ग) इनमें से कितनी डीलरशिप विधवाओं और अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों के पास है;

(घ) क्या उन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु ऐसी डीलरशिप को एक जगह से दूसरी जगह में जाने की अनुमति दी जाएगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी डीलरशिपों को कब तक अर्थक्षम बनाया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) एसकेओ–एलडीओ के डीलरों के देय कमीशन की मात्रा की सिफारिशें करते समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपों के लिए 75 किलोमीटर प्रति माह मिट्टी तेल के व्यवहार्यता मानक पर विचार किया।

(ख) हरियाणा राज्य में 38 एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपें हैं, 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2004 की अवधि में मिट्टी तेल का औसत मासिक आवंटन 75 किलोमीटर प्रति माह से कम रहा है। तेल कंपनी वार स्थिति निम्नानुसार है :

तेल कंपनी	डीलरशिपों की संख्या
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	12
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	17
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	3
आईबीपी कंपनी लिमिटेड	6
योग	38

(ग) इन 38 डीलरशिपों में से दो डीलरशिपें अनुसूचित जाति वर्ग में हैं और एक रक्षा कार्मिक (विधवा) वर्ग में है।

(घ) से (च) किसी जिले के लिए मिट्टी तेल का तेल कंपनी–वार आवंटन संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य को किए गए उत्पाद के कुल आवंटन के आधार पर किया जाता है। इस आवंटन में से कंपनी अपने में से प्रत्येक डीलर के लिए पूर्व आवंटन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जिले में अपने डीलरों को अतिरिक्त आवंटन करती है। जैसे ही जिले में कोई नया डीलर नियुक्त किया जाता है, वैसे ही जिले/समीपवर्ती जिले में अधिक आवंटन वाले वर्तमान डीलरों के आवंटन को कम करते हुए नए डीलर का आवंटन किया जाता है। इसके अलावा उस जिले, जहां वे स्थित हैं (और समीपवर्ती जिले) में डीलरों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित मिट्टी तेल का वितरण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। यदि राज्य के कोटे में ही कोई संशोधन नहीं होता, तो जिले का कोटा अपरिवर्तित रहता है।

इसे देखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एसकेओ–एलडीओ डीलरशिप के स्थानान्तरण से उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है।

एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपों की व्यवहार्यता में वृद्धि करने के लिए तेल कंपनियों ने अपने डीलरों को स्नेहकों का विपणन करने और वास्तविक छोटी मात्रा के उपभोक्ताओं को स्वदेश में उत्पादित गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल का विपणन करने की अनुमति दे दी है। इन उपायों से एसकेओ–एलडीओ डीलरों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसर मिलते हैं।

भावनगर-तारापुर रेल लाइन

3783. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भावनवगर–तारापुरा रेल लाइन (पश्चिम रेलवे) के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संविदा आधार पर सेना

3784. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविदा आधार पर सेना के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रणाली से काफी लाभ होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सैन्य अभियांत्रिकी सेवा का सिविलीकरण

3785. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री गणेश प्रसाद सिंह :
श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **रक्षा** मंत्री सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के कार्यकरण के बारे में 2.05.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5741 ऊपर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सैन्य अभियांत्रिकी सेवा संगठन का सिविलियन प्रधान बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद सैन्य अभियांत्रिकी संगठन (एम.ई.एस.) का 90 प्रतिशत शीर्ष प्रशासन सैन्य अधिकारियों के हाथ में है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सैन्य अभियांत्रिकी सेवा का धीरे–धीरे सिविलीकरण करने हेतु पहले ही आदेश जारी कर चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का पूर्णरूपेण और सरकार के आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण हैं; और

(च) सैन्य अभियांत्रिकी सेवा द्वारा ऐसे आदेशों का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 50.102 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि 'हमने आई डी एस ई एसोसिएशन के ज्ञापन पर इंजीनियर–इन–चीफ ब्रांच के विचारों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है तथा सैन्य इंजीनियरी सेवा में मौजूदा संगठनात्मक ढांचे की जांच की है। हमने पाया है कि सेना और सिविलियन अधिकारियों के बीच समानता में विसंगतियां होने के कारण सैन्य इंजीनियरी सेवा के सिविलियन अधिकारियों के बीच बहुत अधिक नाराज़गी है। इसके अलावा, वरिष्ठतम सिविलियन, अधिकारी, जो 7300–7600 रुपए के वेतनमान में अपर महानिदेशक है, महानिदेशक को रिपोर्ट करता है जो 5900–6700 रुपए के वेतनमान में मेजर जनरल रैंक का सैन्य अफसर है। स्पष्ट रूप से यह एक विसंगति है। संगठन तथा निष्पक्ष व्यवहार के हित में हमने सिफारिश की है कि इस संगठन का अध्यक्ष सिविलियन होना चाहिए।'

(ग) जी, नहीं।

(घ) सैन्य इंजीनियरी सेवा के वरिष्ठतम सिविलियन अधिकारी द्वारा धारित अपर महानिदेशक (प्रणाली तथा नियंत्रण) के पद को महानिदेशक (कार्मिक), जो सीधे ही इंजीनियर–इन–चीफ को रिपोर्ट करेगा, के रूप में पुनः पदनामित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करके कि कार्मिक प्रबंधन के पदानुक्रम में सभी स्तरों पर सैन्य तथा सिविलियन अधिकारी प्रत्यावर्तित होते रहेंगे, ऐसा करके सिविलियन तथा सैन्य अफसरों के समुचित मिश्रण बनाए रखने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ङ) सैन्य इंजीनियरी सेवा एक अंतर–सेवा संगठन है जिसमें सिविल तथा सेना कार्मिकों का विवेकपूर्ण मिश्रण है ताकि सेना और सिविलियन दोनों प्रकार के कार्यों की विशेषज्ञता प्राप्त की जा सके। अतः सैन्य इंजीनियरी सेवा से सैन्य कार्मिकों का हटाए जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर के मद्देनज़र यह प्रश्न नहीं उठता।

लेखा परीक्षक हेतु अपेक्षित फाइलें

3786. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2004 की अपनी रिपोर्ट सं. 7 (वायु सेना और नौसेना) में यह बताया है नौसेना और वायुसेना अक्टूबर, 1995 और मार्च, 2003 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित अनेक फाइलों को मुहैया कराने में विफल रही है जहां कि इन प्रत्येक मामलों में व्यय की राशि 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच करने तथा लेखा परीक्षा हेतु इन फाइलों को उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2004 की रिपोर्ट सं. 7 के प्रत्येक पैराग्राफ पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) 31.3.1996 और उसके पश्चात रक्षा मंत्रालय के पास कितने लेखापरीक्षा संबंधी पैराग्राफ लंबित पड़े हैं तथा उनका उत्तर न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) इन लेखापरीक्षा संबंधी पैराग्राफों का कब तक उत्तर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) नियंत्रक–महालेखा परीक्षक ने अपनी 2004 की रिपोर्ट सं. 7 में कहा है कि लेखा–परीक्षा द्वारा अक्टूबर, 1995 और मार्च, 2003 के बीच मांगी गई वायुसेना और नौसेना की 5 फाइलें जिनमें 10 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का व्यय निहित था, लेखा–परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गईं थी।

(ख) से (घ) ऊपर बताई गई पांच फाइलों में से चार फाइलें लेखा–परीक्षा को भेज दी गई हैं। पांचवीं फाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की 'परम गुप्त' परियोजना से संबंधित है। इसलिए यह फाइल नहीं भेजी गई है। तथापि, वह फाइल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियत्रंक–महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मुख्यालय में देखी जा सकती है।

(ङ) नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की 2004 की रिपोर्ट सं. 7 (वायुसेना तथा नौसेना) में निहित लेखापरीक्षा पैरे की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी प्रस्तुत किए जाने हेतु मंत्रालय में कार्रवाई के विभिन्न चरणों में है।

(च) फिलहाल 31.3.96 के बाद के पैराओं सहित कुल 237 लेखा–परीक्षा पैरे लंबित हैं। की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी तैयार करने में इस कारण से भी विलंब होता है कि लेखा–परीक्षक पैरा हेतु की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी तैयार करने के लिए सूचना/सामग्री विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त करनी होती है जिसमें भारत भर में फील्ड क्षेत्र में फैली हुई एजेंसियां भी शामिल हैं।

(छ) लंबित लेखापरीक्षा पैराओं का शीघ्रता से उत्तर दिए जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में बर्थ का कोटा बढ़ाया जाना

3787. श्री रामदास आठवले : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में कुर्डुवाडी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों विशेषकर चेन्नई मेल (चेन्नई–मुम्बई) में शयनयान श्रेणी में बर्थ कोटा बढ़ाने, वहां रेल बुकिंग कार्यालय स्थापित करने तथा मालगाड़ियों के रुकने की वजह से यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए एक और प्लेटफार्म का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) कुर्डुवाडी स्टेशन पर एक कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली पहले से ही मौजूद है जिससे सभी गाड़ियों में आरक्षण कर सकते हैं। मौजूदा नीति के अनुसार, जब किसी विशिष्ट स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली मुहैया की जाती है तो उस स्टेशन पर कोई अलग कोटा आबंटित नहीं किया जाता। कुर्डुवाडी स्टेशन पर एक और प्लेटफार्म के निर्माण के संबंध में इस स्टेशन पर यात्री यातायात के प्रदेश/प्रस्थान के लिए चार प्लेटफार्म मौजूद है जिसे यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है। मानकों के अनुसार, इस स्टेशन पर रेल बुकिंग कार्यालय सहित न्यूनतम अनिवार्य यात्री सुविधाएं हैं।

क्रेन घोटाला

3788. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटवाल नाम की एक विदेशी कम्पनी से करीब 800 करोड़ रुपए की घटिया किस्म की क्रेन की खरीद का कोई मामला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करके इस मामले की जांच करवायी गई है अथवा करवाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। कोटवाल नामक किसी विदेशी कंपनी से लगभग 800 करोड़ रुपए की कोई घटिया क्रेन खरीदी गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार संबंधी समिति

3789. श्री बीर सिंह महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों/इकाइयों के पुनरुद्धार से संबंधित कौन सी समितियां गठित की गयी हैं। उनके सदस्य कौन–कौन हैं और समितिवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों द्वारा दिए गए सुझावों का समितिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) विगत 3 वर्षों के दौरान लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए केंद्रीय रूप से कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों की समस्याओं का अध्ययन करने से कोई कुछ मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक प्रभार में संभावित रूप से कुछ तदर्थ समितियों का गठन हुआ हो सकता है। ऐसी समितियों का विवरण केन्द्रीय रूप में नहीं रखा जाता है।

बजट भाषण, 2004 में की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने हाल ही में लोक उद्यम विभाग में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड स्थापित किया है, जिसमें एक अध्यक्ष, 3 अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य तथा 3 सरकारी सदस्य हैं। चूंकि, सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने अभी अपनी सिफारिशें/परामर्श देने हैं, इसलिए इसके द्वारा रुग्ण उद्यमों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार के मामलों में किसी प्रकार का परामर्श देने तथा कोई रिपोर्ट देने से संबंधित सूचना देना असामयिक होगा।

[अनुवाद]

ताजमहल में प्रवेश हेतु शुल्क

3790. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शीत काल के दौरान महीने में 5 दिन के लिए ताजमहल का चांदनी रात में दर्शन की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रवेश शुल्क की दर क्या है;

(ग) प्रवेश शुल्क आम जनता की पहुंच से बाहर निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) ताजमहल और दर्शकों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस शीत ऋतु के दौरान तीन माह के लिए, माह में पांच दिनों के लिए ताजमहल को रात को देखने की अनुमति प्रदान की है। 27 व 28 नवम्बर, 2004 की चांदनी रातों में 648 आगन्तुकों ने ताज को देखा।

ताज को रात में देखने के लिए प्रवेश शुल्क इस प्रकार है :

भारतीय नागरिक	510 रुपए प्रति व्यक्ति
अन्य	750 रुपए प्रति व्यक्ति

(ग) ताज को रात में देखने के लिए प्रवेश शुल्क की दर निर्धारण का आधार सुरक्षा उपलब्ध कराने में लगी अतिरिक्त लागत तथा आगन्तुकों की संख्या को विनियमित करना था क्योंकि उच्चतम न्यायालय की अनुमति में प्रत्येक रात में केवल 400 आगन्तुकों को ताज देखने की अनुमति है।

(घ) ताजमहल की आंतरिक सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा बाहरी सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कार्मिकों द्वारा की जाती है। आगन्तुकों के समूह का मार्गरक्षण ताजमहल के बाहर तथा अन्दर सुरक्षा कार्मिकों द्वारा किया जाता है।

सरस्वती योजना

3791. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सरस्वती योजना के पुनरुद्धार हेतु कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को 2 वर्ष पहले

मिथकीम नदी, जिसका विस्तार शिवालिक से अरब सागर तक है, के किनारे स्वदेशी हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व को स्थापित करने हेतु शुरू किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस पैनल का किस हद तक पुनरुद्धार किया है; और

(घ) इसे किस हद तक स्वीकार और क्रियान्वित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरस्वती दाय परियोजना वस्तुतः शुरू नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) सरस्वती दाय परियोजना के संबंध में कोई स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया गया था। 4.98 करोड़ रुपए की लागत पर 1.3.2004 को परियोजना के लिए वित्तीय सहमति ली गई थी। यह राशि नियमित बजटीय प्रावधानों से वहन की जानी थी।

परियोजना की संस्वीकृति की प्रत्याशा में, पहले ही हाथ में लिए तीन स्थलों के अलावा, 2003–04 में छः स्थलों को उत्खनन के लिए हाथ में लिया गया था। उत्खनन कार्य चल रहे हैं।

आंध्र प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

3792. श्री डी. विट्टल राव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निराश्रितों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को केन्द्र सरकार के पास धनराशि के आवंटन हेतु भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो योजना–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का आवंटन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। वर्ष 2003–04 और 2004–05 (22.12.2004 तक) के दौरान बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित सहायता अनुदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों/स्वीकृत प्रस्तावों तथा स्वीकृत निधियों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	योजना का नाम	2003–04			2004–05 (22.12.2004 तक)		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्वाधार	4*	–	–	4**	1	0.05
2.	दीन दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना	196***	159	15.71	168****	153	8.03
3.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप योजना)	22@	15	5.51	16@@	11	2.21
4.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	140$	123	4.34	80$$	63	1.89
5.	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय की उन्नयन/स्थापना संबंधी योजना	1#	–	–	–	–	–
6.	बाल गृहों के लिए सहायता योजना (शिशु गृह)	1	1	0.39	–	–	–
7.	किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम	–	–	1#	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	29&	28	1.25	32+	29	0.90
9.	समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम	4++	1	0.008	1	1	1.59

* प्रस्तावों को, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया, क्योंकि उसे राज्य स्तरीय अधिकारिक समिति के माध्यम से नहीं भेजा गया था।

** 3 प्रस्ताव अपूर्ण थे।

*** मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 37 प्रस्तावों की संस्तुति नहीं की गई।

**** स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 15 प्रस्तावों की संस्तुति नहीं की गई।

@ 7 प्रस्ताव अपूर्ण थे।

@@ 5 प्रस्ताव अपूर्ण थे।

अपूर्ण प्रस्ताव।

$ 17 प्रस्ताव अपूर्ण थे।

$$ 17 प्रस्ताव अपूर्ण थे।

& 1 प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।

+ 3 प्रस्ताव अपूर्ण थे।

++ मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 3 प्रस्तावों की संस्तुति नहीं की गई।

बी.एच.ई.एल. द्वारा 'एक्सेल अवार्ड'

3793. श्री मधुसूदन रेड्डी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) ने संगठन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु अपने कर्मचारियों के लिए "एक्सेल अवार्ड" की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवार्ड को देने से संबंधित मानदंडों सहित ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। कंपनी में संगठन की उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए 1 जनवरी, 2000 को "भेल एक्सेल अवार्ड स्कीम" आरम्भ की गई थी। एक वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा किए गए कार्य का दस विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिए मूल्यांकन किया जाता है। पुरस्कार के लिए मुख्य मानदण्डों में से कुछ नई प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रचालनात्मक दक्षता में नए रिकॉर्ड्स, पर्यावरण संरक्षण तथा आंतरिक सॉफ्टवेयर का विकास है।

चयन समिति द्वारा नामित अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, पांच सदस्यीय जूरी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा अन्ततः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार किसी व्यक्ति या कर्मचारियों के समूह या दोनों को दिया जाता है। सभी पुरस्कारों में नकद पुरस्कार, एक गोलाकार फलक (मिडेलियन) तथा स्क्रॉल शामिल होते हैं।

बांकुरा-दामोदर नदी रेल परियोजना

3794. श्री सुनील खां : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांकुरा से सोनामुखी तक बांकुरा–दामोदर नदी परियोजना के प्रथम चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या बी.डी.आर. को पूर्व रेलवे से जोड़ने वाले बेलियातोर से दुर्गापुर तक के दक्षिणी गलियारे से पूर्वी गलियारे के गेटवे का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बांकुरा तथा सोनामुखी के बीच आमान परिवर्तन का कार्य जोरों पर है तथा इस खंड का कार्य मार्च, 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बेलियातोर से दुर्गापुर तक एक नई लाइन के निर्माण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी सह यातायात सर्वेक्षण जुलाई 1998 में किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस 28 कि. मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत उस समय विद्यमान मूल्य स्तर पर प्रतिफल की नकारात्मक दर के साथ 90.64 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। स्रोतों की भारी कमी तथा चल रही परियोजनाओं की भारी थो–फारवर्ड के कारण इस परियोजना पर विचार नहीं किया जा सका।

रेलवे विकास कोष के अंतर्गत/परियोजनाओं/ योजनाओं का चयन

3795. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विकास कोष के अंतर्गत परियोजनाओं/योजनाओं के चरण की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या विभिन्न रेल जोनों को रेलवे विकास कोष से धन प्राप्त हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे विकास कोष के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं/योजनाओं का अनुमोदन किया गया है और प्रत्येक परियोजना/योजना हेतु कितना आवंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलवे नेटवर्क के महत्वपूर्ण खंडों पर क्षमता अवरोधों को दूर करने के लिए 15.08.2002 को राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एनआरवीवाई) की घोषणा की गई थी। एनआरवीवाई में चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चुतुर्भुज का सुदृढ़ीकरण, पत्तन और भीतरी क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करना और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कोसी नदियों पर चार बड़े पुलों का निर्माण करना शामिल है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे विकास नाम की कोई निधि नहीं है। संभवतः, मानवीय संसद सदस्य का आशय 2003–04 में गठित रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को स्थानांतरित की गई परियोजनाओं को आवंटित निधियों से है। इनमें से कुछ कार्य आरवीएनएल की ओर से क्षेत्रीय रेलों द्वारा शुरू किए गए हैं। कार्यों की प्रगति के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए निधियां आरवीएनएल द्वारा जारी की जाती हैं। पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं जो आरवीएनएल को स्थानांतरित की गई हैं और प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटन का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

निक्षेप कार्य के रूप में क्षेत्रीय रेलों द्वारा चलाई जा रही आरवीएनएल परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	2003–04 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)	2004–05 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	मध्य रेलवे			
1.	पकनी–सोलापुर दोहरीकरण	15	25	
2.	दीवा–कल्याण्या : 5वीं व 6वीं लाइन	10	9	
3.	पनवेल–जेएनपीटी दोहरीकरण पूर्व रेलवे	20	25	
	पूर्व रेलवे			
4.	गुरुप–शक्तिगड़ : तीसरी लाइन	20	4	
	उत्तर रेलवे			
5.	नई दिल्ली–तिलक ब्रिज : 5वीं व 6वीं लाइन	10	15	
	दक्षिण रेलवे			
6.	अट्टीपट्टू–कोरूकुपेट्टै : तीसरी लाइन	30	6	रेलपथ और सिगनल एवं दूर संचार कार्यों को छोड़कर रेलवे द्वारा सभी कार्य किए जा रहे हैं।
7.	पट्टाभिराम–तिरुवल्लूर : चौथी लाइन और तिरुवल्लूर–अराकोनम : तीसरी लाइन	35	6	केवल पटटाभिराम–तिरुवल्लूर का कार्य रेलवे द्वारा किया जाना था और पूरा किया जा चुका है।
	दक्षिण मध्य रेलवे			
8.	गूटी–रेणिगुंटा खंड : बालापेल्ले–पुल्लमपेट (चरण–I) का दोहरीकरण	40	5	

1	2	3	4	5
9.	गूटी–रेणिगुंटा : कहीं–कहीं दोहरीकरण	40	37.5	रेल संपर्क के बिना केवल पुल्लमपेट–बाकरपेट खंड का कार्य रेलवे द्वारा किया गया और पूरा हो चुका है।
	दक्षिण-पूर्व			
10	टिकियापाड़ा–संतरागाछी : चौथी लाइन का दोहरीकरण	10	20	
11.	पंसकुरा–हल्दिया दोहरीकरण : चरण–1 (पंसकुरा–राजगौड़ा)	20	10	
	पश्चिम रेलवे			
12	गांधीधाम–पालनपुर आमान परिवर्तन	100	13	परियोजना को लागू करने के लिए कच्छ रेल कंपनी नाम के विशेष प्रयोजन योजना का गठन किया गया है।
	रेल विद्युतीकरण			
13.	तलचेर–पाराद्वीप रेल विद्युतीकरण सहित खड़गपुर–भुवनेश्वर	40	36	
14.	भुवनेश्वर–कोट्टावालसा रेल विद्युतीकरण	15	36	
15.	गुंतकल–रेणिगुंतल रेल विद्युतीकरण	30	40	
	पूर्व तट रेलवे			
16.	तलचेर–पाराद्वीप दोहरीकरण (महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल)	20	10.99	केवल बिरूपा नदी पर दूसरे पुल का कार्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है।
17.	दैतारी–बासंपानी नई लाइन	75	83	क्योंझर–दैतारी पर रेलपथ और सिगनल कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्य रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं।
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे			
18.	बिलासपुर–उरकुरा दोहरीकरण	40	72	भाटपाड़ा–उरकुरा खंड को छोड़कर शेष खंड का कार्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है।
	कुल	570	453.49	

पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस

3796. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस के स्रोतों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपनगरीय क्षेत्रों में भी खोज कार्य किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए

कोई सर्वेक्षण किया है कि इससे यहां कि निवासी प्रभावी होंगे अथवा नहीं होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) पश्चिम बंगाल में हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण कर रही है।

इस समय ओएनजीसी के पास एक भूस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) ब्लाक अर्थात् कॉटाई है जहां पर इसकी भूकंपीय सर्वेक्षण करने की योजना है। वर्ष 2003–04 के दौरान ओएनजीसी ने इस ब्लाक में एक अन्वेषण कूप का वेधन किया जो हाइड्रोकार्बनों की वाणिज्यिक मात्रा के लिए अपूर्ण सिद्ध हुआ। ओएनजीसी के पास सुन्दरवन के दक्षिण में भी एक अपतटीय ब्लाक एपईसी–28 है।

(ग) ओएनजीसी के वर्तमान अन्वेषण कार्यकलापों का विस्तार सुन्दरवन क्षेत्र में नहीं है। तथापि, अपतटीय ब्लाक एनईसी–26 जहां अन्वेषण कार्य चल रहा है। सुन्दरवन के दक्षिण में स्थित है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जटरोफा से बायो डीजल का उत्पादन

3797. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितंबर, 2004 के "दी इंडियन एक्सप्रेस " में "टी एन फार्मर्स डीस्कवर न्यू क्रॉप आफ होप" शीर्षक से प्रकाशित सामाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) जटरोफा से तेल की निकासी, इसका डीजल में मिश्रण और इस मिश्रण को आटो ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बारे में रिपोर्ट है। आगे इसमें मीठे सोरधम और चुकन्दर के तने से एथेनोल निकालना और सस्ते पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ इसके मिश्रण के बारे में कहा गया है।

सरकार को ज्ञात है कि भारत में बायो डीजल का उत्पादन प्रायोगिक पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास और शैक्षिक संस्थानों में किया जा रहा है। इस समय बायो डीजल और डीजल मिश्रण का प्रयोग करते हुए क्षेत्र परीक्षण किए जा रहे हैं। तथापि, यदि बायो डीजल मिश्रित डीजल के क्षेत्रीय परीक्षण बायो डीजल और डीजल मिश्रण की कारगरता सिद्ध करते हैं और इन उत्पादों की किफायती मूल्य निर्धारण की संभावनाएं दर्शाते हैं तो बायो डीजल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने से पहले बड़े पैमाने पर तेल बीजों के रोपण की आवश्यकता है।

जटरोफा, करकस, पोंगोमिया जैसे अखाद्य तेलों से बायो डीजल उत्पादन की संभावना की खोज करने के लिए अध्ययन किए गए हैं। योजना आयोग ने डा. डी. एन. तिवारी, पूर्व सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में बायों ईंधन के विकास पर एक समिति का गठन किया जिसने जटरोफा, करकस की पैदावार पर विशेष ध्यान देते हुए ईंधन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की सिफारिश की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय को बायो डीजल पर राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है और इस मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया है कि बायो डीजल मिशन के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हाल ही में ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई है।

विभिन्न स्रोतों से एथेनोल के उत्पादन के बारे में पहले ही सरकार को अवगत कराया गया है। इस समय गन्ने से व्युत्पन्न सीरे से उत्पादित एथेनोल अधिसूचित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पेट्रोल के साथ मिश्रित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

उड़ीसा में रेल मार्गों का सर्वेक्षण

3798. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उड़ीसा में ताकेर–गोपालपुर वाया हिन्डौल नरसिंहपुर–खान्दपाड़ा रेल मार्ग का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) ताकेर नाम का कोई स्टेशन अथवा स्थान नहीं है। संभवतः यह तालचेर होना चाहिए। प्रस्तावित तालचेर–गोपालपुर (293 किलोमीटर) बड़ी लाइन के लिए जो खान्दपाड़ा के रास्ते से गुजरती है और हिंडोल एवं चंद्रागढ़ के रास्ते से नहीं, 2003–04 में अद्यतन सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 393 किलोमीटर लंबी इस नई लाइन के निर्माण की लागत 863.98 करोड़ रुपए आंकी गई है। चालू परियोजनाओं के भारी बकायों तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया।

एलपीजी गोदामों से एलपीजी सिलेंडरों की चोरी

3799. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एलपीजी एजेंसियों के गोदाम से एलपीजी सिलेंडरों की चोरी के बारे में सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों की क्या नीति है;

(ख) क्या इन तेल कंपनियों ने अपने डीलरों से केवल सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्यों पर सिलेंडरों के भंडार का बीमा कराने को कहा है;

(ग) क्या सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनियां बाजार मूल्य पर पहले सिलेंडरों के मूल्य का दावा करती हैं तथा पुलिस/न्यायालय द्वारा चोरी को वास्तविक सिद्ध करने के पश्चात बाजार मूल्य तथा सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य के अंतर को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को लौटा दिया जाता है और बीमा कंपनी, सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य पर भुगतान करती है;

(घ) क्या तेल कंपनियां बाजार मूल्य तथा सरकार की दरों के अंतर का भुगतान न करके उपर्युक्त नीति का पालन नहीं कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तेल कपंनियों के पास ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम से एलपीजी सिलेंडरों की चोरी के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा अपनाई जाने वाली नीति निम्नवत् हैं :

(i) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से अपेक्षा की जाती है कि सिलेंडरों की चोरी के तत्काल बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए और तेल विपणन कम्पनी को भी सूचित करे।

(ii) तेल विपणन कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम में सिलेंडरों की कमी का पता लगाने के बाद दांडिक दरों पर सिलेंडर कमी के लिए एक डेबिट नोट प्रस्तुत करेगा (एचपीसीएल के मामले में, डिस्ट्रीब्यूटर को तत्काल टैरिफ दर पर भुगतान करना अपेक्षित होता है और साथ ही यह घोषणा करनी होती है कि यदि बाद में किसी स्तर पर अन्यथा चोरी प्रमाणित होती है तो वह दांडिक दर से भुगतान करेगा)।

(iii) डिस्ट्रीब्यूटर से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्णायक दृष्टि से यह प्रमाणित करने के लिए कि चोरी के कारण ही उपकरण में कमी हुई है, छः माह के अंदर पुलिस या सक्षम प्राधिकारियों से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(iv) दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद यदि चोरी वास्तविक रूप से प्रमाणित होती है, तो दांडिक दरों पर पहले एकत्रित की गई राशि तथा टैरिफ दरों पर एकत्रित की गई राशि के बीच का अंतर डिस्ट्रीब्यूटरों को लौटा दिया जाता है।

(ख) तेल विपणन कंपनियां एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी सिलेंडरों के लिए बीमा कराने के संबंध में कोई हिदायत नहीं देती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्वयं के हित में सिलेंडर स्टॉक का बीमा कराने के लिए स्वतंत्र हैं और असल में यह डिस्ट्रीब्यूटर और बीमा कंपनी के बीच एक करार है।

(ग) तेल विपणन कंपनियां उपरोक्त (क) में दिए अनुसार सिलेंडरों की चोरी के कारण दण्ड का निर्धारण करती हैं।

(घ) से (छ) तेल विपणन कंपनियों ने बताया है कि वह ऊपर दिए अनुसार मामले में नीति का पालन करती हैं। तथापि, सरकार के ध्यान में कोई विशेष मामला आता है तो वह उसकी जांच करेगी।

[हिन्दी]

बुक-स्टॉलों के आवंटन को रद्द करना

3800. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर हाल में आवंटित बुक–स्टॉलों और अन्य स्टॉलों/दुकानों के आवंटन को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना देश के सभी रेलवे स्टेशनों से अवैध वेंडरों और दुकानों को हटाने तथा शिक्षित बेरोजगारों को स्टॉल/दुकान आवंटित करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, संशोधित बुक स्टॉल एवं खानपात नीति के अनुसार,

जिन मौजूदा लाइसेंसों की निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है अथवा समाप्त होने वाली है उनका नवीकरण नहीं किया जाएगा और नए सिरे से निविदाएं/आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) स्टेशनों से अप्राधिकृत वेंडरों और दुकानों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। आवश्यकता के आधार पर नए आवंटन किए जाते हैं। अक्टूबर, 2004 में जारी संशोधित बुक स्टॉल नीति के अनुसार, मौजूदा ठेकों की अवधि समाप्त होने पर "बी" से "एफ" कोटि के स्टेशनों पर बेरोजगार स्नातकों, उनकी एसोसिएशनों, सहकारी संस्थाओं आदि को नए स्थानों पर बुक स्टॉल आवंटित करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के लिए छात्रों के लिए छात्रावास

3801. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से आदिवासी रूरल डेवलमेंट सोसाइटी फॉर शेडयूल्ड ट्राइब एंड शेडयूल्ड कास्ट, कोडुमन, केरल छात्रावास का संचालन करने हेतु सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विचार नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) केरल में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास का संचालन करने के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले अन्य संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक केन्द्र सरकार द्वारा इनमें से कितने आवेदनों का अनुमोदन/रद्द किया गया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत/जारी की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय ने केरल राज्य सरकार के माध्यम से सिफारिश के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति होस्टल स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान हेतु संगठन का एक प्रस्ताव प्राप्त किया है।

(ख) संगठन के इस प्रस्ताव पर "नई परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्ताव की जांच और सिफारिश हेतु परियोजना स्क्रीनिंग समिति" द्वारा 13–14 नवम्बर, 2002 को सम्पन्न इसकी बैठक में विचार किया गया था और उक्त समिति ने इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी।

(ग) इस मंत्रालय ने केरल में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए होस्टल स्थापित करने हेतु केरल राज्य सरकार के माध्यम से किसी अन्य संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

आधुनिक कोचों का निर्माण

3802. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटग्रेल कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.), पेराम्बूर, तमिलनाडु में उच्च गति वाले और आधुनिक कोचों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या इन कोचों की क्षमता 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की है;

(ग) यदि हां, तो क्या लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को इन कोचों के साथ चलाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय रेल ने हल्के वजन, उच्च गति के सवारी डिब्बों के विनिर्माण के लिए जर्मन कंपनी मैसर्स लिंके हॉफमैन बुश्च (एल.एच.बी.) (अब एलस्टॉम एल.एच.बी.) की प्रौद्योगिकी को अपनाया है। इन सवारी डिब्बों में अतिरिक्त अर्जन क्षमता है क्योंकि ये प्रत्येक सवारी डिब्बे में अधिक यात्रियों को ले जा सकते हैं, बेहतर आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराते हैं और संवर्धित संरक्षा विशेषताओं से युक्त हैं। इस समय ये सवारी डिब्बे मुंबई–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और लखनऊ शताब्दी गाड़ियों में लगाए गए हैं तथा यातायात आवश्यकताओं एवं सवारी डिब्बों की उपलब्धता के आधार पर अन्य गाड़ियों में लगाए जाएंगे।

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व

3803. श्री बी. विनोद कुमार :
श्री जी. करूणाकर रेड्डी :

श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर विज्ञापनों के प्रसारण से दूरदर्शन और आकाशवाणी के राजस्व अर्जन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक प्रत्येक दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्र द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान विज्ञापन की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किए जाने हेतु विज्ञापनों को अधिक संख्या में आकर्षित करने और इनके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अर्जित वाणिज्यिक राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
2001–02	96.69	615.21
2002–03	102.25	553.81
2003–04	117.70	530.23

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अत्यधिक तुलनात्मक बाजार परिदृश्य को देखते हुए दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण की दरें गत तीन वर्षों के दौरान स्थिर रही हैं। तथापि, आकाशवाणी ने बदलते हुए बाजार परिदृश्य के अनुसार वर्ष 2002 में अपनी विज्ञापन दरों को युक्तिसंगत बनाया है जिसके फलस्वरूप इसके प्राथमिक चैनल पर प्रायोजित कार्यक्रमों की दरों में 40 प्रतिशत तक की कमी हुई है और सभी चैनलों की स्पॉट दरों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ग्राहकों को दूरदर्शन चैनल की ओर आकृष्ट करने के लिए दूरदर्शन द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें सरकारी स्कीमों/परियोजनाओं सहित दूरदर्शन पर विज्ञापनों की सीधी बुकिंग के लिए बड़ी संख्या में रियायत–स्कीमें तथा विज्ञापनों के प्रसारण के लिए बोनस शामिल है। कार्यक्रमों का संवर्धन करने के लिए दूरदर्शन चैनलों पर ब्रांडेड प्रोमोज के रूप में ग्राहकों को मूल्य परिवर्धन आवर्धन भी निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, दर कार्ड का यौक्तिकीकरण सरलीकरण और माध्यम का गहन विपणन अधिक विज्ञापनों को आकृष्ट करने के लिए उठाए गए कदमों में से है।

मलक्का जलडमरुमध्य हेतु संयुक्त गश्त

3804. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मलेशिया में मलक्का जलडमरुमध्य की संयुक्त गश्त करने पर सहमति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मलक्का जलडमरुमध्य के निकटवर्ती दो अन्य प्रमुख देशों, सिंगापुर और इंडोनेशिया ने समुद्र में गश्त करने और पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इन देशों के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजगढ़ दुर्ग का संरक्षण

3805. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले "राजगढ़ कालिंजर दुर्ग" के संरक्षण हेतु कदम उठाने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में यूनेस्को से सहायता और दिशादिर्नेश मांगे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय लोगों के संगठनों और जनप्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति गठित करने

का है जो स्थानीय जन प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में उपरोक्त कार्य करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। फिलहाल, राजगढ़ कालिंजर दुर्ग को संरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विश्वदाय सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों के मामलों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन से सामान्यतः परामर्श किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रूसी तेल कंपनी का अधिग्रहण

3806. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी 8.5 बिलियन डालर की अनुमानित लागत से रूसी तेल कंपनी यूकोस का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इसमें भारी निवेश से अंतर्ग्रस्त होने के कारण ओएनजीसी यूकोस का अधिग्रहण करने हेतु गाजप्राम आफ रूस के साथ समझौते की संभावनाओं का पता लगा रहा है;

(ग) क्या इसमें निहित संभावित कानूनी जोखिमों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाता यूकोस के लिए बोली लगाने के प्रति अनिच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं। पर कुछ यकोस परिसंपत्तियों के, उपलब्ध होने पर, अधिप्राप्ति, यदि कोई हो, पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ब्यौरे ज्ञात नहीं हैं।

छात्रवृत्ति को मूल्य सूचकांक से जोड़ना

3807. श्री वी. के. दुग्मर : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि मूल्य सूचकांक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है;

(ख) क्या डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह आयोजन समिति ने मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्रि धनराशि का मूल्य सूचकांक से जोड़ने हेतु अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि जीवन–यापन सूचकांक की लागत के साथ जुड़ी होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि को मूल्य सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया है किन्तु छात्रवृत्ति दरों को अब संशोधित कर पहले के मुकाबले दोगुना कर दिया गया है।

संयुक्त सेवा सिद्धांत

3808. श्री चन्द भूषण सिंह :
श्री ए. के. मूर्ति :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों सशस्त्र सेनाएं पहली बार संयुक्त सेवा सिद्धांत गठित करने की योजना बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसेना ने ऐसा महसूस किया है कि समुद्र में काफी गतिविधियां चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा तीनों सेनाओं के साथ परामर्श करके सैन्य इतिहास, युद्ध के सिद्धांतों, समाघात, नेतृत्व और भारतीय परिदृश्य में सैन्य शक्ति के अनुप्रयोग के अध्ययन के आधार पर एक संयुक्त सशस्त्र सेना सिद्धांत, जिसमें मोटै तौर पर सामरिक सैन्य पहलू शामिल हैं, तैयार किया जा रहा है, ताकि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को एक प्रभावी बल के रूप में सहयोजित किया जा सके।

(ग) सरकार समुद्र पर होने वाले सभी घटनाक्रमों की सतत रूप से मॉनिटरिंग और विश्लेषण करती है तथा हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए यथावश्यक समुचित उपाय करती है।

(घ) इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

गुजरात में उत्पादन इकाइयों की स्थापना

3809. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर : क्या रक्षा मंत्री गुजरात में उत्पादन इकाइयों की स्थापना के बारे में 21 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक, कृतिक बल ने गुजरात में रक्षा उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने संबंधी मुद्दे की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) कृतिक बल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) और (ग) इस रिपोर्ट की जांच चल रही है।

यात्री रेलगाड़ियों में तस्करी

3810. श्री विजय कृष्ण :
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने दिनांक 20 फरवरी, 2004 को 273 अप मिखनाथोरी–नरकटियागंज यात्री रेलगाड़ी को देश से बाहर तस्करी की जा रही निषिद्ध इमारती लकड़ी और अन्य उत्पादों के साथ जब्त किया था; और

(ख) यदि हां, तो जब्ती का ब्यौरा क्या है और यह तस्कर गिरोह कब से सक्रिय था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। परंतु गाड़ी सं. 273 अप मिखनाथोरी–नरकटियागंज पैसेंजर गाड़ी की जांच करने के लिए मंडल के वन अधिकारी, बेतिया द्वारा रेलपथ पर लाल झंडी का बैनर लगाकर मिखनाथोरी–नरकटियागंज रेलवे स्टेशनों के बीच फाटक सं. आई/सी–20 के निकट बलपूर्वक रोका गया, इसके अलावा, होज पाइप को अलग करके गाड़ी को बलपूर्वक रोका गया। मंडल के वन अधिकारी द्वारा जब्ती मीमो तैयार किया गया जिसमें इंजन और डिब्बों की जब्ती दिखाई गई थी और गाड़ी के यार्ड और ड्राइवर को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा, वन विभाग के पदधारियों ने गार्ड और ड्राइवर को वन विभाग के वाहन में बैठने के लिए मजबूर किया गया परंतु यात्रियों द्वारा विरोध किए जाने पर गार्ड और ड्राइवर को छोड़ दिया गया । इस घटना के कारण, उस स्थल पर एक घंटे के लिए गाड़ी भी रुकी रही।

(ख) मंडल वन अधिकारी/बेतिया द्वारा गार्ड और ड्राइवर के हस्ताक्षर लेकर उक्त गाड़ी में वन संबंधी उत्पादों की कोई जब्ती नहीं दिखाई गई और वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा रेलवे प्रशासन को उक्त गाड़ी में वन संबंधी उत्पादों की जब्ती के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी।

गाड़ी के गार्ड और ड्राइवर के लिखित बयान पर, राजकीय रेल पुलिस/नरकटियागंज ने मंडल वन अधिकारी/बेतिया और अन्यों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 146/150/174 और भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 353 के अतंर्गत दिनांक 20.02.2004 को एक मामला सं. 05/04 दर्ज किया है।

मिखना–नरकटियागंज खंड पर स्थानीय ग्रामीण अनधिकृत रूप से वन संबंधी उत्पाद ले जाते हैं। वन विभाग से रेलवे को वन संबंधी उत्पादों की विदेशों में तस्करी करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, वन संबंधी उत्पादों के अनधिकृत रूप से ले जाने के मामले रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल समय–समय पर जांच करते हैं और नवंबर 2004 तक चालू वर्ष के दौरान 1,82,000/– रुपए मूल्य के वन संबंधी उत्पादों की वसूली करने में सफलता मिली है जो आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिए गए हैं।

सूरत और अहमदाबाद के बीच तीसरा रेलपथ बिछाना

3811. श्री काशीराम राणा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत और अहमदाबाद के बीच तीसरा रेलपथ बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे संबंधित कार्य आरंभ हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) विरार और अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण 1998 में पूरा हुआ था। सर्वेक्षण के अनुसार, विरार और अहमदाबाद के बीच एक अतिरिक्त रेलपथ के निर्माण की लागत 1665.12 करोड़ रुपए आंकी गई है।

स्वचल सिगनल प्रणाली तथा यातायात सुविधा संबंधी अन्य कार्यों को अपनाकर वर्तमान मार्ग पर लाइन क्षमता बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है जिससे इस खंड पर गाड़ियों के सुचारु चालन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

सूरत से कोसाम्बा तक तीसरी लाइन का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, विरार से अहमदाबाद तक तीसरी लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण 2004–05 के बजट में शामिल किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नया रेल संग्रहालय खोलना

3812. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नया रेल संग्रहालय खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। महोदय, भारतीय रेलों के सभी छोटी लाइन हेरिटिज को बनाए रखने के लिए नागपुर में छोटी लाइन रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है। देश के पश्चिम क्षेत्र के रेल हेरिटिज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुणे में क्षेत्रीय रेल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ख) नागपुर में संग्रहालय दिसम्बर, 2002 में खोला गया था। चूंकि पुणे मे संग्रहालय इस समय योजना स्तर पर है, इसलिए इस समय इसे खोलने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नौसेना की नेटवर्किंग

3813. श्री ए. के. मूर्ति : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना की नेटवर्किंग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौसेना ने कई नेटवर्क स्थापित किए हैं और जिन यूनिटों/स्टेशनों में नेटवर्क स्थापित है उनमें वह सूचनाओं का आदान–प्रदान कर सकती है।

उपनगरीय मुम्बई में ई.एम.यू.

3814. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुंबई उप–नगर रेलवे में डबल वोल्टेज वाली ईएमयू चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस कोच फैक्ट्री का ब्यौरा क्या है जहां पर इन यूनिटों का विनिर्माण किया जा रहा है; और

(घ) मुम्बई में और देश के अन्य भागों में जहां ई. एम. यूस. प्रयोग में हैं, वहां पर ऐसे सवारी डिब्बों को कब तक प्रचालन में लाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) यह विनिश्चय किया गया है कि मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के मौजूदा इलेक्ट्रीकल मल्टीपल यूनिट को चरणबद्ध तरीके में डबल वोल्टेज वाले ई.एम.यू. के साथ बदला जाए, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

(ग) इन ई.एम.यू. सवारी डिब्बों का निर्माण इस समय सवारी डिब्बा कारखाना/चेन्नई द्वारा किया जा रहा है।

(घ) इन सवारी डिब्बों के अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार 2001 से मुंबई क्षेत्र से क्रमिक रूप से शुरुआत की जा रही है। देश के अन्य भागों में, डबल वोल्टेज वाले ई एम यू की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सतना में तेल आपूर्ति

3815. श्री गणेश सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना तेल डिपो को तेल की आपूर्ति रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तेल की आपूर्ति कब से रोकी गई है;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को रोजगार का आश्वासन दिया गया था जिनकी भूमि तेल डिपो की स्थापना के लिए अधिगृहीत की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इंडियन आयल

कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के सतना में तेल डिपो अभी प्रचालनरत है। एक फायर इंजन में खराबी आ जाने के कारण दिनांक 15.12.2004 और 16.12.2004 को दो दिनों के लिए आईओसीएल के डिपो से आपूर्तियां नहीं की गई थीं। रेलवे से पारंपरिक रैकों की अनुपलब्धता के कारण पिछले कुछ माह में भी आपूर्तियां व्यवधान रहा। तथापि, आईओसीएल और एचपीसीएल ने इन डिपुओं को बंद करने का निर्णय लिया है चूंकि वे तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते। सतना के जिला न्यायाधीश ने भी इन डिपुओं को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया।

(ग) और (घ) आईओसीएल द्वारा सतना के नगरोपरान्त में अधिगृहीत लोकेशन को सतना डिपो के पुनः स्थान निर्धारण के लिए प्रस्तावित किया था, किन्तु तेल कंपनियों ने उच्च प्रचालनीय लागतों के चलते पुनः स्थान निर्धारण के प्रस्ताव को छोड़ दिया। इस प्रस्ताव की समीक्षा केवल तभी संभव है। जब भूमि से वंचित होने वाले व्यक्ति रोजगार के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन में रेल ऊपरी पुल

3816. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन थर्ड गेट में रेल ऊपरी पुल कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए अपने हिस्से की राशि का भुगतान कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल खास (रेलपथ के ऊपर पुल) का कार्य किया जा रहा है और पहुंच मार्ग संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कुछ कार्य करने के पश्चात, कुछ संविदागत संबंधी मुकदमेबाजी तथा नए टेंडरों पर न्यायालय के स्टे आर्डर प्राप्त होने के कारण रेलवे को कार्य अस्थाई रूप से रोकना पड़ा। अब मामले को सुलझा लिया गया है और नए टेंडरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अभी तक पुल की वास्तविक प्रगति 37 प्रतिशत हो चुकी है। तमिलनाडु राज्य सरकार तथा रेलवे द्वारा लागत को हिस्सेदारी के आधार पर कार्य आरंभ हो चुका है और मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागत को आपस में बांटा गया है।

[हिन्दी]

सिरोंज के रास्ते ब्यावर और बीना के बीच रेल संपर्क

3817. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरोंज के रास्ते ब्यावर और बीना के बीच रेल संपर्क है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) सिरोंज के रास्ते ब्यावर और बीना के बीच रेल सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, ब्यावर राजगढ़ से सिरोंज–बीना तक एक नई बड़ी लाइन के लिए 1999 में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रपट के अनुसार, 147 कि.मी. लंबी रेल लाइन के निर्माण कार्य की लागत प्रतिफल की नकारात्मक दर सहित 224.75 करोड़ रु. आंकी गई है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और चालू परियाजनाओं के भारी थ्रो–फारवर्ड के कारण इस परियोजना पर आगे विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

देश में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों हेतु मानदंड

3818. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री तूफानी सरोज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों और उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में उपलब्ध रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों की वर्तमान संख्या राज्य में रसोई गैस उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) क्षेत्र में पैक्ड एलपीजी की संभावित मांग को ध्यान में रखने के पश्चात तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एलपीजी भरण संयंत्र स्थापित किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) पश्चिम बंगाल राज्य में ओएमसीज के चल रहे एलपीजी भरण संयंत्रों का ब्यौरा, उनकी कार्यक्षमता संलग्न विवरण में प्रस्तुत दी गई है। इन भरण संयंत्रों के अतिरिक्त एचपीसीएल की फलाकाता में स्किड माउंटेड भरण सुविधा है और अपने ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल्दिया और बर्दवान में स्थित दो निजी भरण कर्ताओं से भी सहायता ली जा रही है। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि उपलब्ध भरण क्षमता राज्य के ग्राहकों की पैक्ड एलपीजी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में चल रहे एलपीजी भरण संयंत्रों और उनकी क्षमता का ब्यौरा

स्थान	तेल कंपनी का नाम	भरण क्षमता हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (टीएमटीपीए)
कल्याणी	आईओसीएल	88
दुर्गापुर	आईओसीएल	88
हल्दिया	आईओसीएल	20
बज बज	आईओसीएल	64
माल्दा	आईओसीएल	22
सिलीगुडी	आईओसीएल	22
उलूबेरिया	बीपीसीएल	44
दुर्गापुर	बीपीसीएल	22
रायगंज	बीपीसीएल	22
पहाड़पुर	एचपीसीएल	44
योग		436

बारूदी सुरंगों के विस्फोटों में मारे गए व्यक्ति

3819. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट फार पीस डिसार्मामेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन (आई आई पी डी ई पी) द्वारा किया गया सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे तीन राज्यों में जनवरी, 2002 और मार्च, 2004 के बीच कार्मिक रोधी बारूदी सुरंगों द्वारा 58 सिविलियन मारे गए हैं तथा 310 अन्य घायल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बारूदी सुरंगों को तथाकथित रूप से एक वर्ष पूर्व हटा दिया गया था लेकिन आज तक व्यक्तियों का हताहत होना जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सेना मुख्यालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सीमा के पास वाले तीन राज्यों, अर्थात् राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में 01 जनवरी, 2002 से 30 नवंबर, 2004 तक की अवधि के दौरान बारूदी सुरंगों के विस्फोटों में मारे गए तथा घायल हुए सिविलियनों की कुल संख्या क्रमशः 48 तथा 236 है। तथापि, रक्षा मंत्रालय को भारतीय शांति निरस्त्रीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण संस्थान (आई.आई.पी.डी.ई.पी.) द्वारा किए गए सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) बारूदी सुरंगें हटाने का कार्य नवंबर, 2002 में शुरू किया गया था तथा अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। शेष बारूदी सुरंगें बरामद करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बारूदी सुरंगें काफी समय पहले बिछाए जाने के कारण, भारी वर्षा से बारूदी सुरंगों के बह जाने के कारण, कृन्तकों द्वारा बारूदी सुरंगों को अन्यत्र ले जाने के कारण तथा घनी वनस्पति उग जाने से माइन फील्डों में बरामदगी की कार्रवाई बाधित होने के कारण अभी भी कुछेक बारूदी सुरंगों का पता नहीं चल रहा है। बरामद न की जा सकी बारूदी सुरंगों से संभावित जोखिम बना हुआ है।

(ङ) बारूदी सुरंगें होने की आशंका वाले क्षेत्रों में बारूदी सुरंगे हटाने की कार्रवाई अभी चल रही है। इसमें, प्रशिक्षित सैनिकों तथा विशेषीकृत उपस्करों का उपयोग किया जा रहा है। जहां समुचित सीमा तक सभी बारूदी सुरंगों का हिसाब मिल गया है, वहां भूमि, प्रयोक्ताओं को एहतियाती सलाह के साथ भू–स्वामी को सौंप दी गई है।

भारतीय टीवी चैनलों में सेंसरशिप व्यवस्था

3820. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(कं) क्या टेलीविजन चैनलों पर मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रसारण में सेंसरशिप की जांच करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय टेलीविजन चैनलों पर वैश्विक मीडिया के भाग के रूप में प्रसारित हो रहे कुछ कार्यक्रम भारत के वर्तमान सांस्कृतिक नैतिक नियमों और परंपराओं के विरुद्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो भारतीय टेलीविजन चैनलों पर ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों पर पहले से सेंसरशिप नहीं लगाई जाती है। तथापि, केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुनः प्रसारित सभी टीवी चैनलों के कार्यक्रमों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित "कार्यक्रम संहिता" के उपबंधों का पालन करना होता है। कार्यक्रम संहिता में, अन्य के साथ–साथ, इस बात का निर्धारण है कि केबल सेवा में किसी ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए जोकि सुरुचि या शालीनता के खिलाफ हो, जिसमें अश्लीलता हो, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हो अथवा जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा संहिता के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है।

लोक सेवा प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन अपनी स्वयं की प्रसारण संहिता द्वारा अभिशासित होता है जो कि इस बात को सुनिश्चित करती है कि सभी कार्यक्रम परिवार के देखने के लिए उपयुक्त हों। दूरदर्शन भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं विरासत को परिलक्षित करने वाले कार्यक्रमों का भी प्रसारण करता है।

सरकार प्रसारण हेतु एक विनियामक ढांचा स्थापित करने के लिए एक विधान बनाने पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी

3821. श्री उदय सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में वाहनों के लिए हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी का उपयोग आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी साधारण सीएनजी की अपेक्षा कितनी अधिक शक्तिशाली तथा सीएनजी वाहन स्वामियों के लिए कितनी किफायती होगी;

(ग) क्या हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के प्रारंभिक परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) अब तक हाइड्रोकार्बन मिश्रित सीएनजी का कोई आरंभिक परीक्षण भारत में नहीं किया गया है, हालांकि उपलब्ध अनुसंधान रिपोर्ट यह इंगित करती है कि किसी भी अनुपात में हाइड्रोजन/सीएनजी का मिश्रण वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत केवल सीएनजी की तुलना में किफायती नहीं होगा। तेल विपणन कंपनियों की सार्वजनिक वाहनों में 10–30 प्रतिशत हाइड्रोजन सीएनजी ईंधन का उपयोग करते हुए प्रदर्शन परियोजनाएं हाथ में लेने की योजना है। इसलिए प्रदर्शन परियोजना की व्यवहार्यता सिद्ध होने तक राजधानी में वाहनों के लिए हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी की शुरुआत की कोई योजना नहीं है।

यूनेस्को के अंतर्गत रामलीला

3822. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रामलीला को यूनेस्को के संस्कृति और विरासत के परिरक्षण और संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कराने की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रामलीला को यूनेस्को के कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कराने के प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या यूनेस्को द्वारा रामलीला को यूनेस्को के कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कराने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो रामलीला को यूनेस्को की सूची में सम्मिलित कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) मानव–विरासत की वाचिक एवं अमूर्त उत्कृष्ट रचनाओं की तृतीय उद्घोषणा के तहत "रामलीला–रामायण की परंपरागत प्रस्तुति" शीर्षक से उम्मीदवारी फाइल यूनेस्को के विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

(ग) और (घ) यूनेस्को द्वारा इस प्रस्ताव पर वर्ष 2005 में विचार किया जाएगा।

भंडारण सुविधा समाप्त करना

3823. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने तेल फार्मों की उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना अपने तेल शोधक कारखानों से पेट्रोल उत्पादों को भंडारण टर्मिनलों तक ले जाने की अनुमति देने वाली भंडारण सुविधाओं को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिसूचना के कारण पेट्रो निर्यात में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 6.9.2004 से कर का भुगतान किए बगैर, रिफाइनरियों से भंडारगृह या एक भंडारगृह से दूसरे भंडारगृह में पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी की भंडारण सुविधा वापस ले ली गई है। तथापि, एक निर्यात सुविधा उपाय के तौर पर, दिनांक 8.9.2004 से वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पादों के सभी निर्यातकों को स्थानों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के निर्यात भंडारगृह सुविधा का विस्तार कर दिया है जहां निर्यात भंडारगृह स्थापित और पंजीकृत किए जा सकते हैं। दिनांक 6.9.2004 से 9.9.2004 के तीन दिनों के दौरान नेपाल आयल कार्पोरेशन लिमिटेड को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ था। लेकिन उसके बाद आपूर्ति बहाल करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

तटों के आसपास निगरानी

3824. श्री जुएल ओराम :
श्री चन्दभूषण सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षक बल ने खाड़ी से हथियार ला रहे अज्ञात पोत के बारे में सूचना के बाद तटों विशेषकर केरल के तटों के आस–पास चौकसी बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी तटों के आस–पास निगरानी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) एक जलयान द्वारा भारतीय समुद्र तट पर हथियार उतारे जाने की संभावना संबंधी सूचना प्राप्त होने के पश्चात तटरक्षक ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। तटरक्षक के पोतों और वायुयानों को संदिग्ध जलयान का प्रतिषेधन करने का कार्य सौंपा गया है।

तटरक्षक ने भारत के सम्पूर्ण पश्चिमी समुद्र–तट पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। नौसेना को भी सतर्क कर दिया गया है।

डिब्रूगढ़ में दूरदर्शन टावर

3825. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बनाए गए दूरदर्शन के पूर्वोत्तर अंचल कार्यालय और मुख्य अभियंता कार्यालय को दी गई संवर्ग नियंत्रण शक्तियों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऊपरी असम क्षेत्रों को समुचित कवरेज देना सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शन टॉवर, डिब्रूगढ़ की ऊंचाई बढ़ाने की योजना नौवीं योजना के दौरान आरम्भ की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो वर्षवार आबंटन और की गई प्रगति तथा कार्य को पूरा करने के लक्ष्य को दर्शाते हुए तत्संबंधी कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पूर्वी क्षेत्र के द्विशाखन के पश्चात अगस्त, 2003 में आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चालू हो गया था। पहले के पूर्वी क्षेत्र के अधीनस्थ अभियंता स्टाफ का पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच द्विशाखन कर दिया गया है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधीनस्थ अभियंता स्टाफ का संवर्ग/नियंत्रण पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के पास है।

(ख) जी, हां। डिब्रूगढ़ में डी.डी. टॉवर की ऊंचाई के विस्तार संबंधी स्कीम को नौवीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया था।

(ग) डिब्रूगढ़ में आर.सी.सी. सह स्टील टॉवर की ऊंचाई को बढ़ाने संबंधी कार्य की निविदा व्यापक प्रचार के साथ आमंत्रित की गई थी परन्तु इसका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। समग्र स्टील ढांचे में टॉवर की ऊंचाई को बढ़ाने की संभावना की बाद में आई.आई.टी. चेन्नई के साथ परामर्श करके जांच की गई थी जिसने वैकल्पिक प्रस्ताव की पुष्टि की है। एजेंसियों की पूर्व–अर्हता पूरी कर ली गई हैं। पूर्व–अर्हता प्राप्त एजेंसियों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जानी हैं। इस कार्य को सौंपने के पश्चात् इसके पूरे होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे।

एम ई एस में पदनाम परिवर्तन

3826. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने एम ई एस सिविलियन अधिकारियों के पदनामों को परिवर्तित कर रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेना मुख्यालय सहित केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में अपनाए जा रहे पदनामों की तरह करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हो, तो क्या सभी एम ई एस कार्यालयों में ई एन सी द्वारा आदेशों को लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त आदेशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविलियन अफसरों के पदनामों के आधार पर आदेश जारी किए गए हैं न कि रक्षा मंत्रालय सहित केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों के आधार पर।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर के मद्देनजर और कोई कार्रवाई करने की अपेक्षा नहीं है।

ए.एल.एच. का विदेशों को निर्यात

3827. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री विजय कृष्ण :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड (एच.ए.एल.) के एक दल ने उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर, ध्रुव का प्रदर्शन करने के लिए चिली का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एच.ए.एल. को विदेशों से कोई खरीद आदेश प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर, ध्रुव को निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड ने चिली में 24 जून, 2004 से 7 जुलाई, 2004 तक चार उन्नत हल्के हेलिकॉप्टरों का उड़ान प्रदर्शन आयोजित किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड ने रॉयल नेपाल सेना को दो उन्नत हल्के हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति की है।

(ङ) विक्रय की दृष्टि से, उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर का विदेशों में प्रमुख वायु प्रदर्शनियों में प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा, इस हेलिकॉप्टर को बढ़ावा देने हेतु हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड के लिए व्यापार–बैठकें आयोजित की जाती हैं।

हिन्दी]

प्लेटफार्म का उन्नयन

3828. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रतलाम और कोटा तथा भोपाल और नागदा के बीच प्लेटफार्म के उन्नयन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रतलाम और नागदा रेलवे स्टेशनों के बीच पड़ने वाले स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, नागदा और कोटा स्टेशनों के बीच पड़ने वाले स्टेशनों के प्लेटफार्मों के उन्नयन के दो कार्यों की स्वीकृति दी गई है। एक 20.63 लाख रुपए की लागत पर चौमाही रेलवे स्टेशन की स्टोन फ्लोरिंग और दूसरा 29.65 लाख रुपए की लागत पर कोटा स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 1, 2 और 3 की स्टोन सरफेसिंग के लिए।

नागदा और भोपाल रेलवे स्टेशनों के बीच पड़ने वाले स्टेशनों के प्लेटफार्मों के स्तर को निर्धारित मानदंडों के अनुसार पहले ही ऊंचा कर दिया गया है। वर्तमान में नागदा और भोपाल के बीच पड़ने वाले स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, सेहोरी, शुजालपुर और बैरागढ़ में प्लेटफार्मों के विस्तार/सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं/हाथ में ले लिए गए हैं।

प्राचीन गोंड संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन

3829. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन गोंड साम्राज्य और इसकी प्राचीन राजधानी "रामनगर" जिला मांडला (मध्य प्रदेश) के संबंधित क्षेत्रों को इस प्रयोजन हेतु क्रियाकलाप केन्द्र बनाकर प्राचीन 'गोंड' संस्कृति के

संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) उक्त संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए 'गोंड' उत्सवों को आयोजित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हेतु 'यूनेस्को' से मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय मानव–विज्ञान सर्वेक्षण ने गोंड जनजाति की जनजातीय संस्कृति का प्रलेखन किया है। भारतीय मानव–विज्ञान सर्वेक्षण मारिया गोंड की डारमेटरी प्रणाली का भी प्रलेखन कर रहा है। गोंड संस्कृति के संरक्षण और परिरक्षण के हिस्से के रूप में गोंड जनजाति की नृजातीय शिल्प–वस्तुएं आंचलिक मानव–विज्ञान संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु रखी हुई हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

कैट-3 प्रणाली की स्थापना तथा कार्यकरण

3830. मो. मुकीम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैट 3 प्रणाली की स्थापना तथा इसके कार्यकरण को आरम्भ के लिए कोई निश्चित समय सारिणी बनाई गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें इसके उपयोग के बारे में अपने पायलटों को प्रशिक्षण दे सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दिल्ली हवाईअड्डे पर उड़ानों के आगमन तथा प्रस्थान को सुविधाजनक बनाने के लिए कैट–3 ए इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस), जिसका दृष्टि क्षेत्र 200 मीटर से कम नहीं है, दिसम्बर, 2001 से पहले से ही कार्य कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कैट–3 ए सिस्टम को कैट–3 बी में अपग्रेड करने के संबंध में भी कार्रवाई कर रहा है, जिससे कि 200 मीटर से कम दिखाई पड़ने की हालत में उड़ानों की लैंडिग/टेक ऑफ में मदद मिलेगी। यह प्रणाली अक्टूबर, 2005 में कार्य करना शुरू कर देगी। एयरलाइनों को विशेष रूप से कहा गया है कि वे इन उन्नत तकनीक वाले उपकरणों के प्रयोग हेतु अपने पायलटों को प्रशिक्षण देने की गतिविधियां तेजी से प्रारम्भ कर दें।

[हिन्दी]

कारों में अवैध रूप से फिट की गई एलपीजी किट

3831. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और विभिन्न अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में कारों में अवैध रूप से एलपीजी किटें लगाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो एलपीजी की कमी से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में अपनी गाड़ियों में अनधिकृत एलपीजी किट का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के कुछ उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं, जहां गाड़ियां घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर चल रही हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि वे अपने घरेलू उपभोक्ताओं की एलपीजी की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही हैं। ऑटो–ईंधन प्रयोजन से गाड़ियों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) एलपीजी (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 प्रख्यापित किया गया है जिससे अनधिकृत प्रयोजन से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के प्रयोग को गैर–कानूनी ठहराया गया है।

(ii) एलपीजी (मोटर गाड़ियों में प्रयोग का विनियमन) आदेश, 2001 केवल लगे हुए एलपीजी ईंधन टैंकों को ही गाड़ियों में प्रयोग की अनुमति देता है।

(iii) इन आदेशों के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों को यह शक्ति प्राप्त है कि वे अनधिकृत प्रयोजन से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के अधिकारी, डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम, सुपुर्दगी स्थलों के साथ ही साथ मार्ग में यादृच्छिक जांच करते हैं ताकि विपथन को रोका जा सके।

(v) चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ विपणन

अनुशासन दिशा–निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(vi) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ–साथ तेल विपणन कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों ने संबंधित राज्य सरकारों को लिखा है कि ऑटो ईंधन प्रयोजन से घरेलू एलपीजी के अनधिकृत प्रयोग को रोकने और उनका पता लगाने के लिए जांच तथा सुव्यवस्थित तरीके से छापे मारे जाएं।

(vii) पूर्व खपत प्रतिरूप के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटरों को की जाने वाली रिफिल आपूर्तियां नियमित की जा रही हैं।

(viii) अक्टूबर, 2004 से आटो एलपीजी वितरण स्टेशनों (एएलडीएस) वाले शहरों में एक संयुक्त प्रैस विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ऑटो ईंधन के रूप में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के प्रयोग के सुरक्षा जोखिमों के संबंध में जनता को अवगत कराया गया है तथा ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल एएलडीएस पर उपलब्ध ऑटो एलपीजी का ही प्रयोग करें।

[अनुवाद]

नि:शक्त हवाई यात्रियों हेतु रियायत

3832. श्री एम. शिवन्ना : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर विदेशी विमान सेवाएं हवाई यात्रा करने वाले नि:शक्त व्यक्तियों को रियायत प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नि:शक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर विमान टिकट प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) विदेशी एयरलाइनों द्वारा अपंग व्यक्तियों को दी जा रही छूट के संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया दोनों ही नेत्रहीन व्यक्तियों को घरेलू सेक्टरों में लगभग 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती हैं। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भारत तथा नेपाल के बीच यात्रा करने वाले नेत्रहीनों को भी इसी प्रकार की छूट प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

ओ.बी. वैन

3833. श्री संजय धोत्रे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो, मुम्बई को प्रदान की गई ओ.बी. वैन प्रयोग में नहीं लाई जा रही है और खराब होती जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त ओ.बी. वैन को कितनी बार प्रयोग किया गया है;

(ग) इस वैन को प्रयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके प्रयोग में लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी मुम्बई को कोई ओ.बी. वैन प्रदान नहीं की गयी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आयात बिलों का मूल्य

3834. श्री मुन्शीराम :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक डालरों में तेल आयात बिलों का मूल्य कितना है; और

(ख) वर्ष 2007 तक राजसहायता समाप्त करने के परिणामस्वरूप रसोई गैस और पेट्रोल का प्रति किलोग्राम/लीटर अनुमानित मूल्य कितना होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) अप्रैल–सितंबर, 2004 की अवधि के दौरान निवल तेल आयात बिल 11.985 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) पेट्रोल एक रियायती उत्पाद नहीं है पर वर्तमान में आयात समता मूल्य से अलग मूल्य पर इसका विपणन किया जा रहा है। घरेलू एलपीजी पर सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती है और तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अल्प वसूलियां की जाती हैं। वर्तमान नीति के अनुसार घरेलू एलपीजी पर सरकारी राजसहायता 31.3.2007 तक समाप्त कर दी जाएगी। जबकि राजसहायता वापस लेने के बाद घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य एलपीजी के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और उत्पाद पर शुल्कों और करों पर निर्भर होंगे, वहीं सरकार या तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किसी राजसहायता की अनुपस्थिति में शुल्कों और करों की वर्तमान दर पर एलपीजी के नवंबर, 2004 के

अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर दिल्ली में घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य 517.50 रुपए प्रति सिलेंडर होता।

[अनुवाद]

रेलवे में रैकों की अनुपलब्धता

3835. श्री रूप चन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में रैकों की अनुपलब्धता की वजह से भाड़ा संबंधी यातायात सड़क क्षेत्र की ओर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो रैकों की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ग) पर्याप्त रैकों की आपूर्ति के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली का ई और आर सी स्टॉफ

3836. श्री अजीत जोगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष पहले 9 अक्टूबर, 2003 को पुनर्गठन आदेश जारी करने के बावजूद भी दिल्ली मंडल, उत्तरी रेलवे के ई और आर सी स्टॉफ के संबंध में पुनर्गठन आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली मंडल, उत्तरी रेलवे के ई और आर सी स्टॉफ के संबंध में पुनगर्ठन आदेशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्संरचना की समग्र योजना एक स्ववित्त–पोषित और व्यय संबंधी न्यूट्रल प्रस्ताव है। अतः अक्टूबर, 2003 में जारी किए गए पुनर्संरचना आदेश के अनुसार अपग्रेड किए जाने वाले अपेक्षित पदों के लिए समान मैचिंग सेविंग्स पुनर्संरचना कार्य शुरू करते समय अपनी अपनी इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित होगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में पूछताछ और आरक्षण लिपिक संवर्ग में पुनर्संरचना आदेश अभी लागू नहीं किए गए हैं क्योंकि मंडल द्वारा इस संवर्ग के लिए अपेक्षित मैचिंग सेविंग्स बचत में कमी है।

(ग) अक्टूबर, 2003 में जारी किए गए रेलवे बोर्ड के आदेश में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, यदि अपेक्षित मैचिंग्स बचत की व्यवस्था नहीं हो सकती तो कोटि विशेष/कैडर की पुनर्संरचना नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, इस संवर्ग की पुनर्संरचना अपेक्षित मैचिंग सेविंग्स की उपलब्धता के बाद शुरू की जाएगी।

[अनुवाद]

रसोई गैस की उत्पादन लागत में कटौती

3837. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस की उत्पादन और वितरण लागत को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) तेल शोधन एक सतत प्रक्रिया है और अलग–अलग पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन की लागत का अलग से आकलन नहीं किया जाता क्योंकि सारे उत्पाद एक साथ उत्पादित किए जाते हैं। एलपीजी सहित, पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों द्वारा किए गए उपायों में रसायनों और उत्प्रेरकों की खपत के नियंत्रण हेतु तकनीकी जांच, ऊर्जा संरक्षण पर बल, हाइड्रोकार्बन क्षतियों में कमी, निरोधात्मक और पूर्वसूचक रखरखाव कार्यक्रम का पालन सम्मिलित हैं, जिससे इष्टतम अनुरक्षण लागत, प्राप्त की जा सके और उपरिव्यय आदि पर नियंत्रण किया जा सके।

एलपीजी की वितरण लागतों को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों में स्रोत से भरण संयंत्र तक थोक परिवहन का इष्टतमीकरण, पैक्ड एलपीजी परिवहन, अर्थात, भरण संयंत्र से डिस्ट्रीब्यूटर तक, का इष्टतमीकरण, एलपीजी टैंक वैगनों आदि का वर्धित उपयोग सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

आयुध निर्माण फैक्टरियों को गुणवत्ता आश्वासन कार्यों का हस्तांतरण

3838. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुध निर्माण फैक्टरियों को

विभिन्न गुणवत्ता आश्वासन कार्य हस्तांतरित करने का है जबकि ऐसे कार्य पहले ही उनके पास हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी स्थिति में गुणवत्ता एजेंसियों की भूमिका क्या होगी; और

(घ) मात्रा और प्रौद्योगिकीय स्तरों के संबंध में सशस्त्र बलों द्वारा अपेक्षित रक्षा उपकरणों और भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र से अधिप्राप्त रक्षा सामान की गुणता, गुणता आश्वासन एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। आयातित सामान का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण और संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि उत्पाद विनिर्देशों के अनुरूप है।

महाराष्ट्र में कार्यक्रम तैयार करने सम्बन्धी सुविधा

3839. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों को कार्यक्रम तैयार करने सम्बन्धी सुविधाओं की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन केन्द्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र में मुम्बई, नागपुर और पुणे स्थित दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस राज्य में कोई अतिरिक्त कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु धनराशि

3840. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विरासत स्थलों को संरक्षण देने के लिए 100 प्रतिशत ई.एफ.सी. अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें इसकी शुरूआत से ई.एफ.सी. अनुदान दिया गया है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस अनुदान का उपयोग नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी राज्य सरकारों के विरुद्ध केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अनुदान की उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बावजूद शेष ई.एफ.सी. अनुदान जारी नहीं किया गया है; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) संघ सरकार, राज्य सरकारों के अधीन स्थलों के संबंध में राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान नहीं करती। तथापि, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन 3,000 से अधिक स्थलों की पूरी देख-रेख करती है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

पवन शक्ति फार्म की स्थापना

3841. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री विजय कृष्ण :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी का विचार देश के विभिन्न भागों में पवन शक्ति फार्म स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे एककों पर अनुमानतः कितना खर्च होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ओएनजीसी ने पवन ऊर्जा समेत नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों पर एक अध्ययन शुरू किया है।

(ग) चूंकि यह अध्ययन प्रारंभिक स्तर पर है, अतः वर्तमान में पवन विद्युत इकाइयों पर व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों का पुनर्वास

3842. श्री देविदास पिंगले :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों हेतु कोई पुनर्वास योजना आरम्भ करने का है जैसा कि 24 नवम्बर, 2004 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत शामिल होने वाले वरिष्ठ नागरिकों का कौन सा आयु समूह होगा; और

(घ) उक्त योजना पर राज्य/संघ राज्य शासित क्षेत्र–वार कुल कितना खर्च होगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"प्रोफिट पेट्रोलियम" में राज्यों का हिस्सा

3843. श्री दुष्यंत सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विशेष तौर पर राजस्थान में किसी नदी बेसिन से "प्रोफिट पेट्रोलियम" मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को इसमें से हिस्सा दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो यह कितने प्रतिशत होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) लाभ पेट्रोलियम नदी बेसिनों से प्राप्त नहीं हो रहा है वरन् यह कंपनियों को प्रदान किए गए ब्लाकों/क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अंतर्गत भारत सरकार गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी अपतट और पश्चिमी अपतट में क्षेत्रों/ब्लाकों से लाभ पेट्रोलियम प्राप्त कर रही है। राजस्थान राज्य में किसी क्षेत्र/ब्लाक से लाभ पेट्रोलियम प्राप्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों/ब्लाकों में आज तक कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं हुआ है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राप्त राज्यवार/क्षेत्रवार लाभ पेट्रोलियम नीचे दिया गया है :

राज्य/क्षेत्र	2001–02	2002–03	2003–04
गुजरात	56.59	73.039	134.517
अरुणाचल प्रदेश	0.36	2.160	5.230
पूर्वी अपतट	393.04	633.880	1100.353
पश्चिमी अपतट	174.26	242.020	222.750
योग	624.25	951.099	1462.850

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 के अनुपात में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रोद्भूत होने वाले लाभ पेट्रोलियम के विभाजन संबंधी मामला बारहवें वित्त आयोग को उसके विचारार्थ और सिफारिश के लिए भेजा गया है।

[हिन्दी]

प्लेट फार्म का निर्माण

3844. श्री राकेश सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जबलपुर शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए मदन महल स्टेशन के विकास के लिए गोडवाना एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, कोटा एक्सप्रेस आदि ट्रेनों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो मदन महल स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म का निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) मदन महल स्टेशन पर अनुरक्षण/टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मदन महल स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म के कार्य को 31.08.2005 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

टिकट खरीदने की आधुनिक पद्धति

3845. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों के लाभ हेतु टिकट खरीदने की आधुनिक पद्धति आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त आधुनिक पद्धति लागू कर दी गई है; और

(घ) उक्त पद्धति से यात्री किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू टी एस) और इंटरनेट टिकट पद्धति लागू कर दी गई है।

(ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों में (यू टी एस) अनारक्षित टिकट प्रणाली लागू कर दी गई है।

देश के सभी राज्यों में इंटरनेट टिकट प्रणाली लागू कर दी गई है।

(घ) इन प्रणालियों से बड़ी संख्या में यात्री लाभान्वित हुए हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों के नवीकरण सम्बन्धी मंत्री समूह

3846. श्री सुरेश कलमाडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों के नवीकरण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74 से 49 प्रतिशत तक कम करने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुमोदन से दोनों विमानपत्तनों की बहुत अधिक लम्बित नवीकरण प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अगले चरण अर्थात प्रस्ताव संबंधी अनुरोध चरण (आर एफ पी) में भाग लेने हेतु "रुचि अभिव्यक्ति" आमंत्रण के आधार पर बोलीकर्ताओं के नौ संघों (कंसोर्टिया) का चयन किया गया है। चुने गए बोलीकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श किया गया है। प्रस्ताव संबंधी अनुरोध दस्तावेज को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, चुने गए बोलीकर्ताओं से अपने–अपने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

रेलवे अस्पतालों की स्थापना

3847. श्री दुष्यंत सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रेलवे के कर्मचारियों के लिए कितने अस्पतालों की स्थापना की गई है;

(ख) इन अस्पतालों को किन जोनों में स्थापित किया गया है;

(ग) क्या नवनिर्मित जोनों में कोई नया अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां ऐसा कोई भी रेलवे का अस्पताल नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 121 अस्पताल।

(ख)

मध्य रेलवे	—	11
पूर्व रेलवे	—	9
उत्तर रेलवे	—	12
पूर्वोत्तर रेलवे	—	7
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	11
दक्षिण रेलवे	—	11
दक्षिण मध्य रेलवे	—	5
दक्षिण पूर्व रेलवे	—	6
पश्चिम रेलवे	—	10
पूर्व मध्य रेलवे	—	8
पूर्व तट रेलवे	—	4
उत्तर मध्य रेलवे	—	4
उत्तर पश्चिम रेलवे	—	8
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	—	4
दक्षिण पश्चिम रेलवे	—	4
पश्चिम मध्य रेलवे	—	7
कुल	—	121

(ग) सात नवनिर्मित जोनों में से निम्नलिखित जोनों में नए अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है :

1. उत्तर मध्य रेलवे–नवनिर्मित आगरा मंडल के लिए मंडलीय अस्पताल।

2. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे–नवनिर्मित रायपुर मंडल के लिए मंडलीय अस्पताल।

(घ) इस मंत्रालय में निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे में नवनिर्मित आगरा मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रायपुर मंडल के लिए रेलवे मंडलीय अस्पताल बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आगे की कार्रवाई निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाने पर निर्भर करेगी।

थानुर-गुरूवय्युर रेल लाइन का निर्माण

3848. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थानुर–गुरूवय्युर रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य तीव्रता से नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके निर्माण को तीव्रता से करने और इसे पूरा करने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) इस परियोजना से संबंधित, अंतिम स्थान निर्धारित सर्वेक्षण 50 कि. मी. तक पूरा कर लिया गया है। एलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण के संबंध में स्थानीय आंदोलन किए जाने के कारण आगे का कार्य रोक दिया गया है। इस मामले पर राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

भाड़ा बिलों में अनियमितता

3849. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औचक निरीक्षणों/छापों में भाड़ा बिलों में कई भ्रष्टाचार के मामले और बहुत सी अनियमितताएं पाई गईं जिससे कि राजस्व में बहुत हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004 के आरम्भ से (आज की तिथि तक) छापों/औचक निरीक्षणों के दौरान भ्रष्ट तरीकों की वजह से सरकार द्वारा वहन किया गया खर्च और राजस्व की अनुमानित कितनी हानि हुई;

(घ) औचक निरीक्षण करने/छापे मारने पर हुए खर्च की तुलना में सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ङ) भ्रष्ट पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध और राजस्व की हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। महोदय।

(ख) और (ग) जनवरी, 2004 से अक्टूबर, 2004 के दौरान, 33.58 करोड़ रुपए के अवप्रभारों का पता लगाने के लिए माल रेकों की तुलाई के बारे में निवारक जांच की गई है। अगर ये जांच न की गई होती तो यह राजस्व की संभावित हानि की राशि होती ।

(घ) आकस्मिक जांच करने/छापा मारने के लिए सामान्य कार्य संचालन व्यय से इतर कोई अलग व्यय नहीं हुआ है।

(ङ) अनियमितता के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। राजस्व की हानि नियंत्रित करने के लिए निवारक जांच बढ़ाई गई है।

[हिन्दी]

उत्तर-मध्य रेलवे के अधीन रेलवे स्टेशन

3850. श्री अतीक अहमद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर–मध्य रेलवे के अधीन उन रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां पुरानी सिग्नल पद्धति को आधुनिक पद्धति से बदला गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर–मध्य रेलवे के अधीन उन रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां पुरानी सिग्नल पद्धति अभी भी कार्यरत है; और

(ग) उत्तर–मध्य रेलवे के अधीन सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सिग्नल पद्धति से कब तक सुसज्जित किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उत्तर–मध्य रेलवे पर 292 अन्तर्पाशित स्टेशनों में से 78 स्टेशनों पर पैनल/रूट, रिले/इलैक्ट्रानिक अन्तर्पाशन की आधुनिक सिग्नल पद्धति पहले ही मौजूद है। 132 स्टेशनों पर और कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जोकि मार्च, 2008 तक पूरा किए जाने की सम्भावना

है। जीवट आयु के अनुसार स्टेशनों के प्रतिस्थापन के योग्य होने पर शेष स्टेशनों पर इन कार्यों का प्रस्ताव किया जाएगा।

पंचायतों की लेखा-परीक्षा

3851. श्री रनेन बर्मन : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में या तो पंचायतों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है अथवा लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पूरे देश में पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा की क्या प्रगति है;

(ग) इन राज्यों में लेखापरीक्षा कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ग्यारहवें वित्त आयोग तथा कृतिकबल की सिफारिश पर राज्य सरकारों से विचार–विमर्श के बाद पंचायतों की लेखा–परीक्षा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपने की क्या स्थिति है;

(च) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या विचार व्यक्त किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) पंचायती राज राज्य का विषय है। पंचायती राज मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान (73वां संसोधन) अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन में सहयोग करने और उसकी निगरानी के लिए उत्तरदायी है कि राज्य पंचायती राज अधिनियम संविधान के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है और इसका अक्षरशः कार्यान्वयन करने का प्रयास किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243(त्र) के अनुसार "राज्य विधान मंडल, विधि द्वारा पंचायतों के लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है।" इसलिए यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे पंचायतों के बजट/निधियों की लेखापरीक्षा करवाने के लिए एजेंसी निर्धारित करें। ग्यारहवें वित्त आयोग (2000–01 से 2004–05) द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान के उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों में प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखाओं के समुचित रखरखाव और उनकी लेखा परीक्षा पर नियंत्रण रखने एवं पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(च) राज्य सरकारें इस प्रयोजनार्थ सी ए जी (डी पी सी) की धारा 20 (1) के अंतर्गत अनुरोध करें। दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों के लिए बजट तैयार करने और लेखाओं के रखरखाव के प्रपत्र वही होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के छठे गोलमेज सम्मेलन में गुवाहाटी में 27–28 नवम्बर, 2004 को इस विषय पर चर्चा की गई है राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने सहकारी संघवाद की भावना जो पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन को अभिव्यक्त करता हो, जैसा कि भारत के संविधान के भाग 9 और संबंधित प्रावधानों में निर्धारित है, को ध्यान में रखते हुए बैठक में तय निष्कर्षों के केन्द्र और राज्य द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए अपनी संबंधित सरकारों को सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की। निष्कर्षों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का छठा गोलमेज सम्मेलन–गुवाहाटी
27–28 नवम्बर, 2004

पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि संघीय सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भारत के संविधान के भाग 9 में निर्धारित पंचायती राज और उससे संबद्ध प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी होना आवश्यक है, केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्यवाही के निम्नलिखित मुद्दों की अपनी–अपनी सरकारों को सिफारिश करने के लिए सहमत हुए :

चुनाव

(i) भारतीय मतदाता एक हैं और वे अविभाज्य हैं। इसलिए एक तरफ संसदीय तथा विधान सभा चुनावों तथा दूसरी तरफ पंचायत चुनावों के बीच की समानता के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए, विशेष रूप से यह देखा गया है कि पंचायत चुनावों में लोगों की भागीदारी काफी अधिक होती है और आमतौर पर यह भागीदारी संसदीय/विधान सभा चुनावों की भागीदारी के समान या उससे अधिक होती है। इस प्रकार, उदाहरणस्वरूप, दुर्गम भौगालिक क्षेत्र वाले राज्यों में भी हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में 88 प्रतिशत मतदाताओं ने तथा सिक्किम में 83.5 मतदाताओं ने हिस्सा लिया।

(ii) जबकि पंचायत चुनावों से संबंधित सभी मुद्दे संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों/सरकारों को सौंप दिए गए हैं, फिर भी यदि चुनाव प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों में एकरूपता नहीं लाई जाती है, तो भी इसमें समानता

लाने की जरूरत है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया संबंधी सभी दायित्वों को अलग–अलग हिस्सों में बांटने की बजाय राज्य चुनाव आयोगों को सौंपना वांछनीय होगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) मतदाता सूची तैयार करना

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

(ग) आरक्षण और बारी

(घ) उम्मीदवारों की योग्यता

(ङ) चुनाव कराना, और

(च) चुनाव विवादों में निर्णय लेने के स्तर के रूप में कम करना।

(iii) केन्द्र सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, इन चुनावों को कराने से संबंधित आदर्श संहिता बनाने पर विचार करेगी।

(iv) चुनावों के सभी स्तरों पर एक जैसी मतदाता सूची बनाने के परिप्रेक्ष्य में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयुक्तों के बीच आपसी विचार–विमर्श को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि सरकार के विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर कराए जाने वाले चुनावों के लिए ऐसी मतदाता सूचियों को बनाने, रख–रखाव करने तथा उनका अद्यतन करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। पंचायत एवं नगरपालिका वार्डों को चुनाव के सभी स्तरों की मतदाता सूची के निर्माण इकाई के रूप में माना जाएगा।

(v) पंचायती राज चुनावों से संबंधित नियमों में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए जो संसदीय तथा राज्य विधान सभा चुनावों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

(vi) राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले निवेशों, चुनाव संबंधी जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल, पलायन से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं, जनगणना कार्य से परिसीमन को जोड़ने, राज्य चुनाव आयोगों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने जैसे मुद्दों और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में मशीन को सील न करके केवल इलेक्ट्रॉनिक चिप को सील करना ताकि इन मशीनों का स्पष्ट रूप से पंचायत चुनावों में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे प्रस्तावों पर राज्य चुनाव आयोगों तथा भारतीय चुनाव आयोग के बीच संस्थागत रूप से आपसी बातचीत करने हेतु एक मंच तैयार करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग से संपर्क किया जा सकता है।

(vii) राज्य राज्य–चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और पारिश्रमिक देने पर विचार कर सकते हैं।

(viii) यह सिफारिश की जाती है कि परिसीमन आयोग नियमित रूप से ऐसे राज्य चुनाव आयुक्तों के संपर्क में रहेगा जो परिसीमन प्रक्रिया से होने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग के सदस्य होते हैं।

(ix) पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से राज्य चुनाव आयोगों के इस्तेमाल हेतु ईवीएम की खरीद के लिए धन देने से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी।

(x) जिला आयोजना समितियों के चुनाव जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में प्रावधान है, को भी राज्य चुनाव आयोगों के कार्यक्षेत्र में लाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है।

लेखा-परीक्षा

(i) चूंकि स्थानीय निकाय अब स्थानीय स्व–शासन की संस्थाएं हैं, इसलिए संवैधानिक अनिवार्यता के अपेक्षित स्तर तक स्थानीय कोष लेखा परीक्षा के निदेशक तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों के काम–काज के स्तर को बढ़ाया जाए और इसके लिए डी एल एफ ए और इसी प्रकार के अन्य निकाय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ मिलकर कार्य करें।

(ii) पी आर आई को स्थानीय स्व–शासन की संस्थाएं मानते हुए, पी आर आई स्वयं ही मानकों एवं मानदण्डों की निर्माण प्रक्रिया से जुड़ें और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केवल निधियां देने की बजाय निधियों की व्यवस्था करने और निधियां एकत्र करने पर बल दें।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी लेखा परीक्षा पी आर आई में भ्रष्टाचार को रोकने, कम करने और धीरे–धीरे समाप्त करने में ठोस भूमिका अदा करती है, यह आवश्यक है कि पंचायतों के कार्यों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा और लेखा मानक बनाए जाएं और उनका पालन किया जाए। ये मानक निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्पष्ट, सरल और आसानी से समझ आने वाले होने

चाहिए और इनमें निम्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए :

- लेन देन की जांच–पड़ताल कब की जाए
- किसकी निगरानी की जाए
- लेन–देन को किस प्रकार दस्तावेज में दर्ज किया जाए और
- इनका प्रकटन किस प्रकार किया जाए

(iv) पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली बनाने और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा–परीक्षा (अथवा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अथवा तकनीकी रूप से बताए गए निकायों द्वारा की गई लेखा–परीक्षा) को अनुपूरक बाह्य लेखा–परीक्षा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है।

(v) लेखा–परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए उसमें स्थानीय सरकारी लेखों हेतु राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (एन ए एस वी) गठित किया जा सकता है और राज्य स्तर पर लेखा–परीक्षा आयोग अथवा इसी तरह के नियामक निकायों का गठन करके उसे पूरक बनाया जा सकता है।

(vi) इसके अलावा, राज्य विधान मण्डलों के पंचायती राज समितियों को प्रस्तुत करने के लिए विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं अथवा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के लिए लोक लेखा समितियों का गठन करने के लिए राज्य विधान मण्डल में व्यवस्था की जा सकती है। लेखा–परीक्षा पैरा की व्यवस्था के लिए राज्य स्तरीय समितियों, जैसा कि आंध्र प्रदेश में है, पर भी विचार किया जा सकता है।

(vii) निर्वाचित स्थानीय प्राधिकरणों के लिए उपयुक्त वित्तीय जवाबदेही अधिनियम बनाकर ऐसी सांस्थानिक व्यवस्थाओं को संपूरित करना उपयोगी होगा।

(viii) ऐसे उपायों के माध्यम से अर्थात् जैसा कि ग्राम पंचायतों को मानक संविदा के लिए अभिप्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंड नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, लेखा–प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा सकता है।

(ix) कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों को बेहतर लेखा–प्रक्रिया तथा लेखा–परीक्षा विधियों के बारे में प्रशिक्षण देने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस संदर्भ में, राज्य सरकारों को नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक के संरक्षण में कार्यरत क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों विशेषकर कोलकाता स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आर.टी.आई.), जिसे भारतीय सार्वजनिक लेखा–परीक्षक संस्थान (आई.पी.ए.आई) के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ केन्द्र घोषित किया गया है, का पूरा उपयोग करने को कहा गया है। प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त अतिरिक्त वित्तपोषण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(x) ऐसी राज्य सरकारें, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) योजना सहित लेखा–प्रक्रिया और लेखा–परीक्षा कार्यों के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लगाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की है, उन्हें ऐसा करने को कहा जाता है और निम्न के संबंध में इंडियन एण्ड ऑडिट एकॉउन्ट्स डिपार्टमेन्ट के प्रकाशन की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है :

(क) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखा–परीक्षा प्रक्रिया मानक

(ख) पंचायती राज संस्थाओं की लेखा–परीक्षा और लेखों के अभिप्रमाणन के लिए दिशा–निर्देश

(ग) ग्राम पंचायतों की लेखा–परीक्षा का प्रशिक्षण माड्यूल।

(xi) देश भर में लाखों ग्राम पंचायतों, हजारों मध्यवर्ती पंचायतों और सैकड़ों जिला परिषदों में औपचारिक लेखा परीक्षा कार्य को करने के लिए स्टॉफ की कमी को देखते हुए यह जरूरी है कि लेखों का ऑटोमेशन और कंप्यूटरीकरण यथासंभव तीव्र गति से कराया जाए तथा इस उद्देश्य के लिए रोजमर्रा के लेखों के कार्य के लिए, जैसा कि उड़ीसा राज्य सरकार के लिए जेवियर इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर द्वारा तैयार किया जा रहा है और जिसके 2004 के आरंभ में तैयार हो जाने की आशा है जैसे सॉफ्टवेयर को यथासंभव प्रत्येक जगह भेजा जाए।

(xii) सामाजिक लेखा परीक्षा, औपचारिक लेखा–परीक्षा का पूरक है और पंचायती राज के सुदृढ़ और स्वस्थ विकास के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और औपचारिक लेखा–परीक्षाओं के बीच एक सहजीवी रिश्ता स्थापित किया जाए।

(xiii) सामाजिक लेखा परीक्षा को ग्राम सभा के स्तर पर लिया जाना चाहिए पर उसे पंचायती राज प्रणाली के उच्च

स्तरों पर भी लिया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया जाता है।

(xiv) सामाजिक लेखा–परीक्षा प्रभावी हो और विभिन्न राज्यों में उपलब्ध श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित हो, इसके लिए, राज्य विधान सभाओं/सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु सामाजिक लेखा–परीक्षा नीतियों को बनाने पर विचार किया जा सकता है ताकि एक ढांचा तैयार किया जा सके जिसके भीतर सामाजिक लेखा–परीक्षा कार्य किया जा सके। इस तरह की सामाजिक लेखा–परीक्षा नीतियां, पंचायतों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने में सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ गुणवत्ता मूल्यांकन, वरीयताओं की सुनिश्चितता और चयन के प्रावधान द्वारा औपचारिक लेखा–परीक्षा प्रक्रिया के पूरक के रूप में भी कार्य कर सकती हैं साथ ही, सामाजिक लेखा–परीक्षा नीतियों में अकारण परेशानियों को रोकने के लिए संस्थागत उपायों का प्रावधान किया जाए।

(xv) सामाजिक लेखा–परीक्षा के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, वैधानिक निकाय और विनियमन प्राधिकारी, सामाजिक लेखा–परीक्षा पैराओं को औपचारिक लेखा–परीक्षा के समतुल्य मानें ताकि एक समयबद्ध तरीके से उन पर विचार और उनका निपटान किया जा सके।

(xvi) प्रभावी सामाजिक लेखा–परीक्षा के लिए जानकारी को समग्र रूप से बताने की अत्यंत महत्ता को देखते हुए, राज्य, सूचना के अधिकार से संबंधित एक विधान पारित करने पर विचार कर सकते हैं और इसमें राजस्थान जैसे राज्यों में पहले से ही मौजूद लिखित विधान को भी देखा जा सकता है।

इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन

3852. श्री कैलाश जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर–दाहोद रेल लाइन वाया धार मेघनगर लाइन बिछाने के लिए किस तारीख को सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) इस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा इस पर कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) लाइन बिछाने के लिए अब तक कितना कार्य किया गया है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) दाहोद–झाबुआ, सरदारपुर एवं धार तथा देवास–मक्सी (316 कि.मी.) के रास्ते गोधरा–इंदौर से नई लाइन के निर्माण संबंधी परियोजना को बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना पर, देवास–मक्सी खंड (36 कि.मी.) पर निर्माण पहले ही पूरा हो गया है तथा लाइन 31.1.2003 से प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि, परियोजना संबंधी बकाया कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जानी अभी बाकी हैं। इसके लिए जुलाई, 2004 में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

परियोजना की प्रत्याशित लागत लगभग 900 करोड़ रु. है।

(घ) बकाया परियोजना को पूरा करने के लिए कोई भी लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

विद्युतीकरण परियोजनाएं

3853. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण रेलवे में बहुत जल्द कोई नई विद्युतीकरण परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत तमिलनाडु के विभिन्न भागों में चल रहे विद्युतीकरण कार्य की अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की क्या तारीख है तथा इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तमिनाडु में दक्षिण रेलवे के अंतर्गत बिजली संबंधी कोई कार्य नहीं चल रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थायी निर्माण

3854. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए भारत–पाकिस्तान सीमा पर रक्षा से संबंधित स्थायी निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर कितना अनुमानित खर्च आने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत–पाक सीमा पर स्थाई निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पर लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से 734 किलोमीटर लम्बी बाड़ का निर्माण किया गया है।

[अनुवाद]

डी टी एच में विलंब

3855. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री गणेश सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती निगम की 500 करोड़ रु. की महत्वाकांक्षी डायरेक्ट–टु–होम (डीटीएच) परियोजना, जिसका कि प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाना था, उसे विलंबित किया गया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने निजी चैनलों को शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति की है;

(ग) क्या परियोजना की मंजूरी में विलंब का अन्य कारण यह है कि उद्यम पहले दो वर्षों में वित्तीय तौर पर व्यवहार्य नहीं होगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) दूददर्शन के डीटीएच समूह में निजी फ्री–टु–एयर चैनलों को शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त था। परियोजना को शुरू करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। इस परियोजना को समापन की लक्षित तारीख के भीतर पूरा कर लिया गया था।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते क्योंकि इस परियोजना को निर्धारित अवधि के भीतर चालू कर दिया गया है।

(ङ) इस परियोजना को दिनांक 16.12.2004 को प्रारंभ कर दिया गया है।

रैकों के आवंटन में वृद्धि

3856. श्री मधुसूदन रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे में आदिलाबाद से बांग्लादेश को सोयाबीन केक के निर्यात के लिए रैकों के आवंटन में वृद्धि से संबंधित कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) आदिलाबाद रेलवे स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे को बंगलादेश को सोया खली केक का निर्यात करने के लिए प्रति माह कम से कम 10 रैक सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) बांगलादेश रेलवे द्वारा रैकों की सीमित स्वीकृति के कारण भारतीय रेलें कोटा योजना के अंतर्गत बांगलादेश को यातायात का लदान नियमित करने के लिए बाध्य हैं। कोटा पिछले वर्ष के निष्पादन और भारतीय रेल प्रणाली पर बांगलादेश के लिए लंबित मांगों के अनुपात में होता है। अतः आदिलाबाद रेलवे स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे अथवा किसी अन्य स्टेशन की प्रतिमाह 10 रैक आवंटित करना संभव नहीं है। सभी मांगपत्र बारी तथा कोटे में प्राथमिकता के अनुसार क्लीयर किए जाते हैं तथा इस योजना का कड़ाई से अनुसरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

3857. श्री सुनील खां : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों को विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का एक रुग्ण उद्यम है। सरकार ने इस मंत्रालय

द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/हानि उठा रहे उद्यमों के भविष्य पर उपयुक्त सिफारिश करने के लिए लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया है।

(ख) ऐसी स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार कुछ कंपनियों के संबंध में प्राप्त हुए प्रतिवेदनों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए मंत्रालय के प्रस्ताव पर लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

(ङ) संसाधनों की अपव्ययगमनीय केन्द्रीय धनराशि (नॉन–लैप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज) (एन.एल.सी.पी.आर.) के अंतर्गत वित्तपोषित औद्योगिक परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	बालीपारा औद्योगिक विकास केन्द्र, सोनितपुर, असम में विद्युत लाइन	8.73	3.05
2.	सरूसजाई से बैरनीहाट, मेघालय तक 132 के वी डी/सी लाइन का निर्माण	9.78	9.78
3.	बॉस प्रोसेसिंग उद्योग, मिजोरम	4.00	4.00

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए आईओसीएल का प्रस्ताव

3858. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन का विचार अन्य देशों के सहयोग से एलएनजी संयंत्रों की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में ये विद्युत संयंत्र कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) प्रतिवर्ष 9.0 मिलियन टन एलएनजी को उत्पादन करने के लिए अपस्ट्रीम सुविधा और संबंधित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) सुविधाओं से संबंधित एक एकीकृत परियोजना का संयुक्त रूप से विकास करने के लिए नेशनल इरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी), ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी को एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ईरान की पेट्रोपार्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे विकास और निवेश कार्य, एनआईओसी द्वारा कार्य प्रदान करने, आईओसीएल और पेट्रोपार्स के साथ एनआईओसी द्वारा आवश्यक समझौते पर हस्ताक्षर करने और संबंधित कंपनियों द्वारा दिए गए नवेश अनुमोदनों पर निर्भर करेगा।

आईओसीएल द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु के निकट एन्नौर में एलएनजी आयात टर्मिनल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। परियोजना में मलेशिया के सहयोग के प्रश्न पर पेट्रोलियम मंत्री ने मलेशिया के प्रधान मंत्री से बातचीत की।

(ख) एलएनजी परियोजनाएं विद्युत संयंत्र नहीं हैं।

सांस्कृतिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

3859. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में नए सांस्कृतिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) नए सांस्कृतिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने की मौजूदा स्कीम के तहत, राज्य सरकारों को 50–50 के अनुपात के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यह अनुपात 90 और 10 का है।

(घ) राज्य–वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों के लिए संस्वीकृत राशि

(रुपए लाख में)

राज्य	1992–1993	1993–1994	1994–1995	1995–1996	1996–1997	1997–1998	1998–1999	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004
सिक्किम	5.00	10.00	50.00	—	—	—	—	—	—	—	335.00	—
नागालैंड	—	20.00	50.00	—	30.00	—	—	—	50.00	—	—	—
मणिपुर	—	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	25.00	—	—	25.00	—	—	25.00	50.00	—	35.62
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	25.00	—	—	—	71.87
पश्चिम बंगाल	15.00	20.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	20.00	50.00	—	—	20.00	—	—	—	—	—	50.00
उड़ीसा	—	—	—	—	25.00	—	—	—	—	—	—	75.00
जम्मू–कश्मीर	—	—	—	—	50.00	—	25.00	25.00	—	—	—	62.50
कर्नाटक	—	—	—	67.00 बेल्लारी	40.00 (हासन)	33.00 (बेल्लारी)	—	—	—	—	—	—
बिहार	—	—	—	—	—	15.00	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	—	—	—	—	—	25.00	—	—	25.00	—	—	—
केरल	—	—	—	—	—	25.00	—	50.00	25.00	—	—	100.00
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	25.00	—	—	—	20.00	—	55.00
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	25.00	25.00	25.00	—	25.00
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.00	100.00
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.00	—

छंटनी किए गए वाष्प इंजन कर्मचारियों को नौकरी देना

3860. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छंटनी किए गए पांच हजार वाष्प इंजन कर्मचारियों को नौकरी देने का हाल ही में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सेवाओं को किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय द्वारा किसी भी नियमित भाप इंजन कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है। भारतीय रेलों पर भाप इंजनों का युग समाप्त होने पर, भाप इंजन कर्मचारियों को पुनः नियोजित किया गया है। बहरहाल, भाप कर्षण से संबंधित कोयले व राख की सम्हलाई संबंधी क्रियाकलापों में बहुत सारे ठेकागत श्रमिक लगे

थे। चूंकि यह कार्य अब नहीं है, इसलिए ठेके समाप्त कर दिए गए हैं।

कोयला तथा राख सम्हलाई संबंधी कार्यों सहित ठेके के माध्यम से रखे गए श्रमिकों को नियमित/नौकरी पर रखने के मामले पर माननीय न्यायालयों तथा सरकार द्वारा कई बार विचार किया गया है।

विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और सरकार के निर्णयों के आधार पर यह विनिश्चय किया गया है कि उन ठेकागत श्रमिकों को रेलों पर आवश्यकतानुसार समाहित किया जाए, जो भर्ती नियमों की न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हों।

तलचर और पारादीप के बीच दूसरी रेल लाइन

3861. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तलचर और पारादीप के बीच दूसरी रेल लाइन पर किए जा रहे कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपरोक्त लाइन पर कितने रेलवे पुलों का निर्माण होना है तथा कितने पुल पहले ही बन चुके हैं;

(ग) क्या इसमें कोई कठिनाई सामने आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूसरी रेल लाइन के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) तलचर और पारादीप के बीच, तलचर–निरगुण्डि–केंद्रपाड़ा रोड (109 किमी) और रघुनाथपुर–रहामा–पारादीप (52 किमी) खंडों का दोहरीकरण हो गया है। शेष खंडों अर्थात केंद्रपाड़ा रोड–कटक–रघुनाथपुर (33.107 किमी) पर दोहरीकरण के कार्य प्रगति पर हैं।

(ख) तलचर–कटक–पारादीप मार्ग पर निर्माण करने के लिए अपेक्षित 373 रेलवे पुलों में से अभी तक 345 पुलों का निर्माण हो चुका है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तलचर और पारादीप के बीच, तलचर–निरगुण्डि–केंद्रपाड़ा रोड़ (109 किमी) और रघुनाथपुर–रहामा–पारादीप (52 किमी) दोहरी लाइन खंड को चालू कर दिया गया है। केंद्रपाड़ा रोड़ और रघुनाथपुर के बीच लंबाई में से केंद्रपाड़ा–कटक (2.107 किमी) भाग पर बिरूपा नदी के ऊपर दूसरे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और महानदी नदी के ऊपर दूसरे पुल का निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा शुरू किया जा रहा है। कटक–रघुनाथपुर (31 किमी) भाग में दोहरीकरण संबंधी कार्य वर्ष 2005–06 के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

हिमगिरी एक्सप्रेस में डकैती

3862. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलिस गश्ती दल की तैनाती न होने के कारण हिमगिरी एक्सप्रेस तथा अन्य रेलगाड़ियों में हाल ही में डकैती की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेलों पर 31 अक्टूबर, 2004 के दौरान हिमगिरी एक्सप्रेस सहित विभिन्न रेलगाड़ियों में डकैती की 30 घटनाएं हुई हैं। 6.10.2004 को लगभग 7.30 बजे हिमगिरी एक्सप्रेस में लखी सराय और हाथीडाट रेलवे स्टेशन पर एक डकैती हुई थी। स्थानीय लोगों की सहायता से यात्रियों ने 2 शरारती तत्वों को पकड़ा और उनके पास से 500 रु. नकद, एक मोबाइल फोन और एक सोने की चेन बरामद हुई। इस रेलगाड़ी का मार्गरक्षण राजकीय रेल पुलिस/रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा नहीं किया जाता। रेल सुरक्षा के मार्गरक्षियों की तैनाती रेलगाड़ियों में राजकीय रेल पुलिस को सहायता देने के लिए की जाती है।

(ग) रेलगाड़ियों से यात्रा कर रहे लोगों की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में संशोधन किया जाता है ताकि अपराध नियंत्रण में रेल सुरक्षा बल, राज्य सरकार की राजकीय रेल पुलिस के प्रयत्नों में प्रभावपूर्ण सहयोग देने में समर्थ बन सके। 1 जुलाई, 2004 से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए रेल सुरक्षा बल के मार्गरक्षी दलों को जहां तक संभव हो सकता है महत्वपूर्ण गाड़ियों की मार्गरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता के लिए विभिन्न निर्धारित ड्यूटियों से वापिस बुलाकर तैनात किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए तथा राजकीय रेल पुलिस (जी आर पी) के प्रयासों के सहायतार्थ रेल परिसरों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए रेल सुरक्षा बल के लगभग 1288 गार्ड/मार्गरक्षी दलों की प्रतिदिन तैनाती की जाती है। रेल सुरक्षा बल की तैनाती कानून और व्यवस्था कायम करने में राज्य सरकार की पुलिस संबंधी उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप किए बिना की जाती है।

रेल सुरक्षा बल की रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती में तेजी लाई गई है।

[अनुवाद]

स्थानांतरण नीति

3863. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग की अपने कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जो अधिकारी कठिन स्थान पर अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, वे बाद में अपनी इच्छा के अनुसार पोस्टिंग लेने के पात्र होते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ मामलों में स्थानांतरण नीति के उक्त मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा विभाग, तीनों सशस्त्र सेनाओं, तटरक्षक तथा सिविलियनों जिनमें अफसर तथा अन्य रैंक दोनों ही शामिल हैं, से मिलकर बना है। इन ग्रुपों का कार्य–ब्यौरा और संक्रियात्मक अपेक्षाएं अलग–अलग हैं और इनके लिए एक जैसी स्थानांतरण नीति की आवश्यकता नहीं होती। तदनुसार, सेवा संबंधी आवश्यकताओं के अध्यधीन, प्रत्येक यूनिट की विशिष्ट जरूरतों, दुर्गम क्षेत्रों व अपेक्षाकृत कम कठिनाई वाले स्टेशनों पर बारी–बारी सेवावधि के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, रक्षा विभाग के विभिन्न घटकों के लिए स्थानांतरण नीति भिन्न–भिन्न होती है।

(ग) से (च) एक कठिन सेवावधि पूरी होने पर, संक्रियात्मक और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अध्यधीन, पसंद के स्टेशन पर तैनाती किए जाने पर सामान्यत: विचार किया जाता है।

विएतनाम से परा-एशियाई रेल संपर्क की स्थापना

3884. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री बी. विनोद कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड, कंबोडिया और बर्मा के रास्ते विएतनाम और भारत के बीच परा एशियाई रेल संपर्क स्थापित करने की संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए बिमस्टेक देशों के प्रतिनिधियों की दिल्ली में 20 और 21 सितंबर को बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। बैठक के दौरान विचारार्थ मुद्दों की कार्यसूची में ट्रांस–एशियन रेलवे का मुद्दा भी शामिल था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विमानन सुरक्षा प्रावधान का उल्लंघन

3885. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथियारों और गोली–बारूद से सुसज्जित राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सेसना वायुयान से तमिलनाडु पुलिस दल को ले जाया गया और बी सी ए एस द्वारा निर्धारित विमानन सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान की उड़ान से पूर्व राज्य सरकार ने यात्री सूचना की जानकारी दे दी थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में राज्य सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस मामले में और क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार के सेसना हवाई जहाज में 6 कार्बाइन और 1 पिस्तौल सहित पुलिस कमांडो के एक दल को लेकर 11 नवम्बर, 2004 को चेन्नै हवाईअड्डे से उड़ान भरी।

मौजूदा निदेशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनियमित उड़ान में शस्त्र, गोला–बारूद, विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

ओएनजीसी विदेश को अपना निवेश बढ़ाने की अनुमति

3866. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को रूस में सखालिन 1 आयल एंड गैस आयलफील्ड में अपना निवेश बढ़ाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को प्रतिवर्ष कच्चे तेल और गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है तथा ये कितने वर्षों तक उपलब्ध रहेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार ने रूस में सखालिन–1 परियोजना में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के 1.7 बिलियन अमरीकी डालर के वर्तमान अनुमोदन से ऊपर 1.07 बिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त निवेश, अर्थात् कैश रिंग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

अतिरिक्त निवेश में परियोजना की विकास लागत के लिए ओवीएल का अपने स्वयं का निवेश तथा रूसी पक्षकारों को उनके शेयरों की लागत के लिए दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं। रूसी पक्षकारों द्वारा ऋण की ब्याज सहित वापसी ओवीएल को की जाएगी।

(ग) इस परियोजना द्वारा शीर्ष उत्पादन वर्ष में करीब 12.5 मिलियन टन तेल तथा 10 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) गैस का उत्पादन करने की संभावना है, जिसमें से ओवीएल का हिस्सा 20 प्रतिशत होगा। इन क्षेत्रों से 40 वर्षों की कालावधि में 307 मिलियन टन तेल तथा 485 बीसीएम गैस का कुल उत्पादन अनुमानित है।

लंबित करूर-सेलम बड़ी लाइन

3837. श्री एस. के. खारवेथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि करूर–सेलम बड़ी लाइन को आरंभ करने की मांग काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए आवश्यक भूमि अधिगृहित कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा क्या परियोजना में विलंब के कारण इसकी लागत बढ़ती जा रही है; और

(ङ) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। इस लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस संबंध में 343.78 हेक्टेयर भूमि में से 333.845 हैक्टेअर भूमि अधिगृहित कर ली गई है। तथापि, भूमि प्राप्त करने के संबंध में आए कानूनी व्यवधानों से इस कार्य की प्रगति पर असर पड़ा है।

(घ) इस परियोजना की मूल लागत 136 करोड़ रु. थी और इस समय इस परियोजना के 229.88 करोड़ रु. की अनुमानित लागत स्वीकृत की गई है।

(ङ) इस परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार की ओर से रेलवे को भूमि सौंपने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मंगलौर में पेट्रोलियम काम्पलैक्स

3868. श्री विजय कृष्ण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी का विचार मंगलौर में पेट्रोलियम काम्पलैक्स स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी ने उक्त काम्पलैक्स की व्यवहार्यता के संबंध में परियोजना रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल

कंपनियों की ओर से कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एक पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना की परिकल्पना की गई है। परियोजना प्रस्ताव संकल्पना स्तर पर है।

मिसाइल शस्त्र प्रणाली में खराबी

3869. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृति परीक्षण के दौरान शटल–1 जमीन से हवा में मार करने वाली रूस द्वारा निर्मित मिसाइल शस्त्र प्रणाली क्रीवाक–3 क्लास फ्रीगेट, आई एन एस तलवार में खराबी उत्पन्न हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नौसेना कमांडर ने रूस में खराब शस्त्र प्रणाली को स्वीकृति देने से इंकार कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या युद्धपोत की डिलीवरी में एक वर्ष से अधिक का विलंब हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या रूस ने अनुबंध में विनिर्दिष्ट विलंब के लिए अर्थदंड का भुगतान कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) से (च) जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल शस्त्र प्रणाली के असन्तोषजनक कार्य–निष्पादन के कारण प्रथम फ्रीगेट, आई एन एस तलवार की सुपुर्दगी में विलंब हुआ। इसकी सुपुर्दगी, मूल सुपुर्दगी तारीख से 13 माह बाद की गयी थी। निर्धारित हर्जाने के मूल्यांकन के लिए जैसाकि संविदा में दिया गया था, वार्ता प्रगति पर है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन की कवरेज

3870. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र के माध्यम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को कितने प्रतिशत लोग देख पाते हैं;

(ख) क्या इसके कवरेज क्षेत्र में विस्तार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश की स्थलीय रूप से 77.1 प्रतिशत जनसंख्या को तकनीकी रूप से डी.डी. सिगनलों द्वारा कवर किया जाता है। तथापि, दूरदर्शन द्वारा संपूर्ण राज्य को उपग्रह प्रणाली में कवर किया जाता है।

(ख) और (ग) सागर और छतरपुर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों के वर्ष 2006 तक पूरा होने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में स्थलीय प्रणाली में दूरदर्शन की जनसंख्या में 79.2 प्रतिशत तक वृद्धि होने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानों को चलाने के लिए ठेके

3871. श्री अधीर चौधरी :
श्री उदय सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पिछले कुछ वर्षों में शुल्क मुक्त दुकानों को चलाने के लिए ठेके दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ऐसे ठेक देने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) (i) मैसर्स भारतीय पर्यटन विकास निगम को दिनांक 1.1.2001 से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नै तथा त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डे पर 5 वर्ष अविध के लिए शुल्क मुक्त दुकानें चलाने का ठेका दिया गया है। (ii) मैसर्स फ्लेमिंगो इंटरनेशनल लि., दुबई, यू.ए.ई. को दिनांक 12.12.2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए

जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, गुवाहाटी हवाईअड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें चलाने तथा त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डे पर एक अतिरिक्त शुल्क मुक्त दुकानें चलाने एवं दिनांक 30.1.2004 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नै, अहमदाबाद, कालीकट तथा गोवा हवाईअड्डे पर शुल्क मुक्त दुकानें चलाने का ठेका दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ई एम यू उपनगरीय सेवाएं

3872. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2001 (रेलवे) की रिपोर्ट संख्या 9 के पैरा 2.2 पर ई एम यू उपनगरीय के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उपनगरीय यातायात के संबंध में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सड़कों पर जाम (भीड़–भाड़) को कम करने के लिए यात्रियों को वहनीय कीमत पर त्वरित एवं सुगमतापूर्वक ढंग से लोक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है।

रेल लाइनों का नवीकरण

3873. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल की ऐसी कितनी लाइनें हैं जिनका नवीकरण किया जाना अपेक्षित है और वर्ष 2003 में अभी तक कुल कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) वर्ष 2004–05 के दौरान कितनी रेल लाइनों का नवीकरण किया जाना है और अभी तक कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए रेल लाइनों के नवीकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या भारतीय रेल में लाइनों के नवीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कुल 16538 कि.मी. लम्बे रेलपथ का 1.04.04 तक नवीकरण किया जाना था और इसे वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 के दौरान विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (एस आर एस एफ) के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। 1.4.2001 के उपरांत नवीकरण के लिए बकाया रेलपथ मूल्य ह्रास आरक्षण निधि (डी आर एफ) के अंतर्गत स्वीकृत हो गया जिसकी स्थिति निम्नलिखित है :

वर्ष	रेलपथ के नवीकरण की मंजूरी (कि.मी. में)
2002–03	1986
2003–04	2932

वर्ष 2003 से कुल हासिल की गई प्रगति और उपगत व्यय निम्नलिखित है :

वर्ष	प्रगति (कि.मी. में)	व्यय करोड़ रु. में (सकल)
2002–03	4776	3298
2003–04 (अनंतिम)	4986	3486

(ख) विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	रेलपथ के नवीकरण की मंजूरी (कि.मी. में)	नवम्बर, 2004 तक कुल हासिल की गई प्रगति (कि.मी. में)
2004–05	2736	3006

(ग) वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रेलवे ने 23,000 कि.मी. रेलपथ के नवीकरण की योजना बनाई है। अब तक (नवम्बर, 04 तक) 12678 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण किया चुका है।

धन की आवश्यकता और योजना के आकार को ध्यान में रखते हुए रेलपथ के नवीकरण के लिए रेलवे ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। तदनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाई गई है।

(घ) जी, नहीं। विशेष रेलवे सुरक्षा निधि के निर्धारण से पहले, रेलपथ के नवीकरण की प्रगति वर्ष 2000–2001 के दौरान 3000 कि. मी. थी। वर्ष 2003–04 के दौरान अब यह बढ़कर लगभग 5000 कि.मी. हो गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता

3874. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल कंपनियों से यह कहा है कि वे तेल क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में एकजुट होकर पूर्ण सक्षम बनें और विशेषज्ञता हासिल करें;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को देश की अर्थव्यवस्था को वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाली तेल कंपनियों में तब्दील करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान आज की तिथि तक एनएलईपी के अंतर्गत तेल कंपनियों को कितने ब्लाक दिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की आधारभूत दक्षता में सुधार करने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन और उनकी विशेषज्ञता को समन्वित करना एक सतत प्रक्रिया है। इस संदर्भ में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों के साथ बैठकें भी नियमित रूप से की जाती हैं। देश में तेल उद्योग के लिए उदारीकरण की नीति के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की आधारभूत दक्षता पर विचार विमर्श करते समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों ने व्यापार संवृद्धि और विविधीकरण के समाकलित प्रस्ताव को विकसित करने के विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा की है। अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रयास है कि तेल कंपनियां अपने आपस में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, विशेष रूप से विदेश स्थित परियोजनाओं के लिए, अपने आधारभूत व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपने इष्टतम स्रोतों का उपयोग करें। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से संबंधित मामलों सहित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ऊर्जा को समन्वित करने के लिए सलाह देने के लिए एक छह सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है। अब तक इस संबंध में कोई औपचारिक निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) वर्ष 2003–04 के दौरान एनईएलपी–4 के तहत विभिन्न संयुक्त उद्यमों को 20 ब्लाक प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर स्टालों/टेलीफोन बूथों का आवंटन

3875. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर स्टाल और टेलाफोन बूथों से संबंधित कुछ आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में रेलवे स्टेशनों पर एस टी डी/आई एस डी/पी सी ओ बूथों सहित स्टालों का आवंटन आवश्यकता पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न रेलों/मंडलों पर चयन की प्रक्रिया समकालिक नहीं होती। क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवश्यकता के आधार पर चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है और प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

एच एम टी को पुनः चालू करना

3876. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एचएमटी पुनरुद्धार योजना 2000 से एचएमटी वाच फैक्टरी, बंगलौर, एच एम टी चिनार वॉच फैक्टरी श्रीनगर, एच एम टी टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के अनुवीक्षण में सुधार हुआ है;

(ख) पुनरुद्धार योजना 2000 के बाद से उक्त सहायक कंपनियों को फैक्टरी–वार कितना लाभ व हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार उक्त सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो पुनरुद्धार योजना 2000 के अंतर्गत कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) लाभ और हानि का एक विवरण नीचे दिया गया है।

(रुपए लाख में)

इकाई/प्रभाग	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004
एचएमटी वाचिज लिमिटेड	–5918	–10629	–11291	–13481
एचएमटी चिनार वाचिज लि.	–795	–1016	–631	–2192
एचएमटी मशीन टूल्स लि.	–9617	–7065	–10205	–11908

(ग) जी, हां।

(घ) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उठाये गये कदमों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एचएमटी तथा सहायिकाओं (सहायिकाओं–एचएमटी वाच फैक्टरी, बंगलौर, एचएमटी चिनार वाचिज फैक्टरी, श्रीनगर और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर सहित) के लिए पुनरुद्धार योजना 2000 में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की भी मांग की गयी है। इसके अलावा, निवल मूल्य को धनात्मक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश तथा एचएमटी वाचिज में कार्यशील पूंजी के लिए 40 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी तथा मार्च, 2000 तक कर्मचारियों की सभी बकाया सांविधिक देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। एचएमटी चिनार वाचिज, श्रीनगर को तीन वर्षों के लिए वेतन सहायता भी दी गयी। इसके अलावा, वीआरएस देकर जनशक्ति में भी कटौती करके कार्मिकों की संख्या 6947 कर दी गयी जिसके लिए एचएमटी द्वारा केन्द्रीय सरकारी गारंटी पर 469 करोड़ रुपये उधार लिये गये। कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं, अवकाश यात्रा रियायत, अर्जित अवकाश नकदीकरण आदि का भी यौक्तिकीकरण किया गया है। हॉल ही में, सरकार ने 31.07.2004 तक की अवधि के लिए वेतन/मजदूरी और सांविधिक देयताओं के भुगतान में हुई कमी को पूरा करने के लिए एचएमटी वाचिज के लिए 29.39 करोड़ रुपए, चिनार वाचिज के लिए 4.87 करोड़ रुपए तथा एचएमटी मशीन टूल्स के लिए 5.81 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की है।

[अनुवाद]

राजस्थान में स्मारकों की सुरक्षा

3877. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्मारकों के संरक्षण और संग्रहालयों के अनुरक्षण के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में स्मारकों और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की पाण्डुलिपियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग किया गया था;

(घ) यदि हां, तो यह धनराशि किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई गई थी;

(ङ) क्या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पुरातत्वीय, ऐतिहासिक तथा वास्तुशिल्पीय महत्व के सौ वर्ष से अधिक पुराने किसी भवन अथवा स्थल को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की अपेक्षाओं के अनुसार संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकता है। संरक्षित स्मारकों के लिए, संरक्षण कार्य सतत आधार पर किया जाता है। पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों का रखरखाव एवं उन्नयन भी नियमित रूप से किया जाता है।

(ख) राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक सौ उनसठ संरक्षित स्मारक हैं। इन स्मारकों के संरचनागत संरक्षण एवं रासायनिक परिरक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर उनकी वास्तविक जरूरत के मुताबिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। पाण्डुलिपियों की सुरक्षा और संरक्षण राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन के अधीन की जा रही है। पाण्डुलिपियों के संरक्षण के वास्ते राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में पाण्डुलिपि संरक्षण केन्द्र तथा पाण्डुलिपि संसाधन केन्द्र खोले गए हैं। पिछले वर्षों के दौरान व्यय की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

मद	वर्ष	व्यय (रुपए लाखों में)
स्मारकों का संरक्षण	2001–02	249.25
	2002–03	196.94
	2003–04	372.47
पाण्डुलिपियों का संरक्षण	अब तक	10.68

(ग) जी, हां।

(घ) आवंटित निधियों का उपयोग स्मारकों तथा पाण्डुलिपियों के संरक्षण के लिए किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

निशक्तता दिवस

3878. श्री एम. शिवन्ना : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 दिसम्बर, 2004 को निशक्तता दिवस मनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस विशेष दिन पर निशक्त लोगों के कल्याण और लाभ के लिए कोई विशेष पहलें कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के अनुसार प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति दिवस मनाया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति कल्याण पुरस्कार योजना के तहत, भारत सरकार व्यक्तियों और संस्थाओं को निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दे रही है। इस योजना का विवरण और 2004 में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।

कोलकाता दूरदर्शन/रेडियो केन्द्र से प्रसारण

3879. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोलकाता दूरदर्शन/ऑल इण्डिया रेडियो केन्द्रों से कुल कितने घंटे प्रसारण नहीं हो सका है और ऐसे व्यवधान के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अबाध प्रसारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कोलकाता में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रमों के टेलीकास्ट/प्रसारण के व्यवधानों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

वर्ष	दूरदर्शन*		आकाशवाणी#	
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट
2001–02	09	09	255	29
2002–03	10	12	231	18
2003–04	10	02	160	48

* दूरदर्शन के आंकड़ों में उपग्रह चैनल डी डी बंगला, डी डी 1, डी डी (न्यूज) और क्षेत्रीय उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के सभी स्थलीय प्रसारण शामिल हैं।

\# आकाशवाणी के आकंड़ों में आकाशवाणी कोलकाता के सभी ट्रांसमीटर शामिल है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि व्यवधान आमतौर पर विद्युत आपूर्ति/उपकरणों की खराबी के कारण होते हैं। दूरदर्शन ने विद्युत आपूर्ति ठप्प होने को कम से कम करने के लिए केन्द्र को डीजल जेनरेटर प्रदान किए हैं। प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा संबंधित प्राधिकरणों से अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। उपकरणों में खराबी को प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा मुस्तैदी के साथ तत्काल ठीक किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की सूची में और जातियां शामिल करना

3880. श्री अजीत जोगी :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री मोहन जेना :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नई जातियों को शामिल करने के संबंध में क्या मानदंड/प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ख) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिसमें गुजरात सरकार और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी भी शामिल है, से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में और जातियों को शामिल करने के संबंध में कुछ प्रस्ताव/अनुच्छेद प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने भी अनुसूचित जाति की सूची में हरि (नायक) और पाल गडरिया को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान आज की तारीख तक जाति के नाम सहित प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अभी तक सूची में शामिल की गई जातियों के नाम सहित राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रत्येक अनुरोध/प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन जातियों के नाम क्या हैं जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन को वापस भेजा गया है तथा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार इसके क्या कारण हैं और इन्हें सूची में कब तक शमिल किया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) अनुसूचित जातियों की सूची

में समुदाय को शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदंड अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न अत्यन्त सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है।

अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में समुदाय को शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मानदंड अपनाया है जिसमें पिछड़ापन के विभिन्न साामजिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं।

(ख) जी, हां। अनुसूचित जातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में हेरी (हरि नहीं) और नायक समुदायों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में पाल गडरिया समुदाय को शामिल करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) से (च) प्रस्तावों का वर्षवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। जातिवार नाम केवल उन्हीं मामलों में रखे जा सकते हैं जहां नृजातीय सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे 328 मामले जिनमें नृजातीय सूचना नहीं थी, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लौटा दिए गए हैं तथा इन मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या विवरण में दी गई है। तथापि, प्रस्तावों के अंतिम रूप से निपटान के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसमें विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करना होता है।

समुदायों के नाम, जो अनुसूचित जातियों की सूचियों में पहले से ही शामिल हैं, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चुनाव कानून नियम–पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिनसे जातीय ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए, को वापस किए गए मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वापस किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
3.	असम	16
4.	बिहार	37
5.	चंडीगढ़	7
6.	छत्तीसगढ़	10
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13
8.	गोवा	3
9.	गुजरात	13
10.	हरियाणा	6
11.	हिमाचल प्रदेश	25
12.	जम्मू–कश्मीर	3
13.	झारखंड	1
14.	कर्नाटक	13
15.	केरल	11
16.	मध्य प्रदेश	9
17.	महाराष्ट्र	18
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	8
20.	उड़ीसा	16
21.	पांडिचेरी	6
22.	राजस्थान	14
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	46
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	23
27.	उत्तरांचल	19
28.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	328

[अनुवाद]

राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक गैस नीति

3881. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को स्वयं की प्राकृतिक गैस नीति बनाने की अनुमति देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विशेषकर कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में गैस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए राज्य विनियामक रखने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वक्फ बोर्डों को धनराशि

3882. श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री जी. वी. हर्ष कुमार :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि वक्फ बोर्डों द्वारा दु:खी महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा सके जैसाकि 26 नवम्बर, 2004 के "द हिन्दू" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर राज्य–वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा और वक्फ बोर्डों द्वारा दु:खी महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) मुस्लिम स्त्री (विवाह–विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार, न्यायालय द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों को निदेश दिया जा सकता है कि वे ऐसी स्त्रियों को भरण–पोषण की राशि अदा की जाए जो अपना भरण–पोषण स्वयं नहीं कर सकती हैं और उनके भरण–पोषण के लिए जिनका कोई सगा–संबंधी नहीं है।

ब्रह्मोस की संयुक्त उद्यम परियोजना

3883. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल संबंधी उद्यम परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा उक्त परियोजना में कितना–कितना व्यय किया गया है;

(ग) दोनों देशों द्वारा किन निबंधन और शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई है;

(घ) क्या कुछ देश अपने सशस्त्र बलों के लिए इसे खरीदने के इच्छुक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सभी आठ परीक्षणों की सफलता के साथ, ब्रह्मोस के पोतरोधी रूपांतरण का विकास पूरा कर लिया गया है। अनेक पोत प्लेटफॉर्मों के लिए वर्ष 2005 से भारतीय नौसेना में शामिल करने हेतु उत्पादन प्रगति पर है।

(ख) विकास के लिए इस संयुक्त उद्यम की प्राधिकृत पूंजी 250 मिलियन डॉलर थी।

(ग) दोनों देशों के बीच एक अंतर–सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिसाइल का विकास कार्य, डिजाइन से लेकर उत्पादन तक तथा भारतीय और रूसी सशस्त्र सेनाओं एवम् पारस्परिक सहमति वाले मित्र राष्ट्रों को विपणन करना, एक संयुक्त प्रयास है।

(घ) कुछ देशों ने ब्रह्मोस में रूचि दिखाई है, क्योंकि किसी अन्य देश के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) ऐसे ब्यौरे देना जनहित में नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 12.20 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1441/04]

(ख) (एक) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1442/04]

(ग) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1443/04]

(2) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1444/04]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : मैं श्री लालू प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1445/04]

(ख) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1446/04]

(ग) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1447/04]

(घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1448/04]

(2) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1449/04]

(3) 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में उन्हें लिए जाने के बारे में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1450/04]

(4) भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1999 जो 13 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1998 जो 23 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1999 जो 18 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (तीसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 26 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 283(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 6 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2002 जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 3 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 8 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 852(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और उनकी जांच) संशोधन नियम, 2001 जो 22 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 858(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य संशोधन नियम, 2002 जो 27 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 24 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (चौथा संशोधन) नियम, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 913(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले बारह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1451/04]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2001–2002, 2002–2003 और 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1452/04]

(2) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1453/04]

(3) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1454/04]

(4) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1455/04]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1456/04]

(3) (एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1457/04]

(5) (एक) नार्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1458/04]

(7) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कंजरवेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1459/04]

(9) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1460/04]

(11) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1461/04]

(12) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1462/04]

(14) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1463/04]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : मैं, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से भारत में केन्द्रीय सरकार राजसहायता से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1464/04]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं श्री शंकर सिंह वाघेला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1057(अ) जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं की पैकिंग जूट पैकिंग सामग्री में करना अनिवार्य विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1465/04]

(2) (एक) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1466/04]

(3) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1467/04]

(4) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1468/04]

(5) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1469/04]

(6) (एक) आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1470/04]

(7) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1471/04]

(8) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1472/04]

(9) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1473/04]

(10) (एक) पावरलूम डेवलमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1474/04]

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेती संस्करण) :

(क) (एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1475/04]

(ख) (एक) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1476/04]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1477/04]

(ख) (एक) बॉमर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बॉमर लारी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1478/04]

(ग) (एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1479/04]

(घ) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1480/04]

(ङ) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1481/04]

(च) (एक) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1482/04]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1483/04]

(ज) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई

के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1484/04]

(2) पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने के लिए अनुपूरक दिशानिर्देशों के बारे में अधिसूचना संख्या एफ.नं. पी–20012/5/99–पीपी/ओआर–II जो 26 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1485/04]

(3) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1486/04]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : मैं राष्ट्रीय युवा आयोग के प्रतिवेदन (खंड एक और दो) की एक प्रति तथा प्रतिवेदन का एक्जीक्यूटिव सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1487/04]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : मैं श्री के. चन्द्रशेखर राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1488/04]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) एंड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1489/04]

(ख) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1490/04]

(2) एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2004–2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1491/04]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली

का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1492/04]

(2) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखांपरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1493/04]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक– महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1494/04]

(2) (एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1495/04]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : मैं श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1496/04]

(2) (एक) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1497/04]

(3) (एक) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉ–नॉमिक्स, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1498/04]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1499/04]

(5) जम्मू एण्ड कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1987–1988 से 1990–1991 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1500/04]

(6) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1998–1999 से 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1501/04]

(7) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1999–2000 से 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1502/04]

(8) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1503/04]

(9) असम एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1504/04]

(10) आंध्र प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1505/04]

(11) वेस्ट बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1506/04]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नेशनल को–ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल को–ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1507/04]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 2004 जो 20 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 623(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1508/04]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2004 जो 30 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1309(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2004 जो 30 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1310(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2004 जो 1 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1316(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2004 जो 2 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1321(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2004 जो 7 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1334(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1509/04]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) (संशोधन) नियम, 2004 जो 1 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1314(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1510/04]

(4) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 25 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 767(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 768(अ) जो 25 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस निर्धारिती, जिसने कतिपय टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क्य माल का विनिर्माण किया हो तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान चालू खाते से एक सौ लाख रुपए से कम के उत्पाद शुल्क का भुगतान किया हो, को मासिक विवरणी की वार्षिक घोषणा को भरने की आवश्यकता से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 769(अ) जो 25 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9क के प्रयोजनार्थ मुख्य निविष्टियों की वार्षिक घोषणा का प्ररूप ईआर–5 विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 770(अ) जो 25 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9क के प्रयोजनार्थ मुख्य निविष्टियों की प्राप्ति और उपभोग की मासिक विवरणी का प्ररूप ईआर–6 विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 733(अ) जो 5 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 26 जून, 2004 की अधिसूचना संख्या 38/2001–के. उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केन्द्र उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2004 जो 28 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2004 जो 1 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 724(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1511/04]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 की धारा 3, 12, 18, 19 और 37 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 579(अ) जो 9 सितम्बर, 2004 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 39/2001–के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 725(अ) जो 1 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस निर्धारिती जिसने उस वित्तीय वर्ष, जिससे वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण संबंधित है, के दौरान चालू खाते से एक सौ लाख रुपए से कम उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है, को वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण भरने की आवश्यकता से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 726(अ) जो 1 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 2002 के प्रयोजनार्थ वार्षिक वित्तीय सूचना विवरणी के प्ररूप ईआर–4 को विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 719(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 42/2001–के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 720(अ) जो 29 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 43/2001–के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 572(अ) जो 6 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एनसीसीडी और शिक्षा उपकर सहित निविष्टियों पर छूट को विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 695(अ) जो 21 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 19/2004–के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 696(अ) जो 21 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 20/2004–के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 697(अ) जो 21 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 21/2004–के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 570(अ) जो 6 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन, नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी भी देश को निर्यात किए सभी उत्पाद शुल्क्य माल पर भुगतान किए गए पूरे शुल्क पर छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 571(अ) जो 6 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल को निर्यात किए गए निर्धारित माल पर भुगतान किए गए शुल्क पर छूट देना और एनसीसीडी और शिक्षा उपकर में छूट को विनिर्दिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 643(अ) जो 27 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के प्रयोजनार्थ उनमें उल्लिखित प्ररूपों को विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 644(अ) जो 27 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के प्रयोजनार्थ उनमें उल्लिखित प्ररूपों को विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1512/04]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1513/04]

(ख) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1514/04]

(ग) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1515/04]

(घ) (एक) नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1516/04]

(ङ) (एक) जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1517/04]

(7) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1518/04]

(8) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 21 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ. सं. 8(5)/2004–आईएफ–आई जो 8 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2003 से शुरू और 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित निधि की बहियों और खातों को बन्द किए जाने की तारीख 30 सितम्बर, 2004 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1519/04]

(9) (एक) इंडियन इंवेस्टमेंट सैंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंवेस्टमेंट सैंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1520/04]

(10) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विनियम, 2004 जो 17 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं. एनएचबी/एलडी/एक्ट–003 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विनियम, 2004 जो 11 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं. एनएचबी/एलडी/एक्ट–002 में प्रकाशित हुए थे।

(11) उपर्युक्त मद सं. (10) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को

सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1521/04]

(12) वार रिस्कस (मैरीन हल्स) रिइंश्योरेंस स्कीम, 1976 की स्कीम को समाप्त किए जाने के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1522/04]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : मैं श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1523/04]

(ख) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1524/04]

(ग) (एक) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद सं. (1) के (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1525/04]

(3) संविधान के अनुच्छेद 338(6) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 का छठा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के छठे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1526/04]

(5) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार हीयरिंग हैंडिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार हीयरिंग हैंडिकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1527/04]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द मेन्टली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द मेन्टली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1528/04]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1529/04]

(8) (एक) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रीहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रीहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1530/04]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अपवाद है। भविष्य में आपको सूचना देनी होगी तथा मेरी अनुमति लेनी होगी। यह एक चूक है और भविष्य में इसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1531/04]

(2) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1532/04]

(3) (एक) कैपेक्सिल (फॉर्मली केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैपेक्सिल (फॉर्मली केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1533/04]

(4) (एक) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1534/04]

(5) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1535/04]

(6) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1536/04]

(7) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1537/04]

(8) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1538/04]

(9) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1539/04]

(10) (एक) शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1540/04]

(11) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, कोच्चि के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1541/04]

(12) (एक) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया (प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया), मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया (प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया), मुम्बई के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1542/04]

(13) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिह्न (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2004, जो 28 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 540(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1543/04]

(15) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2004, जो 12 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एपीईडीए/एसईसी/जीईएन/30 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1544/04]

(16) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1545/04]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : मैं श्री नमोनारायन मीना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंडियन काउंसिल आफ फारेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1546/04]

अपराह्न 12.24 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2004 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 दिसम्बर, 2004 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

अपराह्न 12.24¼ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की दूसरे और तीसरे सत्र के दौरान हुई पहली से पांचवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.24½ बजे

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.25 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं–

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के कार्यकरण के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा में

अंतिर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही" के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण); और

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित "भारतीय जनजातीय सहकारी बाजार विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के कार्यकरण के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही" के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जून, 2003 के दौरान चेन्नई, ऊटी, मैसूर, बंगलौर, अहमदाबाद, राजकोट तथा मुम्बई के दौरों के संबंध में समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन; और

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अक्टूबर, 2003 के दौरान गुवाहाटी, शिलांग, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर तथा चेन्नई के दौरों के संबंध में समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.25¼ बजे

[अनुवाद]

कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2004–05) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

[हिन्दी]

(1) कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफरिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन; और

(2) कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.25½ बजे

[अनुवाद]

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री रायापति सांवासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–05) के संबंध में पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.25¾ बजे

[हिन्दी]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, आईडीपीएल अफिसर्स एसोसिएशन, आईडीपीएल काम्पलेक्स, गुड़गांव के महासचिव श्री डी. एस. सिक्का तथा अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिसमें आईडीपीएल के 196 कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान में अतिरिक्त अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अपराह्न 12.26 बजे

[अनुवाद]

सुरंग के निर्माण के बारे में दिनांक 2.12.2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर में शुद्धि करने तथा इसमें हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सुरंग के निर्माण के संबंध में डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य, ससंद सदस्य द्वारा दिनांक 2.12.2004 पूछे गए तारांकित

*सभा पटल पर रखा गया ।

प्रश्न संख्या 26 के दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय मैंने, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य के द्वारा सुरंग निर्माण के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 26, का उत्तर दिनांक 02.12.2004 को दे दिया था।

मुझे यह सूचित किया गया है कि उपरोक्त प्रश्न के पैरा (क) से (ङ) तक के उत्तर में, प्रस्तावित रोहतांग सुंरग के दक्षिणी एवं उत्तर प्रवेश द्वारों के दोनों संपर्क मार्गों का कार्य प्रगति पर है दर्शाया गया है। वास्तव में यह संसाधनों को जुटाने हेतु बनाये गये अभिगम मार्ग हैं, न कि केवल संपर्क मार्ग है। इसके अलावा, उत्तरी प्रवेशद्वार तथा दक्षिणी प्रवेशद्वार पर कार्य की प्रगति को असावधानी के कारण अदला–बदली हो गई थी।

जैसे ही यह त्रुटि संज्ञान में आई तो इसके परिशोधन हेतु कार्रवाई की गई, ताकि सत्र के दौरान इसे सदन में पटल पर रखा जा सके।

मैं, एतद्द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 26 के परिशोधित उत्तर की प्रतियां सदन के पटल पर रख रहा हूं।

प्रश्न	दिया गया उत्तर	परिशोधित उत्तर
1	2	3
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास पर सुरंग निर्माण की अद्यतन स्थिति सहित इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है; (ग) परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है; (घ) इस सुरंग के निर्माण से क्या लाभ होगा; और (ङ) सरकार द्वारा उक्त सुरंग का निर्माण समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	रोहतांग में एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है ताकि लेह जाने के लिए हर मौसम में सड़क मिल सके। पहले कदम के रूप में मई, 2002 में यह निर्णय किया गया कि रोहतांग में प्रस्तावित सुरंग के उत्तरी और दक्षिणी, दोनों प्रवेशद्वारों पर 30 करोड़ रुपए की लागत से संपर्क सड़कें बनायी जाएं । 2.7 कि. मी. (दक्षिणी प्रवेश द्वार) तथा उत्तरी प्रवेश द्वार पर 23.8 किलोमीटर की दो संपर्क सड़कें बनाई जानी थीं। सुरंग के दक्षिणी प्रवेश द्वार के लिए संपर्क सड़क पूरी हो चुकी है तथा उत्तरी प्रवेश द्वार के लिए 23.46 किलोमीटर की संपर्क सड़क पूरी हुई है। मार्च, 2004 तक 30 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में 14.82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। कार्य सत्र सीमित होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में और कोई व्यय होने की उम्मीद नहीं है। मैसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर रोहतांग सुरंग तथा इससे संबंधित अन्य कार्यों की अनुमानित लागत 1709.35 करोड़ रुपए है। संपर्क सड़कों तथा लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग से संबद्ध निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा पहले ही किया जा रहा है तथा सुरंग का निर्माण एक संविदाकार के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। सुरंग के निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्यों में सेना	रोहतांग में एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है ताकि लेह जाने के लिए हर मौसम में सड़क मिल सके। पहले कदम के रूप में मई, 2002 में यह निर्णय किया गया कि रोहतांग में प्रस्तावित सुरंग के उत्तरी और दक्षिणी, दोनों प्रवेशद्वारों पर 30 करोड़ रुपए की लागत से संपर्क सड़कें बनायी जाएं। 2.7 कि. मी. (उत्तरी प्रवेश द्वार) तथा (दक्षिणी प्रवेश) पर 23.8 किलोमीटर की दो अभिगमन सड़कें बनाई जानी थीं। सुरंग के (उत्तरी प्रवेश द्वार) के लिए अभिगमन सड़क लगभग पूरी हो चुकी है तथा (दक्षिणी प्रवेश द्वार) के लिए 23.46 किलोमीटर की अभिगमन सड़क पूरी हुई है। मार्च, 2004 तक 30 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष में 14.82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। कार्य सत्र सीमित होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में और कोई व्यय होने की उम्मीद नहीं है। मैसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर सुरंग तथा इससे संबंधित अन्य कार्यों की अनुमानित लागत 1709.35 करोड़ रुपए है। संपर्क सड़कों तथा लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग से संबद्ध निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा पहले ही किया जा रहा है तथा सुरंग का निर्माण एक संविदाकार के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। सुरंग के निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्यों में सेना

1	2	3
	को सामरिक संक्रियात्मक सहायता मिलेगी और इससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी भी 40 कि.मी. कम हो जाएगी।	को सामारिक संक्रियात्मक सहायता मिलेगी और इससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी भी 40 कि.मी. कम हो जाएगी।
	सुरंग के निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्यों से संबंधित कार्य को 2011–2012 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।	सुरंग के निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्यों से संबंधित कार्य को 2011–2012 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

अपराह्न 12.27 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) संविधान (एक सौ तीनवां संसोधन) विधेयक*, 2004 (नए अनुच्छेद 340क का अंतःस्थापन)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीरा कुमार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 12.28 बजे

[अनुवाद]

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक*, 2004

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, माइनोरिटीज वाला कमीशन जो बनाया है, उसे क्यों रिपील कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह जब आएगा तो बताएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बिल्कुल गलत है.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें । मुझे सभा का संचालन करने दीजिए।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीरा कुमार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश पचौरी—उपस्थित नहीं।

वह दूसरी बार यहां उपस्थित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप उन्हें बुलाएं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने आने दीजिए।

(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मुझे यहां उनकी अनुपस्थिति पर अफसोस है।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग—II, खंड 2, दिनांक 23.12.2004 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.30 बजे

[अनुवाद]

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक*, 2004

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 में और संसोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 में और संसोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमेशा की तरह, श्री वरकला राधाकृष्णन ने वाणिज्य पोत परिवहन (संसोधन) विधेयक पर नोटिस दिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, आजकल मंत्रियों की यह आदत हो गयी है कि वे सभा को गंभीरता से नहीं लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया बीच में न बोलें। मुझे बात पूरी करने दें।

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी भर्त्सना करने का अधिकार है। मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। मैं आपकी बात जानता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, विधान बनाना इस सभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

सभा को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आजकल आवश्यक नोटिस से बचने के लिए निदेश 19क और 19ख के संदर्भ में आपके विशेषाधिकार की आड़ लेकर कुछ विधेयक पुरःस्थापित किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस सभा को आश्चर्य नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)* निश्चय ही, श्री बालू का संशोधन बहुत खतरनाक है। इसे सत्र के अन्तिम दिन लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब इसके गुण दोष की बात मत कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : माननीय मंत्री श्री बालू ने नया विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव किया है। वह इसे किस दिन लेकर आए हैं? सत्र के अन्तिम दिन वह इसे लेकर आए हैं। हमें यह एहसास होना चाहिए कि उनके अनुसार यह एक अविलम्बनीय मामला है। अन्तर्राष्ट्रीय पोत परिवहन विधि में वह कुछ वैधानिक समर्थन चाहते हैं...*(व्यवधान)* अन्तर्राष्ट्रीय पोत परिवहन विधि से उत्पन्न स्थिति से निपटने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए वह यह विधेयक लेकर आए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, सामान्यतः आप एकदम सही होते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह उपाय विधायिका की अनदेखी करने और सभा के स्थगित होने के तुरंत बाद अध्यादेश लाने के लिए अपनाया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझसे बेहतर इन सब बातों को माननीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं। यह विधायिका की अनदेखी करने का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। मैं अब आपको रोक रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे खेद है। इस सत्र के अन्तिम दिन माननीय मंत्री इसे लेकर आए हैं। उन्हें बहुत पहले इसे लाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप महसूस करते हैं कि मैंने इसकी अनुमति दी है। आप अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। यदि आप असंतुष्ट हैं तो मुझे यहां से हटाने के लिए उचित कार्रवाई कीजिए। अब कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात अच्छी तरह जानते हुए कि मैंने अनुमति दी है, आप यह मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने कहा था कि यह साधारण बात नहीं है। चूंकि मेरे सामने इस प्रकार मामला लाया गया है कि मुझे लगा कि अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना उचित होगा।

प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी. आर. बालू : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग—II, खंड 2, दिनांक 23.12.2004 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो. मल्होत्रा को बोलने के लिए बुलाता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्ययन महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसे विनियमित करने दीजिए। मैंने इसके लिए वादा किया है। मैंने पहले ही आश्वासन दिया है कि मैं माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा। मैं माननीय सदस्यों को उनके मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगा। मैं सभी के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं सभी को अनुमति दूंगा। मैंने प्रो. मल्होत्रा को बोलने के लिए कहा है। मैं सभा में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, इन्हें रोकिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह पहले ही बोल चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने को कहा है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन सब से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष जी, हमने नोटिस दिया है। आज पूरे देश में तहलका की बात हो रही है।...*(व्यवधान)* वहां की सरकार का डिसमिस किया जाये, नरेन्द्र मोदी को बर्खास्त किया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 12.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.45 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

सदस्यों द्वारा निवेदन

राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं सभी को बोलने का अवसर दूंगा। मैं माननीय सदस्यों तथा नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें ताकि सभी सदस्यों को अवसर मिल सके। आखिरकार आज सत्र का अन्तिम दिन है। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने केन्द्र सरकार द्वारा राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों के दुरुपयोग तथा इनके राजनीति दुरुपयोग के बारे में मैंने एक नोटिस दिया था।

[हिन्दी]

मैंने इस विषय पर आपसे अनुमति मांगी थी। आपने मुझे इस बात की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जब से यह सरकार बनी है, सात महीने में सीबीआई, डीआरआई और फेमा आदि जितनी इन्वैस्टीगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे वे सीबीआई से ताल्लुक रखती हैं या किसी और से, उन सारी एजेंसियों को स्वायत्तता प्राप्त है।...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि उनके अंदर कोई इंटरफियरैंस नहीं हो सकती। परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने उन सबका मिसयूज किया और ऑपोनैंट्स के खिलाफ केसेज करने और अपने लोगों के खिलाफ केसेज न करने के बारे में तय किया। एक केन्द्रीय मंत्री जो पेट्रोल पम्प के मामले में फंसे हुए थे, उनके बारे में तय किया कि उसकी परमीशन नहीं देंगे, सीबीआई उसे आगे न ले जाए। बोफोर्स कांड को बंद करने की बात की गई। इसके अलावा और बीसियों केसेज हैं जिनमें केन्द्र सरकार के जो मंत्री शामिल थे, उनके खिलाफ केसेज विदड्रा किए गए। केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ भी केसेज विदड्रा हुए। इंतहा तब हुई जब प्रधान मंत्री कार्यालय से एक पत्र ज्वाइंट सैक्रेटरी की तरफ से...*(व्यवधान)*...* सैक्रेटरी (पर्सनल) के नाम से भेजा गया।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम काट दिए जायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उनकी तरफ से कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया । उसमें तीन बातें प्रमुख रूप से कही गईं–यह कहा गया कि क्या सीबीआई रिवीजन पीटीशन कर सकती है। इसे देखकर बताया जाए? दूसरी बात कही गई कि सीबीआई ने केसेज क्यों नहीं फाइल किए, इसके बारे में भी जांच की जाए और पता किया जाए। तीसरी सबसे खतरनाक बात यह थी कि दो गवाहों ने जो रिवीजन पिटीशन डाली है। उस रिवीजन पिटीशन को भी एग्जामिन किया जाए कि उसे एक्सपीडाइट किया जा सकता है या नहीं? प्रधान मंत्री कार्यालय से यह कहा गया कि मुझे कहा गया है परन्तु किसके द्वारा कहा गया? ज्वाइंट सैक्रेटरी को किसके द्वारा कहा गया कि आप ऐसा करें। उनके ऊपर प्रधान मंत्री के सिवाय और कोई नहीं है। यूपीए का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रधान मंत्री ने अगर उनसे कहा कि आप इसे एक्सपीडाइट करें। लीडर ऑफ ऑपोजीशन, जिसे न्यायालय ने फैसला दिया, न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करते हुए, सीबीआई का मिसयूज करते हुए इस प्रकार की जो बात की गई। यह संविधान के अत्यन्त खिलाफ है। न्याय के खिलाफ है और प्रधान मंत्री कार्यालय का, उनकी पावर का मिसयूज है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया धैर्य रखें। मुझे नियमानुसार चलने दीजिए। आइए कुछ बहस कर ली जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसा कोई और नहीं कर सकता। परन्तु अगर प्रधान मंत्री भी ऐसा करेंगे तो बाकी मंत्री भी। यह कार्य लगातार विपक्षियों को दबाने के लिए, उनके खिलाफ गलत केस बनाने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय से हुआ।...*(व्यवधान)*...हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रधान मंत्री जी ने ऐसा किया? उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का उल्लंघन किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको भी बुलाएंगे। जिन सदस्यों को बोलने का मौका देना है, उन्हें जरूर देंगे।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम चाहेंगे कि इस मामले में प्रधान मंत्री इस्तीफा दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी इस बात से सम्बद्ध करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध करते हैं। सरकार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्वतंत्र कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप अपने सदस्यों को समझा दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? उन्होंने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी प्रो. मल्होत्रा की टिप्पणी से सम्बद्ध हो गये हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब बोलना चाहते हैं? आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब दूसरा मामला आयेगा तब आप बोलिये। अभी आप क्यों बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री प्रभुनाथ सिंह के

भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कृपया हमारी मदद कीजिए।

[हिन्दी]

जो बात हुई थी, उसी तरह से मैं चल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, सीबीआई का नाम सुनकर देश के लोगों की एक आस्था बनती थी लेकिन इधर कुछ दिनों से लगता है कि सीबीआई सत्ता पक्ष के हाथ का खिलौना हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियमित रूप से कोई भी व्यवधान पैदा नहीं कर सकता है। सभी इस सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। जनता ने आपमें अपना विश्वास व्यक्त किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीबीआई सरकार के हाथ का खिलौना हो चुकी है। अभी जिस पत्र की चर्चा माननीय मल्होत्रा जी ने की, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार उन पर दबाव बना रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। इसका मतलब साफ है और यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी यह चर्चा कई बार मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आ चुकी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके विचार मानने को बाध्य हैं? आप यह क्यों सोचते हैं कि आप उनके विचार मानने को बाध्य हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने समय पर आप इसका खंडन कर सकते हैं। आप दोनों एक साथ कैसे बोल सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह दोनों पक्षों पर लागू होता है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इससे पहले भी यह चर्चा समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से आ चुकी है।...*(व्यवधान)* बिहार का जो चारा घोटाला है, उसको भी सीबीआई गलत ढंग से पेश कर रही है। सदन में सभी नेता मौजूद हैं।...*(व्यवधान)* हम आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस ढंग से सीबीआई पर दबाव बनाकर विपक्षी नेताओं को परेशान करने की जो कार्रवाई प्रधान मंत्री कार्यालय से चल रही है, उनके पदाधिकारी ने जो पत्र लिखा है...*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा के नेता की बात सुनिये इस सब का निर्णय हो चुका है।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, प्रो. मल्होत्रा तथा इस सभा के कतिपय अन्य माननीय सदस्यों ने जांच किये गये कतिपय मामलों तथा न्यायालय की संवीक्षाधीन मामलों के बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी किये गए पत्र के बारे में एक मुद्दा उठाया है।

मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिव को भेजा गया पत्र उच्च न्यायालय द्वारा श्री लालकृष्ण आडवाणी को बरी किये जाने के बारे में दो साक्षियों द्वारा दायर पुनर्याचिका से संबंधित है। यह ध्यान रहे कि प्रधान मंत्री कार्यालय से जारी पत्र में केवल पुनर्याचिका दायर करने के बारे में केवल कानूनी स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया था तथा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार लगातार व्यवधान पैदा नहीं कर सकते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं यह वक्तव्य ध्यानपूर्वक दे रहा हूं तथा मैं इसे सादरपूर्वक प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

यह ध्यान रहे कि प्रधान मंत्री कार्यालय से जारी पत्र में पुनर्याचिका दायर करने के बारे में केवल कानूनी स्पष्टीकरण जाननें तथा उच्च न्यायालय में जाने में अभियोजन एजेंसियों द्वारा सामयिक कार्रवाई करने में हुई किसी असफलता, यदि कोई हो, के लिए अनुरोध किया गया था। इस पत्राचार में अभियोजन/जांच

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एजेंसियों से सूचनाएं प्राप्त करने के सिवाय कुछ भी नहीं था। इसके जरिये जांच एजेंसियों को किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया था तथा इसका जांच एजेंसियों के कार्यकरण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है।

किसी भी विषय पर कानूनी राय लेना विधिमान्य है तथा सरकारी पत्राचार है और यह सरकारी तंत्र की सामान्य प्रक्रिया में आता है। इसलिए, दैनिक पत्राचार से राजनीतिक उद्देश्य का आरोप लगाना गलत होगा। यह भी विदित हो कि इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कोई भी अनुदेश तथा निर्देश जारी नहीं किए गए थे। ऐसे सभी मामलों में, सरकार जांच एजेंसियों की स्वायत्तता का सम्मान करती है तथा कानून एवं न्यायिक निर्णयों का पालन करती है। हमने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन, किसी मामले कि स्थिति का पता लगाना सरकार का विधिमान्य अधिकार है तथा इस पत्र को जारी करने में कोई अनौचित्य नहीं है...*(व्यवधान)* जहां तक श्री मल्होत्रा द्वारा उठायी गयी—"किसके निदेश द्वारा" का संबंध है, यह सरकारी पत्र व्यवहार के मसौदे की सामान्य प्रक्रिया है। सरकार द्वारा जारी—प्रत्येक आदेश में आप पाएंगे : "उन्हें निदेश दिया जाता है" इसलिए, इसमें किसी प्रकार का अनौचित्य नहीं है तथा कानून की सामान्य प्रक्रिया एवं सरकार के सामान्य कार्यकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सबको मौका देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह पत्र जिसका उल्लेख किया जा रहा है, वह बड़ा विचित्र पत्र है। इस तरह का पत्र नहीं लिखा जाना चाहिए। आप कहेंगे और आपके लिए कहना स्वाभाविक है कि हम कोई दबाव डालना नहीं चाहते हैं मगर यह दबाव डालने के अलावा और क्या है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। अभी—अभी मुझे कहा गया है कि धैर्य रखना चाहिए। आपने सही कहा था। दोनों पक्षों को धैर्य रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं पत्र को पूरा पढ़ू?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूरा पढ़ दिया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पूरा नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कमेंट्स करने हैं, वह कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं पत्र से उद्धृत करता हूं :

"...इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करने के लिए कहा गया है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय से (क) जांच करने के लिए सलाह ली जाए कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए कोई कानूनी उपबंध एवं आधार है...पुनर्याचिका दायर करने में जांच एजेंसी, अभियोजक तंत्र तथा एजेंसी की ओर से कोई लापरवाही की गई है..."... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको एक दूसरे का भी आदर करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने एक बहुत खराब आदत डाल ली है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस पत्र में आखिर में यह भी लिखा है कि इस रिवीजन पैटीशन को एक्सपेडाइट किया जाए। यह किसके लिए कहा गया है? कौन एक्सपेडाइट करेगा? क्या यह कहने का तरीका नहीं है कि इसमें देरी लग रही है, इस मामले को लटकाया जा रहा है। इस मामले को जल्दी से हाथ में लीजिए। जरा माफ कीजिएगा, सरकार अभी नई है, इस तरह के पत्र लिखे जाने आपके लिए ठीक नहीं हैं। ऐसे पत्र लिखना बंद कर दीजिए। इनका दुरुपयोग हो सकता है और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह के पत्रों का आदान—प्रदान नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही इस प्रकार चले कि प्रत्येक सदस्य को अवसर मिले।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उत्तर नहीं देता लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री तथा देश के वरिष्ठतम संसद सदस्य होने के नाते मैं आदर एवं

श्रद्धापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि यदि माननीय वाजपेयी ने पत्र का पूरा पाठ पढ़ा होता तो उन्हें मालूम पड़ जाता कि इसकी पहल सरकार ने नहीं की है। दो साक्षियों ने रिट याचिका दायर की है। सरकार ने रिट याचिका दायर नहीं की है। इसलिए, दो साक्षियों ने रिट याचिका दायर की है और प्रधानमंत्री कार्यालय इस बारे में कानूनी स्थिति जानना चाहता है।

अपराह्न 1.00 बजे

और इस कानूनी स्थिति के बारे में...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने श्री वाजपेयी की पूरी तरह बात सुनी। आप भी कम से कम उनकी बात सुनने की शिष्टता दिखाइए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, एक ऐसे ही अवसर पर, जब श्री प्रियरंजन दासमुंशी एवं अनेक सदस्यों द्वारा आरोप लगया गया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री सभा को सूचित करने के लिए तथ्य का पता लगाना चाहते थे। इस मामले में विधि विभाग से यह सूचना मांगी गई है कि कानूनी स्थिति क्या है? विधि मंत्रालय के अतिरिक्त कानूनी व्याख्या और कौन दे सकता है? इसलिए, यदि कार्मिक मंत्रालय को विधि मंत्रालय से परामर्श करने के लिए सलाह दी गई है, तो इसमें क्या बुराई है?

दूसरा मुद्दा यह है, जिसे मैं अति आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं कि वह यह है कि यदि हम प्रधानमंत्री के कार्यालय से अन्य कार्यालय के दो विभागों के बीच पत्रों का आदान–प्रदान करना आरम्भ करते हैं तो इस कार्य का कोई अंत नहीं होगा, और ऐसे कोई सरकार काम नहीं कर सकती है। मैं अति आदरपूर्वक श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और तत्कालीन उप–प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह के बीच पत्रों पर सभा में वाद–विवाद और चर्चा करने की अनुमति नहीं थी।

इसलिए, यह एक आंतरिक मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक–दूसरे की बात सुनिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : इसलिए, मैं अति आदरपूर्वक यह कहता हूं कि इस मुद्दे को पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उठाया जाना उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस पर चर्चा करने की अनुमति दे चुका हूं। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है। हरिन भाई आप बैठिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सी.बी.आई. का मिसयूज हो रहा है और यह लिखा है कि रिवीजन पीटीशन एक्सपीडाइट हो। हम इसके खिलाफ स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं और इसके खिलाफ वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 1.01 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। अब, मोहम्मद सलीम।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : हम लोगों को भी मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो सदस्यों को एक साथ मौका नहीं दे सकता। आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। मैं आपको चेतावनी देता हूं। यह आपकी आदत बन चुकी है। आप एक सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य हैं। आप हमारे साथी रह चुके हैं। इस तरह का आचरण ठीक नहीं है। अध्यक्षपीठ का कुछ सम्मान कीजिए।

मोहम्मद सलीम, कृपया अपनी बात बहुत संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम पूर्व प्रधान मंत्री वाजपेयी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कृपा करके इस मुद्दे को यहां उठाया। 12 साल से इस मामले को लेकर देश को समाज और राजनीति में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये लोग सदन को चलने नहीं देते। अब ऐसा लग रहा है कि हमारा विरोध पक्ष सरकार को भी फंक्शन नहीं करने देना चाहता। जिस वजह से सरकार अगर यह कहती है कि इस मामले में कानूनी प्रावधान क्या हैं, यह लॉ डिपार्टमेंट से मालूम किया जाए। क्या यह सही होगा कि अब भी पूर्व प्रधान मंत्री की तरह नागपुर से मालूम किया जाए कि आडवाणी वाले मामले में क्या किया जाएगा? कानूनी तरीके से, सही तरीके से इस मामले

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में आडवाणी जी अगर बरी होते हैं, तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सी.बी.आई. पर राजनीतिक कारणों से दबाव डाला जा रहा है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो यहां रिवीजन पीटिशन एक्सपीडाइट वाली बात कही गई है, उस आधार पर कानूनी सलाह लेकर बंदोबस्त किया जाए और किसी को ऐसे ही बरी नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : हमें ताज्जुब है इस बात का कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण ये हाउस में आकर एक बात को उठाएंगे और कह देंगे कि वाकआउट कर दिया...*(व्यवधान)* इनके लीडर बैठे रहें और बाकी चले जाएं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, यह हमारे बहिर्गमन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्हें हमारे बहिर्गमन पर टिप्पणी करने से कोई लेना–देना नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ 15 सेकंड ही बोला हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई।

[अनुवाद]

आपके नेता पहले ही कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खैर, हम इस व्यवस्था से सहमत थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा है और अलाऊ किया है। इस तरह से नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ कहना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी देवेन्द्र प्रसाद जी बोल रहे हैं, आपको मैं बाद में मौका दूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण और तात्कालिक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूं। कल और आज तहलका का एक और सनसनीखेज समाचार प्रकाशित हुआ है।...*(व्यवधान)* मैं समाचार की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात नहीं है। इस बारे में आप लोगों से बात कर ली थी।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उसमें लिखा है कि जाहिरा शेख ने 18 लाख रुपए लेकर बयान बदला।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मैं आपका नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है? आप सब बैठिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही बात नहीं है। आपको वाजपेयी जी से सीखना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह मामला सब जूडिस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं माननीय नेताओं का आभारी हूं। हमने अभी कुछ चर्चा की है। इस दौरान कतिपय स्वीकृत स्थितियां थीं। एक के बाद एक सदस्य का नाम पुकारने का निर्णय लिया गया था। निर्णय के अनुसार, मैंने प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का नाम पुकारा। उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया। मैं उनका आभारी हूं। जब श्री त्रिपाठी अपने आपको संबद्ध करना

चाहते थे तो मैंने उन्हें संबद्ध करने की अनुमति दी। उन्होंने अपनी बात कही। उसके बाद उत्तर दिया जाना था। उन्होंने उत्तर दिया था। मैंने एक या दो माननीय सदस्यों को अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी। उसके बाद मैंने श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को बोलने के लिए कहा। अब, यह बोल रहे हैं। आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां इस मामले के गुण–दोष पर चर्चा की जा सकती है या नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने समझौते का पालन किया है। आप समाझौते का पालन करें। मैं आपको टिप्पणी करने की अनुमति बाद में दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लूंगा। यदि वह लंबित मामले के गुण–दोषों पर कोई टिप्पणी करते हैं तो मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह लंबित मामले के गुण–दोषों पर कोई टिप्पणी करते हैं तो मैं इससे निपटूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं न्यायालय की अवमानना नहीं करूंगा। मैं आपके आदेश का पूरा अनुपालन करना चाहता हूं और प्रोटैक्शन चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने मुद्दे पर बोलिए।

[अनुवाद]

कृपया अपनी बात बहुत संक्षेप में कहिए और लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। मैं उनके नाम पुकारूंगा। आज सत्र का अंतिम दिन है। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र में जो कुछ छपा है, मैं वह बताना चाहता हूं। "तहलका का धमाका, जाहिरा ने 18 लाख रुपये लेकर बयान बदला।"...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ समाचार पत्रों में छपा शीर्षक पढ़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी पक्षों के लिए एक समझौता लागू होना चाहिए। सभी पक्षों के लिए आपसी समझ लागू होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह चुका हूं। मैंने वचन दिया है। अध्यक्षपीठ की ओर से, मैंने कहा है कि लंबित मामले के गुण–दोषों पर किसी टिप्पणी की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप लंबित मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केवल संदर्भ पर्याप्त है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। वर्मा जी बैठिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा देश इनका आचरण देख रहा है।...*(व्यवधान)* मैंने सिर्फ समाचार पत्रों में जो शीर्षक था, उसे उद्धृत किया है। मैं विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूं। इसमें यह है कि "तहलका का धमाका, जाहिरा ने 18 लाख रुपये लेकर बयान बदला, बैस्ट बेकरी मामले में नया मोड़. ..*(व्यवधान)** बैस्ट बेकरी की चश्मदीद गवाह जाहिरा शेख को भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने 18 लाख रुपये पहुंचाने का काम किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके नाम मत लीजिए। किसी का नाम मत लीजिए। किसी का नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें कैमरे में कैद हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं समाचार पत्र की बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया आप बैठ जाइए। अन्यथा, समस्या हो जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य बता रहा हूं। जो खुफिया कैमरे में आया है, उससे लाखों लोगों में भ्रम पैदा हुआ है। लाखों लोग इस मामले को उत्सुकता से देख रहे हैं और वे जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बैस्ट बेकरी कांड में 14 लोगों की हत्या की गई, हजारों मुसलमानों को मारा गया ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में बेगुनाह हजारों मुसलमानों का क्यों कत्ल किया गया...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : गोधरा में क्या हुआ था, जहां हिन्दुओं को जलाया गया था, तब ये तथाकथित सैकुलर लोग कहां थे और ये चुपचाप बैठे रहे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया आप बैठ जाइए। मैं श्री हरिन पाठक को उत्तर देने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

मि: यादव जल्दी खत्म कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। उधर से शोर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की यह घटना हुई है, उससे गुजरात सरकार शंका के घेरे में है। इस घटना से आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से कराई जाए ताकि असलियत क्या है, उसका पता चल सके। दूसरी बात यह है कि जब गुजरात में यह घटना घटी तो उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात सरकार को राजधर्म का पालन करने का निर्देश दिया था...*(व्यवधान)* क्या उस समय तहलका ने बयान दिया कि जाहिरा शेख ने अपना वक्तव्य बदल दिया है, क्या उस समय भी तहलका हुआ था?...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष जी, इस सारी घटना की जांच सी. बी.आई. से कराइये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके डिप्टी लीडर बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, गरीब लोगों को मिठाई देने के सवाल पर 100 रुपये देने पर माननीय श्री वाजपेयी जी ने रेल मंत्री जी का इस्तीफा मांग लिया लेकिन जब 18 लाख रुपये देने की बात आई तो मैं मांग करता हूं कि माननीय वाजपेयी जी इस्तीफा दें...*(व्यवधान)* मैं यह भी मांग करता हूं कि नरेन्द्र मोदी की सरकार बर्खास्त की जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और नहीं। मेरे पास कोई अन्य नोटिस नहीं है।

श्री रघुनाथ झा तथा श्री रूपचंद पाल स्वयं को संबद्ध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले तथा मधुसूदन मिस्त्री भी इन विचारों से स्वयं को संबद्ध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले आप वास्तव में परेशानी मोल ले रहे हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल श्री हरिन पाठक के कथनों को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक आप उन पर ध्यान न दें। कृपया अपनी बात कहना आरम्भ करें।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, आज अखबारों का हवाला देकर जाहिरा शेख पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम शांतिपूर्ण तरीके से एक व्यवस्थित चर्चा कर सकते हैं जिसमें आप सभी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और इस बात का फैसला देश पर छोड़ सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सभा की कार्यवाही को विनियमित करना पड़ेगा। सभी ओर के माननीय सदस्य आन्दोलित हैं। यदि आप सब एक साथ बोलेंगे, तो किसी की भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा और आपको इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा।

जब वे एक मुद्दा उठा रहे थे और माननीय मित्र इसके बारे में गम्भीरता से सोचते थे, तब मैंने सभा के नेता को उत्तर देने का अवसर दिया। अब आपने एक मुद्दा उठाया है और मैंने श्री हरिन पाठक को आमंत्रित किया है। उनकी बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल होने दें। मैं आपसे एक दूसरे की बात सुनने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया शांति से सुनने की आदत डालें तथा तत्पश्चात् इस तरीके से वाद–विवाद करें जो आपके मामले के साथ भी न्याय करे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। किसी की कुछ सुनते नहीं हैं। आप ब्रीफली बोलिए।

श्री हरिन पाठक : जिस अखबार का हवाला दिया जा रहा है और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने जो पढ़ा कि जाहिरा जी को 18 लाख रुपये दिए गए। उसी अखबार में यह भी छपा है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए, सबको कुछ न कुछ बोलना है।

श्री हरिन पाठक : जाहिरा ने अदालत के सम्मुख यह कहा है कि मैं किसी मधु श्रीवास्तव को नहीं जानती हूं। मैंने एक भी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री हरिन पाठक के कथन को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले मैं आज बाहर जाने के लिए आपका नाम पुकारूंगा। आपको सदन से बाहर जाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। हर बात की एक हद होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है। क्या तमाशा चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : जाहिरा जी ने अदालत में यह भी कहा है, आप अखबार का हवाला देते हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ब्रीफली कंट्रीब्यूट कीजिए।

श्री हरिन पाठक : मैं अदालत की बात बता रहा हूं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव क्या आप उनके कथन से बंधे हुए हैं? क्या आप इससे बंधे हैं? वह आपके कथन से नहीं बंधे हैं तथा आप उनके कथन से नहीं बंधे हैं। आप एक दूसरे को सुनने में अधीरता क्यों दिखा रहे हैं?

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : यह अदालत की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा यह परेशानी की बात है। मैंने पहले ही कहा है कि यदि किसी लम्बित मामले के गुण–दोष के आधार पर कोई बात कही जाती है, तो मैं इस पर विचार करूंगा। आप मुझे यह भी अवसर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं भी अखबार का हवाला देता हूं अदालत का नहीं, अखबार में जो बात आई, वह हमने पढ़ी। जाहिरा जी के बारे में इस अखबार में आया है कि जाहिरा जी ने अदालत में यह कहा है कि वह मधु श्रीवास्तव को नहीं जानती और उसने मधु श्रीवास्तव से कोई पैसा नहीं लिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री हरिन पाठक के कथनों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : जाहिरा ने यह भी कहा कि उन पर तीस्ता सीतलवाड़ का दबाव था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अलकेष दास मुझे इस पर आपत्ति है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : जिनका चित्र बताया जाता है, वह कांग्रेस के प्रेसीडैन्ट हैं।...*(व्यवधान)* कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने बोल दिया।

श्री हरिन पाठक : वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब जाहिरा जी ने अदालत के सामने यह कह दिया कि मैंने किसी का कोई पैसा नहीं लिया है। मुझ पर कोई दबाव नहीं है। यह गुजरात में नरेन्द्र भाई की सरकार को गिराने की साजिश है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद । श्री रामजीलाल सुमन अपनी बात रखें तथा और कोई भी न बोले।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। श्री रामजीलाल सुमन उस मुद्दे पर बोलेंगे जिसका उन्होंने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जब से यह सत्र शुरू हुआ है उसी समय से हम यह विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 18230 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। इस बीच में विभिन्न प्रांतों को जो विशेष आर्थिक पैकेज दिए गए हैं उनमें उड़ीसा को 250 करोड़ रुपये, बिहार को 325 करोड़ रुपये, जम्मू–कश्मीर को 24 हजार करोड़ रुपये, मणिपुर को 2770 करोड़ रुपये और आसाम को 336 करोड़ रुपये का पैकेज प्रमुख है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री आजकल आप बीच में परेशान करने लगे हैं। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार ने विभिन्न प्रांतों को जो विशेष आर्थिक पैकेज दिए हैं, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। जो उपेक्षित प्रांत हैं उन्हें भारत सरकार विशेष आर्थिक पैकेज दे, उसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रांत अगर यह देश होता तो यह दुनिया का सातवां देश होता। हमारे बार–बार प्रार्थना करने के बावूजद भी मदद नहीं मिली। हमने विशेष आर्थिक पैकेज के दस्तावेज भारत सरकार को पेश किये। जिनमें बताया गया है कि हमारी पर कैपिटा इन्कम क्या है। हमारे प्रदेश में साक्षरता की दर क्या है। तुलनात्मक दृष्टि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से उन सब चीजों का हमने खुलास किया, जिनके संबंध में हमें आर्थिक पैकेज की आवश्यकता थी।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और दूसरे लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं और कहते हैं कि प्रदेश का विकास होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकारों की अपनी सीमित आर्थिक मर्यादाएं हैं जिनके चलते प्रदेश का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। हमने एक बार नहीं बार–बार इस बात को कहा है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की है कि 2007 तक उत्तरांचल में इंडस्ट्री लगाने वालों को आयकर में छूट दी जाएगी। हमें उससे शिकायत नहीं है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योग इस कारण से उत्तरांचल में जा रहे हैं । यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह कह चुके हैं। कई माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुमन, समस्या तो यह है। जब मैं नोटिस देने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य को समय देने का प्रयास कर रहा हूं तब यदि एक भी माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य की बात काटता है तो अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होता है। मुझे खड़े होकर आपको यह याद दिलाना पड़ता है कि कृपया मुझे सभा उचित ढंग से चलाने दें।

[हिन्दी]

कितना टाइम चला जाता है। आप अपनी बात खत्म क्यों नहीं करते।

[अनुवाद]

आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। मैंने आपको अनुमति दी हालांकि आपको इसका अधिकार नहीं था। आपने पिछले सप्ताह पहले भी एक मुद्दा उठाया है। इसके बावजूद मामले के महत्व को देखते हुए मैंने आपको अनुमति दी है। कृपया जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : मैं एसोसिएट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात कहने दें और फिर आप स्वयं को संबद्ध करें। आप पहले वाक्य से स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं। कोई दूसरे वाक्य से अपने आप को संबद्ध करना चाहते हैं। कोई तीसरे वाक्य से अपने आप को संबद्ध करना चाहता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं वही प्रार्थना कर रहा था कि जहां एक तरफ हमें पैकेज नहीं मिला और उत्तरांचल में उद्योग लगाने वालों को आयकर में छूट की विशेष सुविधा दी जा रही है, उसका परिणाम यह हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योग उत्तरांचल में जा रहे हैं। हमने प्रार्थना की थी कि उत्तरांचल की सीमा से सटे हुए 100 किलोमीटर की परिधि के उत्तर प्रदेश के इलाके में भी इस प्रकार की छूट दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बताया जाए कि यह सरकार हमें क्यों मदद नहीं कर रही हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जब हमारी बात ही आप सुनते नहीं हैं?

श्री रामजीलाल सुमन : प्रधान मंत्री जी जवाब दें कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से बार–बार फरियाद करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश को आर्थिक पैकेज नहीं दिया जा रहा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह काफी है। अपनी बात न बिगाड़ें।

(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार : मैं माननीय सदस्य की बात से अपने को एसोसियेट करता हूं।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : मैं भी एसोसियेट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप भी एसोसिएट कर रहे हैं श्री दुष्यंत सिंह।

(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : महोदय आपकी अनुमति से मैं अपने राज्य के एक महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दुष्यंत सिंह।

एक युवा सदस्य बोल रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने का अवसर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने एसोसिएट कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने उल्लेख दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह काफी गलत बात है, श्री रामजीलाल सुमन मैं ऐसा कह सकता हूं। मैंने अपनी सीमा से बाहर जाकर आपकी मदद की परन्तु आप इसका गलत उपयोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं।

केवल श्री दुष्यंत सिंह की बात को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राजस्थान के लिए एम्स जैसे अस्पताल से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुददे का उल्लेख किया है। सभा में इसकी चर्चा की गई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मामले के महत्व को देखते हुए मैंने आपको अनुमति दी है। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने भी यह कह दिया है कि राजस्थान सरकार ने एम्स जैसे अस्पताल के लिए भूमि नहीं दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी से उत्तर तो दिला दें। सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं। वे बताएं कि क्या भारत सरकार उत्तर प्रदेश के साथ ऐसे ही अन्याय करती जाएगी?..*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई जवाब नहीं आ रहा है इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 1.23 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामजीलाल सुमन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, मैं यहां यही कहूंगा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पदाधिकारियों ने भूमि देखी थी लेकिन उन्होंने उसे 'एम्स' जैसे अस्पताल के लिए पर्याप्त अथवा उपयुक्त नहीं पाया। इसलिए, उन्होंने भारत सरकार के कृषि विभाग से संबंधित दूसरी अर्थात् 'कजरी' भूमि को देखा था। अब, इस मामले को स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग के बीच उठाया जाना है। मैं कृषि विभाग से इस भूमि को उन्हें देने का आग्रह करूंगा। राज्य सरकार ने भूमि देने के लिए सभी एतिहात और उपाय कर लिए हैं और इस संबंध में कृषि और सवास्थ्य मंत्रालय को भी लिख दिया है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारे राज्य में राजस्थान के लोगों के लिए 'एम्स' जैसे चिकित्सालय की आवश्यकता है। मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से आग्रह करूंगा कि राजस्थान में 'एम्स' जैसा अस्पताल बनाया जाए।

इस समय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान को विशेष पैकेज नहीं दिया गया है और यह भी तब जब...*(व्यवधान)* हमारे पास गैस और पेट्रोलियम के पर्याप्त भण्डार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस 'एम्स' जैसे अस्पताल के बारे में है।

श्री दुष्यंत सिंह : मैं अन्य सहायता के लिए भी पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे बहुत अच्छी तरह से रखा है। आपका मजबूत मामला बनता है।

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, वहां सहायता थी...*(व्यवधान)* बाड़मेर और संचोड बेसिन...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्यों से गलत सुझाव न लें। बोलना जारी रखें और अपने विषय पर कायम रहें। वे आपको गलतफहमी में डाल देंगे।

(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह : नहीं महोदय, यद्यपि राजस्थान में बाड़मेर और संचोड़ बेसिनों में काफी तेल भन्डार है लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि वे भटिंडा में एक तेलशोधनशाला खोलेंगे न कि राजस्थान में।

महोदय, उन्होंने पुनः यही बात दोहराई है कि वे हमें कोई पैकेज नहीं देंगे क्योंकि वहां सरकार भाजपा और राजग द्वारा चलाई जा रही है..*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, आपका नोटिस अलग मामले पर है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दुष्यंत सिंह : यही कारण है कि उन्होंने हमें पैकेज नहीं दिया है। इसलिए, वे राजस्थान के लिए 'एम्स' जैसा संस्थान देने के मुद्दे की जांच करें और राजस्थान के लिए तेलशोधनशाला भी दें ताकि हम पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन कर सकें और वहां किसानों की सहायता कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं।

श्री एस. के. खारवेनथन – उपस्थित नहीं।

श्री शिशुपाल एन. पाटले – उपस्थित नहीं।

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य।

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य (करीमगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत–बांग्लादेश सीमा और देश की आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित महत्पूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। महोदय, भारत सरकार ने इसके साथ–साथ कंटीली बाड़ लगाने का निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूची दीजिए। अब मैं आपका नाम पुकारूंगा, इसे मजाक न समझें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य : महोदय, भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र के 150 मीटर अन्दर की ओर कंटीली बाड़ लगाने का निर्णय लिया है, यह क्षेत्र सीमा के 'जीरो प्वांइट' से अन्दर की ओर है, यदि 'जीरो प्वाइंट' से 150 मीटर के अन्दर सीमारेखा दीवार बनाई जाती है तो करीमगंज नागरपालिका क्षेत्र में लगभग 2500 परिवार कंटीली बाड़ के बाहर रह जाएंगे और करीमगंज थोक बाजार का आधा भाग कंटीली बाड़ के बाहर रह जाएगा। वहां भारत बांग्लादेश व्यापार केन्द्र भी इससे प्रभावित होगा।

प्रथम चरण में सीमा रेखा पर एक दीवार निर्मित की गई थी और इसके कारण लगभग पांच गांव बाड़ के बाहर रह गए हैं। और ये लोग अभी भी इसके बाहर ही रह रहे हैं। इन लोगों को सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे के बीच सीमा सुरक्षा बल के द्वार से अन्दर आना होता है, वे इन 12 घंटों के दौरान भारत में रह सकते हैं; शेष 12 घंटों के लिए वे बिना सुरक्षा के 'नो मैनस लैंड' में रहते हैं; इसलिए सभी भारतीय नागरिकों को सीमा रेखा पर बनी दीवार के अन्दर ही रखना चाहिए।

मैं कहूंगा कि यह सीमा रेखा पर बनी दीवार आवश्यक है और इसका सभी ने स्वागत किया है लेकिन इसे नदी के किनारे के साथ–साथ निर्मित किया जाना चाहिए जो कि सीमा से 50 मीटर दूर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सीमा रेखा नदी की मध्य धारा में आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद। श्री जार्ज फर्नान्डीज इस विषय पर आपने नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तहलका का नाम उधर से मत लीजिए। नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसका क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को अवसर देने की कोशिश करूंगा, यहां अभी कम से कम 38 माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाना है।

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : महोदय, मैं आपसे दो मिनट का समय देने के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध करने की एक प्रक्रिया होती है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, वह क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज आपने भारतीय प्रेस ट्रस्ट से संबंधित मुद्दे पर नोटिस दिया है, कृपया आप अपने विषय पर ही बोलें।

(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, वे इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे मुझे नियंत्रित करने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं? मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं।आप बार–बार खड़े क्यों हो रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज आपने भारतीय प्रेस ट्रस्ट के कर्मचारियों पर हमले के बारे में नोटिस दिया है। कृपया, उसी विषय पर बोलें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मुझे उसी पर बोलना

था, लेकिन इन्होंने तहलका का नाम ले लिया, इसलिए मुझे... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज छोड़िए।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको इसकी अनदेखी करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया से जुड़ा हुआ मामला है। देश का संविधान संगठन बनाने की इजाजत देता है। यहां बने हुए संगठनों को तोड़ने के लिए किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, मैं वह बताना चाहता हूं। प्रैस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चीफ अधिकारी ने जब उनके सामने लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, तो उन्हें हटाकर, उनकी जिन्दगी को बर्बाद करने के काम में वे लगे हुए हैं। पी.टी.आई. में पिछले 10 सालों से काम करने वाले 700 लोगों को हटा दिया गया और एक प्रकार से तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसी तानाशाही मैंने इमर्जेंसी के दिनों में भी नहीं देखी थी। वर्तमान समाचार पत्रों पर कुछ काबू रखने का प्रयास जरूर हुआ, लेकिन अब जो पी.टी.आई. में हो रहा है, वैसा मैंने देश में कहीं भी नहीं देखा।

इस पर देश के हर मजदूर संगठन ने , सेंट्रल आर्गनाइजेशंस ने, कोई भी, किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, कोई भी नेतृत्व कर रहा हो, इन सब लोगों ने आज तक हस्तक्षेप करने का काम किया, लेकिन इसका चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर इतना बड़ा तानाशाह बन गया है कि वह किसी की बात नहीं मानता है। मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि वहां लोग अनेक कारणों से खुदकुशी करके मरे हैं। कई लोगों के घर एवं परिवार खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय को कहा जाए कि वह इस पर अपनी नजर रखे और जहां इंसाफ मिलना चाहिए, वहां इंसाफ देने के काम में वह अपना हाथ बढ़ाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिशुपाल एन. पाटले, जब मैंने आपका नाम पुकारा था तब आप अनुपस्थित थे।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पाटले (भण्डारा) : अध्यक्ष महोदय, जब आपने मेरा नाम लिया था, मैं पानी पीने गया हुआ था।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जब नोटिस देते हैं तो आपको पानी पीने में थोड़ी देरी करनी चाहिए। यह मौका ज्यादा नहीं मिलता है और जब मिलता है तो उसका उपयोग कीजिए। आपका मुद्दा अच्छा है, आप बोलिए।

श्री शिशुपाल एन. पाटले : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत कृषि प्रधान देश के नाम से माना जाता है। माननीय श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने जय जवान–जय किसान का नारा लगाया था। बड़ी खुशी की बात है कि देश के जवानों के लिए यह विशाल बजट है। जहां धन उपलब्ध कराया जाता है, पेंशन योजनाएं भी लागू हैं, वहीं हम देखते हैं कि जय किसान, यानी हमारा किसान अपनी गरीबी, बदहाली के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। इस कारण हमारा जय जवान–जय किसान का नारा अधूरा रह गया है। हमारा कृषि पर आधारित देश है, लेकिन यहां सिंचाई की ठीक से व्यवस्था नहीं है। हमारा किसान आधुनिक खेती से कोसों दूर है।

महोदय, छोटा किसान दो–चार हैक्टेअर जमीन का मालिक है और वह 12 महीने कर्ज में डूबा रहता है। परिवार का भरण–पोषण, बच्चों की शिक्षा, जीवन चलाना उसे मुश्किल लग रहा है। वे कर्जदार हो जाते हैं। देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या, किसानों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। वह पूरी जिन्दगी संघर्ष करते–करते मर जाता है और वृद्धावस्था में भिखारी की जिन्दगी जीने को मजबूर हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, फौज के जवान, सरकारी–अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, भूमिहीन मजदूर, कामगार और असंगठित कामगार, यानी हर वर्ग के लिए पेंशन योजना लागू की गई है और जीवन भर अनाज पैदा करने वाले, जीवन देने वाले राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विशेष अंग हमारे किसान भाइयों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। खुद भूखा रह कर हमारा पेट भरने वाला किसान बुढ़ापे में भिखारी की जिन्दगी जी रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, उन्होंने आपकी बात सुन ली है।

श्री शिशुपाल एन. पाटले : अध्यक्ष महोदय, किसान पेंशन योजना, किसानों के लिए उनके बुढ़ापे में भी स्वाभिमान से जीने का मौका दे सकती है। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देता हूं और विनती करता हूं कि देश के छोटे किसानों हेतु किसान पेंशन योजना लागू की जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. वी. वाई. रेड्डी–उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी दो मिनट बोलने का समय दीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह, आपको निश्चित रूप से समय नहीं मिल रहा है। मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश का एक अति लोक महत्व का मुद्दा सदन में उठाने की अनुमति चाहता हूं। विगत कई वर्षों से विंध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, पन्ना जिले के यात्रियों के लिए नई दिल्ली से रीवा विंध्याचल एक्सप्रैस गाड़ी चल रही थी।

विगत दिवस समाचार–पत्रों में छपी एक खबर के मुताबिक 26 दिसम्बर, 2004 से उक्त यात्री गाड़ी बन्द करने की घोषणा की गई है, जो कि विन्ध्य प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय होगा। उक्त गाड़ी से चारों जिलों का सीधा सम्बन्ध इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद तथा नई दिल्ली से बना हुआ है।

उक्त गाड़ी को बन्द करने के बजाय यदि समय परिवर्तित कर दिया जाये तो उसकी आय भी बढ़ जायेगी और कई स्टेशनों पर रोके जाने की व्यवस्था, जिसकी लगातार वहां के लोग मांग कर रहे हैं, पूरी हो जायेगी। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए रीवा–नई दिल्ली एक्सप्रैस को यथावत चालू रखा जाये और इसका समय परिवर्तित करते हुए अन्य स्टेशनों पर भी रोकने की व्यवस्था की जाये। साथ ही मैहर रेलवे स्टेशन के पास लम्बे समय से ओवरब्रिज बनाने की मांग की जा रही है, उसे बनाकर जनभावनाओं का सम्मान किया जाये।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसके साथ एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निःसंदेह आप अपने आपको संबद्ध कर सकते हैं।

कुमारी सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 बांकुरा जिले से होकर गुजरता है जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग–60 को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था लेकिन अब इसका नाम ही रह गया है। व्यावहारिक रूप से यह खड्डों एवं गड्डों भरी संकीर्ण सड़क है। यह दयनीय अवस्था में है। कभी–कभी थोड़ी–बहुत टूट–फूट की मरम्मत के अलावा काफी लंबे समय से इस सड़क पर कोई अच्छा मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इस सड़क का उपयोग करने वाले लोगों का काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और प्रत्येक दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं।

पिछली लोक सभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग–60 की अवस्था के बारे में और इसे समुचित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन करने तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरकार को कई पत्र लिखे। फिर भी, सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री से शीघ्र धनराशि आवंटित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 को एक उपयुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने हेतु कदम उठाने के लिए अनुरोध करना चाहती हूं। तभी हमारे क्षेत्र की जनता को इस दयनीय स्थिति से छुटकारा मिलेगा और लोगों को प्रत्येक दिन होने वाली घटनाओं से बचाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर–अनुपस्थिति।

श्री अजित कुमार सिंह–अनुपस्थित।

लोग नोटिस तो देते हैं, लेकिन उपस्थित नहीं रहते। श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, आपने जो मुद्दा दिया है, उसके ऊपर बोलिये। आप जानते हैं, आपने क्या मुद्दा दिया है?

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर) : सम्राट अशोक की लाट का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सम्राट अशोक की लाट है, यह पूरे कृषि प्रधान हिन्दुस्तान, सोने की चिड़िया इंडिया और भारत का एक प्रतीक बना हुआ है। इससे भावनात्मक मामला जुड़ा हुआ है, जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पिछली एन.डी.ए. की जब सरकार थी, उस जमाने में इस लाट को नोट से किनारे कर दिया गया। हमारे यहां जो नोट मिलता है, मुद्रा मिलती है, उस पर सम्राट अशोक की लाट छपी हुई है। पहले नोटों पर महात्मा गांधी का फोटो एवं सम्राट अशोक की लाट छपी थी। परन्तु राजनीति से प्रेरित होकर इसको किनारे किया गया। बिल्कुल अन्याय किया गया है। इसका सीधे–सीधे लगाव कुशवाहा, काछी, शाक्य, सैनी, मेहतो, गेहलोत, मेहता आदि जाति के लोगों से है, जो हिन्दुस्तान में 12 प्रतिशत हैं। उन लोगों का कहना है कि सम्राट अशोक के द्वारा यह लाट प्राप्त हुई है। सम्राट अशोक हमारी ही कौम में पैदा हुए हैं और ऐसी कौम की भावनाओं को, 12 प्रतिशत लोगों की भावनाओं को पूरे देश में जो ठेस पहुंचाई जा रही है, इसके बदले में मैं चाहता हूं कि यू.पी.ए. की सरकार उस अवमानना को और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाट को पुनः नोट के बीच में रखे। यदि ऐसा

नहीं किया जाता है तो यह घोर अन्याय होगा। यह जनभावनाओं के विपरीत है, देश की 12 प्रतिशत आबादी से सम्बन्धित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। बात को दोहराने की अनुमति नहीं मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष जी, इसका लोग सड़कों पर उतरकर मुकाबला करेंगे। इस मामले में कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बात क्यों नहीं सुनते हैं?

[अनुवाद]

श्री फुरकान अंसारी–उपस्थित नहीं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मेरी सूचना संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को बी–2 दर्जा देने से संबंधित है।

संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी जो पहले एक फ्रेंच कालोनी था, का भारतीय संघ में वर्ष 1954 में विलय हुआ। तब से, पिछले 50 वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र ने सभी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति की है। संघ राज्य क्षेत्र की शहरी जनसंख्या भी बढ़ गई है। इसलिए, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बढ़ते शहरीकरण के अनुरूप इसे बी–2 दर्जा दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की है और इसे काफी लंबे समय से वित्त मंत्रालय की स्वीकृति का इंतजार है। यहां पर्याप्त समर्थन है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात बहुत ही अच्छी तरह से रख दी है।

प्रो. एन. रामदास : मैं वित्त मंत्रालय से संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को यथाशीघ्र बी–2 दर्जा देने का अनुरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपको आई.डी.बी.आई. के बारे में बहुत ही संक्षेप में बोलना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आई.डी.बी.आई. अधिनियम का निरसन वर्ष 2001 में किया गया था। यह आश्वासन दिया गया था कि आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतनमानों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विकास बैंक को वाणिज्य बैंक में बदलने के बाद उनको वही सुविधाएं मिलती रहेंगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे सदस्य जो धैयपूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा का रहे हैं और कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद कि सेवा शर्तों को बदला नहीं जाएगा, आई.डी.बी.आई. प्रबंधन ने भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के समतुल्य आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का निर्णय लिया। व्यावसायिक बैंक में बदले जाने से पहले कर्मचारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलती थीं। आज वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार मजदूर संघ बनाने के अधिकार से वंचित हैं। उनसे कहा जा रहा है कि वे संघ न बनाएं। यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। इसे व्यावसायिक बैंक में परिणत किए जाने के बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रबन्धन उनके मजदूर संघ बनाने के अधिकार अपनी बात बेहतर ढंग से मनवाने के अधिकार पर हमला कर रहा है। ये सारे अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभा में जो आश्वासन दिया गया था उसका...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इनके साथ एसोसिएट करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले माननीय सदस्य को समाप्त करने दीजिए, उसके बाद एसोसिएट कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आई डी बी आई के कर्मचारियों का वेतन भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के समतुल्य होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर आपके विचार सुपरिचित हैं और आपने इस विषय को ठीक ही उठाया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय मैं भी अपने को इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उठाए गए मुद्दे से अपने को संबद्ध करने के लिए ऐसे ही बीच में उठकर बाधा पहुंचाएंगे तो सभा के समक्ष यह मुद्दा ठीक से नहीं उठाया जा सकेगा।

हां, आपका नाम संबद्ध किया जाएगा।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जन सुरक्षा से संबंधित इस गंभीर विषय को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : महोदय, मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलूंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मात्र दो दिन पहले 21 दिसम्बर, 2004 को उत्तरांचल में मैं जहां रहता हूं उस काशीपुर शहर के एस जी स्टील फैक्ट्री में हुए मिसाइल विस्फोट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तरांचल के काशीपुर में एस जी स्टील फैक्ट्री के मेटल स्क्रैप के साथ पड़े घातक विस्फोटक के फटने से एक निरीह मजदूर की तत्काल मृत्यु हो गई जो स्क्रैप को वेल्डिंग मशीन के सहारे काटने का प्रयास कर रहा था तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और साथ ही निकटस्थ संपत्ति और आवासीय इकाइयों को भारी क्षति हुई।...*(व्यवधान)* मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : हरेक विषय महत्वपूर्ण है।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : खबर है कि कम से कम एक सौ और ऐसी मिसाइलें जो बिना जांच की गई वहां पड़ी हैं और जिन्हें शीघ्र निष्क्रिय किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण इन विस्फोटकों का पता लगाया जाना और निष्क्रिय किया जाना कठिन है।

महोदय, अतएव मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की जांच करें यथा इन विस्फोटकों को हटाने तथा निष्क्रिय करने की लागत का भुगतान करने जैसी लम्बित सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करना और अर्धसैनिक बलों एवं अन्य तकनीकी कार्मिकों की तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं ताकि इन घातक विस्फोटकों का पता लगाया जा सके और अविलम्ब उन्हें निष्क्रिय किया जा सके और जान–माल के होने वाले खतरे को टाला जा सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यहां इतने लम्बे वक्तव्य नहीं पढ़े जा सकते हैं। हमें इस पढ़ने की आदत को छोड़ना होगा। भविष्य में हम सदस्यों को लिखित पाठ से पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : महोदय, मुझे केवल एक मिनट का और समय दीजिए। मैं अन्तिम बात कह रहा हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उधम सिंह नगर, उत्तरांचल के जिलाधीश ने इस संबंध में आवश्यक मदद के लिए राज्य सरकार से पहले ही अनुरोध किया है और मुझे विश्वास है कि उत्तरांचल राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को त्वरित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेज दिया है।

[हिन्दी]

श्री महबूब जाहेदी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में कपास की खेती करने वाले जो किसान हैं, वे आज मौत के कगार पर खड़े हैं। आज एक क्विंटल कपास का दाम 1700 रुपये पर आ गया है जबकि पिछले दस सालों में कपास का भाव दो हजार रुपये प्रति क्विंटल से नीचे नहीं गया था। एक एकड़ जमीन में छह क्विंटल के करीब कपास तैयार होती है जिस पर किसान का 12 हजार रुपये खर्च होता है। आज हालत यह है कि उनको अपनी कपास 10 हजार 200 रुपये में बेचनी पड़ रही है। इस कारण उनको एक एकड़ पर दो हजार रुपये के करीब घाटा होता है। आज यही हालत राजस्थान की है। आप जानते हैं कि पूरा राजस्थान सूखे से ग्रस्त है। राजस्थान में किसान को कपास का कम भाव मिलने के कारण अपनी कपास खेत में ही जलानी पड़ रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर स्थिति है। किसानों को खुदकुशी न करनी पड़े, इस बारे में सरकार को आगे बढ़कर कोशिश करनी चाहिए और उनको उनकी उपज का सही भाव मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री महबूब जाहेदी द्वारा उठाए गए मामले से निम्नलिखित सदस्यों ने अपने को संबद्ध किया।

श्री पी. एस. गढ़वी।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील।

अपराह्न 1.46 बजे

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(चार) सूचना का अधिकार विधेयक*, 2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाना है। यह कार्यसूची की क्रम सं. 33 पर सूचीबद्ध है। जब माननीय मंत्री को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तब वह उपस्थित नहीं थे तथा उनकी ओर से किसी अन्य माननीय मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने क्षमा याचना हेतु मुझे लिखा है। परन्तु यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित होना चाहिए।

श्री पचौरी, आप पहले उपस्थित नहीं थे। यह अच्छी बात

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खंड 2, दिनांक 23.12.2004 में प्रकाशित।

नहीं है। आपको सावधान रहना चाहिए। कृपया इसे पूर्वोदाहरण न बनाएं। मैं भविष्य में इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अतः उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्रीगण भी कहीं और व्यस्त हैं, परन्तु मैं सभी माननीय मंत्रियों से इस सम्माननीय सभा को प्राथमिकता देने का अनुरोध करूंगा।

अब आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, सर्वप्रथम मैं उस समय अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा चाहता हूं। जैसा कि मैंने अनुरोध किया था कि मैं दूसरी सभा में किसी दूसरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा था। परन्तु जैसा कि आपने निदेश दिया है मैं निश्चित रूप से इसका ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्रिमंडल के किसी अन्य माननीय सदस्य से इसे उठाने का अनुरोध कर सकते थे।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनता के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनता के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश पचौरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो क्या आप भोजन काल के अल्प अवकाश के लिए सभा को स्थगित करना चाहेंगे?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.36 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.36 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, सभा के माननीय सदस्यों ने आज बिना चर्चा किए प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक को पारित करने का निर्णय लिया है। खैर, विधेयक पर पूरी चर्चा करने में केवल 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इसलिए, इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन यह कार्य नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् किया जाएगा।

श्री विजय हान्डिक : यह कार्य नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् किया जा सकता है।

अपराह्न 2.37 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क लगाए जाने से छूट देने के आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए. साईं प्रताप (राजमपेट) : आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का विचार दो वर्षों की अवधि में 2.5 लाख हैक्टेयर भूमि पर 1200 करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय से कृषि के सतत विकास और जल के प्रभावी प्रबंधन के लिए लघु सिंचाई परियोजना आरंभ करने

*सभा पटल पर रखे माने गए।

का है। इस परियोजना का लक्ष्य राज्य में प्रत्येक किसान को कृषि क्षेत्र में लघु सिंचाई का लाभ प्रदान करना है। राज्य प्रत्येक पात्र किसान को 50,000 की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्येक लघु सिंचाई इकाई के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता दे रहा है। लघु सिंचाई उपकरणों की लागत कम करने के लिए राज्य सरकार ने बिक्री कर में पहले ही छूट दे दी है। लघु सिंचाई उपकरणों को अधिक सस्ता बनाने के लिए, लघु सिंचाई उपकरणों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क में छूट देकर किसानों के लिए इनके मूल्य में लगभग 40–50 प्रतिशत तक और कमी की जा सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क लगाए जाने से छूट देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पहले ही केन्द्र सरकार से संपर्क और आग्रह कर चुकी है। किसानों के हित में इन प्रस्तावों को यथाशीघ्र अनुमोदित और स्वीकृत किया जाए।

(दो) मेवात क्षेत्र के विकास हेतु अलीगढ़-पलवल-अलवर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद में मेवात के लोग बहुत लम्बे अरसे से वाया मेवात, अलीगढ़–पलवल–अलवर रेल लाइन बिछाने, पलवल स्टेशन को जंक्शन बनाने और ओल्ड फरीदाबाद क्रासिंग पर अंडरपास बनाने की मांग करते आ रहे हैं। करीब 25 साल पहले रहीमपुर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर स्व. प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने, 1989 में श्री बंसीलाल ने और फिर 1997 में मेवात दौरे के दौरान नूह में श्री देवेगौड़ा ने जनता से इस रेल लाइन को बिछाने का वादा किया था। इसके लिए 13 साल पहले सर्वे भी हुआ था। खुद मैंने 1991 में संसद में इस लाइन को बिछाने का मुद्दा उठाया था। मगर यह लाइन अब तक नहीं बनी। फरीदाबाद का मेवात क्षेत्र दिल्ली के बेहद करीब होने के बावजूद बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां ढंग की सड़क तक नहीं है। इस रेल लाइन के बिछने से मेवात क्षेत्र का तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा।

अतः मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मेवाती जनता की इन तीनों मांगों को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दें।

(तीन) पाकिस्तान की हिरासत से भारतीय मछुआरों को मुक्त कराए जाने के मामले को उठाए जाने की आवश्यकता

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारतीय मछुआरों को ओखा/जाखव के नजदीक अरब सागर में भारतीय सीमा में घुसकर पकड़ कर ले जाने की और दिलाना चाहता हूं। इस कार्यवाही के दौरान भारतीय तटरक्षक मूक दर्शक बने रहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। इसे निशान लगाकर स्पष्ट किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच ऐसी कार्यविधि या तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि गलती से एक दूसरे की जल सीमा में प्रवेश करने वाले मछुआरों को कुछ जुर्माना लगा कर वहीं छोड़ दिया जाये तथा तस्करी या अन्य अवैध कार्य में लगी बोटों को ही पकड़ा जाये।

इस संबंध में मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि इस समय दमन दीव, गुजरात और महाराष्ट्र के 842 मछुआरे तथा 148 बोटें पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान में कैद मछुआरों की हालत बहुत दयनीय और चिंताजनक है। दीव क्षेत्र के दो मछुआरों की पहले ही इस हालत में मौत हो चुकी है। इस स्थिति के कारण 3000 परिवारों के लिए रोजी–रोटी की समस्या पैदा हो गयी है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस मामले को तुरंत पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए ताकि इन मछुआरों को बोटों सहित पाकिस्तान से छुड़ाया जा सके। यह भी सर्वदा उचित होगा कि इस संबंध में पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने के लिए संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाये ताकि इन 3000 परिवारों का उद्धार हो सके।

(चार) देश में बुनकर समुदाय के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा) : महोदय, बिहार राज्य में लगभग 3 लाख बुनकर बेरोजगार हो गए, इसी तरह से झारखंड राज्य में लगभग 2 लाख, उड़ीसा में लगभग 2 लाख, पश्चिम बंगाल में लगभग 2.5 लाख, उत्तर प्रदेश में लगभग 4 लाख और महाराष्ट्र में लगभग एक लाख बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्यक्रम सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है, जिससे बुनकरों की दशा दिन–प्रतिदिन अत्यंत खराब होती जा रही है। हजारों बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं। बुनकरों के शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक सहायता एवं जीवन बीमा के लिए जो कल्याण योजनाएं चलायी जा रही हैं, उनका समुचित लाभ बुनकरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बुनकरों की शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं एवं जीवन बीमा का सर्वेक्षण करके कल्याणकारी योजनाओं को लागू करायें ताकि बुनकरों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान हो सके।

(पांच) हिमाचल प्रदेश में नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि. प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से भू–तल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश में तीन साल पूर्व घोषित किए गए चार नए राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर आकर्षित करते हुए उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चारों राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण की गति अत्यंत धीमी है। नैशनल हाईवे संख्या–21 चंडीगढ–स्वारघाट–मनाली से हजारों ट्रक प्रतिदिन सीमेंट लेकर गुजरते हैं। इसी मार्ग पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से 11 किलोमीटर दूर एक घागस पुल स्थित है। वह अत्यंत पुराना व जर्जर हो चुका है। पूरे मार्ग की स्थिति इतनी खराब है कि वह कच्ची सड़क जैसा नजर आता है। यह एकमात्र पुल है, जो पंजाब को हिमाचल से जोड़ता है तथा हिमाचल, में पर्यटन के विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मेरा आग्रह है कि चारों नए राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा करने हेतु भरपूर धनराशि का आवंटन किया जाये और एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये ताकि इनका निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुसार शीघ्र पूर्ण हो सके।

(छह) पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान के समझौते के अनुसार उसे जल का उचित हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और अन्य प्रदेशों के मध्य समझौते के अनुसार पानी नहीं मिलने के कारण राजस्थान प्रदेश के किसानों के सामने विकट समस्या पैदा हो गयी है। 1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम. एम.एफ. अधिकृत पानी राजस्थान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है व पानी के वितरण के लिए अभी भी हैडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब के हाथों में है, जबकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि हैडवर्क्स का केन्द्रीय रूप से नियंत्रण भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के पास रहेगा। इसमें राजस्थान के प्रतिनिधि का होना भी अत्यंत आवश्यक है, जबकि इसमें पंजाब, हरियाणा का प्रतिनिधित्व है।

राजस्थान को पिछले काफी वर्षों से सूखे का सामना करना पड़ रहा है, अब नहर में पानी की कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नहर का मुख्य क्षेत्र भारत–पाक सीमा के पास होने के कारण यह सुरक्षा का विषय भी है। पानी की कमी के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू आदि के किसान आंदोलित हैं, अगर इन्हें इनका वाजिब हक नहीं मिला तो किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। पानी इस क्षेत्र का जीवन–मरण का प्रश्न है। दिनांक 2.12.2004 को राजस्थान के सभी सांसदों ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर इस समस्या से अवगत करवाया है।

अतः भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या को हल करने में राजस्थान की हर संभव सहायता कर पानी का वाजिब हक दिलवाने का कष्ट करें।

(सात) महाराष्ट्र के यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित वनों के वन्य प्राणियों के लिए सूखे के कारण पानी की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र यवतमाल, महाराष्ट्र वन क्षेत्र का बड़ा भाग है। यहां के वनों में अनेक जंगली पशु जैसे बाघ, हाथी, हिरन, बारहसिंगा तथा अन्य पशु बड़ी मात्रा में विचरण करते हैं। जंगलों में नदी, नाले और तालाब हैं, उनका जल स्तर काफी नीचे चला गया है। यदि एक माह के अंदर वर्षा न हुई तो जंगल में पशुओं को पीने के पानी का अभाव हो जायेगा और बिना पानी के वन्य पशु हजारों की संख्या में मर जायेंगे। इस प्रकार का सूखा पिछले 100 वर्षों के बाद पड़ रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र यवतमाल, महाराष्ट्र के जंगलों में वन्य पशुओं के लिए पीने के पानी हेतु तालाब आदि की व्यवस्था युद्धस्तर पर करने हेतु अविलम्ब आवश्यक निर्देश पारित करने का कष्ट करें।

(आठ) मध्य प्रदेश के सतना एवं कटनी जिलों तथा देश के अन्य भागों में उपयुक्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत चिंता का विषय है कि देश में गरीबों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। गरीबी ने जहां देश के विकास को प्रभावित किया है वहीं देश के सामने दो तरह का भारत बना दिया है। यदि इसको रोकने के प्रयास 1947 के बाद जो अब तक हुए हैं जारी रहे तो एक दिन ऐसी स्थिति बनेगी कि गरीबों की संख्या देश में दो तिहाई से अधिक हो जायेगी।

गरीबी हटाने का नारा आजादी के बाद प्रारंभ हुआ, लेकिन गरीबी नहीं हटी।

मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करना आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक गरीबों की संख्या बढ़ रही है।

वर्तमान में जो गरीबी रेखा है उससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। अतः पुनः सर्वेक्षण कराया जाये ताकि वास्तविक गरीबों को शामिल किया जा सके। गरीबी उन्मूलन की कौन–कौन योजनाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना तथा कटनी जिले को भी गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल किया जाये।

[अनुवाद]

(नौ) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टायर, ट्यूब एवं ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के निर्माण हेतु रबड़ आधारित उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : कन्याकुमारी उच्च साक्षरता वाला जिला है तथा यहां बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। यहां पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद हैं तथा उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जिले में रबड़ उद्योग लगाना हमारे लोगों की मांग लम्बी समय से रही है। लगभग 30 हजार हेक्टेअर भूमि पर विश्वस्तरीय रबड़ भी खेती होती है। यहां का लेक्टेक्स रबड़ विश्व स्तरीय है। यदि टायर, ट्यूब तथा ऑटोमोबाइल के लिए कलपुर्जों का उत्पादन करने वाले भारी उद्योगों की स्थापना यहां कर दी जाए तो इससे सरकारी परिवहन तथा सरकारी वाहनों की आवश्यकता पूरी हो सकती है।

चूंकि जिले में कॉयर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसलिए अपशिष्ट रबड़ लेक्टेक्स का प्रयोग रबड़ीकृत कॉयर उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है।

[हिन्दी]

(दस) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इलाहाबाद बैंक एवं अन्य वाणिज्यिक बैंको की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद के व्यावयायिक तथा शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण कुछ स्थानों पर अभी तक किसी भी व्यावसायिक बैंक की शाखा नहीं खुल सकी है। पर्याप्त जनसंख्या वाले ये स्थान हैं भलुजनी विकास खंड में श्विधरिया, लार विकास खंड का मेहरौना, सलेमपुर विकासखंड का इटहुआ, चन्दौली तथा बनकटा विकास खंड का रामपुर बुजुर्ग और वनकटा बाजार। इनमें कई स्थानों के समीप चीनी मिल भी हैं। बैंक के अभाव में श्रमिकों, शिक्षकों, व्यवसायिकों तथा आम जनता को अनेक कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैंने इलाहाबाद बैंक के अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया, जिस पर विभाग द्वारा स्थालीय निरीक्षण तो किया गया, परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में मैंने माननीय वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह जनहित में उक्त स्थानों पर इलाहाबाद बैंक की शाखायें खुलवाने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये।

(ग्यारह) बिहार के गया जिले में बंद पड़ी एन टी सी मिल एवं चीनी मिल को पुनः चालू करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गया, बिहार में उद्योग–धंधों का अभाव है और गया में जो उद्योग पहले से ही चल रहे थे, वह भी बंद हो गये। एक, गया शहर में एन.टी.सी. का कॉटन मिल है तथा दूसरा, गया के गुरारू में चीनी मिल है। दोनों काफी दिनों से बंद पड़े हैं। इन मिलों के काफी श्रमिक बेकार हो गये हैं। ऐसे भी गया जिले में बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। इसी के वजह से यहां पर नौजवान उग्रवाद का रास्ता अपना रहे हैं, जिससे सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि गया शहर में स्थित बंद पड़े एन.सी.टी. कॉटन मिल एवं गया जिला के गुरारू में बंद पड़े चीनी मिल को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाये।

[अनुवाद]

(बारह) तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. द्वारा उपयोग में लाए जा रहे राजमार्गों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित किए जाने हेतु वहां के स्थानीय प्रशासन को रॉयल्टी का एक भाग देने हेतु ओ.एन.जी.सी. को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. के. एस. विजयन (नागापट्टिनम) : ओ.एन.जी.सी. द्वारा मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागापिट्टनम में तेल खोजने के कार्य किए जा रहे हैं। करीब 52 तेल कुओं से तेल निकालने का कार्य हो रहा है। ओ.एन.जी.सी. टैंकरों के माध्यम से तेल की ढुलाई कर रहा है। ढुलाई का कार्य कर रहे इन ट्रांसपोर्टरों द्वारा राज्य के राजमार्गों का पूरे वर्ष उपयोग किया जाता है। इसकी वजह से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राजमार्ग, विशेषकर नादुरकलप्पल–अथिकापुरम सड़क तथा नागूर–सन्ननाल्लुर सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यदि हम इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के मामले को राज्य राजमार्ग विभाग, स्थानीय निकायों के साथ उठाते हैं तो वे यह कह देते हैं कि यह ओ एन जी सी की जिम्मेदारी है और जब हम ओ.एन.जी.सी. के पास जाते हैं तो वे इसकी जिम्मेदारी उन पर डाल देते हैं। इसके अलावा, यह कम्पनी रायल्टी का भुगतान जिला समाहर्ता (कलेक्टर) अथवा स्थानीय निकायों को न करके सीधे राज्य सरकार को करती है। वे स्थानीय लोगों को कोई रोजगार भी नहीं दे रहे हैं जोकि गरीबी और बेरोजगारी की वजह से वंचित वर्ग है। यद्यपि ओ.एन.जी.सी. भारत में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा और लाभ कमाने वाला अग्रणी संगठन है, मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित इसकी इकाई ने उस क्षेत्र की प्रगति व विकास में योगदान नहीं दिया है और न तो कोई अवसंरचनात्मक विकास किया है और न ही रोजगार मुहैया कराया है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह

ओ.एन.जी.सी को रायल्टी का एक हिस्सा सीधे संबंधित जिला कलेक्टरों को देने तथा कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार का अवसर मुहैया कराने का निर्देश दें। वे हमारे क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे राजमार्गों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद करें।

(तेरह) दिनांक 19 मार्च, 1983 की अधिसूचना जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन सेवा विनियमों से संबंधित है, जिनके अनुसार राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारी 54 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पदोन्नति के अयोग्य हो जाते हैं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति के आधार पर नियुक्ति) विनियम 1995 में दिनांक 19 मार्च, 1983 की अधिसूचना द्वारा समाविष्ट नियम 5 यह व्यवस्था करता है कि चयन समिति राज्य सिविल सेवाओं के उन अधिकारियों के पदोन्नति के मामले पर विचार नहीं करेगी जिन्होंने 54 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यह भेदमूलक है क्योंकि रक्षा व न्यायपालिका सहित अन्य सेवाओं में, अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के तीन से छह महीने पहले तक पदोन्नति पाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी लम्बे परिश्रम के पश्चात किसी प्रकार 34 वर्ष की आयु में सेवा में प्रवेश करते हैं तथा 20 अथवा 21 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अधिकारियों को अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवाओं में 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है, यद्यपि कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (आई.ए.एस./आई.पी.एस. और अन्य सम्बद्ध सेवा) उत्तीर्ण की हो।

अनुरोध किया जाता है कि इस भेदमूलक अधिसूचना को निरस्त किया जाए तथा संघ राज्य क्षेत्र और राज्य सिविल सेवा कैडर के अधिकारीयों को उनकी सेवानिवृत्ति के पहले तक पदोन्नति का अवसर दिया जाए।

[हिन्दी]

(चौदह) उड़ीसा की सीमा एवं जमेशदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बोहरागोड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की उचित मरम्मत एवं रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग छः एवं 33 के खण्ड उड़ीसा बार्डर से बोहरागोड़ा तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी दशा अत्यंत ही खराब है और इस मार्ग पर जगह–जगह पर गहरे–गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण आये दिन इस राजमार्ग पर गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वाहनों के प्रचालन में कई प्रकार की दिक्कत होती हैं। आये दिन जाम होता रहता है। इस राजमार्ग से पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्य, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं अन्य दक्षिण राज्यों के अत्यधिक वाणिज्य वाहनों का आवागमन होता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य करवाया जाये, जिससे इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले बड़े–बड़े वाहनों को अपने कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

[अनुवाद]

(पन्द्रह) आंध्र प्रदेश के नौपाडा-गुनूपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु निधियां आवांटित किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीकाकुलम में नौपड़ा से गुनूपुर में मीटरगेज लाइन है और गुनूपुर उड़ीसा में पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन के अन्तर्गत आता है। उपयुक्त गेज परिवर्तन कार्य के लिए 100 करोड़ की स्वीकृत धनराशि में से 30 करोड़ का आवंटन जारी किया गया है, लेकिन इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए जारी की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है और कार्य के शीघ्र निष्पादन के लिए अनुपूरक अनुदान के द्वारा और धनराशि जारी की जानी चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री से उक्त आमान परिवर्तन के कार्य के लिए अगले बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। प्रासंगिक रूप से, मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि उड़ीसा में रायगढ़ नामक एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यदि गुनूपुर के लोग रायगढ़ या अन्य स्थानों को जाना चाहते हैं तो वहां सड़क या रेल सम्पर्क के अभाव के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे गुनूपुर से रायगढ़ के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए शीघ्र सर्वेक्षण करवाने का भी अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.37½ बजे

[अनुवाद]

प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 36 यथा प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक को विचारार्थ लेगी।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नियमों के प्रकाशन और उन्हें सभा पटल पर रखने तथा

अन्य अधीनस्थ विधान से संबंधित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कतिपय अधिनियमों में संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अधिनियमों में सभा पटल पर रखे जाने के उपबंध के संबंध में कतिपय मानक अपनाए जाने हैं। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों अथवा विभागों से अधिनियमों में ऐसे सभा पटल पर रखने संबंधी मानकों को शामिल करने के लिए आग्रह करती रही है जो इनमें अंतर्विष्ट नहीं है। वास्तव, में इस संबंध में पहले दो बार प्रक्रिया शुरू की गयी थी। पहली 1983 में जब 50 विधेयक शामिल किए गए थे और दूसरी प्रक्रिया 1985 में शुरू की गयी थी जिसमें 91 अधिनियम सभा पटल पर रखने संबंधी नियमों हेतु प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए शामिल किया गया था।

इस विधेयक में लगभग 45 अधिनियमन हैं जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार सभा पटल पर रखने संबंधी नियमों से संबंधित है। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा बिना किसी चर्चा के पारित किया गया था।

महोदय, मै इसकी प्रशंसा करता हूं और इस विधेयक को इस सभा में भी पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियमों के प्रकाशन और उन्हें सभा पटल पर रखने तथा अन्य अधीनस्थ विधान से संबंधित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कतिपय अधिनियमों में संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आंरभ करेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : क्या यही स्विति रहेगी, ये सब काम ऐसे ही करते हैं, क्या इनका बिल बिना बहस के पास होगा? बहस करवाकर पास करा दीजिए। यह रोज टेलीफोन पर सीबीआई को उल्टे–सीधे काम करने के लिए कहते रहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ आइए।

खंड 2 कतिपय अधिनियमनों में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.41 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

उपाध्यक्ष महोदय : कल, डा. एम. जगन्नाथ भाषण दे रहे थे। मैं उनसे अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश भर में विशेषकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के बारे में बोल रहा था। इस मुद्दे पर चर्चाओं के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय जी, मुझे सदन को एक सूचना देनी है। देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी की मृत्यु हो गयी है। हम यह सूचना देना चाहते हैं। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और शोक होना चाहिए। हमें अभी–अभी यह सूचना मिली है। इसलिए सरकार को बताना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। क्या वे सचमुच मर गए हैं या यह अफवाह है?

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब आ रहे हैं। मुझे भी सरकारी तौर पर कन्फर्मेशन नहीं हुई है इसलिए वे ही बताएंगे।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में आपको परंपरा की जानकारी है। इसकी औपचारिक और अधिकारिक रूप से घोषणा करने की परंपरा है। यदि हम माननीय अध्यक्ष महोदय के आने की प्रतीक्षा करें तो बेहतर होगा। यदि माननीय सदस्य कुछ मिनट धैर्य रखें तो इसे बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस समाचार की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इसकी औपचारिक और अधिकारिक रूप से घोषणा की जानी है। इसीलिए हमने अध्यक्ष महोदय को बुलाया है। कतिपय अन्य कार्य किए जाने हैं। इसलिए, माननीय सदस्य, कृपया कुछ मिनट धैर्य रखिए।

डा. एम. जगन्नाथ : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की समस्याओं की बात कर रखा था। उनमें से एक देश भर में विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में किसानों द्वारा आत्म हत्याओं की समस्या है। आंध्र प्रदेश में 200 दिनों की अवधि में 2000 किसानों ने आत्म हत्या की है। लगभग 200 बुनकर आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी मौत का कारण भूखे मरने की स्थिति है.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विघ्न मत डालिए।

(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ : माननीय प्रधान मंत्री के आंध्र प्रदेश के दौरे के समय राज्य सरकार के 1,50,000 रुपये के अनुदान से अधिक की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई थी। माननीय प्रधान मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि किसान समदुाय द्वारा आत्म हत्या रोकने के लिए हर बात का ध्यान रखा जाएगा लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आया है। अब भी, आंध्र प्रदेश में प्रतिदिन लगभग छह से दस मौत होती हैं। यह स्थिति निरंतर जारी है और इस स्थिति को रोका नहीं जा सका है। भारत सरकार कोई नीति नहीं लाई है । आंध्र प्रदेश सरकार ने विपत्ति में जी रहे किसान समुदाय की मदद करने के शुभ इरादे से हेल्पलाइन स्कीम की घोषणा की थी। किसानों से कलेक्टरों के पास आने को कहा गया था जिससे कि सरकार उनकी सहायता कर सके।

महोदय, कभी–कभी हेल्पलाइन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। बल्कि, यह हैल्पलाइन डेथलाइन की दिशा में जाने वाली हैल्पलेस लाइन बन गई है। इस स्थिति के बावजूद, इन सब पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे कदम उठाने वाली आंध्र प्रदेश सरकार किसी बात की परवाह नहीं कर सकी है और कोई कदम भी नहीं उठा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के माननीय नेता कुछ कहना चाहते हैं।

अपराह्न 2.26 बजे

पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव के निधन के बारे में उल्लेख

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मुझे अत्यधिक दुःख के साथ सभा को सूचित करना पड़ रहा है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री पी.वी. नरसिंह राव का निधन हो गया है। उनके दाह संस्कार आदि का आयोजन किया जा रहा है। इन बातों का जायजा लेने और शोक प्रकट करने के लिए 3:30 अपराह्न को मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से सभा को स्थगित करने का अनुरोध करता हूं। इसके लिए कुछ औपचारिकताओं आदि को पूर्ण करना पड़ता है। किन्तु, मेरे विचार में स्थिति को देखते हुए हम औपचारिकताओं को त्याग सकते हैं।

चूंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है इसलिए आपको सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी होगी। इसीलिए, हमें सामान्यतः अनिश्चित काल के लिए सभा को स्थगित करने सम्बन्धी सामान्य औपचारिकताओं को त्यागना पड़ेगा। हम वन्दे मातरम गीत की धुन बजा सकते हैं। कितने विधेयक और कितना कार्य किया गया इसका कोई संदर्भ दिए बिना अथवा 'वन्दे मातरम' के पश्चात् अत्यधिक औपचारिकताओं को त्याग कर, सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मेरे विचार में हमें वन्दे मातरम के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। शोक संवेदना के पश्चात् हम दो मिनट तक खड़े रहेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी : कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। अध्यक्ष महोदय अभी आ ही रहे हैं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राज्य सभा को स्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : शरद पवार जी, क्या आप कुछ बोलेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : मौन खड़े होकर शोक संवेदना प्रकट की जायेगी। औपचारिक संकल्प आदि आगामी सत्र में पूर्ण किये जायेंगे। क्योंकि इन्हें अभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। हम माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अभी ही गए हैं। इसीलिए यद्यपि यह अजीब लगता है फिर भी हम माननीय अध्यक्ष महोदय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य बातों का

जायजा लेते हुए, हमने सोचा है कि सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना उचित रहेगा।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री पी.वी. नरसिम्हाराव जी के दिवंगत होने की सूचना के बाद मेरा ऐसा मानना है कि हम सदन में कोई कार्यवाही न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम भी यही कह रहे हैं। सभा सहमत है। अब हम केवल माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : जब तक ऑनरेबल स्पीकर नहीं आते, 15 मिनट के लिए हाउस स्थगित कर दें।

अपराह्न 2.50 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, सबसे पहले मैं आपको अधिकारिक तौर पर सूचित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यधिक दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव का आज अपराह्न निधन हो गया । केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज अपराह्न 3.30 बजे शोक संवेदना संकल्प पारित करने और दिवंगत नेता के राजकीय अंत्येष्टि कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए बैठक होगी।

महोदय, ऐसी स्थिति में मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि हम सभा को स्थगित कर दें। चूंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है और सामान्यतः हमें किये गए कार्य का विवरण, प्रत्येक को धन्यवाद अदा करना, जैसी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं किन्तु स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इन औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। यदि आप आज्ञा दें तो माननीय सदस्य दो मिनट खड़े होकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर सकें। तत्पश्चात् 'वन्दे मातरम' का गान करके हम सभा को स्थगित करे दें जैसा कि दूसरे सदन में किया गया है। यही मेरा अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो हमें इस देश के उत्कृष्ट राजनयिकों में एक श्री पी.वी. नरसिंह राव जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, के निधन का अत्यधिक दुःख है। वे सर्वोत्तम राजनयिक थे। वे संसद सदस्य भी रहे।

हमें उनकी मृत्यु का अत्यधिक दुःख है। उनके निधन पर मैं सदन के माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत गहन शोक संवेदना से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

मैं दिवंगत नेता की याद में सभी माननीय सदस्यों से मौन खड़े होने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.52 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 2.53 बजे

राष्ट्रीय गीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, वन्दे मातरम आरम्भ किया जाए।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

अपराह्न 2.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री इकबाल अहमद सरहगी	323
	श्री रायापति सांबासिवा राव	
2.	श्री इलियास आजमी	324
	श्री बीर सिंह महतो	
3.	श्री मधुसूदन रेड्डी	325
	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	
4.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	326
5.	श्री सुरेश अंगड़ि	327
	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	
6.	डा. एम. जगन्नाथ	328
	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	
7.	श्री भर्तृहरि महताब	329
	श्री ब्रजेश पाठक	
8.	श्री पी.एस. गढ़वी	330
9.	श्री सुरेश कुरूप	331
10.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	332
	श्री काशीराम राणा	
11.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	333
12.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	334
13.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	335
14.	श्रीमती निवेदिता माने	336
	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	
15.	श्री जुएल ओराम	337
16.	श्री रामदास आठवले	338
17.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	339
18.	श्री सूरज सिंह	340
19.	श्री जसंवत सिंह बिश्नोई	341
20.	श्री रूपचन्द मुर्मू	342
21.	श्री अधीर चौधरी श्री सुरेश अंगड़ि श्री ब्रजेश पाठक	अल्प सूचना प्रश्न सूची 2

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3690
2.	अबदुल्लाकुट्टी, श्री	3700, 3741,
3.	आदित्यनाथ, योगी	3739, 3773,
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3692, 3780, 3822, 3869
5.	अहमद, श्री अतीक	3656, 3774, 3850
6.	अजय कुमार, श्री एस.	3700
7.	अंगडि, श्री सुरेश	3741, 3840
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	3695, 3816, 3880
9.	आठवले, श्री रामदास	3787, 3854
10.	आजमी, श्री इलियास	3754
11.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	3785
12.	बैठा, श्री कैलाश	3699
13.	बंसल, श्री पवन कुमार	3803
14.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3795, 388858, 3880
15.	बर्मन, श्री रनेन	3679, 3776, 3851
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3763
17.	भगोरा, श्री महावीर	3724
18.	बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज	3660
19.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3733, 3831
20.	बोस, श्री सुब्रत	3694

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3700, 3796, 3859
22.	चन्देल, श्री सुरेश	3664, 3728
23.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3664, 3728, 3756
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	3706, 3848
25.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3736, 3751, 3834
26.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3765
27.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3750, 3817, 3870, 3880
28.	चौधरी, श्री अधीर	3676, 3730, 3782, 3791, 3871
29.	चौधरी, श्री विकास	3658
30.	चर्चील, श्री अलीमाऊ	3702
31.	देवरा, श्री मिलिन्द	3708
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3709, 3819
33.	थोत्रे, श्री संजय	3762, 3833
34.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3669
35.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3690,
36.	गमांग, श्री गिरिधर	3696
37.	गांधी, श्रीमती मेनका	3711
38.	गांधी, श्री प्रदीप	3773
39.	गंगवार, श्री संतोष	3764
40.	गोहेन, श्री राजेन	3773
41.	गुढ़े, श्री अनंत	3693
42.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	3882
43.	हुसैन, श्री अनवर	3760
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	3797, 3860
45.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3680, 3828
46.	जेना, श्री मोहन	3880
47.	झा, श्री रघुनाथ	3670, 3786, 3872
48.	जिन्दल, श्री नवीन	3880
49.	जोगी, श्री अजीत	3734, 3836, 3880
50.	जोशी, श्री कैलाश	3687, 3779, 2852
51.	जोशी, श्री प्रहलाद	3654, 3765
52.	कलमाडी, श्री सुरेश	3738, 3846
53.	कामत, श्री गुरुदास	3710
54.	करूणाकरन, श्री पी.	3737
55.	कस्वां, श्री राम सिंह	3761
56.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3746
57.	खां, श्री सुनील	3663, 3794, 3857
58.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3674, 3802, 3867
59.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3688
57.	खां, श्री सुनील	3663, 3794, 3857
58.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3674, 3802, 3867
59.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3688, 3708, 3773
60.	कृष्ण, श्री विजय	3705, 3810, 3827, 3841, 3868
61.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3713,3829,3880
62.	कुरुप, श्री सुरेश	3700
63.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3769,3842
64.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3666, 3689, 3783
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3742, 3806, 3865
66.	महाजन, श्री वाई. जी.	3739
67.	महतो, श्री बीर सिंह	3789
68.	महताब, श्री भर्तृहरि	3798, 3861
69.	मंडल, श्री सनत कुमार	3731, 3818
70.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा,	3708, 3745, 3827, 3841

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
71.	माने, श्रीमती निवेदिता	3820, 3883
72.	मांझी, श्री राजेश कुमार	3682, 3740
73.	मिडियम, डा. बाबू राव	3684
74.	मेघवाल, श्री कैलाश	3657, 3739, 3785, 3845
75.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3732, 3810
76.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	3717, 3870
77.	मुकीम, मो.	3830
78.	मोहिते, श्री सुबोध	3761
79.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3678
80.	मूर्ति, श्री ए. के.	3666, 3808, 3813
81.	मुन्शी राम, श्री	3727, 3769, 3834
82.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3704, 3773, 3800, 3862
83.	मुर्मू, श्री रुपचन्द	3835, 3879
84.	नरबुला, श्री डी.	3683
85.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3748, 3812
86.	निखिल कुमार, श्री	3730, 3791
87.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3685
88.	ओराम, श्री जुएल	3824
89.	ओसमानी, श्री ए. एफ. जी.	3715
90.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3773, 3777
91.	पलनिसामी, श्री के. सी.	3697, 3781, 3853
92.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3662, 3773, 3784
93.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3722, 3785
94.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3668, 3827
95.	पासवान, श्री रामचन्द्र	3767, 3838
96.	पाठक, श्री ब्रजेश	3788, 3875
97.	पाटील, श्री बालासहिब विखे	3712, 3790, 3866
98.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3726
99.	पिंगले, श्री देविदास	3769, 3842
100.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3785.
101.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3772, 3789
102.	प्रसाद, श्री लालमणि	3716
103.	राजगोपाल, श्री एस.	3766
104.	रामदास, प्रो. एम.	3698
105.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3749
106.	राणा, श्री काशीराम	3811
107.	राव, श्री के. एस.	3741
108.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3804, 3855, 3864
109.	राव, श्री डी. विट्टल	3721, 3792
110.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3735, 3748, 3839, 3882
111.	रावत, श्री अशोक कुमार	3671
112.	रावत, श्री धनसिंह	3724
113.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3672, 3877
114.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3701, 3803, 3837, 3881
115.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3769
116.	रेड्डी, श्री मधुसूदन	3793, 3856
117.	रेड्डी, श्री सुखवरम सुधाकर	3700
118.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3791, 3855, 3864
119.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3723, 3757, 3825
120.	सरोज, श्री तूफानी	3740, 3818
121.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3673
122.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3686, 3778
123.	सत्पथी, श्री तथागत	3677
124.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3756

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
125.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3775, 3876
126.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3667
127.	शर्मा, श्री मदन लाल	3758
128.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3692, 3780, 3822, 3869, 3874
129.	शिवन्ना, श्री एम.	3718, 3832, 3878
130.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3736, 3769
131.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3722
132.	सिंह, श्री अजीत कुमार	3768
133.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3707, 3799, 3826
134.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3747, 3808, 3824
135.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3659, 3805
136.	सिंह, श्री दुष्यंत	3719, 3843, 3847
137.	सिंह, श्री गणेश	3681, 3815, 3855
138.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3785
139.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3827
140.	सिंह, श्री मोहन	3725
141.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3755, 3771, 3849
142.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3756
143.	सिंह, श्री राकेश	3770, 3844
144.	सिंह, श्री सुग्रीव	3752, 3798
145.	सिंह, श्री सूरज	3759
146.	सिंह, श्री उदय	3739, 3753, 3821, 3871
147.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3723
148.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3665, 3723
149.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	3700
150.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3729, 3801, 3863
151.	ठक्कर, श्रीमती जयबहन बी.	3675, 3712, 3809
152.	थामस, श्री पी. सी.	3743
153.	दुम्मर, श्री वी. के.	3691, 3807
154.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3708, 3814
155.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3720
156.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3811
157.	विनोद कुमार, श्री बी.	3714. 3803, 3864, 3873
158.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3744
159.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3820, 3823
160.	यादव, श्री गिरिधारी	3661, 3754
161.	यास्खी, श्री मधु गौड	3741
162.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3703, 3785
163.	जाहेदी, श्री महबूब	3655

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	330, 335, 340, 342,
संस्कृति	336
रक्षा	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	
सूचना और प्रसारण	327, 329, 339
पंचायती राज	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	323, 326, 332, 333, 334, 338
रेल	324, 325, 331
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	328, 337, 341

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	3668, 3669, 3681, 3682, 3697, 3733, 3735, 3741, 3742, 3749, 3750, 3757, 3830, 3832, 3846, 3865, 3871
संस्कृति	3673, 3693, 3714, 3790, 3791, 3805, 3822, 3829, 3840, 3859, 3877
रक्षा	3666, 3667, 3677, 3690, 3691, 3703, 3707, 3708, 3709, 3710, 3713, 3730, 3736, 3738, 3743, 3747, 3759, 3765, 3767, 3768, 3770, 3773, 3784, 3785, 3786, 3804, 3808, 3809, 3813, 3819, 3824, 3826, 3827, 3838, 3854, 3863, 3869, 3883
भारी उद्योग और लोक उद्यम	3655, 3658, 3663, 3671, 3734, 3789, 3793, 3857, 3873
सूचना और प्रसारण	3683, 3692, 3700, 3701, 3718, 3726, 3727, 3756, 3762, 3763, 3769, 3803, 3820, 3825, 3833, 3839, 33655, 3870, 3879
पंचायती राज	3657, 3679, 3686, 3776, 3851
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	3662, 3664, 3676, 3695, 3706, 3715, 3720, 3725, 3737, 3745, 3753, 3754, 3764, 3772, 3775, 3782, 3796, 3797, 3799, 3806, 3815, 3818, 3821, 3823, 3831, 3834, 3837, 3841, 3843, 3858, 3866, 3868, 3874, 3881
रेल	3654, 3656, 3659, 3660, 3661, 3665, 3670, 3672, 3674, 3675, 3684, 3685, 3687, 3688, 3689, 3694, 3696, 3698, 3699, 3702, 3704, 3705, 3712, 3721, 3723, 3724, 3728, 3729, 3731, 3732, 3739, 3740, 3744, 3746, 3748, 3751, 3752, 3755, 3758, 3760, 3761, 3766, 3771, 3774, 3777, 3778, 3779, 3781, 3783, 3787, 3788, 3794, 3795, 3798, 3800, 3802, 3810, 3811, 3812, 3814, 3816, 3817, 3828, 3835, 3836, 3844, 3845, 3847, 3848, 3849, 3850, 3852, 3853, 3856, 3860, 3861, 3862, 3864, 3867, 3872, 3873, 3875
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	3678, 3680, 3711, 3716, 3717, 3719, 3722, 3780, 3792, 3801, 3807, 3842, 3878, 3880, 3882

पी.एल.एस. – 48/6/17/ 2004 (एन.)
251

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।